



# ईपीएफओ 69<sup>वीं</sup> वार्षिक रिपोर्ट 2021-22

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन  
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय  
भारत सरकार



# वार्षिक रिपोर्ट

## 2021-22



**कर्मचारी भविष्य निधि संगठन**

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

भारत सरकार

[www.epfindia.gov.in](http://www.epfindia.gov.in)









230वीं सीबीटी बैठक, गुवाहाटी





230वीं सीबीटी, गुवाहाटी



# विषय सूची

|              |                                                                                  |       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| अध्याय<br>01 | कर्मचारी भविष्य निधि संगठन                                                       | 18-26 |
|              | ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य                                                            | 19    |
|              | कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत बनाई गई योजनाएं | 20    |
|              | शासन ढांचा                                                                       | 21    |
|              | केन्द्रीय न्यासी बोर्ड                                                           | 21    |
|              | केन्द्रीय न्यासी बोर्ड की समितियां                                               | 22    |
|              | कार्यकारी समिति, केन्द्रीय बोर्ड (ईपीएफ)                                         | 24    |
|              | राज्यो/संघ शासित राज्यों के लिए क्षेत्रीय समितियां                               | 25    |
| अध्याय<br>02 | अधिनियम एवं योजनाओं का अवलोकन                                                    | 28-41 |
|              | अधिनियम को लागू करना                                                             | 28    |
|              | उद्योगों की अनुसूची / स्थापनाओं के वर्ग                                          | 28    |
|              | कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952                                                 | 29    |
|              | कोविड काल के दौरान विशेष उपलब्धियां                                              | 31    |
|              | कर्मचारी पेंशन योजना, 1995                                                       | 32    |
|              | वित्तीय विवरण-पेंशनभोक्ता                                                        | 33    |
|              | न्यूनतम पेंशन उपबंध का कार्यान्वयन                                               | 35    |
|              | कर्मचारी पेंशन योजना 1995 का बीमांकक मूल्यांकन                                   | 36    |
|              | पेंशन संवितरण                                                                    | 36    |
|              | कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रगति                          | 36    |
|              | कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976                                         | 36    |
| अध्याय<br>03 | कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में निष्पादन प्रबंधन                                  | 43-47 |
|              | नागरिक चार्टर                                                                    | 43    |
|              | विजन                                                                             | 43    |
|              | मिशन                                                                             | 43    |
|              | सेवा मानदंड                                                                      | 43    |
|              | सदस्यों की पात्रताएं एवं अपेक्षाएं                                               | 43    |
|              | पेंशनभोक्ताओं की पात्रताएं एवं अपेक्षाएं                                         | 44    |
|              | नियोक्ताओं की पात्रताएं एवं अपेक्षाएं                                            | 44    |
|              | शिकायत निवारण तंत्र                                                              | 45    |
|              | कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की उपस्थिति                                           | 46    |
|              | सेवा क्षेत्र                                                                     | 47    |
|              | वित्तीय क्षेत्र                                                                  | 47    |
|              | अनुपालन क्षेत्र                                                                  | 47    |
| अध्याय<br>04 | ईपीएफओ में अनुपालन प्रबंधन                                                       | 49-67 |
|              | अनुपालन की भूमिका                                                                | 49    |
|              | चूक के मामले में कार्रवाई                                                        | 49    |
|              | ई-गवर्नेंस पहल                                                                   | 50    |
|              | केंद्रीय विश्लेषण एवं आसूचना यूनिट (सी.ए.आई.यू.)                                 | 52    |
|              | छूट                                                                              | 53    |
|              | 2021-2022 के दौरान उपलब्धियां                                                    | 55    |
|              | वर्ष के दौरान बकाया का प्रबंधन                                                   | 62    |
|              | पीएमआरपीवाई / पीएमपीआरपीवाई                                                      | 63    |
|              | आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना                                                     | 65    |





|           |                                                              |         |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------|
| अध्याय 05 | निवेश एवं लेखा                                               | 69-88   |
|           | अंशदान की दर                                                 | 69      |
|           | प्राप्त अंशदान (सभी तीनों योजनाएं)                           | 70      |
|           | प्रशासनिक लेखा                                               | 71      |
|           | आय एवं व्यय लेखा                                             | 73      |
|           | प्रशासनिक राजस्व                                             | 73      |
|           | ईपीएफओ द्वारा निधि का निवेश                                  | 74      |
|           | पेंशन निधि का निवेश                                          | 80      |
|           | पोर्टफोलियो प्रबंधन                                          | 80      |
|           | निवेशों का संग्रह तथा श्रेणीवार विवरण (अछूट प्राप्त क्षेत्र) | 81      |
|           | छूट प्राप्त क्षेत्र द्वारा निवेश                             | 88      |
|           | सदस्यों के लिए ब्याज की दर                                   | 88      |
|           | ईपीएफओ कर्मचारियों के लिए उत्पादकता सहबद्ध                   | 88      |
| अध्याय 06 | ग्राहक सेवा, संप्रेषण एवं जन संपर्क                          | 90-103  |
|           | ईपीएफओ में शिकायत निवारण प्रणाली                             | 90      |
|           | ग्राहक सेवा प्रभाग की संरचना                                 | 90      |
|           | सीपीग्राम्स                                                  | 90      |
|           | ईपीएफआईजीएमएस                                                | 93      |
|           | कॉल सेंटर                                                    | 97      |
|           | व्हाट्सएप बिजनेस हेल्पलाइन                                   | 99      |
|           | सोशल मीडिया                                                  | 99      |
|           | अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न                                  | 100     |
|           | जन संपर्क अधिकारी एवं सुविधा केंद्र                          | 100     |
|           | महिला सशक्तिकरण डेस्क                                        | 100     |
|           | प्रणालीगत परिवर्तन                                           | 100     |
|           | प्रयास                                                       | 101     |
|           | पेंशन अदालत                                                  | 101     |
|           | निधि आपके निकट                                               | 102     |
|           | संप्रेषण और जनसंपर्क प्रभाग                                  | 102     |
|           | सूचना का अधिकार                                              | 103     |
| अध्याय 07 | मानव संसाधन                                                  | 106-115 |
|           | मानव शक्ति                                                   | 106     |
|           | वर्ष के दौरान की गई पदोन्नतियां                              | 106     |
|           | आरक्षण नीति का कार्यान्वयन                                   | 107     |
|           | अंतर-क्षेत्रीय स्थानान्तरण                                   | 108     |
|           | अनुकम्पा नियुक्ति                                            | 109     |
|           | मानव संसाधन विकास                                            | 109     |
|           | परीक्षा अनुभाग                                               | 109     |
|           | हिंदी का प्रगामी प्रयोग                                      | 110     |
|           | ईपीएफ स्टाफ पेंशनभोक्ता                                      | 111     |
|           | स्टाफ कल्याण निधि                                            | 112     |
|           | खेलकूद गतिविधियां                                            | 112     |
|           | औद्योगिक संबंध                                               | 113     |
|           | सतर्कता                                                      | 113     |
|           | भौतिक सुविधा प्रभाग                                          | 115     |



# विषय सूची

|              |                                                                      |         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|---------|
| अध्याय<br>08 | प्रशिक्षण एवं अनुसंधान                                               | 118-122 |
|              | पृष्ठभूमि                                                            | 118     |
|              | प्रशिक्षण का उद्देश्य                                                | 118     |
|              | प्रशिक्षण के लिए रूपरेखा                                             | 118     |
|              | कार्यनीति                                                            | 118     |
|              | प्रशिक्षण कार्यक्रम                                                  | 119     |
|              | कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में प्रशिक्षण संरचना                      | 119     |
|              | पीडीनास का बुनियादी ढांचा                                            | 119     |
|              | पीडीनास में प्रशिक्षण हेतु लक्ष्य समूह                               | 120     |
|              | प्रशासनिक संरचना                                                     | 120     |
|              | वर्ष के दौरान पीडीएनएसएस में प्रशिक्षण गतिविधियों की मुख्य विशेषताएं | 120     |
|              | अखिल भारतीय उपस्थिति                                                 | 120     |
|              | आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण कार्यक्रम                     | 121     |
|              | आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान में भौतिक सुविधाएं और इन्फ्रास्ट्रक्चर      | 122     |
|              | प्रशिक्षण की मॉनिटरिंग और मूल्यांकन                                  | 122     |
|              | अनुसंधान                                                             | 122     |
| अध्याय<br>09 | सूचना प्रौद्योगिकी पहल                                               | 124     |
|              | प्रमुख पहल                                                           | 124     |
| अध्याय<br>10 | लेखापरीक्षा                                                          | 126-133 |
|              | लेखापरीक्षा प्रभाग                                                   | 126     |
|              | आंतरिक लेखापरीक्षा                                                   | 126     |
|              | आंतरिक लेखापरीक्षा के प्रमुख क्षेत्र                                 | 126     |
|              | सांविधिक लेखापरीक्षा                                                 | 130     |
|              | समवर्ती लेखापरीक्षा                                                  | 130     |
| अध्याय<br>11 | विधिक मामले                                                          | 135-138 |
|              | विधिक मामलों की सामान्य रूपरेखा                                      | 135     |
|              | वर्ष के दौरान प्रमुख मामले                                           | 135     |
|              | विभिन्न न्यायिक मंचों के समक्ष मामलों का विवरण                       | 137     |
|              | विभिन्न न्यायालयों के अंतर्गत अंचल-वार मामलों की स्थिति              | 138     |
| अध्याय<br>12 | अंतर्राष्ट्रीय कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा                       | 140-142 |
|              | पृष्ठभूमि                                                            | 140     |
|              | अंतर्राष्ट्रीय कामगारों के संबंध में विशेष उपबंध                     | 140     |
|              | सामाजिक सुरक्षा करार (एसएसए)                                         | 141     |
|              | कवरेज प्रमाणपत्र (सीओसी)                                             | 142     |
| अध्याय<br>13 | आजादी का अमृत महोत्सव                                                | 144-146 |
|              | एकेएम के तहत ई-नामांकन (पेंशन प्रभाग)                                | 144     |
|              | छूट प्रभाग की गतिविधियां                                             | 145     |
|              | सी एंड पीआर प्रभाग की गतिविधियां                                     | 145     |
|              | पीडीनास प्रभाग द्वारा की गई गतिविधियां                               | 146     |



| परिशिष्ट         |                                                                                                                    |     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| परिशिष्ट-1(i)    | केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (ईपीएफ) के सदस्यों की सूची                                                                  | 149 |
| परिशिष्ट-1(ii)   | कार्यकारी समिति के सदस्यों की सूची                                                                                 | 151 |
| परिशिष्ट-2(i)    | स्थापनाएं और सदस्य – उद्योग/श्रेणीवार                                                                              | 152 |
| परिशिष्ट-2(ii)   | स्थापनाएं एवं सदस्य – अंचल और कार्यालयवार                                                                          | 159 |
| परिशिष्ट-2(iii)  | स्थापनाएं एवं सदस्य – राज्यवार                                                                                     | 160 |
| परिशिष्ट-2(iv)   | स्थापनाएं और सदस्य-25 शीर्ष उद्योग/श्रेणीवार                                                                       | 161 |
| परिशिष्ट-2(v)    | पेंशनभोक्ताओं का वर्गीकरण                                                                                          | 162 |
| परिशिष्ट-2(vi)   | 1000/- प्रतिमाह न्यूनतम पेंशन से लाभान्वित होने वाले पेंशनभोक्ताओं का विवरण                                        | 167 |
| परिशिष्ट-2(vii)  | मूल्यांकन के परिणाम का सार                                                                                         | 168 |
| परिशिष्ट-2(viii) | ईपीएस -1995 के अंतर्गत पेंशन संवितरण एजेंसियों की सूची                                                             | 169 |
| परिशिष्ट-3(i)    | ईपीएफओ में आंचलिक कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों, जिला कार्यालयों, विशेष राज्य कार्यालय और सेवा केंद्रों की सूची | 175 |
| परिशिष्ट-3(ii)   | औसत अंशदायी स्थापनाएं एवं सदस्य                                                                                    | 181 |
| परिशिष्ट-3(iii)  | सभी दावों का सारांश                                                                                                | 182 |
| परिशिष्ट-3(iv)   | सभी दावे                                                                                                           | 183 |
| परिशिष्ट-3(v)    | भविष्य निधि अंतिम निपटारे हेतु दावे                                                                                | 184 |
| परिशिष्ट-3(vi)   | भविष्य निधि अंतरण दावे                                                                                             | 185 |
| परिशिष्ट-3(vii)  | भविष्य निधि आंशिक निकासी दावे                                                                                      | 186 |
| परिशिष्ट-3(viii) | पेंशन दावे                                                                                                         | 187 |
| परिशिष्ट-3(ix)   | पेंशन निकासी लाभ दावे                                                                                              | 188 |
| परिशिष्ट-3(x)    | बीमा (ईडीएलआई) दावे                                                                                                | 189 |
| परिशिष्ट-3(xi)   | वार्षिक लेखे (अछूट प्राप्त )                                                                                       | 190 |
| परिशिष्ट-3(xii)  | सांख्यिकीय सार का सारांश                                                                                           | 191 |
| परिशिष्ट-4(i)    | अछूट प्राप्त क्षेत्र में ईपीएफ योजना के अंतर्गत निर्धारित बकाया                                                    | 194 |
| परिशिष्ट-4(ii)   | अछूट प्राप्त क्षेत्र में ईपीएस-95 योजना के अंतर्गत निर्धारित बकाया                                                 | 195 |
| परिशिष्ट-4(iii)  | अछूट प्राप्त क्षेत्र में ईडीएलआई योजना के अंतर्गत निर्धारित बकाया                                                  | 196 |
| परिशिष्ट-4(iv)   | सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्र में बकाया का विवरण (अछूट प्राप्त) (सभी तीन योजनाएं)                             | 197 |

| परिशिष्ट          |                                                                                                                      |     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| परिशिष्ट-4(v)     | रु. 50 लाख या इससे अधिक बकाया वाली चूककर्ता स्थापनाओं का विवरण अछूट प्राप्त क्षेत्र                                  | 198 |
| परिशिष्ट-4(vi)    | रु. 50 लाख या इससे अधिक बकाया वाली चूककर्ता स्थापनाओं का विवरण छूट प्राप्त क्षेत्र                                   | 199 |
| परिशिष्ट-4(vii)   | अधिनियम की धारा 7ए के अंतर्गत निर्धारण मामलों का प्रारंभ एवं निपटान                                                  | 200 |
| परिशिष्ट-4(viii)  | लंबित 7ए मामलों की आवधिकता                                                                                           | 201 |
| परिशिष्ट-4(ix)    | सभी तीनों योजनाओं में अधिनियम की धारा 7 क्यू के अंतर्गत देयों पर ब्याज का निर्धारण (अछूट प्राप्त)                    | 202 |
| परिशिष्ट-4(x)     | धारा 14 बी के अंतर्गत लगाई गई नुकसानी के मामले (अछूट प्राप्त)                                                        | 203 |
| परिशिष्ट-4(xi)    | धारा 14 बी के अंतर्गत तीनों योजनाओं में लगाई गई नुकसानी (अछूट प्राप्त)                                               | 204 |
| परिशिष्ट-4(xii)   | संपत्ति की कुर्की/बिक्री/चूकदारों की गिरफ्तारी की स्थिति-अछूट प्राप्त क्षेत्र                                        | 205 |
| परिशिष्ट-4(xiii)  | अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत अभियोजन मामले की स्थिति (अछूट प्राप्त क्षेत्र) ईपीएफ योजना                             | 206 |
| परिशिष्ट-4(xiv)   | अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत अभियोजन मामले (अछूट प्राप्त क्षेत्र) की स्थिति (पेंशन योजना)                           | 207 |
| परिशिष्ट-4(xv)    | अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत अभियोजन मामले (अछूट प्राप्त क्षेत्र) की स्थिति (ईडीएलआई योजना)                         | 208 |
| परिशिष्ट-4(xvi)   | भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत पुलिस प्राधिकारियों के समक्ष मामले (अछूट प्राप्त)                       | 209 |
| परिशिष्ट-4(xvii)  | भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत विभिन्न अदालतों के समक्ष मामले (अछूट प्राप्त)                           | 210 |
| परिशिष्ट-4(xviii) | छूट प्राप्त क्षेत्र में कुल बकाया                                                                                    | 211 |
| परिशिष्ट-4(xix)   | छूट प्राप्त क्षेत्र में कुल बकाए के अधिकांश अंश से संबंधित वाले राज्य                                                | 212 |
| परिशिष्ट-5(i)     | तीनों योजनाओं में अंशदान एवं भुगतान (अछूट प्राप्त)                                                                   | 213 |
| परिशिष्ट-5(ii)    | निवेश के लिए अंकित मूल्य पर श्रेणीवार एवं कूपनवार निवेश ईपीएफ (कर्मचारी भविष्य निधि) लेखा संख्या-5 [रु. करोड़ों में] | 214 |
| परिशिष्ट-5(iii)   | निवेश के लिए अंकित मूल्य पर श्रेणीवार एवं कूपनवार निवेश ईपीएस लेखा संख्या-11 [रु. करोड़ों में]                       | 215 |
| परिशिष्ट-5(iv)    | निवेश के लिए अंकित मूल्य पर श्रेणीवार एवं कूपनवार निवेश ईडीएलआई लेखा संख्या-25 [रु. करोड़ों में]                     | 216 |

| परिशिष्ट         |                                                                                                            |     |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| परिशिष्ट-5(v)    | अंकित मूल्य (ऋण) पर श्रेणीवार एवं कूपनवार निवेश राशि-एसपीएफ लेखा संख्या 8 (करोड़ में)                      | 217 |
| परिशिष्ट-5(vi)   | अंकित मूल्य (ऋण) पर श्रेणीवार एवं कूपनवार निवेश – पी एवं जी लेखा संख्या-09 (करोड़ में)                     | 218 |
| परिशिष्ट-5(vii)  | वर्ष 1952 से ईपीएफ शेष पर ब्याज की दर                                                                      | 219 |
| परिशिष्ट-5(viii) | वर्ष 2020-2021 के लिए उत्पादकता सहबद्ध बोनस                                                                | 220 |
| परिशिष्ट-6       | वर्ष 2020-2021 की वार्षिक आरटीआई रिपोर्ट – अनुरोध एंड अपील का विवरण                                        | 221 |
| परिशिष्ट-7(i)    | ईपीएफओ में ग्रुप 'ए' अधिकारियों की पदवार स्वीकृत एवं वर्तमान तैनाती की संख्या                              | 222 |
| परिशिष्ट-7(ii)   | ईपीएफओ में ग्रुप 'बी' अधिकारियों की पदवार स्वीकृत एवं वर्तमान तैनाती की संख्या                             | 223 |
| परिशिष्ट-7(iii)  | ईपीएफओ में ग्रुप 'सी' कर्मचारियों की पदवार स्वीकृत एवं वर्तमान तैनाती की संख्या                            | 224 |
| परिशिष्ट-7(iv)   | ईपीएफओ में ग्रुप 'ए' अधिकारियों की अंचल/श्रेणीवार स्वीकृत एवं वर्तमान तैनाती की संख्या                     | 225 |
| परिशिष्ट-7(v)    | ईपीएफओ में ग्रुप 'बी' अधिकारियों की अंचल/श्रेणीवार स्वीकृत एवं वर्तमान तैनाती की संख्या                    | 226 |
| परिशिष्ट-7(vi)   | ईपीएफओ में ग्रुप 'सी' कर्मचारियों की अंचल/श्रेणीवार स्वीकृत एवं वर्तमान तैनाती की संख्या                   | 227 |
| परिशिष्ट-7(vii)  | ईपीएफओ के स्टाफ पेंशनभोक्ता एवं परिवार पेंशनभोक्ता                                                         | 228 |
| परिशिष्ट-8(i)    | आंचलिक और उप-आंचलिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा वर्ष 2021-2022 के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण | 229 |



# संक्षिप्त रूप

## संक्षिप्त रूप

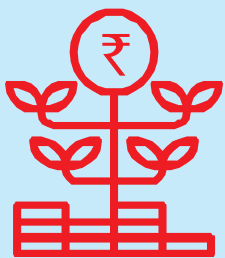
अधिनियम  
स.नि.  
अ.के.भ.नि.आ.  
स.भ.नि.आ.  
सहा.निदे.(सत)  
प्र.स.प्र.  
बी.आई.एफ.आर.  
बोर्ड  
के.सरकार  
के.भ.नि.आ.  
ग्रा.से.प्र.  
डी.ए.  
उ.नि.  
निदे. (सत.)  
क.भ.नि.अपी.अधि.  
क.भ.नि.सं.  
छूट  
वि. एवं ले.  
वि.स. एवं मु.ले.अधि.  
परिवार पेंशन योजना  
भा.स.  
मुख्या.  
आई.एम.सी.  
बीमा निधि  
बीमा योजना  
आई.आर.  
आई.डब्ल्यू.  
श्र. एवं. रो.मंत्रा.  
नाटरस  
एन.आई.आर.  
पीडीनास  
पेंशन निधि  
पेंशन योजना  
लो.शि.  
ज.स.अधि.  
भ.नि.  
पी.एस.एफ.आई.  
आर.एफ.डी.  
क्षे.का.  
क्षे.भ.नि.आ.-I  
क्षे.भ.नि.आ.-II  
आर.आर.सी.  
एस.सी.  
योजना  
एस.डी.एस.  
उ.क्षे.का.  
सा.सु.स.  
यू.ए.एस.  
अछूट  
सत.  
आं.का.  
आं.प्र.सं.  
आं.स.नि.  
ईपीएफओ  
ईपीएस  
ईडीएलआई

## शब्द

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952  
सहायक निदेशक  
अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त  
सहायक भविष्य निधि आयुक्त  
सहायक निदेशक (सतर्कता)  
प्रशासनिक सतर्कता प्रकोष्ठ  
औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड  
केन्द्रीय न्यासी बोर्ड  
केन्द्रीय सरकार  
केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त  
ग्राहक सेवा प्रभाग  
महंगाई भत्ता  
उप निदेशक  
निदेशक (सतर्कता)  
कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय अधिकरण  
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन  
छूट  
वित्त एवं लेखा  
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी  
कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971  
भारत सरकार  
मुख्यालय  
निवेश निगरानी प्रकोष्ठ  
कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि  
कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976  
तत्काल वसूलनीय  
अंतर्राष्ट्रीय कामगार  
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय  
राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण अकादमी  
तत्काल अवसूलनीय  
पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा अकादमी  
कर्मचारी पेंशन निधि  
कर्मचारी पेंशन योजना, 1995  
लोक शिकायत  
जनसंपर्क अधिकारी  
भविष्य निधि  
सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थान  
परिणाम रूपरेखा दस्तावेज  
क्षेत्रीय कार्यालय  
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-I  
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-II  
राजस्व वसूली प्रमाण पत्र  
अनुसूचित जाति  
कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952  
विशेष जमा योजना  
उप क्षेत्रीय कार्यालय  
सामाजिक सुरक्षा सहायक  
धारा के अंतर्गत  
अछूट प्राप्त  
सतर्कता  
आंचलिक कार्यालय  
आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान  
आंचलिक सतर्कता निदेशालय  
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन  
कर्मचारी पेंशन योजना  
कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना

- कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 का प्रशासन ईपीएफओ करता है।
- ईपीएफओ विश्व के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा प्रदानकर्ताओं में से एक है।
- अधिनियम उन परिभाषित उद्योगों पर लागू है, जिनमें 20 अथवा अधिक कर्मचारी नियोजित हैं।
- ईपीएफओ द्वारा चलाई जा रही तीन योजनाएं कर्मचारी भविष्य निधि योजना—1952, कर्मचारी पेंशन योजना—1995 एवं कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना—1976 हैं।
- आवृत्त स्थापनाओं को वैधानिक रूप से उन सभी कर्मचारियों के संबंध में अनुपालन करना होता है, जो ₹15,000 प्रतिमाह (01.09.2014 से प्रभावी) तक वेतन प्राप्त कर रहे हैं।
- भविष्य निधि एक परिभाषित अंशदान योजना है, जिसमें नियोक्ता एवं कर्मचारी दोनों अनिवार्यतः अपना-अपना अंशदान करते हैं।
- “परिभाषित अंशदान” एवं “परिभाषित लाभ” से पेंशन योजना बनी है। कर्मचारियों को इस योजना में अंशदान नहीं देना होता है।
- बीमा योजना एक निक्षेप सहबद्ध योजना है, जो कर्मचारियों को बिना किसी अंशदान के ₹7,00,000/— तक के लाभ प्रदान करती है।

# कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में एक औसत दिन 2021–22



₹ 899.37 करोड़ अंशदान  
के रूप में प्राप्त हुए



₹ 519.20 करोड़ लाभार्थियों  
को वितरित किए गए



1090 स्थापनाएं पंजीकृत की गईं  
और 75242 सदस्य नामांकित किए गए



158289 दावों का  
निपटान किया गया  
(282 बीमा दावे)



29449 पेंशन  
वितरित की गईं



6680 जन शिकायतें  
प्राप्त हुईं



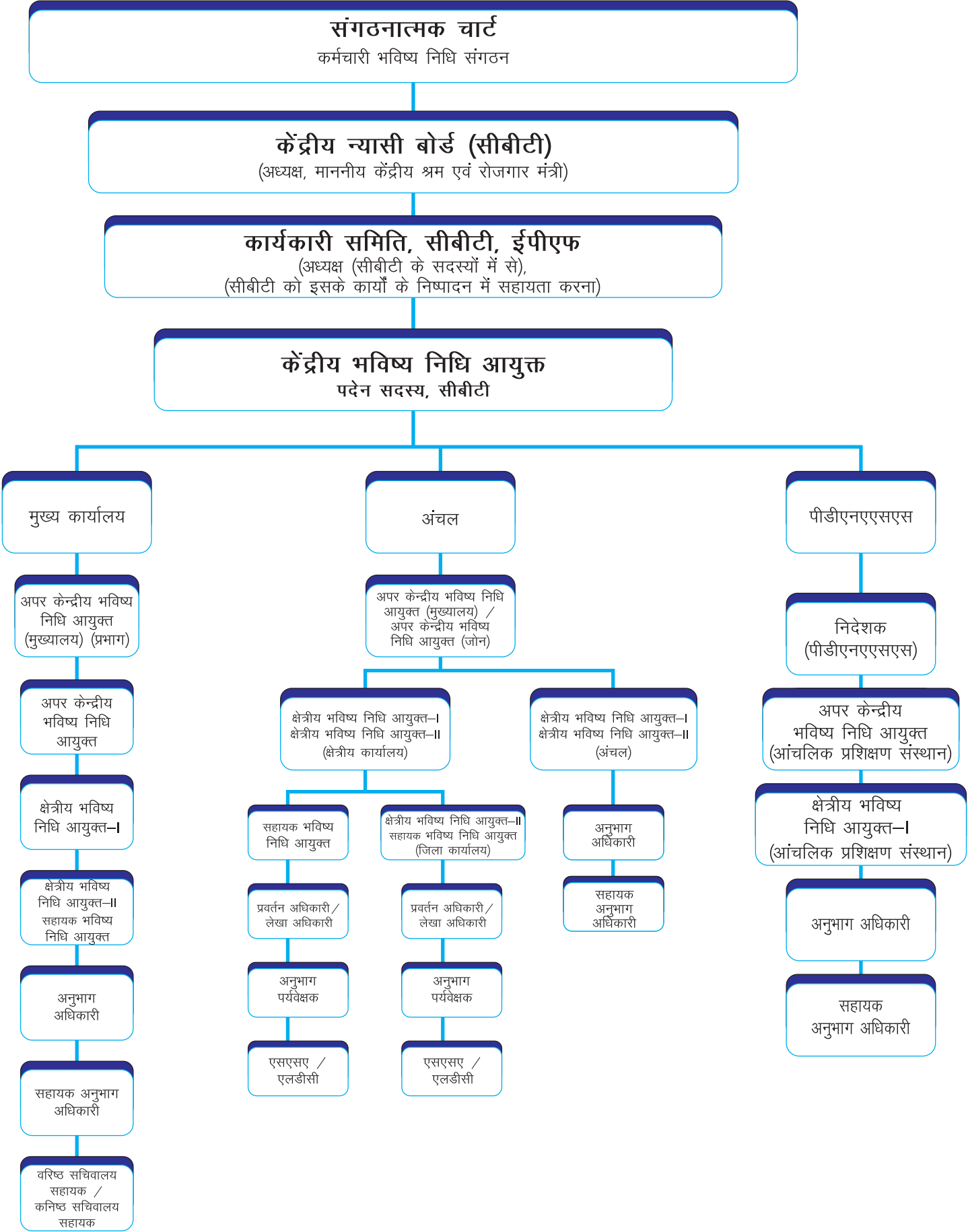
6569 जन शिकायतें  
निपटाई गईं



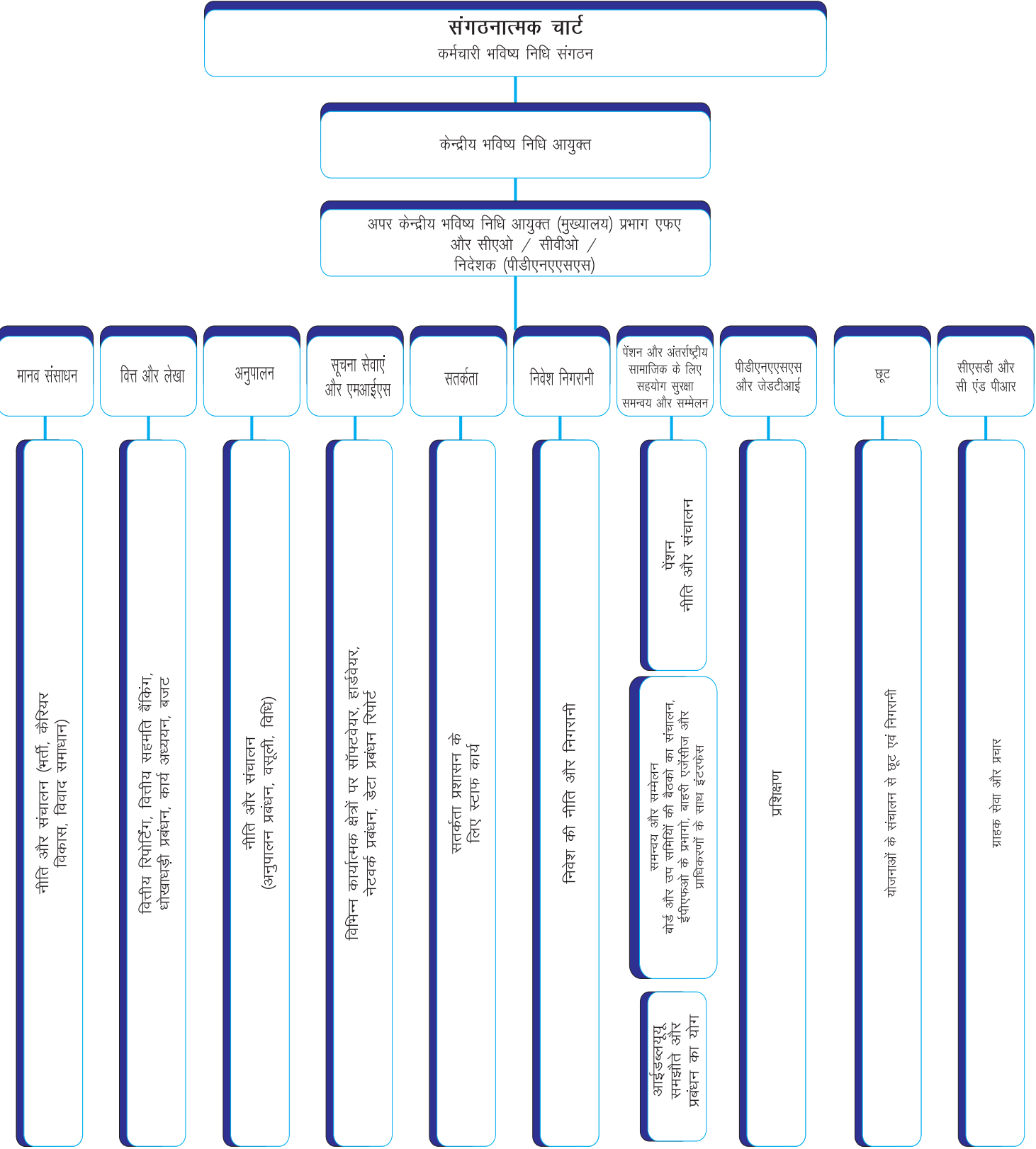
प्रति दिन 5337 कॉल  
अटेंड की गईं (कॉल  
सेंटर क्वेरी समाधान)



2903176  
पासबुक दृश्य







# અધ્યાય

# 1

કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠન

## ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

**1.1** सामाजिक सुरक्षा ढांचा किसी भी आधुनिक समाज की आधारशिला होती है। यह व्यक्ति को आश्वस्त करता है कि जीवन की अनिश्चितताओं के विरुद्ध समाज उनके हितों की देखरेख करेगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन व्यक्तियों को सेवानिवृत्ति, बेरोजगारी, बीमारी, अशक्तता, काम के दौरान चोट लगने अथवा असामयिक मृत्यु के पश्चात आय संबंधी सुरक्षा तथा स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक सुरक्षा को व्यक्तियों तथा परिवारों को प्रदान की जाने वाली सुरक्षा के रूप में परिभाषित करता है। संयुक्त राष्ट्र इंस्ट्रूमेंट में परिभाषित आधारभूत मानव अधिकार के रूप में एक स्वस्थ, सकारात्मक तथा उत्पादक समाज के लिए इसे सहायक माना जाता है।

भारत में सामाजिक सुरक्षा विधान को अपनी शक्ति तथा विचारधारा, संविधान के राज्य हेतु नीति निर्देशक सिद्धांतों से प्राप्त होती हैं। संविधान की धारा 41 के अनुसार राज्य, अपनी आर्थिक क्षमता तथा विकास की सीमाओं के भीतर कार्य के अधिकार, शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करके तथा बेरोजगारी, वृद्धावस्था बीमारी तथा अशक्तता और अनचाही आवश्यकता के मामलों में लोक सहायता हेतु, प्रभावी प्रावधान करेंगे। इसके अलावा धारा 42 कार्य की न्यायपूर्ण तथा मानवीय परिस्थितियों तथा मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करने की बाध्यताओं का विस्तार करता है। धारा 47 के अनुसार राज्य, पोषण के स्तर तथा अपने लोगों के जीवन स्तर को उठाएगा और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करेगा जो कि उसके प्रमुख कर्तव्यों में है। अतः यह देश में सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों हेतु मूलभूत ढांचा है।

भारत में सामाजिक सुरक्षा परंपरागत रूप से परिवार/समुदाय का दायित्व था जब अर्थव्यवस्था स्थानीय थी। तथापि स्वतंत्रता के बाद पहले धीरे-धीरे हुए औद्योगिकरण और उसके पश्चात तीव्र भूमंडलीकरण प्रक्रिया और 1991 के बाद उदार व्यवस्था के कारण समुदाय के भीतर सामंजस्य कमजोर हुए और संयुक्त परिवार एकल परिवारों में बदल गए। इससे, राज्य-सह-समाज विनियमित सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के रूप में संस्थागत अनुक्रिया की आवश्यकता उत्पन्न हुई है।

भारत में सामाजिक सुरक्षा का इतिहास 1925 में पारित पहले भविष्य निधि अधिनियम, से शुरू होता है। यद्यपि उस समय यह कानून कुछ निजी संस्थाओं को विनियमित करने तक सीमित था, इसका उद्देश्य औद्योगिक कामगारों को सेवानिवृत्ति के पश्चात अथवा असामयिक मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रितों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना था। वर्ष 1929 से कई दौर के विचार विमर्श के पश्चात सामान्यतः इस पर सहमति बनी कि औद्योगिक कामगारों को निधि से बाहर निकलने के विकल्प की अनुमति देते हुए उन्हें भविष्य निधि योजना के अंतर्गत लाया जाए। यह भी सिफारिश की गई कि केंद्र सरकार भविष्य निधि के प्रबंधन हेतु आधुनिक नियमों को निर्मित करेगी जिसे बाद में नियोक्ताओं द्वारा भविष्य निधि की स्थापना हेतु अंगीकार किया जाएगा। इन नियमों को औद्योगिक संस्थाओं में अंगीकार करने के लिए 1945 में नियोक्ताओं के बीच परिचालित किया गया। कुछ प्रगतिशील नियोक्ताओं ने 3 लाख कामगारों के लाभ हेतु स्वैच्छिक भविष्य निधि स्थापित करने की पहल की।

**1.2** वर्ष 1947 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन में इस मामले की समीक्षा की गई। यह दोहराया गया कि भारत में वित्तीय एवं प्रशासनिक परिस्थितियों को देखते हुए पेंशन योजना अथवा ग्रेच्युटी भुगतान के स्थान पर अंशदायी भविष्य निधि योजना बेहतर है। ऐसे देश में जो अभी हाल ही में प्रभुसत्ता सम्पन्न हुआ था, ग्रेच्युटी योजना में प्रमुख कठिनाई यह महसूस की गई कि इसमें कामगार अथवा आश्रितों को दी जाने वाली राशि बहुत कम थी, चूंकि कामगार स्वयं निधि में अंशदान नहीं कर रहा होगा। विभिन्न वित्तीय तथा प्रशासनिक कठिनाइयों को देखते हुए, सबसे उचित हल अनिवार्य अंशदायी भविष्य निधि को स्थापित करना माना गया, जिसमें कामगार तथा नियोक्ता दोनों अंशदान करेंगे। इस प्रकार की योजना में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित लाभ होंगे :—

- i) इससे कामगारों में बचत की भावना उत्पन्न होगी।
- ii) इससे श्रम शक्ति के स्थिरीकरण में मदद मिलेगी।

**1.3** एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन की सिफारिश के अनुसार मामले पर वर्ष 1948 में संपन्न भारतीय श्रम सम्मेलन के 10वें सत्र में विचार-विमर्श किया गया। सामान्य रूप में इस पर सहमति बनी कि औद्योगिक कामगारों के लिए एक सांविधिक भविष्य निधि योजना आरंभ की जाए।

**1.4** सीमित क्षेत्र में इस प्रकार की योजना का परीक्षण करने के लिए वर्ष 1948 में कोयला खान भविष्य निधि योजना प्रारंभ की गई। इस योजना की सफलता से इसे अन्य उद्योगों में भी विस्तारित किए जाने की मांग की गई। वर्ष 1949 में जब अन्य औद्योगिक कामगारों

के लिए भविष्य निधि स्थापित करने के लिए एक गैर आधिकारिक विधेयक केन्द्रीय विधायिका में प्रस्तुत किया गया, तो तत्कालीन केन्द्रीय श्रम मंत्री ने एक शपथ पत्र दिया कि इस विषय पर सदन में एक व्यापक विधेयक लाया जाएगा। नवम्बर, 1950 में श्रम मामलों की स्थायी समिति में इस विषय पर गहन चर्चा हुई। विशेषतः राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के मध्य सामान्य रूप से यह सहमति बनी कि औद्योगिक निकायों में भविष्य निधि की स्थापना हेतु एक विधान लाया जाए। इस विचार का जनवरी, 1951 में श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में भी समर्थन किया गया।

**1.5** इसके परिणामस्वरूप फैक्ट्रियों तथा अन्य स्थापनाओं में कर्मचारियों के लिए भविष्य निधियों का संस्थापन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 15 नवम्बर, 1951 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा ईपीएफ अध्यादेश लाया गया। उक्त अध्यादेश तत्काल प्रभाव से लागू हुआ, यह जम्मू एवं कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ।

**1.6** अध्यादेश के स्थान पर कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 4 मार्च, 1952 को लागू हुआ। (1952 का अधिनियम संख्या 19)। अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत निर्मित योजना विभिन्न चरणों में लागू की गई तथा इसे संपूर्ण रूप में 1 नवम्बर, 1952 को लागू किया गया। अब इस तिथि को ईपीएफओ के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है।

योजना के निर्माण से अधिनियम की कई कमियां सामने आईं, जैसे कि :-

- i) छूट प्राप्त स्थापनाओं के निरीक्षण के प्रावधान का अभाव,
- ii) इस प्रकार की स्थापनाओं से देयों की वसूली,
- iii) नुकसानी का भुगतान आदि।

**1.7** इनमें सुधार हेतु, 14 सितम्बर, 1952 को राज्यों की परिषद में संशोधित बिल प्रस्तुत किया गया। चूंकि कुछ संशोधनों को तुरंत क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता थी और क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) बिल संसद के उस सत्र के दौरान पारित नहीं किया जा सका, एक संशोधित अध्यादेश लागू किया गया, जिसके स्थान पर बाद में कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) अधिनियम, 1953 लाया गया। 12 दिसम्बर, 1953 को इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई।

**1.8** 9 अगस्त, 2019 को जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 लागू होने के परिणामस्वरूप जम्मू एवं कश्मीर ईपीएफ एवं एमपी अधिनियम 1961 को भंग कर इन केंद्र शासित प्रदेशों पर भी कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 लागू किया गया।

## कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत निर्मित योजनाएं

**1.9** अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित तीन योजनाओं का निर्माण किया गया है :-

- i) कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 – (1 नवम्बर, 1952 से)
- ii) कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (16 नवम्बर, 1995 से) {परिवार पेंशन योजना, 1971 के स्थान पर}
- iii) कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976 – (1 अगस्त, 1976 से)

**1.10** तीनों योजनाओं से प्राप्त होने वाले लाभों को नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है :

| भविष्य निधि योजना                                                                                                                                                                                            | पेंशन योजना                                                                                                                                                                                  | बीमा योजना                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, मृत्यु पर संचय के साथ ब्याज।</li> <li>विनिर्दिष्ट खर्चों, जैसे गृह निर्माण, उच्च शिक्षा, विवाह, बीमारी पर आंशिक निकासी की अनुमति।</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>अधिवर्षिता/सेवानिवृत्ति, विकलांगता पर मासिक पेंशन।</li> <li>मृतक सदस्य पर आश्रित यथा विधवा/विधुर, बच्चों, माता-पिता/नामिति को मासिक पेंशन।</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>सेवा में रहते हुए किसी सदस्य की असामयिक मृत्यु होने की स्थिति में, 7 लाख रु. तक का बीमा लाभ देय है।</li> <li>इस लाभ हेतु ईपीएफ सदस्यों से कोई प्रीमियम नहीं लिया जाता।</li> </ul> |



### 1.11 शासकीय ढांचा

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है। यह केंद्रीय न्यासी बोर्ड के पर्यवेक्षण में अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाई गई योजनाओं को प्रशासित करता है।

### 1.12 केन्द्रीय न्यासी बोर्ड

केन्द्रीय बोर्ड (ईपीएफ) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 की धारा 5ए के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा गठित एक सांविधिक त्रिपक्षीय निकाय है। अधिनियम के तहत निर्मित तीन योजनाओं को प्रशासित करने का दायित्व इसी के पास है। माननीय केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री, भारत सरकार, बोर्ड के अध्यक्ष हैं। बोर्ड का कार्यकाल 5 वर्ष है।

बोर्ड का गठन निम्नानुसार है:

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| अध्यक्ष                                           | 01        |
| उपाध्यक्ष                                         | 01        |
| सह-उपाध्यक्ष                                      | 01        |
| केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त<br>सदस्य सचिव (पदेन) | 01        |
| केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि                        | 05        |
| राज्य सरकार के प्रतिनिधि                          | 15        |
| नियोक्ता के प्रतिनिधि                             | 10        |
| कर्मचारियों के प्रतिनिधि                          | 10        |
| <b>कुल</b>                                        | <b>44</b> |

केन्द्रीय बोर्ड के मुख्य कार्य हैं

- बोर्ड के साथ निहित निधियों का प्रशासन करना।
- योजनाओं के कुशल प्रशासन के लिए आवश्यक प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन करना।
- अधिकारियों एवं स्टाफ की नियुक्ति।
- निर्धारित फार्म एवं पद्धति में आय एवं व्यय के लेखों का रखरखाव।
- संगठन के कार्य निष्पादन पर सरकार को (सी.ए.जी. की टिप्पणियों सहित) लेखा परीक्षित लेखा और वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

**1.13** श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा दिनांक 09.11.2018 को बोर्ड का पुनर्गठन किया गया तथा गजट अधिसूचना दिनांक 02.12.2019, 19.03.2020, 26.02.2021, 16.11.2021 तथा 14.02.2022 द्वारा इसमें संशोधन किया गया।

**1.14** वर्ष 2021-22 के दौरान केंद्रीय बोर्ड की दो बैठकें आयोजित हुईं। श्री भूपेंद्र यादव, केन्द्रीय मंत्री, श्रम एवं रोजगार, भारत सरकार बोर्ड के अध्यक्ष थे। श्री रामेश्वर तेली, केंद्रीय राज्य मंत्री, श्रम एवं रोजगार बोर्ड के उपाध्यक्ष तथा श्री सुनील बड़थवाल, सचिव (श्रम एवं रोजगार), बोर्ड के सह-उपाध्यक्ष थे। 31.03.2022 तक बोर्ड के सदस्यों की सूची **परिशिष्ट-1(i)** पर संलग्न है।



### 1.15 केन्द्रीय न्यासी बोर्ड की समितियां

केन्द्रीय बोर्ड की समितियां, जिसमें नियोक्ताओं, कर्मचारियों, सरकार के प्रतिनिधि तथा डोमेन विशेषज्ञ होते हैं, का गठन निम्नलिखित विशिष्ट उद्देश्यों हेतु बोर्ड को सहायता एवं सुझाव देने के लिए किया जाता है। अवलंबी समितियां माननीय अध्यक्ष, सीबीटी के कार्यालय आदेश सं. Conf.4(3)2018/CBTCommittee/14263-65 दिनांक 23.01.2019 द्वारा गठित की गई।

#### क. वित्त, निवेश एवं लेखा परीक्षा समिति

समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :

- पोर्टफोलियो प्रबंधकों द्वारा किए जा रहे निवेश का निरीक्षण करना।
- अधिकतम रिटर्न प्राप्त करने हेतु न्यास राशि का समय पर निवेश करने पर नजर रखना।

- निर्धारित निवेश पद्धति एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार पोर्टफोलियो प्रबंधकों को रिडेंप्शन से प्राप्त राशि, ब्याज आदि के निवेश-पुनः-निवेश के संबंध में पोर्टफोलियो प्रबंधकों को, जहां भी आवश्यक हो, निदेश देना।
- निधि के सदस्यों के लिए ब्याज दर की सिफारिश करना।
- विशेष आरक्षित निधि के उपयोग हेतु दिशा-निर्देश बनाने की सिफारिश करना।
- लेखा परीक्षा संबंधी मामले।
- पोर्टफोलियो प्रबंधकों के चयन के लिए सलाहकार की नियुक्ति
- पोर्टफोलियो प्रबंधकों को निधि के आबंटन संबंधी व्यापक सिद्धांत
- बोर्ड द्वारा दिया गया कोई अन्य कार्य/दायित्व।

वर्ष 2021-22 के दौरान समिति की सात (07) बैठकें आयोजित की गईं।

31.03.2022 तक एफआईएसी समिति का गठन इस प्रकार है :-

| क्र.सं. | सदस्य का नाम एवं पदनाम                                                                           | के रूप में नियुक्ति       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1.      | केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (पदेन)                                                               | अध्यक्ष                   |
| 2.      | 1) अपर सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय<br>2) अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय | केंद्र सरकार के प्रतिनिधि |
| 3.      | 1) श्री अरुण चावला<br>2) श्री के.ई.रघुनाथन                                                       | नियोक्ताओं के प्रतिनिधि   |
| 4.      | 1) श्री प्रभाकर जे. बनासुरे<br>2) श्री ए.के. पद्मनाभन                                            | कर्मचारियों के प्रतिनिधि  |
| 5.      | संयुक्त सचिव (बीमा और पेंशन) वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय                                  | डोमेन विशेषज्ञ            |
| 6.      | वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन)                              | संयोजक                    |

संयुक्त सचिव (सामाजिक सुरक्षा), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, वित्त, निवेश एवं लेखापरीक्षा समिति में 'विशेष आमंत्रित' थे।

#### ख. पेंशन एवं कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा कार्यान्वयन समिति

समिति के विचारार्थ विषयों में ईपीएस, 1995 तथा कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976 के क्रियान्वयन की समीक्षा तथा इन दोनों योजनाओं में संशोधन/सुधार के लिए सुझावों/प्रस्तावों पर विचार करना था।

वर्ष 2021-22 के दौरान समिति की दो (02) बैठकों का आयोजन हुआ।

31.03.2022 तक पीईआईसी समिति का गठन इस प्रकार है :-

| क्र.सं. | सदस्य का नाम एवं पदनाम                                                                                                          | के रूप में नियुक्ति       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1.      | केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (पदेन)                                                                                              | अध्यक्ष                   |
| 2.      | i) निदेशक/उप-सचिव (सामाजिक सुरक्षा), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय<br>ii) निदेशक/उप-सचिव (वित्त), वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय | केंद्र सरकार के प्रतिनिधि |
| 3.      | i) श्री एस.के. शर्मा<br>ii) श्री माइकल डायस                                                                                     | नियोक्ताओं के प्रतिनिधि   |

|    |                                                                                                                             |                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 4. | i) श्री सुनकरी मल्लेसम<br>ii) श्री हरभजन सिंह सिद्धू                                                                        | कर्मचारियों के प्रतिनिधि |
| 5. | i) पेंशन निधि के मूल्यांकन के लिए नियुक्त बीमांकक<br>ii) वित्तीय सेवाएं विभाग/पीएफआरडीए द्वारा नामित पीएफआरडीए के प्रतिनिधि | डोमेन विशेषज्ञ           |
| 6. | अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय), पेंशन                                                                           | संयोजक                   |

### ग. छूट प्राप्त स्थापनाओं की समिति (ईईसी)

समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं :

- छूट प्राप्त स्थापनाओं के कार्य का हर प्रकार से निरीक्षण करना तथा छूट प्राप्त स्थापनाओं के कार्य में सुधार हेतु बोर्ड को विचार-विमर्श हेतु सुझाव देना।
- छूट/रियायत देने के लिए अतिरिक्त दिशा निर्देशों पर विचार करना तथा सुझाव देना।
- बदलते हुए व्यावसायिक परिवेश तथा वर्तमान अनुभव के परिप्रेक्ष्य में छूट प्राप्त न्यासों के दायित्व की समीक्षा

वर्ष 2021-22 के दौरान समिति की दो (02) बैठकों का आयोजन हुआ।

31.03.2022 तक समिति (EEC) का गठन इस प्रकार है :-

| क्र.सं. | सदस्य का नाम एवं पदनाम                                                                                                    | के रूप में नियुक्ति       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1.      | केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (पदेन)                                                                                        | अध्यक्ष                   |
| 2.      | i) अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय<br>ii) संयुक्त सचिव (सामाजिक सुरक्षा), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय | केंद्र सरकार के प्रतिनिधि |
| 3.      | i) श्री आशीष विग<br>ii) श्री गोविंद लेले                                                                                  | नियोक्ताओं के प्रतिनिधि   |
| 4.      | i) श्री हिरण्मय जे. पंड्या<br>ii) रिक्त                                                                                   | कर्मचारियों के प्रतिनिधि  |
| 5.      | अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय), छूट                                                                           | संयोजक                    |

### 1.16 कार्यकारी समिति, केन्द्रीय बोर्ड (ईपीएफ)

कार्यकारी समिति, एक सांविधिक समिति है जिसका गठन केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 5ए के अंतर्गत केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के सदस्यों में से किया जाता है। इसका उद्देश्य केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, ईपीएफ के कार्य- निष्पादन में सहायता करना है। समिति का कार्यकाल 2 वर्ष तथा 6 महीने होता है। तथापि, सदस्य तब तक अपने पद पर रहता है, जब तक आधिकारिक राजपत्र में उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति की अधिसूचना जारी नहीं हो जाती। कार्यकारी समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय बोर्ड के सदस्यों में से की जाती है। धारा 5ए के अनुसार समिति का गठन निम्न प्रकार है:-



|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| अध्यक्ष                                         | 01        |
| केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, सदस्य सचिव (पदेन) | 01        |
| केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि                      | 02        |
| राज्य सरकार के प्रतिनिधि                        | 03        |
| नियोक्ताओं के प्रतिनिधि                         | 03        |
| कर्मचारियों के प्रतिनिधि                        | 03        |
| <b>कुल</b>                                      | <b>13</b> |

केन्द्र सरकार द्वारा गजट अधिसूचना दिनांक 04.03.2022 द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 5एए के अंतर्गत कार्यकारी समिति, केंद्रीय न्यासी बोर्ड (ईपीएफ) का श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 20.02.2022 को पुनर्गठन किया गया।

वर्ष 2021 –22 के दौरान कार्यकारी समिति, केंद्रीय न्यासी बोर्ड (ईपीएफ) की दो बैठकें आयोजित की गईं। श्री सुनील बड़थवाल, सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, कार्यकारी समिति के अध्यक्ष थे। दिनांक 31.03.2022 को कार्यकारी समिति के सदस्यों की सूची **परिशिष्ट-1(ii)** पर संलग्न है।



### 1.17 राज्य/संघ शासित राज्यों के लिए क्षेत्रीय समितियां (ईपीएफ)

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 4 के अनुसार राज्य के लिए क्षेत्रीय समितियों (कर्मचारी भविष्य निधि) का गठन राज्य में योजना के प्रशासन से संबंधित मामलों तथा विशेष रूप से निम्नलिखित बिन्दुओं पर केन्द्रीय बोर्ड को सुझाव देने के लिए किया गया है:-

- भविष्य निधि अंशदान एवं अन्य प्रभार की वसूली में प्रगति
- अभियोजन मामलों का तुरंत निपटान
- दावों का त्वरित निपटान
- निधि के सदस्यों को वार्षिक लेखा पर्चियां जारी करना, तथा
- अग्रिम की त्वरित स्वीकृति

**1.18** अध्यक्ष, केंद्रीय बोर्ड, राज्य के लिए क्षेत्रीय समिति (ईपीएफ) का गठन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। ईपीएफ योजना 1952 के पैरा 5 के अनुसार क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष है। हालाँकि, क्षेत्रीय समिति के सदस्य तब तक पद



पर बने रहते हैं जब तक कि उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं हो जाते और आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित नहीं हो जाते।

1.19 योजना के पैरा 4(1) के अनुसार, क्षेत्रीय समिति की संरचना इस प्रकार है:—

| सदस्यों                  | सदस्यों की संख्या | कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अनुसार नियुक्ति की पद्धति                                                                                                                           |
|--------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अध्यक्ष                  | 1                 | केंद्रीय बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाना।<br>(पारंपरिक रूप से, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के श्रम सचिव)                                                                  |
| आधिकारिक सदस्य           | 2                 | राज्य सरकार की सिफारिश पर केंद्रीय बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाना।                                                                                                     |
| नियोक्ताओं के प्रतिनिधि  | 2                 | राज्य में नियोक्ताओं के ऐसे संगठनों के परामर्श से केंद्रीय बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाने के लिए जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए मान्यता दी जा सकती है।  |
| कर्मचारियों के प्रतिनिधि | 2                 | राज्य में कर्मचारियों के ऐसे संगठनों के परामर्श से केंद्रीय बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाने के लिए जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए मान्यता दी जा सकती है। |
| गैर-सरकारी सदस्य         | —                 | केंद्रीय बोर्ड के सभी गैर-सरकारी सदस्य सामान्यतः राज्य में निवास करते हैं।                                                                                                        |

योजना के पैरा 4(1) के प्रावधान के अनुसार, केंद्रीय बोर्ड के अध्यक्ष, नियोक्ताओं या, जैसा भी मामला हो, कर्मचारियों के अधिकतम पांच अतिरिक्त प्रतिनिधियों को नियुक्त कर सकते हैं।

# अध्याय

# 2

अधिनियम और योजनाओं  
का अवलोकन

## अधिनियम को लागू करना

### अनिवार्य कवरेज

**2.1** अधिनियम, दो संघ शासित प्रदेश जम्मू तथा कश्मीर व लदाख सहित संपूर्ण भारत में लागू है। वर्तमान में अधिनियम निम्नलिखित पर लागू है :

- (i) प्रत्येक ऐसी स्थापना, जो अधिनियम की अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट किसी भी उद्योग में से एक फैक्ट्री हो, जिसमें बीस अथवा अधिक व्यक्ति नियोजित हों और
- (ii) ऐसी कोई अन्य स्थापना अथवा/ऐसी स्थापनाओं के वर्ग, जिसमें बीस अथवा उससे अधिक व्यक्ति नियोजित हों तथा जिसे केन्द्र सरकार ने सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया हो।

**2.2** सिने-कामगारों के मामले में, अधिनियम के अंतर्गत कवर करने के उद्देश्य से कर्मचारियों की संख्या 5 है।

### स्वैच्छिक कवरेज

**2.3** ऐसी स्थापनाओं को, जो अधिनियम के तहत कवर किए जाने योग्य नहीं हैं, वे स्वेच्छा के आधार पर स्वयं को कवर करवा सकती हैं, जब नियोजता तथा उसके कर्मचारी बहुमत में इस बात से सहमत हों कि उनकी स्थापना पर अधिनियम के उपबंध लागू किए जाएँ। ऐसा समझौते की तिथि अथवा ऐसे समझौते में उल्लिखित बाद की अन्य किसी तिथि से अधिनियम की धारा 1(4) के अंतर्गत उपबंधों को लागू कर किया जाए।

वर्ष के दौरान, अपने कर्मचारियों को स्वेच्छा से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाली ऐसी स्वैच्छिक रूप से कवर्ड स्थापनाओं की संख्या 2,00,823 थी।

### कवरेज से छूट

**2.4** यह अधिनियम निम्नलिखित पर लागू नहीं होता :

- (i) ऐसी किसी स्थापना पर, जो सहकारी संस्था अधिनियम, 1912 (1912 का 2) के अंतर्गत अथवा ऐसे किसी अन्य कानून के अंतर्गत पंजीकृत हो, जो किसी ऐसे राज्य में लागू हो, जिससे सहकारी संस्था संबंधित हो और उसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हों तथा बिजली की सहायता के बिना कार्य करती हों;
- (ii) ऐसी किसी अन्य स्थापना पर, जो केन्द्र अथवा राज्य सरकार से संबंधित हो अथवा उनके नियंत्रणाधीन हो तथा जिसके कर्मचारी केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम अथवा किसी योजना के अनुसार अंशदायी भविष्य निधि अथवा वृद्धावस्था पेंशन लाभों के पात्र हों; अथवा
- (iii) ऐसी किसी अन्य स्थापना पर, जो केन्द्र, अथवा राज्य अधिनियम के अंतर्गत गठित हो तथा जिसके कर्मचारी उक्त अधिनियम के अंतर्गत गठित नियम अथवा अन्य योजना के अनुसार अंशदायी भविष्य निधि अथवा वृद्धावस्था पेंशन लाभों के पात्र हों।

### उद्योगों की अनुसूची/स्थापनाओं के वर्ग

**2.5** अधिनियम की अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट उद्योगों में लगी हुई फैक्ट्रियों और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित स्थापनाओं/स्थापनाओं के वर्गों पर अधिनियम लागू है।

**2.6** 31.03.2022 को उद्योगों/वर्गवार स्थापनाएं तथा सदस्यों की स्थिति **परिशिष्ट-2(i)** में दी गई है। अंचल-वार स्थिति **परिशिष्ट-2(ii)** पर दी गई है तथा राज्य-वार स्थिति **परिशिष्ट-2(iii)** पर दी गई है।

**2.7** महाराष्ट्र राज्य तथा इसके बाद कर्नाटक में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है। यह भी देखा जा सकता है कि 59.26% सदस्य पांच क्षेत्रों, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात तथा दिल्ली में संकेन्द्रित हैं।

**2.8** जिन उद्योगों/स्थापना वर्गों पर अधिनियम लागू होता है, उनमें से 89.49% सदस्य और 83.58% स्थापनाएं **परिशिष्ट-2(iv)** में दर्शायी गई 25 श्रेणियों में संकेन्द्रित हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952

**2.9** कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 ईपीएफ एवं एमपी एक्ट, 1952 के तहत पहली योजना है, जो 1 नवंबर, 1952 को लागू हुई। यह कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद या जब वे सेवाएं छोड़ते हैं, उपलब्ध एक वैधानिक लाभ है। मृत कर्मचारियों के मामले में, उनके आश्रित लाभ के हकदार हैं। इस योजना के तहत नियोक्ता और कर्मचारी दोनों निधि में अपना अंशदान देते हैं। राशि पर अर्जित ब्याज सदस्यों के भविष्य निधि खाते (पीएफ खातों) के सदस्यों में जमा किया जाता है और कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति या रोजगार छोड़ने के समय उपलब्ध होता है, बशर्ते कुछ शर्तों को पूरा किया गया हो।

**2.10 उद्देश्य:** योजना का उद्देश्य कर्मचारियों या कर्मचारियों के एक वर्ग या उनके कानूनी उत्तराधिकारी (मृत्यु के मामले में) को सेवानिवृत्ति के बाद का लाभ प्रदान करना है, जिस पर कर्मचारी भविष्य निधि योजना अधिनियम लागू होता है।

**2.11 कवरेज:** यह योजना, विनिर्दिष्ट सूची के तहत 20 या अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाली स्थापनाओं/फैक्ट्रियों की सभी स्थापनाओं की कवरेज को अनिवार्य करती है।

**2.12 सदस्यता:** यह योजना, विनिर्दिष्ट सूची के तहत 20 या अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाली स्थापनाओं/फैक्ट्रियों की सभी स्थापनाओं की कवरेज को अनिवार्य करती है, जिसमें 15,000/- (बेसिक + डीए) मासिक वेतन के बराबर या उससे कम कमाने वाले कर्मचारियों का अनिवार्य रूप से कवर किया जाना है।

**2.13 अंशदान:** सदस्य का अंशदान (ईपीएफ योजना वेतन का 12%) और नियोक्ता का अंशदान (ईपीएफ वेतन का 3.67%, कुल 12% हिस्से का 8.33% ईपीएस में डालने के बाद) सदस्य के ईपीएफ खाते में जाता है।

\*नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के लिए योगदान की दर कुछ श्रेणियों के प्रतिष्ठानों के लिए वेतन का 10% है।

**2.14** जब 1952 में योजना शुरू की गई थी, तो एक कर्मचारी जो 300/- रुपये प्रति माह की सीमा तक कमाता था और जिसने एक साल तक काम किया था, वह कर्मचारी भविष्य निधि योजना की सदस्यता के लिए पात्र था। योजना के तहत वेतन सीमा और सदस्यता के लिए अर्हक अवधि में परिवर्तन का कालानुक्रमिक क्रम नीचे दिया गया है:

| कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 2(एफ) के अंतर्गत                                  |                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| वेतन सीमा में परिवर्तन का कालानुक्रमिक                                                     |                                                                                                                                                                                          |
| अवधि                                                                                       | प्रतिमाह वेतन सीमा                                                                                                                                                                       |
| 01.11.1952 से 31.05.1957                                                                   | ₹ 300/-                                                                                                                                                                                  |
| 01.06.1957 से 30.12.1962                                                                   | ₹ 500/-                                                                                                                                                                                  |
| 31.12.1962 से 10.12.1976                                                                   | ₹ 1,000/-                                                                                                                                                                                |
| 11.12.1976 से 31.08.1985                                                                   | ₹ 1,600/-                                                                                                                                                                                |
| 01.09.1985 से 31.10.1990                                                                   | ₹ 2,500/-                                                                                                                                                                                |
| 01.11.1990 से 30.09.1994                                                                   | ₹ 3,500/-                                                                                                                                                                                |
| 01.10.1994 से 31.05.2001                                                                   | ₹ 5,000/-                                                                                                                                                                                |
| 01-06-2001 से 31.08.2014                                                                   | ₹ 6,500/-                                                                                                                                                                                |
| 01-09-2014 से आगे                                                                          | ₹ 15,000/-                                                                                                                                                                               |
| कर्मचारी के नामांकन के लिए अर्हक सेवा अवधि<br>(कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 का पैरा 26) |                                                                                                                                                                                          |
| 1952 में कर्मचारी भविष्य निधि योजना के प्रारंभ से 02.12.1971 तक                            | एक वर्ष की लगातार सेवा पूर्ण करने पर या एक वर्ष या उससे कम अवधि में न्यूनतम 240 वास्तविक कार्य दिवस, जो भी पहले हो।                                                                      |
| 03.12.1971 से 09.08.1974 तक                                                                | एक वर्ष की लगातार सेवा पूर्ण करने पर या एक वर्ष या उससे कम अवधि में न्यूनतम 240 वास्तविक कार्य दिवस या ऐसी किसी फैक्ट्री या अन्य स्थापना में स्थायी घोषित कर दिया गया हो, जो भी पहले हो। |

|                             |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.08.1974 से 30.01.1981 तक | 6 माह की लगातार सेवा पूर्ण करने पर या 6 माह या कम समय में न्यूनतम वास्तविक 120 दिन कार्य किया हो या किसी ऐसी फैक्ट्री या अन्य स्थापना में स्थायी घोषित कर दिया गया हो, जो भी पहले हो। |
| 31.01.1981 से 31.10.1990 तक | 3 माह की लगातार सेवा पूर्ण करने पर या 3 माह में न्यूनतम वास्तविक 60 दिन कार्य किया हो या किसी ऐसी फैक्ट्री या अन्य स्थापना में स्थायी घोषित कर दिया गया हो, जो भी पहले हो।            |
| 01.11.1990 से आगे           | फैक्ट्री/स्थापना में कार्यभार संभालने की तिथि से।                                                                                                                                     |

**2.15 ब्याज दर:** वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि योजना खाते पर ब्याज दर 8.10% घोषित की गई है।

**2.16 हाल ही में किए गए संशोधन:**

- 2020: महामारी की स्थिति में कर्मचारी भविष्य निधि योजना सदस्यों को नॉन-रिफंडेबल अग्रिम के लिए विशेष प्रावधान।
- 2018: कम से कम एक महीने की अवधि के लिए निरंतर बेरोजगारी के मामले में नॉन-रिफंडेबल अग्रिम।
- 2017: इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल मोड से सीधे लाभ अंतरण का कार्यान्वयन।
- 2016: कर्मचारी नामांकन अभियान के रूप में एक माफी योजना जिसमें दंडात्मक क्षति और भविष्य निधि अंशदान के कर्मचारियों के हिस्से की देयता को माफ किया जाता है।
- 2015: इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से अंशदान जमा करना अनिवार्य।

**2.17 कर्मचारी भविष्य निधि योजना योजना के तहत अग्रिम:** कर्मचारी भविष्य निधि योजना योजना, 1952 के तहत अंतिम निपटान/निकासी के अलावा, शर्तों और उनकी पात्रता के अनुसार सदस्यों को उनकी विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित अग्रिमों की अनुमति है: —

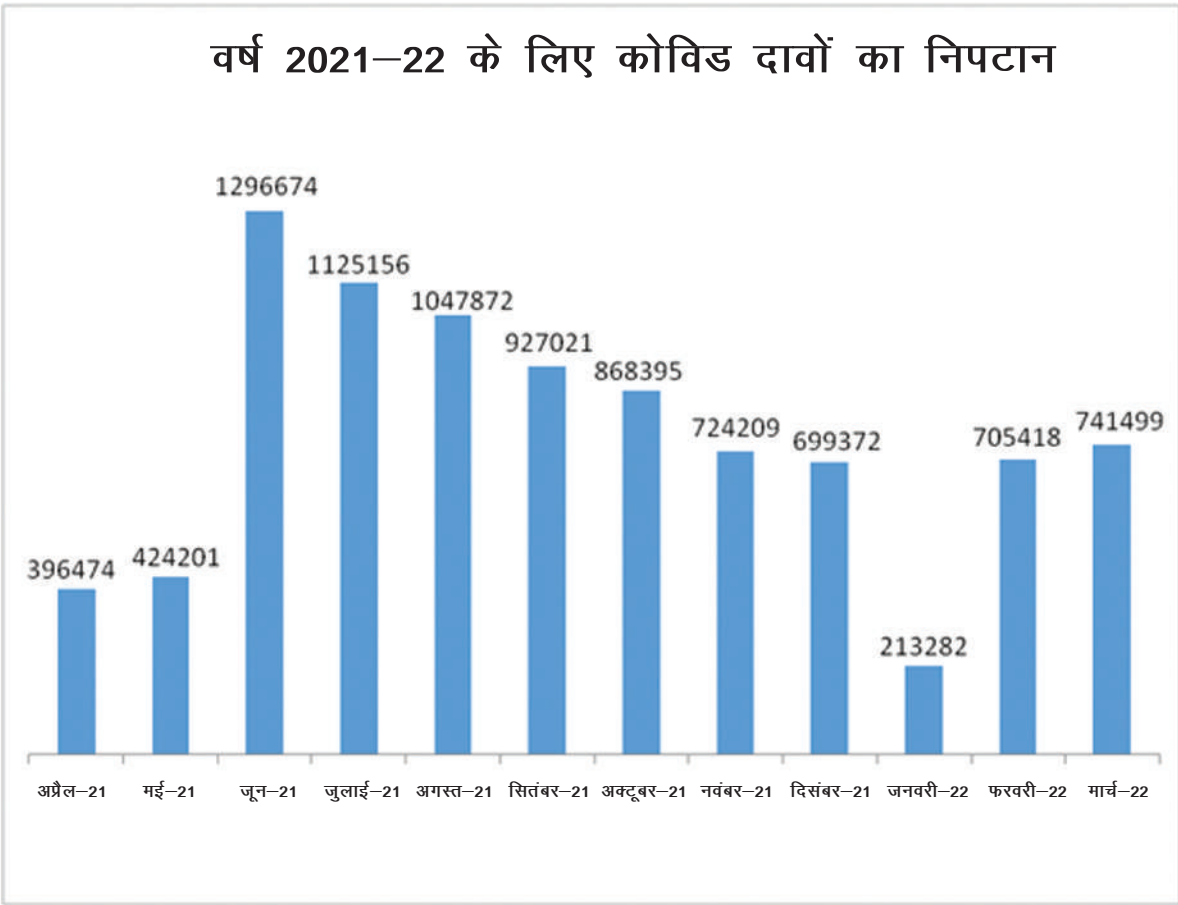
| क्रमांक | कर्मचारी भविष्य निधि योजना योजना का पैरा | अग्रिम की प्रकृति                                                                                                         |
|---------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.      | 68बी-68बीडी                              | प्लॉट/प्लैट की खरीद, मकान निर्माण, मकान की मरम्मत आदि के लिए (न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा)                                     |
| 2.      | 68एच                                     | विशेष मामलों में अग्रिम अनुदान, जैसे, बेरोजगारी, स्थापना का बंद होना, 2 महीने से अधिक के लिए वेतन की प्राप्ति न होना आदि। |
| 3.      | 68जे                                     | स्वयं/परिवार की बीमारी के मामले में अग्रिम की स्वीकृति                                                                    |
| 4.      | 68के                                     | बच्चों की शादी या मैट्रिक के बाद की शिक्षा के लिए निधि से अग्रिम। (न्यूनतम 7 वर्ष की सेवा)                                |
| 5.      | 68एल                                     | प्राकृतिक आपदाओं के मामले में अग्रिम। (योजना के पैरा 68एल(3) के तहत मार्च, 2020 में कोविड अग्रिम शुरू किया गया था)        |
| 6.      | 68एम                                     | बिजली आपूर्ति में कटौती के मामले में अग्रिम                                                                               |
| 7.      | 68एन                                     | शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति द्वारा उपकरण की खरीद के लिए अग्रिम। (2 अग्रिमों के बीच न्यूनतम 3 वर्ष का अंतर)             |
| 8.      | 68एनएन                                   | सेवानिवृत्ति से पहले 1 वर्ष के भीतर निकासी। (54 वर्ष या उससे अधिक की आयु प्राप्त करने के बाद)                             |



2.18 कोविड काल के दौरान विशेष उपलब्धियां –

- (i) ईपीएफओ ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना योजना, 1952 के पैरा 68 एल के तहत उप-पैरा (3) को सम्मिलित करते हुए जीएसआर अधिसूचना संख्या 225 (ई) दिनांक 27.03.2020 के माध्यम से कर्मचारी भविष्य निधि योजना अंशदाताओं को असामान्य परिस्थितियों जैसे महामारी में नॉन-रिफंडेबल अग्रिम की शुरुआत की है।
- (ii) ईपीएफ योजना, 1952 के पैरा 68एल के तहत उप-पैरा (3) के अंतर्गत अनुमेय अग्रिम की मात्रा या तो कभनि वेतन तीन महीने या कभनि खाते में सदस्य की जमा राशि का 75% तक है (जो भी कम हो) ।
- (iii) अधिकांश कोविड दावों का निपटारा 3 दिनों के भीतर किया जा रहा है।
- (iv) ईपीएफओ ने दूसरे कोविड-19 अग्रिम 31.05.2021 के दौरान इस सुविधा को और बढ़ा दिया है। वर्ष 2021-22 के दौरान, कभनिसं ने 42.56 लाख सदस्यों को रु 8036.26 करोड़ दूसरा कोविड अग्रिम वितरित किया है। वर्ष 2021-22 के दौरान, कुल 91,69,573 कोविड दावों का निपटारा किया गया और सदस्यों को कोविड -19 महामारी की स्थिति के कठिन दौर में सक्षम बनाने के लिए 19,126.29 करोड़ रु. का वितरण किया गया था।
- (v) कोविड अग्रिम दावों का वर्षवार सारांश इस प्रकार है:-

| वित्तीय वर्ष                      | कोविड दावे            |                               |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
|                                   | लाभार्थियों की संख्या | वितरित राशि (रुपये करोड़ में) |
| 2019-2020 (27.03.2020 से प्रभावी) | 33                    | 0.06                          |
| 2020-2021                         | 69,26,514             | 17,106.17                     |
| 2021-2022                         | 91,69,573             | 19,126.29                     |
| कुल                               | 1,60,96,120           | 36,232.52                     |



## कर्मचारी पेंशन योजना, 1995

### संक्षिप्त पृष्ठभूमि

**2.19** कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (ईपीएस) दिनांक 16 नवंबर, 1995 से लागू हुई और इसके लागू होने पर पूर्व की कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 (कर्मचारी पेंशन योजना) समाप्त हो गई तथा पुरानी योजना की सभी परिसंपत्तियां तथा देयताएं कर्मचारी पेंशन निधि में अंतरित व शामिल कर ली गईं। लाभार्थियों को पुरानी योजना (कर्मचारी परिवार पेंशन योजना) के अंतर्गत मिलने वाले लाभ तथा पात्रता नई कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत सुरक्षित एवं जारी हैं।

**2.20** कर्मचारी पेंशन योजना को दीर्घावधि वित्तीय व्यावहारिकता सुनिश्चित करने के लिए "सुनिश्चित अंशदान, सुनिश्चित लाभ" सामाजिक बीमा योजना के सिद्धांतों के आधार पर डिजाइन किया गया है एवं यह "बीमांकक सिद्धांतों" को अंगीकार करती है। योजना का उद्देश्य सदस्यों तथा उनके परिवारों को वृद्धावस्था के दौरान आर्थिक सहायता तथा उत्तरजीवी लाभ देना है। कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में नियोक्ता के भाग के भविष्य निधि अंशदान से 8.33% राशि परिवर्तित करके एवं केन्द्र सरकार द्वारा मासिक वेतन के 1.16% की दर से अंशदान (केवल पंद्रह हजार की वेतन सीमा पर देय राशि तक सीमित है) से इसका वित्त पोषण किया जाता है।

### प्रयोज्यता

**2.21** प्रारंभ में कर्मचारी पेंशन योजना, कर्मचारी भविष्य निधि के उन सभी मौजूदा सदस्यों पर अनिवार्य रूप से लागू हुई, जो कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 में अंशदान कर रहे थे। 16.11.1995 के बाद भविष्य निधि की नई सदस्यता लेने वालों ने भी अनिवार्य रूप से इस योजना में सदस्यता ग्रहण की। तथापि 01 सितंबर, 2014 से यह सांविधिक वेतन सीमा रु 15,000/- तक सीमित है। 15.11.1995 तक कर्मचारी भविष्य निधि के मौजूदा सदस्य, जिन्होंने पूर्व की परिवार पेंशन योजना, 1971 में शामिल होने का विकल्प नहीं दिया था, उन्हें इस योजना में शामिल होने का विकल्प दिया गया है।

**2.22** यद्यपि दिनांक 16.11.1995 से लागू पेंशन योजना में प्रावधान है कि दिनांक 01.04.1993 से 15.11.1995 के बीच की अवधि के दौरान बंद हो चुकी कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 से नौकरी छोड़ चुके सदस्यों व उसके लाभार्थियों के लिए दिनांक 01.04.1993 से पूर्व पूर्वव्यापी रूप से लागू करने का वैकल्पिक प्रावधान है। पुरानी योजना के सदस्यों, जिनकी मृत्यु दिनांक 01.04.1993 से 16.11.1995 के बीच हुई, को नई योजना में शामिल मानकर तथा उनके लाभार्थी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन लाभ के पात्र थे।

### लाभ

**2.23** कर्मचारी पेंशन योजना व्यापक पेंशन लाभ प्रदान करती हैं, जिसमें बहुत-सी आकस्मिकताओं को कवर किया गया है, जिससे कि सदस्यों तथा उनके परिवार को वृद्धावस्था के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित किया जा सके। कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत उपलब्ध पेंशन तथा प्रत्याहरण लाभों की विभिन्न श्रेणियां इस प्रकार हैं:-

- i. 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति पर सदस्य पेंशन
- ii. 50 वर्ष की आयु से प्रारंभिक सदस्य पेंशन
- iii. सेवा के दौरान स्थायी एवं पूर्ण अशक्त होने पर अशक्तता पेंशन/सदस्य पेंशन
- iv. सदस्य अथवा पेंशनभोक्ता की मृत्यु होने पर विधवा/विधुर पेंशन
- v. सदस्य की मृत्यु होने पर दो बच्चों को 25 वर्ष की आयु तक बाल पेंशन
- vi. सदस्य की मृत्यु होने पर, जब कोई पति/पत्नी नहीं हैं अथवा पति/पत्नी की मृत्यु होने पर 2 बच्चों को 25 वर्ष की आयु तक अनाथ पेंशन
- vii. अशक्त संतान/अनाथ को जीवन पर्यंत अशक्त संतान/अनाथ पेंशन
- viii. यदि सदस्य का, कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत दी गई परिभाषा के अनुसार कोई परिवार नहीं है तो सदस्य की मृत्यु होने पर, सदस्य द्वारा नामित व्यक्ति को आजीवन नामिति पेंशन दी जाती है।
- ix. सदस्य की मृत्यु होने पर आश्रित माता/पिता को पेंशन दी जाती है, बशर्ते कि सदस्य द्वारा पात्रता सेवा पूर्ण की गई हो तथा सदस्य का कोई परिवार अथवा नामिति न हो।
- x. सेवा छोड़ने अथवा अधिवर्षिता पर दिया जाने वाला प्रत्याहरण लाभ दिया जाता है, बशर्ते कि सदस्य ने पेंशन के लिए पात्रता सेवा पूर्ण नहीं की है।

**2.24** ईपीएस, पूर्व की कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 की अपेक्षा बेहतर है, जिसके अंतर्गत गणनीय सेवा में होते हुए और 60 वर्ष की आयु पूरी होने से पूर्व मृत्यु हो जाने पर केवल विधवा/विधुर को पेंशन दी जाती थी। पति/पत्नी की अनुपस्थिति में अथवा विधवा/विधुर पेंशन की समाप्ति पर, सबसे बड़ा बच्चा 25 वर्ष की आयु तक पेंशन के लिए पात्र होता था और इसके बाद अन्य बच्चों को एक समय में एक को ही, जब तक वह 25 वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले, दी जाती थी। सदस्यों के लिए अधिवर्षिता/सेवानिवृत्ति अथवा अशक्तता पर पेंशन का कोई प्रावधान नहीं था, और कर्मचारी केवल प्रत्यावहरण लाभ का ही पात्र था।

#### पात्रता

**2.25** कर्मचारी पेंशन योजना का सदस्य कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत अधिवर्षिता/समय से पूर्व पेंशन के लिए निम्नलिखित शर्तों के पूर्ण होने पर पात्र होता है :

- (i) पात्र सेवा के न्यूनतम 10 वर्ष, और
- (ii) 58/50 वर्ष की आयु होने पर

**2.26** 58 वर्ष की आयु पूरी होने से पूर्व सेवा की समाप्ति पर सदस्य, समय से पूर्व पेंशन का विकल्प दे सकता है। इस प्रकार समय से पूर्व पेंशन 50 वर्ष की आयु पूरी होने के पश्चात ही प्राप्त की जा सकती है और 58 वर्ष से जितने वर्ष उम्र कम होगी, प्रतिवर्ष 4% की दर से (26.9.2008 से) उतनी पेंशन घटा दी जाएगी। 50 वर्ष की आयु पूरी होने से पूर्व, सदस्य पेंशन देय नहीं होगी। तथापि सदस्य की मृत्यु अथवा अशक्तता के मामले में पेंशन की पात्रता के लिए ऐसी कोई आयु अथवा न्यूनतम पात्र सेवा का आधार लागू नहीं होगा। ऐसे मामलों में एक माह के अंशदान की सदस्यता ही पर्याप्त है।

**2.27** सदस्य की अधिवर्षिता पर और/अथवा 58/50 वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवा परित्याग पर सदस्य को देय पेंशन की मात्रा दो कारकों पर निर्भर होती है— पहला सदस्य द्वारा की गई पेंशन योग्य सेवा की अवधि और दूसरा सेवा परित्याग के समय उसका पेंशन योग्य वेतन।

**2.28** जो सदस्य 16.11.1995 से पूर्व सेवा में थे, उन्हें कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 में दी गई तालिका के आधार पर कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 में उनकी सदस्यता की अवधि का अतिरिक्त लाभ भी प्राप्त होगा।

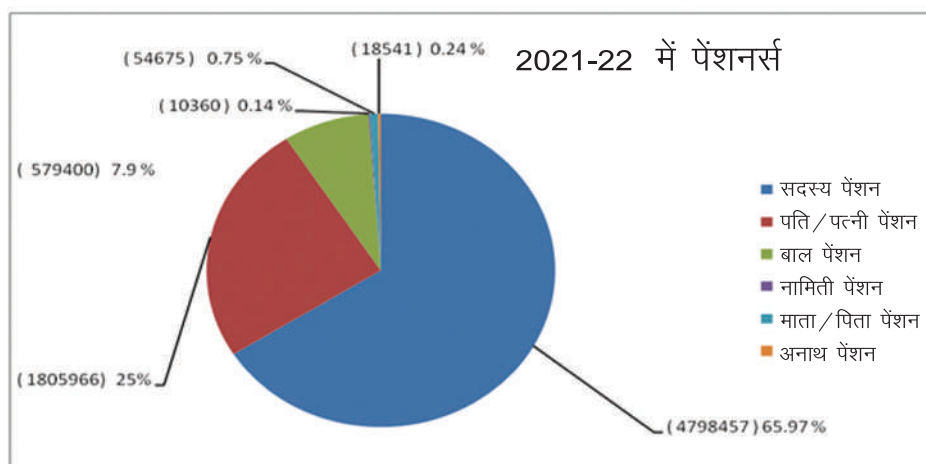
#### वित्तीय विवरणी—पेंशनभोक्ता

**2.29** ईपीएस में शुरुआत से ही लाभार्थियों के संबंध में तेज गति से वृद्धि हुई है। पिछले पांच वर्षों में योजना द्वारा लाभान्वित होने वाले पेंशनभोक्ताओं के संदर्भ में वर्ष दर वर्ष 5% से 10% से ज्यादा तक की वृद्धि हुई है। इस अवधि के दौरान पेंशनभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि निम्नानुसार है:

| कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत पेंशन श्रेणियों का विभाजन |             |                 |           |              |               |            |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|---------------|------------|-----------------|
| वर्ष                                                            | सदस्य पेंशन | पति-पत्नी पेंशन | बाल पेंशन | नामिति पेंशन | अभिभावक पेंशन | अनाथ पेंशन | कुल पेंशनभोक्ता |
| 2017-18                                                         | 4211685     | 1431613         | 556510    | 10562        | 41740         | 21080      | 6273190         |
| 2018-19                                                         | 4325413     | 1477583         | 573580    | 10538        | 43264         | 21368      | 6451746         |
| 2019-20                                                         | 4477710     | 1565361         | 562352    | 10424        | 46922         | 19948      | 6682717         |
| 2020-21                                                         | 4627733     | 1657184         | 555785    | 10402        | 49791         | 18928      | 6919823         |
| 2021-22                                                         | 4798457     | 1805966         | 579400    | 10360        | 54675         | 18541      | 7273898*        |

\*वित्तीय वर्ष 2021-22 की कुल संख्या में आरओसी पेंशनभोक्ता शामिल नहीं हैं जिनकी संख्या 6499 है। इन्हें शामिल करते हुए, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कुल पेंशनभोक्ता 72,73,898 थे।

वर्ष 2021-22 के दौरान पेंशनभोक्ताओं में से, कुल पेंशनभोक्ताओं की संख्या का लगभग 66% सदस्य पेंशनभोक्ता श्रेणी का है, एवं पेंशनभोक्ताओं का लगभग 33%, विधवा/विधुर और बाल पेंशनभोक्ता हैं। वर्ष 2021-22 में विभिन्न श्रेणियों में पेंशनभोक्ताओं का वितरण नीचे दिए गए आंकड़ों में दर्शाया गया है :-



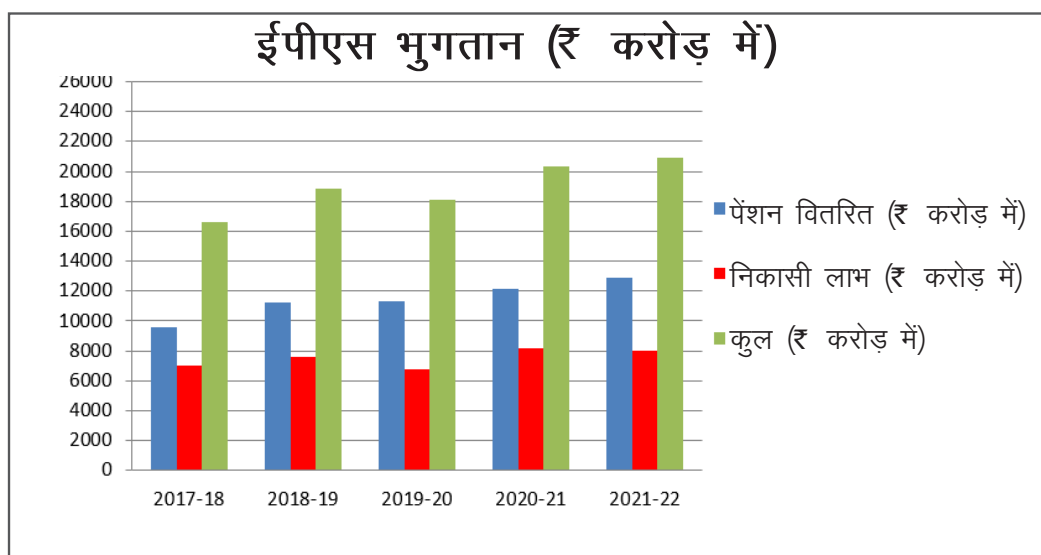
दिनांक 31.03.2022 तक विभिन्न श्रेणियों में ईपीएस 1995 के पेंशनभोक्ताओं का वर्गीकरण परिशिष्ट-2(v) में दर्शाया गया है।

#### कर्मचारी पेंशन योजना निधि-प्राप्ति, भुगतान एवं राशि संग्रह

**2.30** पेंशनभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि से, पेंशन के रूप में संवितरित राशि में भी वर्ष दर वर्ष निरंतर वृद्धि हुई है। हालांकि, निधि के मूल्यांकन में आकलित बीमाकंक घाटे के बावजूद निधि ने रोकड़ प्रवाह की कोई कठिनाई अब तक नहीं देखी गई है। शुरुआत से ही निधि में भुगतान की तुलना में निरंतर अधिक प्राप्तियां हो रही हैं।

पिछले पांच वर्षों की स्थिति निम्नानुसार है :-

| कर्मचारी पेंशन योजना संवितरण (रूपये करोड़ों में) |              |            |           |
|--------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|
| वर्ष                                             | वितरित पेंशन | निकासी लाभ | कुल       |
| 2017-2018                                        | 9,613.59     | 6,983.45   | 16,597.04 |
| 2018-2019                                        | 11,207.34    | 7,636.41   | 18,843.75 |
| 2019-2020                                        | 11,320.89    | 6,796.62   | 18,117.51 |
| 2020-2021                                        | 12,172.56    | 8,206.41   | 20,378.97 |
| 2021-2022                                        | 12,933.12    | 7,989.01   | 20,922.14 |



**2.31** सदस्यता और वेतन में सामान्य वृद्धि के कारण, पेंशन एवं निकासी लाभ के भुगतान में वृद्धि के साथ प्राप्तियों एवं संग्रह में लगातार वृद्धि हुई है। पिछले पांच वर्षों में प्राप्तियों एवं संग्रह में वृद्धि नीचे दी गई है:-

| पेंशन निधि प्राप्तियां एवं संग्रह (रूपये करोड़ों में) |                          |                       |                                  |           |                                     |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| वर्ष                                                  | अंशदान (नियोक्ता का अंश) | अंशदान (सरकार का अंश) | वर्ष के दौरान प्राप्त कुल अंशदान | ब्याज     | वित्तीय वर्ष के अंत में राशि संग्रह |
| 2017-18                                               | 36,618.23                | 5,757.42              | 42,375.65                        | 30,260.66 | 3,93,604.40                         |
| 2018-19                                               | 40,259.74                | 6,401.90              | 46,661.64                        | 32,982.68 | 4,37,762.54                         |
| 2019-20                                               | 44,448.55                | 7504.59               | 51,953.14                        | 39,042.05 | 5,30,846.39                         |
| 2020-21*                                              | 44,009.53                | 6,552.48              | 50,562.01                        | 41,746.18 | 5,99,519.34                         |
| 2021-22*                                              | 49,719.98                | 7,806.20              | 57,526.18                        | 50,613.95 | 6,89,210.72                         |

\*अलेखापरीक्षित

ईपीएस के जमा राशि संग्रह में निरंतर वृद्धि हो रही है एवं वर्ष 2017-18 से संग्रह में लगभग 75.10% वृद्धि हुई है।

#### न्यूनतम पेंशन उपबंध का कार्यान्वयन

**2.32** वर्ष 2014-15 के दौरान न्यूनतम पेंशन की लंबे समय से की जा रही मांग को पूरा किया गया। केन्द्र सरकार ने गजट अधिसूचना संख्या 593 (ई) दिनांक 19.08.2014 द्वारा सदस्य/विधवा (विधुर)/अशक्तता/नामिति/आश्रित माता-पिता पेंशनभोक्ताओं को न्यूनतम 1000/- रु. प्रतिमाह, अनाथ पेंशनभोक्ताओं के लिए 750/- रु. प्रतिमाह तथा बाल पेंशनभोक्ताओं के लिए 250/- रु. प्रतिमाह पेंशन उपलब्धि कराने के लिए अधिसूचना जारी की।

सितंबर, 2014 से संशोधित न्यूनतम पेंशन का भुगतान आरंभ किया गया है। पिछले पाँच वर्षों में लाभान्वित पेंशनभोक्ता तथा उनके संबंध में वितरित राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

| वर्ष    | लाभान्वित पेंशनभोक्ताओं की संख्या | मूल पेंशन के रूप में भुगतान की गई राशि (₹ करोड़ों में) | न्यूनतम पेंशन के रूप में भुगतान की गई राशि (₹ करोड़ों में) | राशि में अंतर (₹ करोड़ों में) |
|---------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 2017-18 | 17,21,904                         | 1,342.47                                               | 2,177.30                                                   | 834.83                        |
| 2018-19 | 20,03,143                         | 1,433.64                                               | 2,354.07                                                   | 920.43                        |
| 2019-20 | 19,82,612                         | 1,403.97                                               | 2,311.83                                                   | 907.86                        |
| 2020-21 | 19,70,670                         | 1415.03                                                | 2315.70                                                    | 900.67                        |
| 2021-22 | 20,44,136                         | 1421.57                                                | 2348.31                                                    | 926.74                        |

**2.33** न्यूनतम पेंशन निर्णय के कार्यान्वयन के पश्चात सभी सदस्य/विधवा (विधुर)/अशक्त/नामिति/आश्रित माता-पिता के लिए, जिनकी न्यूनतम मासिक पेंशन ₹ 1000/- प्रतिमाह से कम थी, उनकी न्यूनतम पेंशन ₹ 1000/- प्रतिमाह निर्धारित की गई है। सदस्यों द्वारा दावा करते समय दिए गए विकल्प, जैसे- कम्प्यूटेशन, पूंजी की वापसी तथा लघु सेवा के आधार पर लिए गए लाभों के लिए न्यूनतम ₹ 1000/- प्रतिमाह माह पेंशन पर कटौती की जाती है। कम्प्यूटेशन, पूंजी की वापसी आदि के कारण की जाने वाली कटौती के बिना ₹ 1000/- प्रतिमाह न्यूनतम पेंशन स्वीकृत करना उन सदस्यों/पेंशनभोक्ताओं के प्रति अन्यायपूर्ण तथा अनुचित होगा, जिन्होंने दावा करते समय इन लाभों को प्राप्त नहीं किया तथा बिना किसी वैकल्पिक लाभ के केवल मूल पेंशन लेने का विकल्प प्रस्तुत किया।

वर्ष 2021-22 के लिए ₹ 1000/- न्यूनतम पेंशन से लाभान्वित होने वाले पेंशनभोक्ताओं का माहवार विवरण **परिशिष्ट-2(vi)** में दिया गया है।



## कर्मचारी पेंशन योजना 1995 का बीमांकक मूल्यांकन

**2.34** कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 एक वित्त पोषित योजना है, जिसमें परिभाषित लाभ एवं परिभाषित अंशदान दोनों विशेषताएं समाहित हैं। तदनुसार, योजना देय अंशदान की दर के साथ-साथ पात्र लाभों की मात्रा भी निर्धारित करती है। कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के पैरा 32 के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त मूल्यांकक द्वारा कर्मचारी पेंशन निधि का वार्षिक मूल्यांकन किए जाने का उपबंध है। वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए कर्मचारी पेंशन निधि के 22वें और 23वें मूल्यांकन हेतु नियुक्त किए गए बीमांकक ने मूल्यांकन का कार्य पूरा कर लिया है तथा रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है। वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 के लिए 24वें तथा 25वें मूल्यांकन हेतु बीमांकक की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विवरण **परिशिष्ट-2(vii)** पर दिया गया है।

## पेंशन संवितरण

**2.35** वर्तमान में पेंशन का संवितरण, पेंशन संवितरण बैंकों के कोर बैंकिंग सिस्टम (सी.बी.एस.) प्लेटफार्म का प्रयोग करते हुए किया जा रहा है। पेंशनभोक्ताओं के खातों में पेंशन, माह के अंतिम कार्य दिवस को जमा हो जाए, इसके लिए फील्ड कार्यालयों को निदेश जारी किए गए हैं।

**2.36** मासिक पेंशन लाभों का संवितरण उन बैंकों की शाखाओं के माध्यम से किया जाता है, जिनके साथ अनुबंध किया गया है। इस उद्देश्य के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों ने राष्ट्रीयकृत कमर्शियल बैंकों के साथ समझौता किया है। पूरे भारत में पेंशन और अन्य लाभों के संवितरण हेतु एच.डी.एफ.सी. बैंक, आई.सी.आई.सी. बैंक, एक्सिस बैंक और डाकघरों के साथ केन्द्रीकृत पेंशन संवितरण व्यवस्था अनुबंध भी किए गए हैं।

**2.37** विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जिन बैंकों के साथ अनुबंध/व्यवस्थाएं की गई हैं, उनकी क्षेत्रवार सूची **परिशिष्ट-2(viii)** पर दी गई है।

## कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रगति

**2.38** केंद्र सरकार ने गजट अधिसूचना संख्या जीएसआर 132 (ई) दिनांक 20.02.2020 द्वारा ईपीएस 1995 में संशोधन किया और अनुच्छेद 12-बी को शामिल किया, जिसके द्वारा पेंशन की कम्युटेशन की तिथि से 15 साल बाद सामान्य पेंशन की बहाली की अनुमति दी गई।

**2.39** ईपीएफओ ने परिपत्र सं. पेंशन-1/17(10)/2016-17/जीवन प्रमाण/10941/8496 दिनांक 18.12.2019 द्वारा प्रत्येक वर्ष नवंबर के महीने में ईपीएस, 1995 पेंशनभोक्ताओं द्वारा जीवन प्रमाण पत्र/जीवन प्रमाण प्रस्तुत करने की प्रणाली को अंतिम जीवन प्रमाण पत्र/जीवन प्रमाण जमा करने की तिथि से एक वर्ष के बाद जीवन प्रमाण पत्र/जीवन प्रमाण प्रस्तुत करने की प्रणाली से बदल दिया है। तदनुसार, पेंशनभोक्ताओं को अगले वर्ष के दौरान उसी माह में एक जीवन प्रमाण पत्र/जीवन प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, ऐसा न करने पर अगले माह से पेंशन रोक दी जाएगी।

**2.40** ईपीएफओ ने एक नए पेंशनभोक्ता को उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि पर पेंशन भुगतान आदेश (PPO) प्रदान करने के लिए "प्रयास" पहल शुरू की है। इस पहल के तहत, सदस्य के साथ-साथ उसके नियोक्ता को अग्रिम रूप से दावा प्रपत्र जमा करने की प्रक्रिया के माध्यम से उपयुक्त रूप से सुविधा और मार्गदर्शन दिया जाता है ताकि सदस्य का पीपीओ जल्दी जारी किया जा सके।

## कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976

**2.41** कर्मचारी सहबद्ध बीमा बीमा योजना — 1976 (बीमा योजना) 1 अगस्त, 1976 को लागू हुई। इस योजना के नियोक्ताओं का मामूली अंशदान करना होता है। बीमा कवर प्राप्त करने के लिए कर्मचारी द्वारा कोई अंशदान देय नहीं है।

## आवेदन और कवरेज

**2.42** बीमा योजना उन सभी फैक्ट्रियों/स्थापनाओं पर लागू है जिन पर ईपीएफ अधिनियम 1952 लागू होता है। सभी कर्मचारी जो भविष्य निधि के सदस्य हैं, इस योजना के सदस्य हैं।

## योजना के अंतर्गत लाभ

**2.43** कर्मचारी की मृत्यु के मामले में निम्नलिखित लाभ प्रदान किया जाता है जो मृत्यु के समय योजना का सदस्य था: —

1. परिवार को पिछले 12 महीनों के दौरान या उसकी सदस्यता की अवधि के दौरान, जो भी कम हो, भविष्य निधि खाते में औसत शेष राशि के बराबर राशि मिलेगी; सिवाय जहां औसत शेष पचास हजार रुपये से अधिक है, देय राशि पचास हजार रुपये और एक लाख रुपये की उच्चतम सीमा के अधीन पचास हजार रुपये से अधिक की राशि का 40% होगी। लाभ में बीस प्रतिशत की और वृद्धि की जाएगी।
2. जहां मृतक सदस्य अपनी मृत्यु के महीने से पहले लगातार बारह महीने की अवधि के लिए रोजगार में था, लाभ की मात्रा औसत मासिक वेतन होगा (अधिकतम रु. 15,000/- तक) जिस महीने में कर्मचारी की मृत्यु हुई, उससे पहले के बारह महीने, पिछले बारह महीनों के दौरान मृतक के भविष्य निधि खाते में औसत शेष राशि के पैंतीस गुना से गुणा करके एक लाख पचहत्तर हजार रुपये की सीमा तक होगी।

**2.44** ईडीएलआई योजना में महत्वपूर्ण संशोधन जी.एस.आर. 299 (ई) दिनांक 28.04.2021:

- अधिकतम आश्वासन लाभ पहले के ₹ 6,00,000/- से बढ़ाकर ₹ 7,00,000/- किए गया
- 2,50,000/- के न्यूनतम आश्वासन लाभ को पूर्वव्यापी प्रभाव से 15.02.2020 से बहाल कर दिया गया है।
- न्यूनतम और अधिकतम आश्वासन लाभ उन सदस्यों को देय होंगे जो उक्त अवधि के दौरान स्थापना में परिवर्तन के बावजूद सदस्य की मृत्यु के महीने से पहले लगातार 12 महीने की अवधि के लिए रोजगार में थे।
- ईडीएलआई योजना के पैरा 28 (4) के तहत कर्मचारियों के एक वर्ग को छूट देने की शक्ति एसीसी जोन को सौंपी गई है।
- ईडीएलआई योजना के अनुच्छेद 29 के तहत देय मौद्रिक जुर्माना को बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है।

**2.45** ईडीएलआई दावों का निपटान और पिछले 5 वर्षों में वितरित राशि निम्नानुसार है:

| पिछले 5 वित्तीय वर्षों के प्रमुख आंकड़े |                |                          |
|-----------------------------------------|----------------|--------------------------|
| वित्तीय वर्ष                            | निपटाए गए दावे | कुल राशि (रु. करोड़ में) |
| 2017-18                                 | 36,391         | 640.31                   |
| 2018-19                                 | 36,938         | 780.21                   |
| 2019-20                                 | 38,022         | 894.51                   |
| 2020-21                                 | 34,459         | 874.81                   |
| 2021-22                                 | 69,640         | 2081.70                  |

# सदस्यों के संबंध में शीर्ष 5 राज्य



# स्थापनाओं के संबंध में शीर्ष 5 राज्य



# कुल सदस्य-राज्यवार स्थिति



# कुल स्थापनाएं-राज्यवार स्थिति





# अध्याय

# 3

ईपीएफओ में निष्पादन  
प्रबंधन

3.1 हमारा जनादेश – नागरिक चार्टर

सांकेतिक निष्पादन एवं सेवा वितरण मानदंड नागरिक चार्टर में निर्धारित किए गए हैं, यह दस्तावेज हितधारकों के लिए सेवा मानकों की उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए संगठन की प्रतिबद्धता को सूचीबद्ध करता है, और समय पर, सुलभ, सस्ती, न्यायसंगत, निर्बाध और संवेदनशील सेवा वितरण की घोषणा करता है।

विजन

नवाचार द्वारा संचालित एक सामाजिक सुरक्षा संगठन, जिसका उद्देश्य सार्वभौमिक कवरेज का विस्तार करना और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से अपने हितधारकों को बिना रुकावट (निर्बाध और बाधा रहित) सेवा वितरण सुनिश्चित करना है।

मिशन

व्यापक सामाजिक सुरक्षा की विकसित हो रही जरूरतों को पारदर्शी, संपर्क रहित, फेसलेस और पेपरलेस तरीके से पूरा करना।  
आपदा सुरक्षित ईपीएफओ के लिए बहु-स्थानीय और ऑटो दावा निपटान प्रक्रिया के साथ निर्बाध सेवाओं को सुनिश्चित करना।  
लाखों लोगों तक पहुंचने के लिए भारत सरकार के प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों का लाभ उठाकर सदस्यों और पेंशनभोक्ताओं के लिए जीवन की सुगमता और नियोक्ताओं के लिए व्यवसाय करने में आसानी सुनिश्चित करना।

3.2 सेवा मानक

| क्र.सं. | मानक*                                                  |              |
|---------|--------------------------------------------------------|--------------|
| 1.      | फॉर्म 19 का निपटान (भविष्य निधि-अंतिम निकासी)          | 7 कार्य दिवस |
| 2.      | फॉर्म 31 का निपटान (भविष्य निधि-महामारी अग्रिम)        | 3 कार्य दिवस |
| 3.      | फॉर्म 31 का निपटान (भविष्य निधि-बीमारी अग्रिम)         | 3 कार्य दिवस |
| 4.      | फॉर्म 31 का निपटान (भविष्य निधि-आंशिक निकासी)          | 7 कार्य दिवस |
| 5.      | फॉर्म 13 का निपटान (भविष्य निधि-अंतरण)                 | 7 कार्य दिवस |
| 6.      | फॉर्म 20 का निपटारा (भविष्य निधि-नामिती द्वारा निकासी) | 3 कार्य दिवस |
| 7.      | फॉर्म 10 डी का निपटान (पेंशन –मासिक पेंशन)             | 7 कार्य दिवस |
| 8.      | फॉर्म 10सी का निपटान (पेंशन –निकासी/योजना प्रमाण पत्र) | 7 कार्य दिवस |
| 9.      | फॉर्म 5 आईएफ का निपटान (बीमा –नामित व्यक्ति को भुगतान) | 3 कार्य दिवस |
| 10.     | शिकायतों का निवारण                                     | 7 कार्य दिवस |
| 11.     | कवरेज प्रमाणपत्र जारी करना                             | 3 कार्य दिवस |

\*ईपीएफओ का लक्ष्य दावों के निपटान के सांविधिक अधिदेश से आगे बढ़कर उपरोक्त आकांक्षात्मक मानकों को प्राप्त करना है।

- कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत तीन योजनाओं में उल्लिखित सेवा मानक प्रमुख हितधारकों अर्थात् कर्मचारियों, नियोक्ताओं और पेंशनभोक्ताओं पर लागू होते हैं।
- ईपीएफओ अब आपदा सुरक्षित है और इसलिए यह देश के किसी भी भाग में बाढ़, भूकंप और महामारी आदि आपदाओं के दौरान भी सेवा मानकों को बनाए रखने का वादा करता है।

3.3 सदस्यों की पात्रताएं एवं अपेक्षाएं

- कवर की गई स्थापना की भविष्य निधि, पेंशन और ईडीएलआई योजनाओं के अंतर्गत सदस्यता योजना प्रावधानों के अधीन है
- ईपीएफओ की सेवाओं को, नियोक्ता के बिना, फेसलेस और संपर्क रहित तरीके से मोबाइल फोन के माध्यम से प्राप्त करें।

- नियोक्ता पर निर्भरता कम करके केवाईसी को ऑनलाइन अपडेट करवाएं।
- नियोक्ताओं और ईपीएफओ के पास भौतिक रूप से जाए बिना स्वयं के विवरण सही करें, नामांकन दाखिल करें और सेवा छोड़ने की तारीख (निकास तिथि) ऑनलाइन भी अपडेट करें।
- खातों का अंतरण डिजिटल रूप से कराएं।
- ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने में सहायता प्राप्त करें और किसी भी दस्तावेज को ऑफलाइन जमा करने की पावती प्राप्त करें।
- छूट प्राप्त स्थापना सहित किसी स्थापना के संबंध में पूर्व अनुमति के बिना शिकायत के निवारण के लिए किसी भी अधिकारी से संपर्क करें।
- परिचयात्मक कार्यक्रमों के संचालन की मांग करें।
- सदस्य ई-सेवा <https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/>

### 3.4 पेंशनभोक्ताओं की पात्रताएं एवं अपेक्षाएं

- सेवानिवृत्ति के दिन पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) प्राप्त करें।
- डिजिलॉकर में सुरक्षित रूप से संग्रहीत पीपीओ को डिजिटल प्रारूप में प्राप्त करें।
- माह के पहले दिन मासिक पेंशन प्राप्त करें।
- डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (जीवन प्रमाण पत्र) कभी भी, कहीं भी वर्ष में एक बार पेंशन संवितरित करने वाली बैंक शाखा, सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी), डाक सेवाओं में या भविष्य निधि कार्यालयों में जमा करें।
- पेंशन गणना का विवरण प्राप्त करें।
- पेंशनभोक्ता पोर्टल पर सेवाएं और अद्यतन ई-पासबुक प्राप्त करें।
- पेंशन भुगतान शाखा को बदलें या नजदीकी ईपीएफओ कार्यालय में पेंशन को अंतरित करें।
- पेंशनभोक्ता पोर्टल: <https://mis.epfindia.gov.in/PensionPaymentEnquiry/enquiry.jsp>

### 3.5 नियोक्ताओं की पात्रताएं एवं अपेक्षाएं

- कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत बिना किसी मानवीय संपर्क के स्वैच्छिक पंजीकरण।
- ऑनलाइन सेवाओं और लेनदेन के माध्यम से ईपीएफओ के साथ फेसलेस संपर्क का लाभ उठाएं।
- वस्तुनिष्ठ और पारदर्शी तरीके से स्वैच्छिक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भौगोलिक रूप से स्वतंत्र ई-निरीक्षण सुविधा का लाभ उठाएं।
- सुरक्षित आईटी अनुप्रयोगों के उपयोग द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ईपीएफ एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत अर्ध-न्यायिक मामलों में वर्चुअल सुनवाई सुविधा का लाभ उठाएं।
- प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में एक समर्पित नोडल/संपर्क अधिकारी की मांग करें।
- भविष्य निधि मामलों से संबंधित स्पष्टीकरणधर्मादर्शन की मांग करें।
- नियोक्ताओं के लिए परिचयात्मक कार्यक्रमों के संचालन की मांग करें।
- निरीक्षण के लिए आए निरीक्षक से पहचान पत्र की मांग करें।
- किसी भी लंबित मामले के समाधान के लिए प्रभारी अधिकारी से मिलें।

एकीकृत पोर्टल— <https://unifiedportal-emp.epfindia.gov.in/epfo>

श्रम सुविधा — <https://registration.shramsuvridha.gov.in/user/login>

### 3.6 सदस्यों से अपेक्षाएं

- यूएन आधारित लॉगिन बनाएं (यदि यूएन पहली बार आबंटित किया गया है) और आधार सहित अपने केवाईसी को लिंक करें।
- खातों के ऑटो-ट्रांसफर का लाभ उठाने के लिए, वर्तमान नियोक्ता को यूएन, निधि की पिछली सदस्यता के विवरण सहित जमा करें।
- ई-नामांकन फाइल करें, सेवाओं का सहज तरीके से लाभ उठाने के लिए स्वयं के विवरण अपडेट करें।
- यूएन के संबंध में बैंक खाते को अन्य केवाईसी विवरणों के साथ ऑनलाइन प्रस्तुत करें।
- ईपीएफओ से संबंधित किसी समस्या को सूचित करने के लिए ईपीएफओ के ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप सोशल मीडिया अकाउंट की सेवाओं का लाभ उठाएं।
- लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया को समझने के लिए ईपीएफओ की वेबसाइट पर उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) का संदर्भ लें।

### 3.7 पेंशनभोक्ताओं से अपेक्षाएं

- पेंशन प्राप्त करना जारी रखने के लिए, प्रत्येक वर्ष जीवन प्रमाण पत्र जमा करें।
- निवास में परिवर्तन के कारण पेंशन संवितरण के लिए बैंक शाखा को बदलने के मामले में नई बैंक शाखा का विवरण जमा करें।
- पेंशन दस्तावेजों को सुरक्षित रखने और आसानी से पुनः प्राप्ति के लिए डिजिटलॉकर की सेवाओं का लाभ उठाएं।
- जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए निकटतम सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी), डाक सेवाओं या उमंग ऐप की सेवाओं का लाभ उठाएं।
- पेंशन पासबुक देखने के लिए उमंग मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करें।
- पेंशनभोक्ता की मृत्यु के मामले में, उत्तरजीवी द्वारा तुरंत सूचना प्रस्तुत की जानी चाहिए ताकि विधवा/विधुर/बाल पेंशन, यदि लागू हो, शुरू हो सके।

### 3.8 नियोक्ताओं से अपेक्षाएं

- अधिनियम और संबद्ध योजनाओं के अंतर्गत सभी वैधानिक प्रावधानों का पालन करें।
- सभी पात्र कर्मचारियों को उस वेतन माह से नामांकित करें जिसमें कर्मचारी रोजगार में जुड़ा है।
- इलेक्ट्रॉनिक रूप से मासिक रिटर्न जमा करें और एकीकृत पोर्टल के माध्यम से संबंधित धन प्रेषण करें।
- नए कर्मचारी का यूएन लिंक/जेनरेट करें और ऐसे सदस्यों के नौकरी छोड़ने की तारीख को अपडेट करें, जिन्होंने आगामी माह के 15 दिनों के भीतर रोजगार छोड़ दिया है।
- स्थापना के सभी कर्मचारियों को अपने केवाईसी विवरण अपडेट करने और ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए अपना यूएन आधारित लॉगिन बनाने के लिए कहें।
- सदस्यों से प्राप्त उनके मूल विवरण में त्रुटियों के सुधार के अनुरोध के मामलों को उनके रिकॉर्ड से विधिवत सत्यापित करने के बाद तुरंत अग्रेषित करें।
- निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर सहायक दस्तावेजों के साथ ई-निरीक्षण नोटिस का उत्तर दें।
- व्यवसाय की सुगमता का लाभ उठाने के लिए ईपीएफओ द्वारा विभिन्न मुद्दों पर आयोजित वेबिनार सत्रों में भाग लें।
- भविष्य निधि कार्यालय द्वारा संदर्भित सभी शिकायतों/मुद्दों का समाधान 5 कार्य दिवसों के भीतर करें और जवाब दें।
- छूट प्राप्त स्थापनाएँ अपने सदस्यों को ईपीएफओ के बराबर या उससे बेहतर लाभ प्रदान करेंगी।

### 3.9 शिकायत निवारण तंत्र

- शिकायतों के डिजिटल निपटान के लिए विशेष उन्नत शिकायत पोर्टल ईपीएफआईजीएमएस

- फेसबुक और ट्विटर के अलावा फील्ड कार्यालयों में व्यावसायिक व्हाट्सएप अकाउंट्स के माध्यम से शिकायत निवारण को और अधिक सुविधाजनक बनाया गया है।
- जागरूकता पैदा करने और नियोक्ताओं, कर्मचारियों और पेंशनभोक्ताओं की शिकायतों पर ध्यान देने के लिए नियमित वेबिनार।
- शिकायत समाधान के लिए सामान्य समय सीमा 7 कार्य दिवस है।
- शिकायत का निवारण न होने के मामले में, शिकायत अगले उच्च प्राधिकारी के पास भेज दी जाती है।

#### मुख्य कार्यालय में लोक शिकायत अधिकारी

अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (सीएसडी)  
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन  
भविष्य निधि भवन,  
14 भीकाजी कामा प्लेस,  
नई दिल्ली-110066

#### ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए यूआरएल:

- [www.epfigms.gov.in](http://www.epfigms.gov.in), [www.pgportal.gov.in](http://www.pgportal.gov.in)
- उमंग मोबाइल एप पर उपलब्ध सुविधा
- कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800118005
- सभी 7 दिन कॉल सेंटर कार्यरत
- शिकायत निवारण के लिए प्रत्येक फील्ड ऑफिस में बिजनेस व्हाट्सएप अकाउंट
- सोशल मीडिया अकाउंट: ट्विटर: @socialepfo, फेसबुक: /socialepfo
- क्षेत्रीय कार्यालयों में सभी स्टेकहोल्डर्स के लिए सुविधा केंद्र की सेवा उपलब्ध है

### 3.10 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की उपस्थिति

ईपीएफओ के पास 21 आंचलिक कार्यालयों, 138 क्षेत्रीय कार्यालयों, 114 जिला कार्यालयों, 05 विशेष राज्य कार्यालयों और 04 सेवा केंद्रों का राष्ट्रव्यापी नेटवर्क है। ये कार्यालय स्टेकहोल्डर्स तक पहुंच बनाते हैं और सामाजिक सुरक्षा सेवा सुनिश्चित करते हैं। ईपीएफओ कार्यालयों की सूची परिशिष्ट-3(i) में दी गई है।

संपर्क विवरण [www.epfindia.gov.in](http://www.epfindia.gov.in)>>contact पर उपलब्ध है।

### 3.11 संख्याएं हमारे कार्य की पहचान हैं।

ईपीएफओ और उसकी सेवाओं की पहुंच को समझने के लिए निम्नलिखित शब्दावली प्रासंगिक हैं:-

- कर्मचारी भविष्य निधि का "सदस्य", अर्थात एक ऐसा सदस्य जिसके ईपीएफओ खाते में पीएफ शेष है। 31 मार्च 2022 तक 27.74 करोड़ सदस्य थे।
- प्रत्येक ईपीएफओ सदस्य की पहचान अब यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) नामक एक नंबर के माध्यम से की जाती है। यूएएन एक स्थायी संख्या है और रोजगार बदलते समय खातों की पोर्टेबिलिटी की सुविधा देने के लिए जीवन भर वही रहता है। यह किसी भी समय कहीं भी ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए भी उपयोगी है। 31.03.2022 तक आबंटित यूएएन की संख्या 16.70 करोड़ है।
- "अंशदान करने वाले सदस्य" से तात्पर्य उनसे है जो अपनी स्थापनाओं के माध्यम से नियमित अंशदान करते हैं। 2021-22 के दौरान, अंशदान करने वाले औसतन 4.63 करोड़ सदस्य थे।
- ईपीएफओ के साथ पंजीकृत स्थापनाएं— स्थापनाएं और उनकी शाखाएं यूनीक पीएफ कोड नंबर के लिए आवेदन करके इसे प्राप्त कर सकती हैं। दो प्रकार की स्थापनाएं हैं नामतः अछूट प्राप्त और छूट प्राप्त। अछूट प्राप्त स्थापनाओं को सीधे ईपीएफओ द्वारा सेवा दी जाती है। छूट प्राप्त स्थापनाओं को अपने कर्मचारियों को सीधे सेवा देने की अनुमति है। हालांकि, अधिनियम के

अनुपालन और प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता के लिए ईपीएफओ द्वारा उनकी निगरानी और लेखापरीक्षा की जाती है।

- 31 मार्च 2022 तक, ईपीएफओ के साथ पंजीकृत 18,65,791 यूनीक पीएफ कोड नंबर थे। इनमें से 18,62,339 पीएफ अछूट प्राप्त कोड थे और 3,452 पीएफ छूट प्राप्त कोड थे।
- वर्ष 2021-22 के दौरान अंशदान देने वाली स्थापनाओं की औसत संख्या 5,91,184 थी।

## सेवा क्षेत्र

- वर्ष के दौरान 2,69,246 अतिरिक्त स्थापनाओं को पीएफ कोड आबंटित किए गए, जिससे 31 मार्च 2022 को इनकी कुल संख्या 18.66 लाख हो गई।
- 4.63 करोड़ सदस्यों (औसतन) के संबंध में 5.91 लाख स्थापनाओं (औसतन) ने देय राशि का भुगतान किया। विवरण **परिशिष्ट-3(ii)** में दिया गया है।
- वर्ष के दौरान 390.97 लाख दावों का निपटान किया गया। निपटाए गए सभी दावों का सारांश **परिशिष्ट-3(iii)** में दिया गया है। दावों का अंचल और श्रेणीवार निपटान **परिशिष्ट- 3(iv)** से **3(x)** में दिया गया है।
- वर्ष के दौरान, ईपीएफओ ने 72.74 लाख पेंशनभोक्ताओं को सेवा प्रदान की।
- वर्ष के दौरान 11.24 लाख स्थापनाओं के संबंध में वार्षिक लेखा विवरण अद्यतन किए गए। विवरण **परिशिष्ट-3(xi)** में दिया गया है।

## वित्तीय क्षेत्र

- वर्ष के दौरान अछूट प्राप्त क्षेत्र में प्राप्त अंशदान रु. 2,22,143.50 करोड़ था।
- वर्ष के दौरान अछूट प्राप्त क्षेत्र में रु. 1,28,242.49 करोड़ के लाभ के भुगतान किए गए।

## अनुपालन क्षेत्र

ईपीएफओ चूक नियंत्रण के लिए नियमित रूप से अनुपालन ऑडिट करता है। अधिनियम में विवादों के समाधान और देयों के न्यायिक मूल्यांकन का प्रावधान है। एक निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से, न्यायिक आदेश पारित करने से पहले स्टेकहोल्डर्स की सुनवाई होती है।

- वर्ष के दौरान 47,562 जांच संपन्न हुई; जिनमें 6,797 मामले अधिनियम की धारा 7ए के अंतर्गत, 40,765 मामले अधिनियम की धारा 14बी के अंतर्गत थे।
- 31 मार्च, 2022 तक, 29,199 जांच लंबित थी जिसमें अधिनियम की धारा 7ए के अंतर्गत 10,052 जांच और अधिनियम की धारा 14बी के अंतर्गत 19,147 जांच शामिल थीं। इनमें से अधिनियम की धारा 7ए के अंतर्गत 7,785 (77.45%) जांच छह महीने से अधिक समय से लंबित थी और धारा 14बी के अंतर्गत 6,578 (34.36%) जांच छह महीने से अधिक समय से लंबित थी।
- वर्ष के दौरान चूककर्ता अछूट प्राप्त स्थापनाओं से देय राशि के रूप में रु. 5967.89 करोड़ का निर्धारण किया गया था।
- रु. 2564.20 करोड़ चूक करने वाली अछूट प्राप्त स्थापनाओं से वसूल किए गए थे।
- रु. 12742.20 करोड़ अछूट प्राप्त स्थापनाओं से वसूली के लिए बकाया रहा। (रु. 4102.39 करोड़ शास्तिक नुकसानी और ब्याज के रूप में)।
- रु. 1460.24 करोड़ छूट प्राप्त स्थापनाओं से वसूली के लिए लंबित रहे।
- 31 मार्च, 2022 तक कुल राशि रु.14,202.44 करोड़ वसूली के लिए लंबित थी।
- 31 मार्च 2022 को तत्काल अवसूलनीय (एनआईआर) श्रेणी में कुल राशि रु. 8,812.69 करोड़, जो 12742.20 करोड़ रुपए की बकाया मांग (अछूट प्राप्त) श्रेणी का 69.16% था। देश के विभिन्न न्यायालयों में मुकदमों के लंबित होने के कारण एनआईआर राशि मुख्य रूप से अवरुद्ध है।

**3.12** सांख्यिकीय सार (2021-22) का सारांश **परिशिष्ट-3(xii)** में दिया गया है।



# अध्याय

# 4

ईपीएफओ में अनुपालन प्रबंधन

**4.1** यह अधिनियम एक सामाजिक सुरक्षा विधान है, जिसे उन उद्योगों, कारखानों तथा स्थापना-श्रेणी में काम कर रहे देश के संगठित कार्यबल को भविष्य निधि, पेंशन तथा बीमे के रूप में सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है, जिन पर यह कानून लागू होता है। विधान के अंतर्गत योजनाएं अंतरराष्ट्रीय कामगारों के हितों को भी पूरा करती हैं।

### अनुपालन की भूमिका

**4.2** अनुपालन की भूमिका अधिनियम की धारा 1(3)(ए), 1(3)(बी), या धारा 1(4) के अंतर्गत स्थापनाओं की कवरेज से आरंभ होती है। कवरेज के पश्चात, स्थापनाओं के नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों को निधि का "सदस्य" बनाकर, उनके वेतन से भविष्य निधि अंशदान काटकर तथा उसे अपने भी समतुल्य अंशदान के साथ निधि में जमा कराकर अधिनियम तथा इसके अंतर्गत निर्मित योजनाओं में बनाए गए उपबंधों का अनुपालन करना होता है। नियोक्ताओं को अधिनियम के अंतर्गत देय निरीक्षण एवं प्रशासनिक प्रभार जमा कराने होते हैं।

### 4.3 अनुपालन न करने के मामले में कार्रवाई

नियोक्ता द्वारा अनुपालन न किए जाने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं :

- अधिनियम के लागू होने पर विवाद।
- देयों का भुगतान नहीं करना/देरी से करना।
- सभी पात्र कर्मचारियों को सदस्य नहीं बनाना।
- रिटर्न एवं अन्य दस्तावेज जमा न करना।

अधिनियम के अंतर्गत अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए चूककर्ताओं के विरुद्ध निम्नलिखित कार्रवाई का प्रावधान है :

**i) धारा 7 ए के अंतर्गत कार्रवाई** — विवादों की स्थिति में अधिनियम के लागू होने पर निर्णय करना तथा इस अधिनियम, भविष्य निधि योजना अथवा पेंशन योजना अथवा बीमा योजना, जैसा भी मामला हो, के किसी भी उपबंध के अंतर्गत किसी भी नियोक्ता द्वारा देय राशि का निर्धारण करने के लिए धारा 7ए के अंतर्गत जांच आरंभ की जाती है। ये न्यायिक प्रकृति की होती हैं, जो किसी भी व्यक्ति को उपस्थिति के लिए बाध्य करने अथवा शपथ दिलाकर उसके बयान लेने के लिए, दस्तावेजों की पड़ताल करने तथा उन्हें प्रस्तुत करने हेतु, शपथ पत्र पर गवाही लेने के लिए तथा गवाहों के बयान लेने के लिए नागरिक प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत शक्ति प्रदान करती है।

(अधिनियम की धारा 7ए के तहत निर्धारण मामलों की शुरुआत और निपटान और लंबित 7ए मामलों की आवधिकता के संबंध में आंकड़े क्रमशः **परिशिष्ट-4(vii)** और **4(viii)** में दिए गए हैं)।

**ii) धारा 7 क्यू के अंतर्गत कार्रवाई** — इस अधिनियम के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा देय किसी भी राशि पर उस तारीख से, जिस पर वह देय है, उसके वास्तविक भुगतान की तारीख तक बारह प्रतिशत वार्षिक की दर या ऐसी उच्चतर दर पर, जिसे योजना में विनिर्दिष्ट किया जाए, साधारण ब्याज लगाना।

(सभी तीनों योजनाओं (अछूट प्राप्त) (करोड़ में) के संबंध में धारा 7क्यू के तहत ब्याज लगाने के संबंध में आंकड़े **परिशिष्ट-4(ix)** में दिए गए हैं)।

**iii) धारा 14 बी के अंतर्गत कार्रवाई** — किसी भी नियोक्ता द्वारा देय अंशदानों एवं प्रशासनिक प्रभारों को देरी से जमा कराने के लिए, धारा 15 की उपधारा (2) अथवा धारा 17 की उपधारा (5) के अंतर्गत उसके स्थानांतरित करने योग्य जमा राशियों के अंतरण में चूक के लिए अथवा इस अधिनियम अथवा इसके अंतर्गत निर्मित योजनाओं के किसी भी अन्य उपबंध के अंतर्गत देय किन्हीं प्रभारों के भुगतान में चूक के लिए, नियोक्ता को सुने जाने का पर्याप्त अवसर देते हुए, उस पर जुर्माने के रूप में उस दर पर, जो योजना में विनिर्दिष्ट हो, नुकसानी लगाना।

(सभी तीन योजनाओं (अछूट प्राप्त) (करोड़ में) के संबंध में धारा 14बी (अछूट प्राप्त) और धारा 14बी के तहत नुकसानी की वसूली के मामलों के आंकड़े क्रमशः **परिशिष्ट-4(x)** और **4(xi)** में दिए गए हैं)।

**iv) धारा 8 एफ के अंतर्गत कार्रवाई** — डाकघरों, बैंकरों, बीमा कंपनियों आदि सहित तीसरे पक्ष को चूककर्ताओं को देय, अथवा देय होने वाली, किसी भी राशि को रोककर इसे भविष्य निधि एवं संबन्धित देयों में विनियोजन हेतु निधि में जमा करने के लिए निषेधाज्ञा जारी करना।

**v) धारा 14 के अंतर्गत कार्रवाई** – देयों के भुगतान में टालमटोल करने, सांविधिक विवरणियां प्रस्तुत नहीं करने, मिथ्या विवरण अथवा अभ्यावेदन देने अथवा दिलवाने, जिस शर्त पर छूट प्रदान की गई थी, उसका उल्लंघन करने तथा एक ही अपराध को बार-बार करने अथवा अधिनियम तथा इसके अंतर्गत निर्मित योजनाओं के उपबंधों का कोई उल्लंघन करने के लिए समुचित न्यायालय में चूककर्ता नियोक्ता के विरुद्ध अभियोजन मामले दायर करना।

(अधिनियम की धारा 14 (अछूट प्राप्त) (कर्मचारी भविष्य निधि योजना) के तहत अभियोजन मामलों से संबंधित आंकड़े **परिशिष्ट-4 (xiii)** में दिए गए हैं)।

**vi) ईपीएफ योजना, 1952 के पैरा 76 के अंतर्गत कार्रवाई** – अंशदान आदि के भुगतान में असफल रहने पर दंड आदि, यदि कोई व्यक्ति –

- (क) सदस्य के वेतन अथवा परिश्रमिक से नियोक्ता के अंशदान की पूर्ण अथवा आंशिक कटौती करता है अथवा करने की चेष्टा करता है, अथवा
  - (ख) किसी रिटर्न, विवरण अथवा अन्य दस्तावेज जिसे योजना के अंतर्गत भरा जाना अनिवार्य है, भरने में असफल रहता है अथवा भरने से मना करता है, अथवा झूठी रिटर्न, विवरण अथवा अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करता है, अथवा झूठी घोषणा करता है, अथवा
  - (ग) अधिनियम अथवा इस योजना के अंतर्गत नियुक्त निरीक्षण अथवा अन्य कर्मचारी के कर्तव्य के निर्वहन में बाधा डालता है अथवा ऐसे निरीक्षक अथवा कर्मचारी के निरीक्षण हेतु किसी रिकॉर्ड को प्रस्तुत करने में असफल रहता है, अथवा
  - (घ) इस योजना की आवश्यकताओं के उल्लंघन अथवा चूक का दोषी है,
- तो वह कारावास, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, अथवा जुर्माना, जिसे चार हजार तक बढ़ाया जा सकता है, अथवा दोनों दंड का भागी होगा।

**vii) भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत कार्रवाई**

- (क) धारा 406 के अंतर्गत शिकायत – आपराधिक विश्वास भंग की सजा :- जो कोई भी आपराधिक विश्वास भंग करता है, को दोनों में से किसी भी प्रकार का कारावास, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, अथवा जुर्माने, अथवा दोनों की सजा दी जाएगी।
- (ख) धारा 409 के अंतर्गत शिकायत – लोक सेवक अथवा बैंकर, व्यापारी अथवा एजेंट द्वारा आपराधिक विश्वास भंग – जो कोई भी, जिसे किसी संपत्ति की जिम्मेदारी, अथवा प्रभुत्व, उसके लोक सेवक, अथवा बैंकर, व्यापारी, आढ़ती-ब्रोकर, अटार्नी अथवा एजेंट होने की क्षमता में सौंपी गई है, उस संपत्ति के संबंध में आपराधिक विश्वास भंग करता है, को आजीवन कारावास, अथवा किसी भी प्रकार का कारावास जिसकी अवधि दस वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी, एवं जुर्माने का भी उत्तरदायी/भागी होगा।

अपने कर्मचारियों के वेतन से भविष्य निधि अंशदान काटने के पश्चात् उसे भविष्य निधि में जमा नहीं कराने के लिए, जो कि आपराधिक विश्वास भंग की कोटि में आता है तथा संज्ञेय अपराध है, ऐसा करने वाले नियोक्ताओं के विरुद्ध पुलिस अथवा न्यायालय में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 406/409 के अंतर्गत मामले दर्ज कराना।

(आईपीसी की धारा 406/409 के तहत पुलिस अधिकारियों के समक्ष मामले (छूट प्राप्त) और आईपीसी की धारा 406/409 के तहत विभिन्न न्यायालयों के समक्ष मामले (अछूट प्राप्त) क्रमशः **परिशिष्ट -4 (xvi)** और **4 (xvii)** में रखे गए हैं)।

**viii) अपराध दंड संहिता की धारा 110 के अंतर्गत कार्रवाई** – जो नियोक्ता भविष्य निधि तथा संबंधित देयों के भुगतान न करने के आदी हैं अथवा ऐसा न करने की कोशिश करते हैं, उन्हें कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष अच्छे व्यवहार के लिए जमानत सहित बॉण्ड भरने के आदेश दिए जाते हैं।

#### 4.4 ई-शासन पहल

- (i) श्रम सुविधा पोर्टल के माध्यम से स्थापनाओं का सामान्य ऑनलाइन कवरेज।
- (ii) अधिनियम की धारा 7क्यू (ब्याज) और धारा 14बी (विलंबित भुगतान के लिए नुकसानी) के अंतर्गत स्वयं गणना और देय राशि जमा करने की सुविधा।

(iii) 'स्थापना खोज पोर्टल' पर किसी भी पंजीकृत संस्थान की अनुपालन स्थिति ऑनलाइन देखने की सुविधा।

**(iv) अनुपालन ई-कार्यवाही—**

- कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत जांच के लिए ई-कार्यवाही प्रबंधन प्रणाली, अनुपालन ई-कार्यवाही पोर्टल के माध्यम से सक्षम है।
- सभी फील्ड कार्यालय केवल अनुपालन ई-कार्यवाही पोर्टल के माध्यम से सभी जांच आरंभ और संचालित करते हैं।
- अनुपालन ई-कार्यवाही पोर्टल का यूआरएल <https://eproceedings.epfindia.gov.in/epfo/public/caseenowisearch.php> नियोक्ता को सुनवाई की अगली तारीख और दैनिक आदेशों सहित मामले की स्थिति जानने में सक्षम बनाता है —

**(v) 01.10.2020 से वर्चुअल सुनवाई की शुरुआत —**

- संगठन ने विवाद समाधान में तेजी लाने और श्रमिकों के बकाये के आकलन के लिए अधिनियम की धारा 7ए और 14बी के अंतर्गत जांच में वर्चुअल सुनवाई शुरू की है। यह कदम कवर किए गए नियोक्ताओं और सदस्यों को शीघ्र और किफायती निर्णय प्रदान करने की दृष्टि से ईपीएफओ के फेसलेस सुनवाई के उद्देश्य की दिशा में एक कदम है।
- इसने न्याय निर्णायक अधिकारी के समक्ष सुनवाई में पक्षकारों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है जिससे नियोक्ताओं और कर्मचारियों को उनकी पसंद के दूरस्थ स्थान से सुनवाई में उपस्थित होने में आसानी और सुविधा हो गई है।
- सुरक्षित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल और अनुपालन ई-कार्यवाही पोर्टल के संयुक्त उपयोग से कार्यवाही में ई-नोटिस और रीयल-टाइम रिकॉर्डिंग और आदेशों का संचार संभव हो गया है।

**(vi) प्रधान नियोक्ता की कार्यक्षमता**

- ईपीएफओ ने एकीकृत पोर्टल <https://unifiedportal&emp.epfindia.gov.in/epfo> के नियोक्ता इंटरफेस पर 04.03.2021 को एक इलेक्ट्रॉनिक सुविधा आरंभ की है। इसने प्रधान नियोक्ता को अपने लॉगिन में अनुबंध कर्मचारियों के संबंध में उनके ठेकेदारों द्वारा दायर ईसीआर को ठेकेदार के ईपीएफ कोड नंबर और अनुबंध कर्मचारियों के यूएएन को जोड़कर देखने में सक्षम बनाया है। प्रधान नियोक्ता यह सत्यापित कर सकता है कि ठेकेदार को भुगतान की गई मजदूरी और कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान की सूचना दी गई है और ठेकेदारों द्वारा ईसीआर के माध्यम से धन प्रेषित किया गया है।
- यहां तक कि प्रधान नियोक्ता (पीई) जो ईपीएफओ के साथ पंजीकृत नहीं हैं, वे अपने ठेकेदार (रों) और अनुबंध कर्मचारियों के विवरण जोड़ने के लिए लॉगिन आईडी/पासवर्ड प्राप्त करने के लिए ईपीएफओ के एकीकृत पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं।
- कार्यप्रणाली पर प्राप्त की गई जानकारी ईपीएफओ फील्ड कार्यालयों के लिए ठेकेदार स्थापनाओं द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आसूचना जानकारी के रूप में कार्य करती हैं और अब प्रमुख नियोक्ता को उनके ठेकेदारों द्वारा किए गए अनुपालनों को सत्यापित करने का अधिकार दिया गया है।

**प्रधान नियोक्ता की कार्यक्षमता 2.0 का शुभारंभ**

12.3.2022 को इस अतिरिक्त कार्यक्षमता का शुभारंभ हुआ और यह ठेकेदारों द्वारा प्रधान नियोक्ता की घोषणा के लिए दो-तरफा तंत्र प्रदान करता है, विशेष रूप से वे स्थापनाएं जो सुरक्षा सेवाओं, हाउस-कीपिंग, सुविधा प्रबंधन आदि जैसे जनशक्ति की जरूरतों को पूरा करती हैं। ऐसे ठेकेदार स्थापना अपने प्रधान नियोक्ताओं, चाहे वे ईपीएफओ के साथ पंजीकृत हों या नहीं, अपने लॉग इन में निम्नलिखित तरीके से घोषित कर सकते हैं:

- (क) ईपीएफओ के साथ पंजीकृत पीई को उनके ठेकेदारों द्वारा उनके ईपीएफ कोड के माध्यम से घोषित किया जा सकता है।
- (ख) ईपीएफओ के साथ गैर-पंजीकृत पीई को भी ठेकेदारों द्वारा अपने टैन के माध्यम से घोषित किया जा सकता है।
- (ग) ठेकेदार स्थापनाओं को अनुबंध अवधि, अनुबंधकार्य आदेश दस्तावेज और तैनात कर्मचारियों के यूएएन जैसे विवरण घोषित करने की भी अनुमति है।

एक बार ठेकेदार द्वारा इस तरह की घोषणा किए जाने के बाद, प्रधान नियोक्ता ठेकेदार द्वारा तैनात कर्मचारियों के यूएन के अनुपालन को देख सकता है। उपरोक्त सुविधा अनुबंध कर्मचारी डेटा और अनुपालन रिकॉर्ड को कैप्चर करना सुनिश्चित करेगी, भले ही प्रधान नियोक्ता ठेकेदारों और अनुबंध कर्मचारियों के विवरण की रिपोर्ट करने के कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा हो।

इस कार्यात्मकता का शुभारंभ पीई और ठेकेदारों के लिए समान रूप से अनुपालन आसान करने की दिशा में एक कदम आगे है।

### (vii) क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ), जोनल कार्यालयों (जेडओ) और मुख्य कार्यालय (एचओ) द्वारा शिकायतों के पंजीकरण, प्रसंस्करण और निगरानी और वैकल्पिक निरीक्षण के लिए वेब सुविधा –

- यह वेब पोर्टल 04.03.2021 को आरंभ किया गया था।
- वैकल्पिक निरीक्षण अनुमति के लिए अनुरोध / किसी भी माध्यम से प्राप्त शिकायत को एक विशिष्ट आईडी के साथ मुख्यालय / आंचलिक कार्यालय / क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा पंजीकृत किया जा सकता है और प्रत्येक मामले की ट्रैकिंग संभव है।
- क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा पोर्टल पर अपलोड किए गए निरीक्षण अनुमति अनुरोध और शिकायतों की जांच संबंधित आंचलिक कार्यालयों द्वारा की जाती है।
- प्रत्येक मामले में की गई कार्रवाई – निरीक्षण का कार्य, रिपोर्ट अपलोड करना, और शिकायतकर्ताओं को पत्र जारी करना – पोर्टल पर अपडेट हो जाता है।
- आंचलिक कार्यालयों और मुख्य कार्यालय द्वारा डैशबोर्ड के माध्यम से क्षेत्रीय कार्यालयों के निष्पादन की निगरानी संभव है।

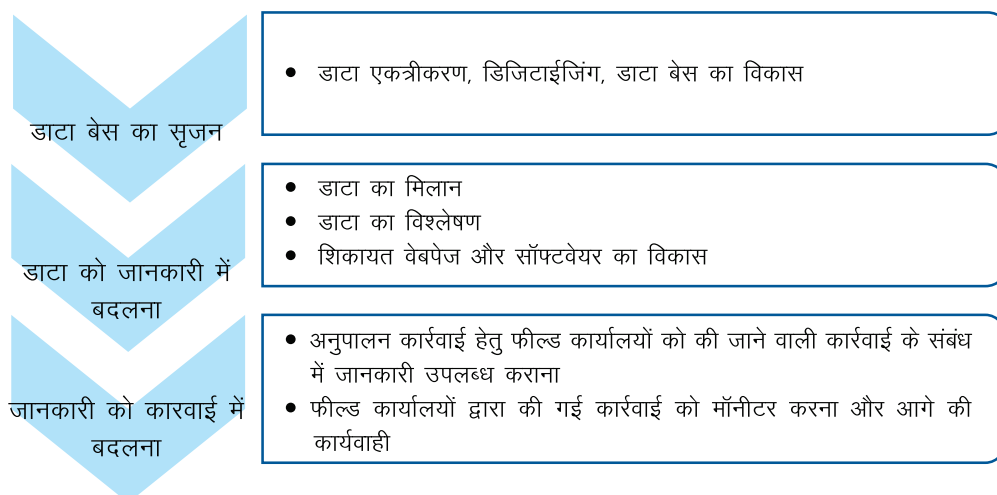
### केन्द्रीय विश्लेषण एवं आसूचना यूनिट (सी.ए.आई.यू.)

4.5 ईपीएफओ ने पारदर्शी और जवाबदेह श्रम निरीक्षण प्रणाली हेतु फील्ड स्तर पर डाटा एकत्रित करने और विश्लेषण करने के लिए केन्द्रीय विश्लेषण एवं आसूचना यूनिट (सी.ए.आई.यू.) की स्थापना की है। ईपीएफओ के केन्द्रीय विश्लेषण एवं आसूचना यूनिट (सी.ए.आई.यू.) द्वारा भेजे गए मामले डाटा और साक्ष्य पर आधारित होते हैं।

**सी.ए.आई.यू. का लक्ष्य :** केन्द्रीय विश्लेषण एवं आसूचना यूनिट के मुख्य लक्ष्य निम्न प्रकार से परिभाषित हैं :

- ईपीएफओ के अनुपालन ढांचे में ई-गवर्नेंस को प्रभावी रूप से प्रस्तुत करना और उसके स्टैक होल्डर्स के लिए पारदर्शी और प्रभावी सेवा वितरण प्रणाली सुनिश्चित करना।
- अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के साथ अनुबंधन विकसित कर सदस्यता और स्थापनाओं के कवरेज का सर्वोत्तम स्तर प्राप्त करने के लिए स्थापनाओं की लक्षित मॉनिटरिंग हेतु डाटा बेस का सृजन।
- कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्र.उ. अधिनियम, 1952 के उपबंधों के अंतर्गत अनुपालन, ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग और चूक नियंत्रण प्रणाली की पहल को सरल बनाने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में

**कार्य की बुनियादी प्रक्रिया निम्नलिखित है:**



### सीएआईयू द्वारा अब तक उठाए गए कदम

- वैकल्पिक निरीक्षण के लिए अनुमतियों के लिए अनुरोध प्रसंस्करण प्रणाली के बेहतर प्रशासन के लिए पूर्व प्रणाली में आंशिक संशोधन किया गया है। प्रत्येक आंचलिक कार्यालय अब अनिवार्य निरीक्षणों के अलावा सभी प्रकार के मामलों में निरीक्षण करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को अनुमति प्रदान करने के लिए सीएआईयू, ईपीएफओ की विस्तारित शाखा के रूप में कार्य करता है। आंचलिक कार्यालय, सीएआईयू की विस्तारित शाखा के रूप में, मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार मामलों की जांच करते हैं और अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत फील्ड कार्यालयों में अनिवार्य निरीक्षणों की मानवशक्ति की उपलब्धता और कार्यभार को ध्यान में रखते हुए अनुमति देते हैं।
- आंचलिक एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के सीएआईयू लॉगिन में शिकायतों को दर्ज करने तथा वैकल्पिक निरीक्षण करने की अनुमति हेतु अनुरोध के लिए वेब सुविधा शुरू की गई। यह सुविधा अपवंचन और गैर-अनुपालन से संबंधित शिकायतों की स्थिति के साथ-साथ अन्य मामलों के लिए निरीक्षण की स्थिति की रीयल-टाइम ट्रैकिंग की अनुमति देती है।
- अब, मॉनीटरिंग के लिए प्रत्येक स्तर पर लंबित (अर्थात् निरीक्षण पंजीकरण, आंचलिक कार्यालयों द्वारा अनुमति प्रदान करना, निरीक्षण करना और निरीक्षण रिपोर्ट अपलोड करना) डैशबोर्ड पर उपलब्ध है जिससे पारदर्शिता आई है और प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि हुई है। समय के साथ वेब सुविधा के कामकाज की समीक्षा करने के बाद, बेहतर और कुशल कामकाज के लिए प्रक्रिया प्रवाह में कुछ संशोधनों को शामिल किया गया है।

### ई-निरीक्षण :

नियोक्ताओं के साथ ईपीएफओ का यह एक नया डिजिटल संचार माध्यम है। ई-निरीक्षण फार्म ऐसे चुनिंदा नियोक्ताओं के यूजर लॉगइन पर उपलब्ध कराया गया है जो ईसीआर फाईल नहीं कर रहे हैं। नियोक्ता को ऐसे विवरण भरने होते हैं जैसे कि स्थापना कार्य कर रही है अथवा नहीं, यदि बंद है, स्थायी अथवा अस्थायी रूप से बंद होने के कारण, इसके संबंध में दस्तावेज, यदि कोई हो तो अपलोड करने होते हैं।

इसके अतिरिक्त, यदि स्थापना कार्य कर रही है, नियोक्ता, भुगतान न की गई देय राशि की घोषणा भुगतान न करने के कारण देयों के भुगतान आदि के लिए 2 से 36 माह की अवधि प्रस्तावित कर सकते हैं।

ई-निरीक्षण प्रणाली गैर इरादतन चूक करने वालों के लिए अनुपालन की लागत कम करने और नियोक्ताओं के लिए व्यापार करने की सुगमता बढ़ाने के लिए एक उपाय है। यह नियोक्ताओं को अनुपालन व्यवहार हेतु प्रोत्साहित करता है और उनके अनुचित उत्पीड़न को रोकता है।

यह ईपीएफओ के पास उपलब्ध सीमित प्रवर्तन तंत्र के संसाधनों के उचित प्रयोग में मदद करता है और लागत, समय, कार्य बचाने वाला तंत्र है जो बेहतर चूक प्रबंधन सुनिश्चित करता है।

- अन्य सरकारी विभागों और एजेंसियों जैसे सीबीएसई, ईएसआईसी और एफएसएसएआई आदि जैसे अन्य सरकारी विभागों एवं एजेंसियों के साथ डाटा एक्सचेंज के माध्यम से कवर करने योग्य स्थापनाओं की कवरेज हेतु कार्रवाई योग्य डाटा उत्पन्न करने का प्रयास किया गया।
- अस्पतालों, रेरा पंजीकृत परियोजनाओं आदि जैसी स्थापनाओं के संबंध में ऑनलाइन स्रोतों से भी डाटा प्राप्त किया गया था और कवरेज अंतराल का विश्लेषण करने के लिए ईपीएफ डाटाबेस के साथ तुलना की गई थी।

### छूट

**4.6** पहले से ईपीएफ एवं एमपी एक्ट, 1952 के अंतर्गत कवर्ड स्थापनाओं को समुचित सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के प्रचालन से छूट प्रदान करने की निबंधन एवं शर्तों पर छूट प्रदान की जाती है।

केंद्र सरकार के अंतर्गत स्थापनाओं, रेलवे, बड़े पोर्ट, खदानों, ऑयल फील्ड, कोई नियंत्रित उद्योग अथवा एक से अधिक राज्यों में शाखाओं वाली स्थापनाओं के संबंध में समुचित सरकार, केंद्र सरकार है। राज्य में किसी स्थापना को कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के प्रचालन से केवल उस राज्य में छूट देने के लिए राज्य सरकार समुचित सरकार है।



### छूट प्रदान करने के संबंध में प्रमुख कानूनी उपबंध

**4.7** किसी भी योजना के सभी या किसी भी प्रावधान के प्रचालन से छूट देने की शक्ति कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 पैरा 27/27ए के साथ पठित, ईपीएफ योजना 1952 की धारा 17 में निहित है। नियम और शर्तें, जिसके अंतर्गत किसी स्थापना को छूट दी जाती है, का विवरण ईपीएफ योजना, 1952 के पैरा 27एए में दिया गया है।

उपर्युक्त कानूनी उपबंधों के अंतर्गत किसी स्थापना को समुचित सरकार द्वारा तभी छूट प्रदान की जाती है जब इसके भविष्य निधि अंशदान की दर सांविधिक दर से कम अनुकूल न हो एवं कर्मचारी अन्य भविष्य निधि लाभों का आनंद उठा रहे हों, जो कुल मिलाकर कर्मचारियों के लिए ईपीएफ एवं एमपी एक्ट अथवा अन्य योजना के अंतर्गत उपलब्ध लाभों से कम अनुकूल न हो। छूट देने पर तब भी विचार किया जाता है जब उस स्थापना के कर्मचारी को प्राप्त भविष्य निधि, पेंशन अथवा ग्रेच्युटि एवं अन्य ऐसे लाभ, पृथक अथवा संयुक्त रूप से कुल मिलाकर ऐसी ही प्रकृति की स्थापना के कर्मचारियों को इस अधिनियम अथवा अन्य योजना के अंतर्गत प्राप्त सांविधिक लाभों से कम अनुकूल न हों।

तथापि समुचित सरकार द्वारा छूट की स्वीकृति पर विचार ईपीएफ एवं एमपी एक्ट, 1952 की धारा 5 के अंतर्गत गठित केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के परामर्श द्वारा ही किया जाता है।

### छूट निरस्त/समाप्त करने संबंधी प्रमुख कानूनी उपबंध

**4.8** कर्मचारी भविष्य निधि योजना से छूट के निबंधन एवं शर्तों के अनुपालन न करने के मामले में, कानून में, कर्मचारी भविष्य निधि प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 17(4) के उपबंधों में ऐसी छूट को भी समाप्त करने का भी प्रावधान है।

ऐसी छूट को रद्द करने की शक्ति उस प्राधिकारी के पास निहित है, जिसने उसे लिखित में आदेश देते हुए अनुमति दी थी। रद्द करने की प्रक्रिया में उपयुक्त सरकार/प्राधिकरण द्वारा छूट की शर्तों के उल्लंघन का विवरण देते हुए स्थापना को कारण बताओ नोटिस शामिल है। छूट को रद्द करने के अलावा, ईपीएफ एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत निर्धारित अन्य कार्रवाई भी उन प्रावधानों और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार चूक करने वाले स्थापनाओं के खिलाफ शुरू की जा सकती है।

कुछ छूट प्राप्त स्थापनाएं अपने न्यासी बोर्ड द्वारा इस आशय के पारित प्रस्तावों की प्रति के साथ अपनी छूट को वापस करने के लिए भी समुचित सरकार को आवेदन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में न्यास के वित्तीय परिस्थिति का पता लगाने के लिए संग्रह के अंतरण के साथ-साथ तीसरे पक्ष के ऑडिट को पूरा करना शामिल है।

इस तरह के निरस्तीकरण और छूट खत्म होने की स्थिति में, संपूर्ण कोष को केंद्रीय न्यासी बोर्ड के खातों में अंतरित करने की जिम्मेदारी नियोक्ता की है।

### शासन संरचना

**4.9** छूट प्रभाग का नेतृत्व अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय) रैंक के एक अधिकारी द्वारा किया जाता है। जिसकी सहायता अपर केंद्रीय आयुक्त, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, सहायक भविष्य निधि आयुक्त, अनुभाग अधिकारी और सहायक अनुभाग अधिकारी करते हैं।

क्षेत्रीय कार्यालयों में, क्षेत्र के प्रभारी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत छूट प्राप्त स्थापनाओं की मॉनीटरिंग के संबंध में नियामक कार्य के लिए जिम्मेदार हैं। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों के कार्यालय की निगरानी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा की जाती है, जिनकी अध्यक्षता अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय)/अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, जैसा भी मामला हो, द्वारा की जाती है।

### छूट प्राप्त स्थापनाओं संबंधी समिति:

**4.10** समिति की संरचना: केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (पदेन) अध्यक्ष हैं। अन्य सदस्य अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय और संयुक्त सचिव (सामाजिक सुरक्षा), श्रम और रोजगार मंत्रालय हैं, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, दो नियोक्ता प्रतिनिधि और दो कर्मचारी प्रतिनिधि भी समिति का हिस्सा हैं।

समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:

- क) सभी प्रकार से छूट प्राप्त स्थापनाओं के कामकाज की निगरानी करना और छूट प्राप्त स्थापनाओं के कामकाज में सुधार के लिए बोर्ड के विचारार्थ सुझाव देना।
- ख) छूट/ढील प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देशों पर विचार करना और सुझाव देना।
- ग) बदलते कारोबारी माहौल और वर्तमान अनुभव के संदर्भ में छूट प्राप्त न्यासों की भूमिका की समीक्षा करना।

#### 4.11 छूट संबंधी आवेदनों पर कार्यवाही की प्रक्रिया

छूट संबंधी आवेदन नियोक्ता द्वारा संबंधित दस्तावेजों सहित क्षेत्रीय आयुक्त को प्रस्तुत किए जाते हैं, जहां इनकी पूर्ण रूप से छानबीन की जाती है। ऐसे आवेदन, समर्थन दस्तावेजों सहित आगे की छानबीन एवं सिफारिशों हेतु संबंधित आंचलिक कार्यालयों को अग्रेषित किए जाते हैं। आंचलिक कार्यालय की सिफारिशें मुख्यालय में प्राप्त होने के पश्चात, यदि ये सही पाए जाते हैं तो इन्हें छूट प्राप्त स्थापनाओं संबंधी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तत्पश्चात समिति की सिफारिशें, पूर्ण दस्तावेजों सहित, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, ईपीएफ के समक्ष समुचित सरकार को भेजने हेतु अंतिम सिफारिश के लिए प्रस्तुत की जाती हैं।

#### 4.12 2021-2022 के दौरान उपलब्धियां

##### (क) छूट प्राप्त स्थापनाओं की समिति की बैठकें

वर्ष 2021-2022 के दौरान, छूट प्राप्त स्थापना समिति की दो बैठकें, अर्थात् 03.09.2021 को 47वीं बैठक और 02.03.2022 को 48वीं बैठक आयोजित की गईं जिनमें छूट के निरस्तीकरण/समर्पण/प्रत्याहरण के निम्नलिखित मामलों की सिफारिश की गई है:

| क्रम सं. | स्थापना का नाम                                                                                                                                               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | मेसर्स सेंट हेलेना स्कूल, एमएच/26169 के संबंध में ईपीएफ एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 17(1)(ए) के तहत दी गई छूट को रद्द करना।                     |
| 2.       | मेसर्स पंजाब खादी मंडल, पीएन/1041 के संबंध में ईपीएफ एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 17(1)(ए) के तहत दी गई छूट को रद्द करना।                        |
| 3.       | मेसर्स टायो रोल्स लिमिटेड, जेएच/जेएएम/1892 के संबंध में ईपीएफ एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 17(1)(ए) के तहत दी गई छूट को रद्द करना।               |
| 4.       | मेसर्स रिलायंस जूट मिल्स इंटरनेशनल लिमिटेड, डब्ल्यूबी/52 के संबंध में ईपीएफ एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 17(1)(ए) के तहत दी गई छूट को रद्द करना। |
| 5.       | मेसर्स नैहाटी जूट मिल्स कंपनी लिमिटेड, डब्ल्यूबी/19 के संबंध में ईपीएफ एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 17(1)(ए) के तहत दी गई छूट को रद्द करना।      |
| 6.       | मेसर्स नफर चंद्र जूट मिल्स, डब्ल्यूबी/39 के संबंध में ईपीएफ एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 17(1)(ए) के तहत दी गई छूट को रद्द करना।                 |
| 7.       | मेसर्स मोहन मीकिन्स लिमिटेड, एचपी/11851 के संबंध में ईपीएफ एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 17(1)(ए) के तहत दी गई छूट को रद्द करना।                  |
| 8.       | मेसर्स तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड, टीएन/एमएस/26337 के संबंध में ईपीएफ एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 17(1)(ए) के तहत दी गई छूट का समर्पण   |
| 9.       | मेसर्स इंकाब इंडस्ट्रीज लिमिटेड एमएच/6286 के संबंध में ईपीएफ एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 17(1)(ए) के तहत दी गई छूट को रद्द करना                 |
| 10.      | मेसर्स पेप्सू सड़क परिवहन निगम, पीएन/386 के संबंध में ईपीएफ एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 17(1)(ए) के तहत दी गई छूट को रद्द करना                  |

| क्रम सं. | स्थापना का नाम                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.      | मेसर्स सुंदरम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, टीएन/197-ए के संबंध में ईपीएफ एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 17(1)(ए) के तहत दी गई छूट का समर्पण                                                                                                    |
| 12.      | मेसर्स एसपीआईसी हेवी केमिकल्स डिवीजन, टीएन/एमएस/12115 के संबंध में ईपीएफ एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 17(1)(ए) के तहत दी गई छूट का समर्पण                                                                                                    |
| 13.      | मेसर्स एचपी कंप्यूटिंग एंड प्रिंटिंग सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बीजी/बीएनजी/1431033 के संबंध में ईपीएफ योजना, 1952 के पैरा 27ए के साथ पठित ईपीएफ एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 17(2) के तहत छूट प्रदान करने के लिए आवेदन को वापस लेना। |
| 14.      | मेसर्स हेवलेट पैकार्ड एंटरप्राइजेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बीजी/बीएनजी/1353776 के संबंध में ईपीएफ योजना, 1952 के पैरा 27ए के साथ पठित ईपीएफ एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 17(2) के तहत छूट प्रदान करने के लिए आवेदन को वापस लेना।            |
| 15.      | मेसर्स हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट (एचईजी) लिमिटेड, एमपी/बीपीएल/3448 के संबंध में ईपीएफ योजना, 1952 के पैरा 27ए के साथ पठित ईपीएफ एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 17(2) के तहत छूट प्रदान करने के लिए आवेदन को वापस लेना।                     |

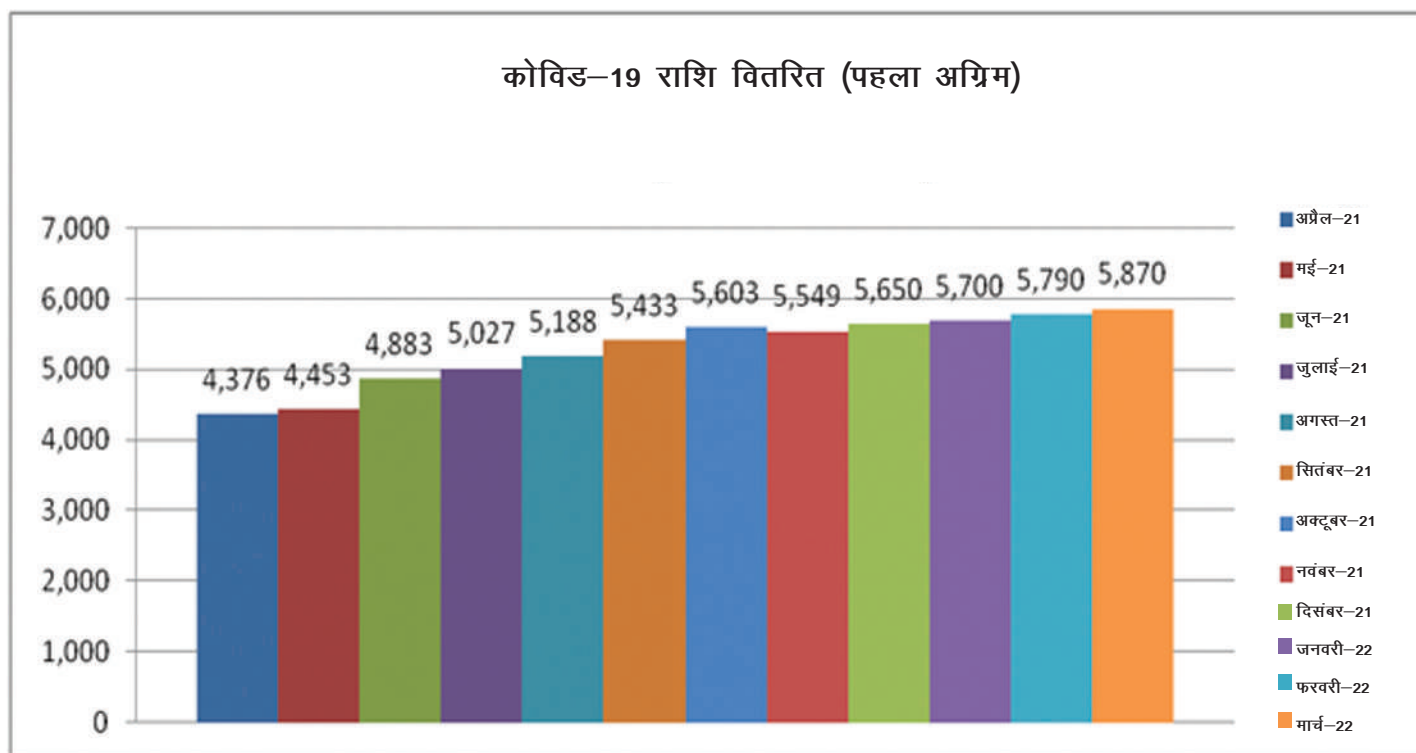
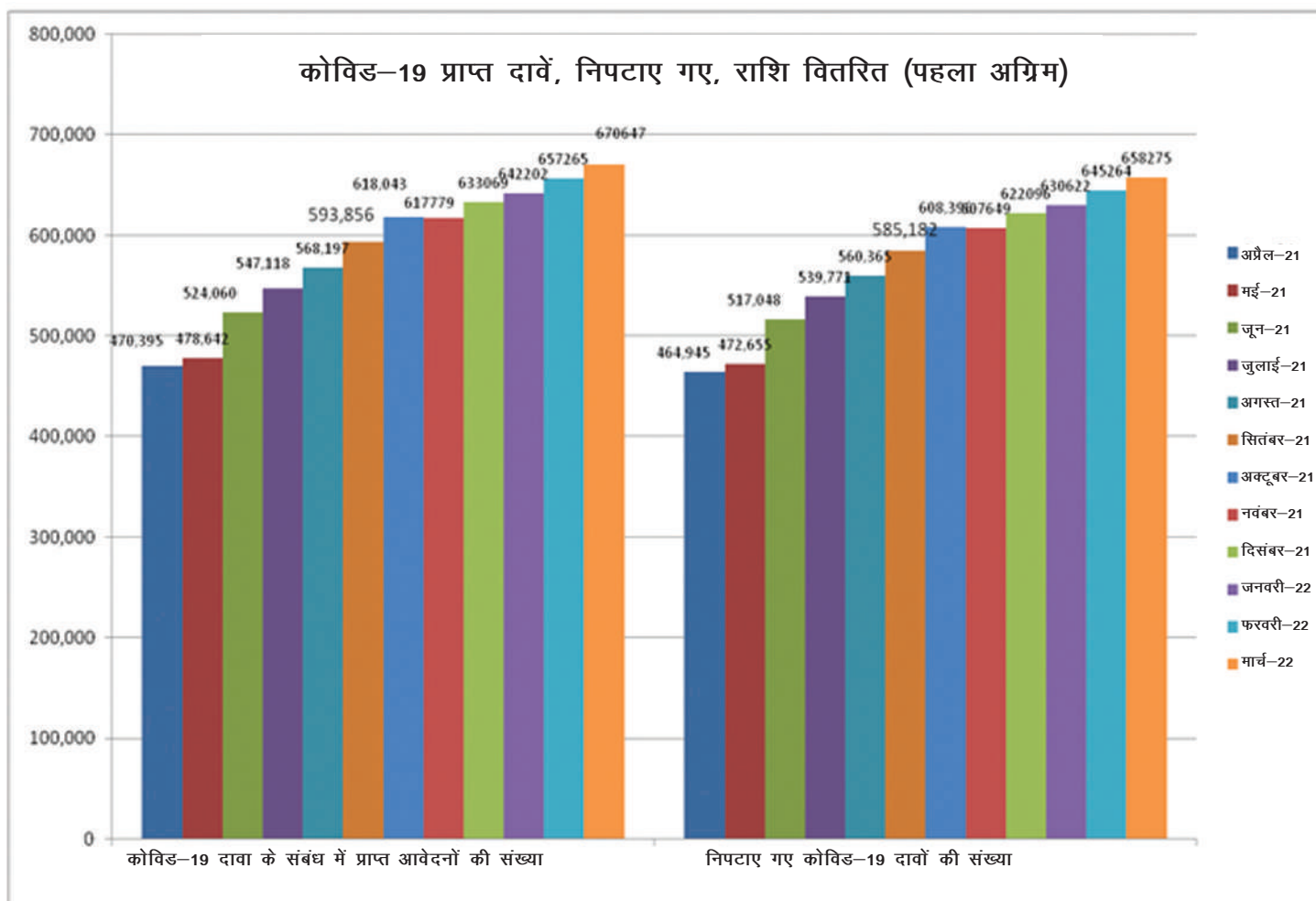
उपर्युक्त सभी प्रस्तावों को समुचित सरकार को भी भेज दिया गया है।

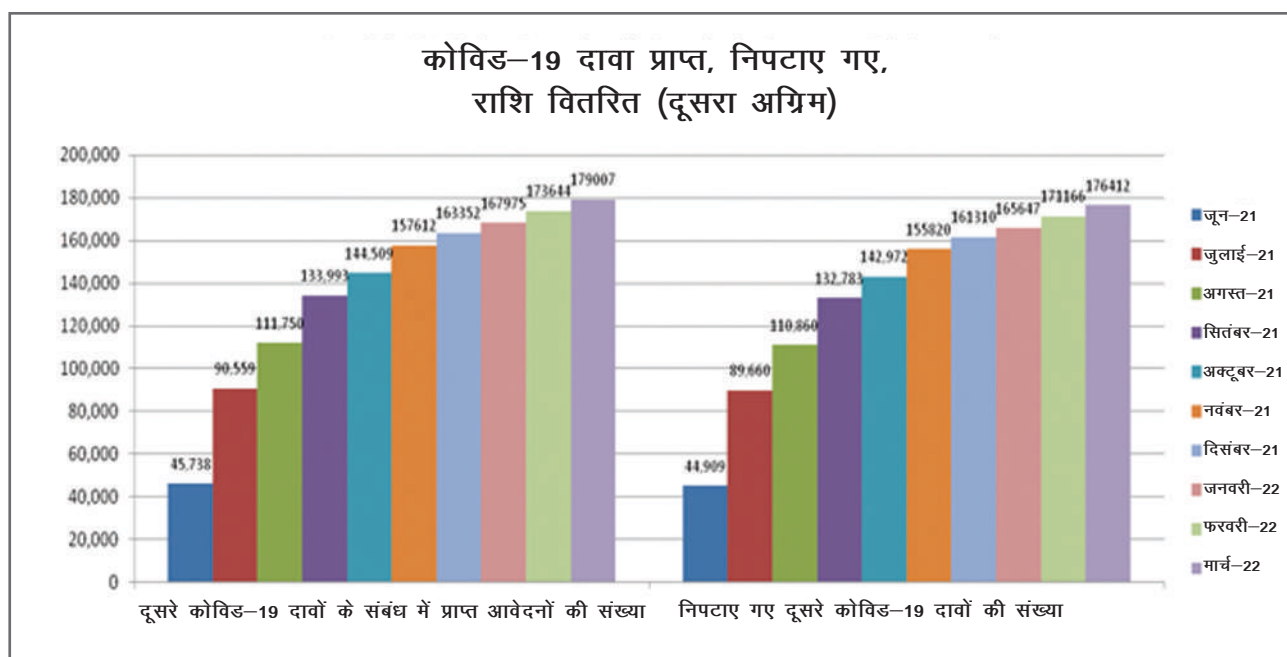
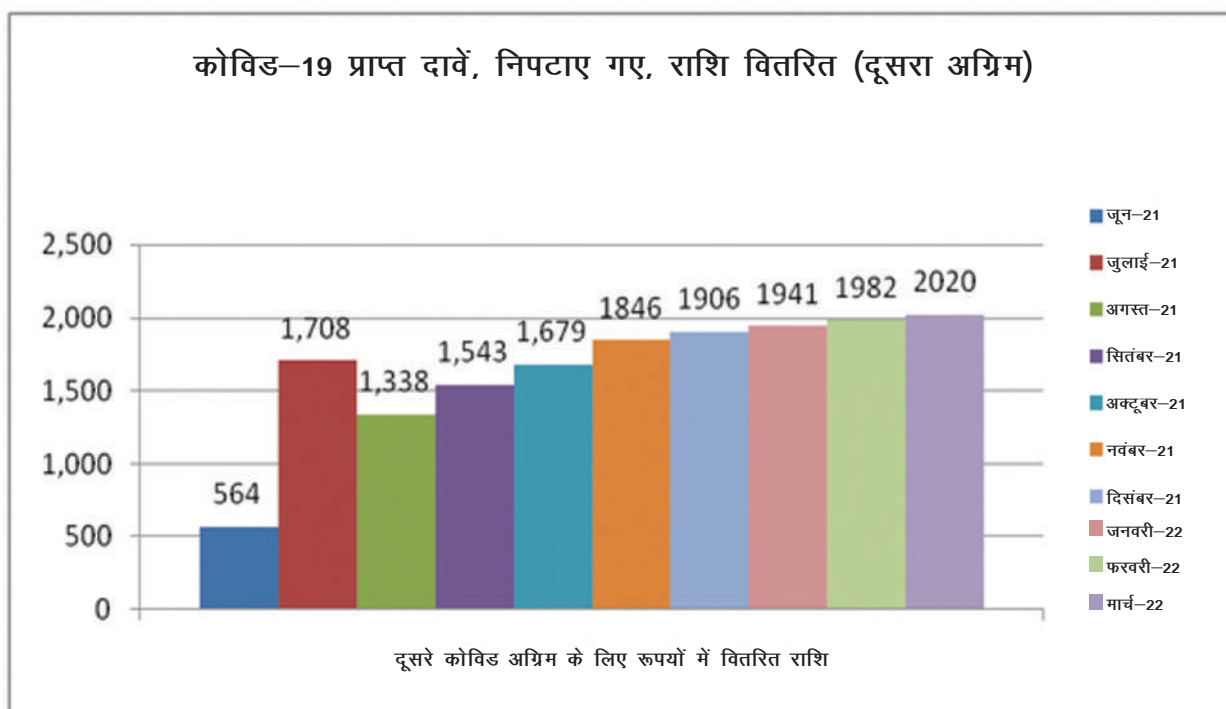
वर्ष 2021-2022 के दौरान, समुचित सरकार द्वारा अनुदान/समर्पण/छूट को निरस्त करने के लिए निम्नलिखित प्रस्तावों को अधिसूचित किया गया है:

| क्र.सं. | स्थापना का नाम                                                                                                                                                                    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.      | ईपीएफ एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 17(4) के तहत मेसर्स गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स कंपनी लिमिटेड, जीजे/14401 के संबंध में छूट का समर्पण/निरस्तीकरण                |
| 2.      | मेसर्स बीटी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, डीएल/940655 के संबंध में ईपीएफ एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 17 (2) के तहत ईपीएफ योजना, 1952 के पैरा 27 ए के साथ छूट का अनुदान। |
| 3.      | EPFO एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 17(4) के तहत मेसर्स राजा बहादुर इंटरनेशनल लिमिटेड, पीयू/पीयूएन/338 के संबंध में छूट का समर्पण/रद्द करना                             |
| 4.      | मेसर्स डनलप इंडिया लिमिटेड (डब्ल्यूबी/716) के संबंध में ईपीएफ एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 17(4) के तहत समर्पण/छूट को रद्द करना।                                      |

### (ख) कोविड अग्रिम का संवितरण

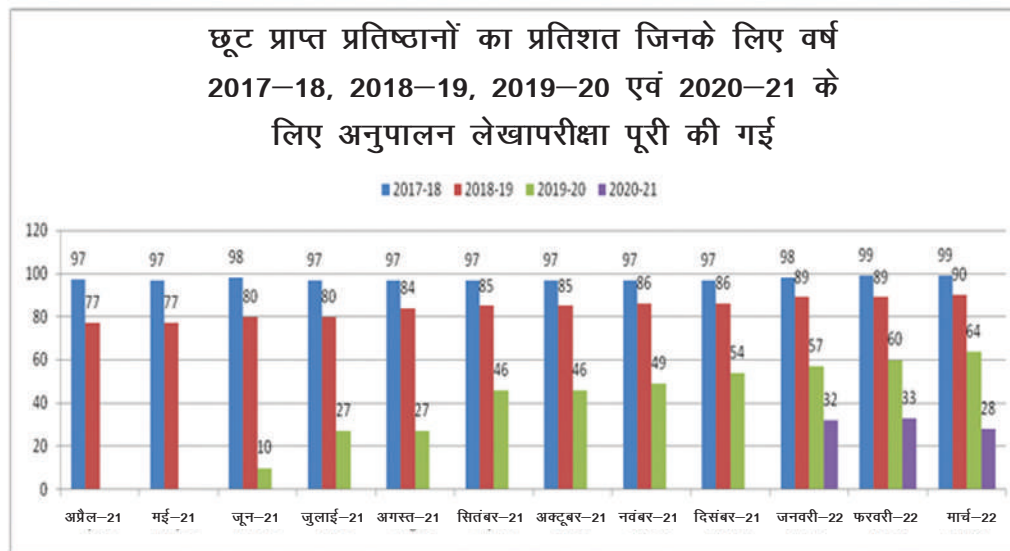
- ईपीएफ योजना, 1952 में एक संशोधन के माध्यम से ईपीएफ योजना, 1952 के पैरा 68 एल के अंतर्गत उप-पैरा (3) को सम्मिलित करके, महामारी या महामारी के प्रकोप की स्थिति में ईपीएफ सदस्यों को गैर-वापसी योग्य अग्रिम का प्रावधान लागू किया गया था। इस योजना में, सदस्य तीन महीने के लिए मूल वेतन और महंगाई भत्ते तक अग्रिम राशि या ईपीएफ खाते में सदस्य के खाते में जमा राशि के 75% तक के पात्र थे।
- छूट प्राप्त स्थापनाओं ने भी वर्ष 2021-2022 के दौरान उपर्युक्त प्रावधानों का उपयोग किया। रु. 78,91,67,40,378/- (रु. 7891.67 करोड़) की राशि छूट प्राप्त भ.नि. न्यासों द्वारा 2021-2022 के दौरान 8,34,687 सदस्य दावेदारों (पहली और दूसरी कोविड की समेकित अग्रिम) को कोविड-19 के लिए अग्रिम के रूप में वितरित की गई है।





### (ग) अनुपालन लेखापरीक्षा :

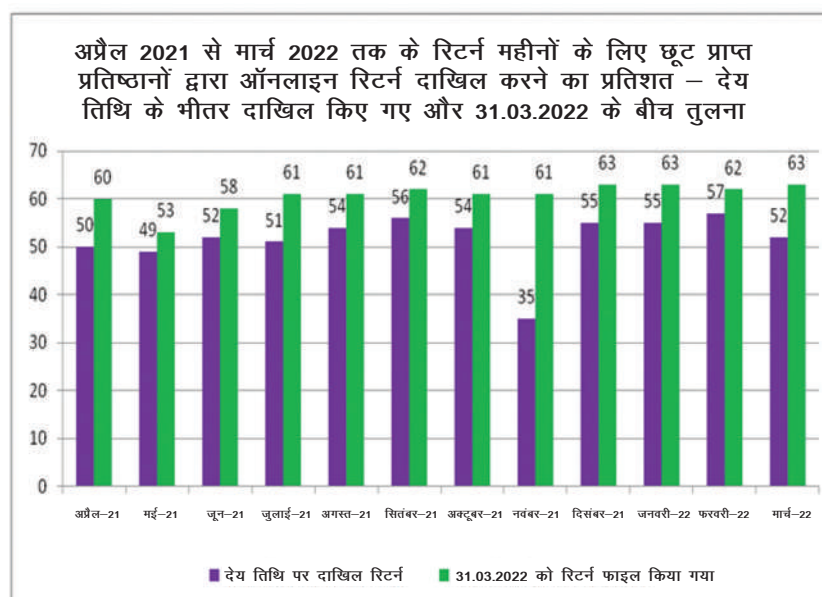
- वर्ष 2021-2022 में नोवेल कोरोना वायरस के प्रसार के रूप में एक महामारी का आगमन हुआ, जिसे सार्स-कोव-2 नाम दिया गया। इसे आम तौर पर कोविड-19 महामारी कहा गया। ऐसे समय में छूट प्राप्त स्थापनाओं/न्यासों का भौतिक निरीक्षण व्यावहारिक नहीं माना गया। इसलिए, स्व-प्रमाणित दस्तावेजों को ऑनलाइन जमा करने की एक प्रणाली शुरू की गई थी जिसमें छूट प्राप्त स्थापना वर्ष 2020-2021 तक के अनुपालन लेखापरीक्षा से संबंधित अपनी रिपोर्ट इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत कर सकते थे। भौतिक निरीक्षण केवल फाइलिंग न करने वालों, विगत वर्षों से ई सदस्यता/अंशदान में 15% से अधिक की कमी, ब्याज की वैधानिक दर भुगतान न करने वालों, पिछले दो वर्षों से घाटा रिपोर्ट करने वाली कंपनियों, कानूनी स्थिति में परिवर्तन आदि के संबंध में प्राधिकृत था।



- कोविड-19 महामारी के कारण आवश्यक राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण, वित्तीय वर्ष के शुरुआती महीनों में अनुपालन ऑडिट की प्रगति रुकी हुई थी। हालाँकि, स्व-प्रमाणन प्रणाली शुरू करने और स्थापनाओं को खोलने के माध्यम से, वित्तीय वर्ष के दूसरे हिस्से में अनुपालन लेखा परीक्षा का काम तेज हो गया।
- 31 मार्च 2022 तक, वर्ष 2017-18 के लिए 1312 स्थापनाओं में से 1298 स्थापनाओं के संबंध में अनुपालन ऑडिट पूरा कर लिया गया है जो कि 99% है; वर्ष 2018-2019 के लिए 1312 स्थापनाओं में से 1181 स्थापनाओं के संबंध में अनुपालन लेखा परीक्षा पूरी की गई जो कि 90% है; वर्ष 2019-20 के लिए 834 स्थापनाओं का पूरा कर लिया गया है जो कि 64% है तथा वर्ष 2020-21 के लिए 368 स्थापनाओं का पूरा कर लिया गया है जो कि 28% है। शेष बची स्थापनाओं और बाद के वित्तीय वर्षों के लिए अनुपालन लेखा परीक्षा का कार्य चल रहा है और यह एक सतत प्रक्रिया है।

#### (घ) ऑनलाइन रिटर्न

- छूट प्राप्त स्थापनाओं को मासिक और वार्षिक ऑनलाइन रिटर्न जमा करना आवश्यक है। इन रिटर्न में नामांकित कर्मचारियों और किए गए निवेश आदि के संबंध में स्थापना के मूल विवरण, उनके ट्रस्ट, रोजगार और अंशदान संबंधी विवरण प्रदान किए जाते हैं।
- अप्रैल 2021 से मार्च, 2022 तक के रिटर्न महीनों के लिए छूट प्राप्त स्थापनाओं द्वारा ऑनलाइन रिटर्न दायर करने का प्रतिशत-देय तिथि के भीतर और 31.03.2022 को दायर किए गए स्थापनाओं के बीच तुलना:

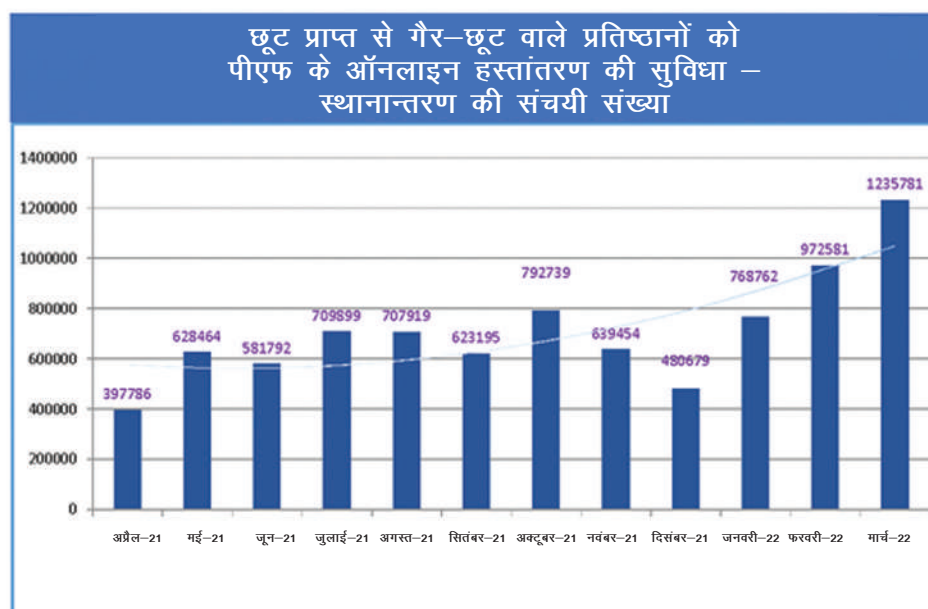




- राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण वित्तीय वर्ष के शुरुआती महीनों में ऑनलाइन रिटर्न कम दाखिल की गई। हालाँकि, स्थापनाओं के खुलने के बाद, ऑनलाइन रिटर्न दायर करना फिर से शुरू हो गया और स्थापनाएं उन महीनों के लिए भी फाइल कर सकती थी, जो वे पहले नहीं कर सकी।
- उदाहरण के लिए, अप्रैल 2021 के दौरान केवल 60% स्थापनाएं समय पर अपना ऑनलाइन रिटर्न दायर कर सकी क्योंकि ये महीने मुख्य रूप से महामारी के व्यापक प्रसार से प्रभावित थे। तथापि, वित्तीय वर्ष के अंत तक ऐसे 63% स्थापनाएं इन महीनों के संबंध में अपना रिटर्न दायर कर सकी।

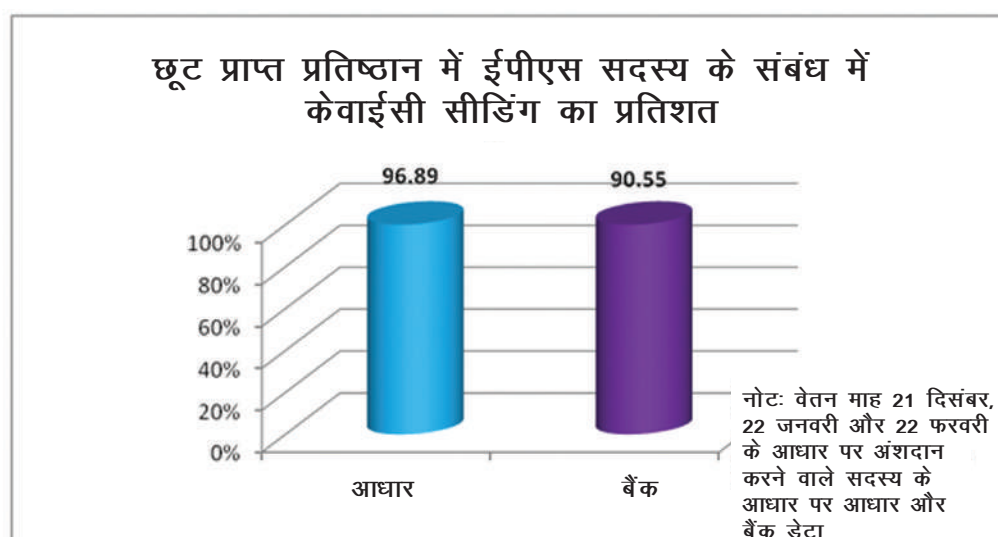
#### (ड) छूट प्राप्त स्थापनाओं से अछूत प्राप्त स्थापनाओं में भनि अंशदान का ऑनलाइन अंतरण:

कर्मचारियों के पीएफ का छूट प्राप्त ट्रस्ट से अछूत प्राप्त में ऑनलाइन ट्रांसफर सफलतापूर्वक किया जा रहा है। मार्च 2022 तक लगभग 1235781 खातों को स्थानांतरित किया गया है। सुविधा का उपयोग करते हुए ट्रस्टों द्वारा किए गए स्थानांतरणों की माहवार संख्या:



#### (च) आधार और बैंक सीडिंग:

96.89% छूट प्राप्त (ईपीएस) सदस्यों ने अपनी आधार संख्या और 90.55% छूट प्राप्त (ईपीएस) सदस्यों ने अपने बैंक खाते (31 मार्च, 2022 तक) को सीड किया।



छूट प्राप्त स्थापना में ईपीएस सदस्यों के संबंध में केवाईसी स्थिति

### (छ) छूट प्राप्त स्थापनाओं के साथ वेबिनार:

- विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा विभिन्न वेबिनार का आयोजन किया गया जिसमें कुल 871 छूट प्राप्त स्थापनाओं ने भाग लिया।
- छूट प्रभाग, मुख्यालय द्वारा 12.01.2022 को जूट मिलों से संबंधित एक वेबिनार आयोजित किया गया था जिसमें तीन जूट मिलों मेसर्स ग्लोस्टर लिमिटेड, मेसर्स हुकुम चंद जूट मिल्स और मेसर्स बिड़ला जूट एंड इंडस्ट्रीज की प्रस्तुति भी थी। वेबिनार के दौरान इन समस्याओं पर चर्चा की गई:
  - » छूट प्राप्त स्थापना द्वारा पीएफ बकाया भुगतान में चूक।
  - » मृत्यु दावा निपटान,
  - » ऑनलाइन रिटर्न दायर करना,
  - » आधार सीडिंग
  - » ई-नामांकन स्थिति
  - » सदस्यता डाटा की मॉनीटरिंग।

### छूट प्राप्त स्थापनाएं एवं सदस्य

**4.13** भविष्य निधि छूट प्राप्त स्थापनाएं 3452 हैं। इन छूट प्राप्त स्थापनाओं द्वारा पिछले वर्ष के दौरान 1,39,27,183 सदस्य खातों की तुलना में 1,35,01,988 सदस्य खातों हेतु सेवाएं प्रदान की गईं।

### स्थापनाओं एवं सदस्यों का राज्यवार संक्रेन्द्रण

**4.14** छूट प्राप्त स्थापनाएं एवं सदस्य मुख्यतः पांच राज्यों नामतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, दिल्ली एवं तमिलनाडु में संक्रेन्द्रित हैं। इन पांच राज्यों में छूट प्राप्त स्थापनाओं का कुल 49.39% तथा छूट प्राप्त क्षेत्र की कुल सदस्यता का 73.23% हैं।

### ईपीएफओ में बकाया की वसूली

**4.15** नियोक्ता द्वारा देय धनराशि की वसूली हेतु कर्मचारी भविष्य निधि अध्यादेश, 1951, कर्मचारी भविष्य निधि विधेयक, 1952 तथा अधिनियम में उपबंध अंतर्निहित थे। वसूली के लिए उपलब्धि प्रक्रिया के अनुसार, इस अधिनियम के अंतर्गत देय किसी अंशदान अथवा किसी भी योजना के अंतर्गत निधि के प्रशासन की लागत के संबंध में नियोक्ता द्वारा देय किसी भी धनराशि की वसूली समुचित सरकार द्वारा उसी तरह से की जाए, जिस तरह से भू-राजस्व के बकाया की वसूली की जाती है। इस अधिनियम के अंतर्गत देय किसी अंशदान अथवा किसी भी योजना के अंतर्गत निधि की प्रशासन-लागत के संबंध में नियोक्ता द्वारा देय किसी भी धनराशि की वसूली के लिए संबंधित राज्य सरकारों के प्रमाणपत्र अधिकारियों / राजस्व अधिकारियों को मांगपत्र भेजे जाते थे। राज्य सरकारों पर ईपीएफओ का कोई नियंत्रण न होने के कारण, वसूली की गति बहुत धीमी थी। अतः संगठन के भीतर स्वतंत्र वसूली तंत्र विकसित करने पर विचार किया गया। तदनुसार, मूल अधिनियम की धारा 8 में कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) अधिनियम 1988 (1988 का 33) द्वारा संशोधन किया गया तथा मूल अधिनियम में "केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त अथवा किसी अन्य अधिकारी द्वारा, जिसे उनके द्वारा अधिकृत किया जाए, इस संबंध में सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, उसी तरह से जिस तरह से भू-राजस्व के बकाया" शब्दों के स्थान पर "धारा 8 बी से 8 जी में विनिर्दिष्ट रीति से" शब्द, अंक व वर्ण रखे गए। वसूली अधिकारी की परिभाषा व भूमिका अधिनियम में दिनांक 1 अगस्त, 1988 से प्रभावी वर्ष 1988 के उक्त संशोधन द्वारा अधिनियम में सम्मिलित किए गए। इसके परिणामस्वरूप, स्वतंत्र वसूली तंत्र दिनांक 1 जुलाई, 1990 से अस्तित्व में आ गया तथा क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों को नाम से वसूली अधिकारियों के रूप में अधिसूचित किया गया। दिनांक 4 मार्च, 1997 से विभिन्न राज्यों में स्थित क्षेत्रीय / उप क्षेत्रीय कार्यालयों तथा संगठन के मुख्यालय में कार्यरत सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों तथा सहायक भविष्य निधि आयुक्तों को वसूली अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए अधिसूचित किया गया है। इस आशय की अधिसूचना सं.एस.ओ. 796 दिनांक 4 मार्च, 1997 सरकारी गजट में दिनांक 22 मार्च, 1997 को प्रकाशित की गई।

**4.16** वसूली बढ़ाने के लिए, मुख्यालय स्तर पर वसूली निदेशालय का सृजन किया गया है, जो वसूली के क्षेत्र में फील्ड कार्यालयों के कार्य निष्पादन की सीधे मॉनीटरिंग करता है। चूककर्ताओं के विरुद्ध अधिनियम में निम्नलिखित वसूली कार्रवाईयां दी गई हैं:

- स्थापना अथवा स्थिति के अनुसार, नियोक्ता की चल अथवा अचल सम्पत्ति की अटैचमेंट तथा बिक्री;

- नियोक्ता की गिरफ्तारी तथा उसे जेल में कैद रखना; तथा
- स्थापना अथवा स्थिति के अनुसार, नियोक्ता की चल अथवा अचल सम्पत्ति के प्रबंधन हेतु प्रापक (रिसीवर) की नियुक्ति।

#### वर्ष के दौरान बकाया प्रबंधन

4.17 वर्ष 2020-21 के दौरान योजनावार निर्धारित बकाया, वसूल की गई राशि तथा अंत शेष नीचे तालिका में दिया गया है।

| वसूल किया जाने वाला बकाया                |           |               | (रु. करोड़ों में) |
|------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------|
| क. बकाया का प्रकार                       | कुल बकाया | वसूल किया गया | अंत शेष           |
| ख. भविष्य निधि                           | 9745.27   | 1677.24       | 8068.03           |
| ग. ईपीएफ प्रशासकीय एवं निरीक्षण प्रभार   | 622.32    | 87.82         | 534.50            |
| घ. पेंशन निधि                            | 4575.87   | 739.49        | 3836.38           |
| ङ. बीमा निधि                             | 348.92    | 57.41         | 291.51            |
| च. ईडीएलआई प्रशासकीय एवं निरीक्षण प्रभार | 14.02     | 2.24          | 11.79             |
| ज. कुल (क से ङ.)                         | 15306.40  | 2564.20       | 12742.20          |
| झ. शास्तिक नुकसानी एवं ब्याज             | 4865.86   | 763.48        | 4102.39           |
| ञ. छूट प्राप्त क्षेत्र                   | 2607.11   | 1146.86       | 1460.24           |
| कुल योग (च एवं ज)                        | 17913.51  | 3711.06       | 14202.44          |

अंचलवार ब्यौरा परिशिष्ट – 4(i) से 4(iii), 4(ix), 4(xi), एवं 4(xviii) में दिया गया है।

#### अंशदान के बकाया का विभाजन (सभी तीन योजनाएँ)

4.18 12742.20 करोड़ रुपये के कुल बकाया में से 8812.69 करोड़ रुपये तत्काल न वसूले योग्य श्रेणी (एनआईआर) में आते हैं और 3929.51 करोड़ रुपये की राशि वसूली कार्यवाही के माध्यम से वसूली योग्य है।

तत्काल न वसूले योग्य श्रेणी के अंतर्गत वर्षों से बकाया की वसूली निम्नलिखित कारणों से नहीं की जा सकी है:

- न्यायालय / अधिकरण में विवादित राशि
- समापनाधीन स्थापनाएँ
- किश्तों की मंजूरी
- वे स्थापनाएँ, जिनको पुनर्स्थापना के लिए बी.आई.एफ.आर. द्वारा मंजूरी दी गई है।

4.19 बकाया मांग की तत्काल न वसूली जाने वाली राशि 69.16% है। तत्काल न वसूली योग्य श्रेणी (एनआईआर) में आने वाली चूक की श्रेणी और कारणों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

| तत्काल न वसूलने योग्य बकाया की स्थिति | मामलों की संख्या | निहित राशि (रु करोड़ों में) | कुल का % |
|---------------------------------------|------------------|-----------------------------|----------|
| कोर्ट द्वारा रोक                      | 10425            | 6808.64                     | 77.26    |
| समापनाधीन                             | 2233             | 1464.99                     | 16.62    |
| बी.आई.एफ.आर.                          | 427              | 151.16                      | 1.72     |
| अन्य                                  | 10735            | 387.90                      | 4.40     |
| कुल                                   | 23820            | 8812.69                     | 100%     |

**4.20 चूककर्ता स्थापनाओं की क्षेत्र-वार स्थिति निम्नानुसार है:-**

| क्षेत्र    | वसूल की जाने वाली राशि (रु करोड़ों में) |
|------------|-----------------------------------------|
| निजी       | 10479.31                                |
| सार्वजनिक  | 1843.22                                 |
| सहकारी     | 419.68                                  |
| <b>कुल</b> | <b>12742.20</b>                         |

**4.21** 31.03.2022 को सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्र से संबंधित तीनों योजनाओं के बकाया का अंचलवार ब्यौरा **परिशिष्ट-4 (iv)** में दिया गया है।

**4.22** 31.03.2022 को भविष्य निधि के रु 50 लाख तथा इससे अधिक चूक वाली अछूत प्राप्त स्थापनाओं का ब्यौरा **परिशिष्ट 4 (v)** पर दिया गया है तथा रु 50 लाख तथा इससे अधिक चूक वाली छूट प्राप्त स्थापनाओं की सूची **परिशिष्ट-4(vi)** पर दी गई है।

**छूट प्राप्त क्षेत्र में बकाया का प्रबंधन**

**4.23** रु 2607.11 करोड़ के बकाया में से रु. 1460.24 शेष को छोड़कर रु. 1146.86 करोड़ की वसूली की गई। विवरण **परिशिष्ट-4 (xviii)** में दिया गया है।

**4.24** छूट प्राप्त स्थापनाओं में बकाया का बड़ा हिस्सा रु. 570.41 करोड़ तेलंगाना राज्य का है, जिसके पश्चात् रु. 213.71 करोड़ दिल्ली राज्य, रु 145.16 करोड़ पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम राज्य, झारखंड रु. 122.67 करोड़ तथा राजस्थान रु. 116.12 करोड़ हैं, जो कुल बकाया का 79.99% है, जिसे **परिशिष्ट-4 (xix)** में दिया गया है।

**छूट प्राप्त क्षेत्र में चूककर्ताओं के विरुद्ध की गई कार्रवाई**

**4.25** वर्ष 2021-22 के दौरान छूट प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत चूककर्ताओं से रु 18.10 करोड़ की राशि वसूल की गई (बैंक खाता संलग्न)।

**बकाया की वसूली के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा की गई अन्य कार्रवाई**

**4.26** उपर्युक्त कार्रवाई के अतिरिक्त, वसूली की निम्नलिखित कार्रवाई के लिए सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों को निदेश भी जारी किए गए हैं:

- बकाया की वसूली के लिए राज्य सरकार की सहायता लेना।
- क्षेत्र के 10 सबसे बड़े चूककर्ताओं के नाम कार्यालय के अग्रभाग में प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करना।
- चूककर्ता नियोक्ताओं की चल और अचल सम्पत्ति की अटैचमेंट हेतु राज्य पुलिस से पूरा सहयोग लेना।
- समुचित प्राधिकारी द्वारा बंदीगृहों को सिविल कारागार के रूप में अधिसूचित कराना।
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेबसाइट पर प्रमुख चूककर्ताओं के नाम दर्शाना।

**प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई)**

**4.27 प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) 9 अगस्त, 2016 को प्रारंभ की गई थी।**

औपचारिक क्षेत्र में नई नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करने के क्रम में, योजना में प्रावधान है कि भारत सरकार कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अंतर्गत नामांकन (ईपीएफओ के साथ) करने वाले सभी नए कर्मचारियों को उनके रोजगार के पहले तीन वर्षों के लिए कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस '95) के 8.33% अंशदान का भुगतान करेगी। इसका उद्देश्य नियोक्ताओं को बेरोजगार व्यक्तियों की भर्ती के लिए प्रोत्साहित करना और अनौपचारिक कर्मचारियों को औपचारिक दायरे में लाना है। अर्ध-कुशल और अकुशल श्रमिकों के लक्षित समूह के लिए, यह योजना उन व्यक्तियों के लिए लागू थी, जिनका वेतन 15000/- रुपये प्रति माह तक था और जिन्होंने 01/04/2016 से पहले ईपीएफओ के साथ पंजीकृत किसी स्थापना में काम नहीं किया था तथा 01/04/2016 से पहले उनके पास यूएएन नहीं था।

इस योजना का दोहरा लाभ था, जहां एक ओर, नियोक्ता को स्थापना में कामगारों के रोजगार आधार को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, वहीं दूसरी ओर, बड़ी संख्या में श्रमिकों को ऐसी स्थापनाओं में रोजगार मिलेगा। एक सीधा लाभ इन कामगारों को यह होगा कि उन्हें संगठित क्षेत्र के सामाजिक सुरक्षा लाभों की प्राप्ति होगी। दोहराव त्रुटियों की जांच करने और बेईमान सदस्यों को लाभ लेने से रोकने व सही लोगों तक लाभ पहुँचाने के लिए यह अनिवार्य किया गया कि लाभार्थियों के यूएएन को आधार के साथ जोड़ा जाएगा।

कपड़ा (परिधान) क्षेत्र के मामले में जहां स्थापना विशेष रूप से पहनने के लिए परिधान के निर्माण से संबंधित है, नियोक्ता प्रधानमंत्री रोजगार परिधान प्रोत्साहन योजना (पीएमपीआरपीवाई) के अंतर्गत ईपीएफ अंशदान का 3.67% अंशदान (ईपीएस 95 योगदान का 8.33% के अलावा) सरकार से प्राप्त किए जाने के लिए भी पात्र हैं।

सरकार ने नए कर्मचारियों के लिए तीन वर्ष और मौजूदा लाभार्थियों के लिए उनके शेष सेवा के तीन वर्षों की अवधि के लिए दिनांक 01.04.2018 से सभी कर्मचारियों के लिए नियोक्ता के ईपीएफ और ईपीएस के पूरे अंशदान (10% अथवा 12%, जैसा भी मामला हो) का भुगतान करना शुरू कर दिया है। इसलिए, वे स्थापनाएं और कर्मचारी, जो पीएमआरपीवाई और पीएमपीआरपीवाई के अंतर्गत दोहरा लाभ प्राप्त कर रहे थे, अब 01.04.2018 से पीएमआरपीवाई के अंतर्गत 12% (या 10%) के पूर्ण लाभ के पात्र हैं।

सरकार ने अपने आदेश दिनांक 07.03.2019 के द्वारा दिनांक 23.02.2017 के योजना निर्देशों को संशोधित कर दिया है। इससे परिणामस्वरूप किसी भी स्थापना के लिए किसी विशेष वेतन माह के लिए पीएमआरपीवाई के अंतर्गत अग्रिम लाभ प्राप्त करने के लिए, अब यह अनिवार्य है कि इलेक्ट्रॉनिक चालान सह रिटर्न (ईसीआर) को आगामी माह की 15 तारीख तक दायर किया जाए।

स्थापना के माध्यम से लाभार्थी के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2019 थी। योजना को नियोक्ताओं से अच्छी प्रतिक्रिया मिली। तथापि शुरुआत में थोड़ी धीमी गति में, लेकिन नियोक्ता और नियोक्ता संघों और कर्मचारियों और संघ के प्रतिनिधियों दोनों के साथ संगोष्ठियों और कार्यशालाओं के आयोजन के माध्यम से मुख्यालय और ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रभावी और बड़े पैमाने पर प्रचार के साथ, प्रतिक्रिया तेजी से उठी और योजना के तहत पंजीकरण की अंतिम तिथि तक 1,85,022 स्थापनाओं ने 1,37,91,049 कर्मचारियों के साथ पंजीकरण कराया था। इसमें से मार्च 2022 तक 1,21,69,960 कर्मचारियों के संबंध में 1,52,900 स्थापनाएं 9277.17 करोड़ राशि से (पीएमआरपीवाई के तहत 9253.20 करोड़ और पीएमआरपीवाई के तहत 23.97 करोड़ रुपये) लाभान्वित हुई हैं।। वित्तीय वर्ष 2021-22 में, 3 वर्ष का रोजगार पूरा करने पर योजना से बाहर निकलने के कारण पीएमआरपीवाई लाभार्थियों की संख्या में धीरे-धीरे गिरावट आई है।

वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:

#### प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई)

| वित्तीय वर्ष | नए यूनिट लाभान्वित कर्मचारी | लाभान्वित विशिष्ट | नियोक्ता<br>वितरित सब्सिडी (रु करोड़ में) |
|--------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| 2016-17      | 33,031                      | 868               | 2,58,39,391                               |
| 2017-18      | 30,25,084                   | 39,423            | 4,91,95,73,820                            |
| 2018-19      | 87,46,888                   | 1,44,736          | 38,70,87,72,274                           |
| 2019-20      | 3,64,957                    | 1,35,760          | 33,93,59,95,284                           |
| 2020-21      | शून्य                       | 1,11,568          | 11,97,83,71,568                           |
| 2021-22      | शून्य                       | 72,735            | 2,96,45,97,008                            |

#### प्रधानमंत्री परिधान रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमपीआरपीवाई)

| वित्तीय वर्ष | नए यूनिट लाभान्वित कर्मचारी | लाभान्वित नियोक्ता | वितरित सब्सिडी (रु करोड़ में) |
|--------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 2016-17      | 3900                        | 19                 | 17,87,994                     |
| 2017-18      | 2,18,304                    | 689                | 18,75,02,672                  |
| 2018-19      | 46,840                      | 781                | 5,16,68,588                   |
| 2019-20      | लागू नहीं                   | लागू नहीं          | लागू नहीं                     |
| 2020-21      | लागू नहीं                   | लागू नहीं          | लागू नहीं                     |
| 2021-22      | लागू नहीं                   | लागू नहीं          | लागू नहीं                     |

अपर केन्द्रीय आयुक्त (मुख्यालय) पीएमआरपीवाई की पहल पर और समवर्ती ऑडिट सेल के साथ-साथ आईएस प्रभाग की सहायता से, पीएमआरपीवाई योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के डाटा की जांच की गई और इसका सत्यापन 01.04.2016 से पूर्व में विद्यमान सदस्यों के लिगेसी डाटा से विभिन्न मापदंडों जैसे, पैन, आधार, बैंक खाता, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और लाभार्थियों के लिंग आदि के आधार पर किया गया। परिणामतः बड़ी संख्या में डुप्लीकेट मामले पाए गए, जिनके पीएमआरपीवाई योजना के तहत अपात्र लाभार्थी होने का संदेह था। ऐसे खातों को अवरुद्ध कर दिया गया था और संदिग्ध यूएएन के संबंध में पीएमआरपीवाई योजना के तहत लाभों को आगे दिए की अनुमति नहीं दी गई थी।

ऐसे मामलों की सूचियों को उनकी प्रामाणिकता के सत्यापन और प्रमाणन के लिए संबंधित स्थापनाओं के लॉगिन में डाल दिया गया था। संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा सभी संबंधित स्थापनाओं को उनकी प्रामाणिकता की पुष्टि करने या उन मामलों को स्थायी रूप से अवरुद्ध करने के अनुरोध के साथ एक नोटिस भी जारी किया गया था।

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, पीएमआरपीवाई के अंतर्गत पंजीकृत लगभग 8.98 लाख यूएएन के सत्यापन को शामिल करते हुए डी-डुप्लीकेशन का कार्य पूरा किया गया था। इसमें से, नियोक्ताओं ने कुल 7,62,013 अपात्र सदस्य लाभार्थियों के संबंध में पीएमआरपीवाई के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया था, जिसकी कुल राशि लगभग 285.49 करोड़ रुपए थी। तदनुसार, आईएस डिवीजन द्वारा ब्याज और नुकसान के साथ मूल राशि की वसूली के लिए एक रिकवरी मॉड्यूल तैयार किया गया था। मार्च, 2020 तक नियोक्ताओं से प्राप्त वसूली का विवरण इस प्रकार है: -

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| मूल राशि | 268.47 करोड़ (94.04%) |
| नुकसानी  | 30.83 करोड़           |
| ब्याज    | 15.49 करोड़           |
| कुल      | 314.79 करोड़          |

इस कार्य से भारत सरकार को भारी बचत हुई है, पहला अपात्र लाभार्थियों के संबंध में पहले से वितरित सब्सिडी की वसूली करके, और दूसरा ऐसे खातों में आगे सब्सिडी वितरण को रोककर यह निश्चित रूप से माना जा सकता है कि कुल बचत 500 करोड़ रुपये से अधिक होगी।

कैबिनेट सचिवालय की आवश्यकता के अनुसार, पीएमआरपीवाई डेटा के विवरण के स्तर को आवधिक रूप से प्रयास पोर्टल में डालने के लिए आईएस डिवीजन द्वारा राज्य स्तर से जिला स्तर में बदल दिया गया था। तदनुसार, आईएस डिवीजन द्वारा पीएमआरपीवाई के डेटा को प्रयास पोर्टल में एकीकृत करने के लिए आवश्यक एपीआई विकसित किए गए थे। यह प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है और डेटा भी नियमित रूप से अपडेट किया जा रहा है।

यह योजना 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने की उम्मीद है क्योंकि मार्च, 2019 में पंजीकृत लाभार्थियों में से अंतिम को उनके शामिल होने की तारीख से तीन साल पूरे होंगे। हालाँकि, सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) नाम की एक नई योजना शुरू की गई है और उस योजना में सब्सिडी का वितरण जारी है।

4.28 आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई)

- i) केंद्र सरकार ने कोविड-19 रिकवरी चरण के दौरान नए रोजगार के अवसरों के सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए ईपीएफओ के साथ पंजीकृत स्थापनाओं के नियोक्ताओं को बेरोजगार व्यक्तियों को भर्ती करने एवं उन लोगों को पुनः रोजगार देने के लिए जो महामारी के दौरान बेरोजगार हो गए थे को सहायता प्रदान करने के लिए 01.10.2020 से आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) आरम्भ की।
- ii) यह प्रोत्साहन/लाभ नए कर्मचारियों के पंजीकरण की तिथि से 24 वेतन माह के लिए उनके ईपीएफ अंशदान के भुगतान के रूप में उपलब्ध है। 1000 कर्मचारियों तक नियोजित करने वाली स्थापनाओं के नए कर्मचारियों के संबंध में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के अंशदान यानी वेतन के 24% का भुगतान तथा 1000 कर्मचारियों से अधिक नियोजित करने वाली स्थापनाओं के नए कर्मचारियों के संबंध में केवल कर्मचारी के ईपीएफ अंशदान यानी वेतन के 12% के भुगतान के रूप में प्रोत्साहन दिया जाता है।



iii) इस योजना का उद्देश्य कुल 71.80 लाख सदस्यों को लाभ पहुंचाना है और योजना की पूरी अवधि के लिए एबीआरवाई योजना का कुल परिव्यय रु 22810 करोड़ है।

**iv) योजना के लाभ:**

- कर्मचारी का मासिक ईपीएफ अंशदान मासिक वेतन के 12% की दर से जो कर्मचारी के वेतन से काटा जाना अपेक्षित है, अब पात्र स्थापनाओं के नए कर्मचारियों के ईपीएफ खाते में केंद्र सरकार द्वारा भुगतान किया जाना है। अतः नए कर्मचारी के वेतन से 12% के अंशदान की कोई कटौती नहीं होगी और वह अधिक वेतन घर ले जा पायेगा।
- पात्र स्थापनाओं के नियोक्ताओं को अपनी स्थापना के नए कर्मचारियों के मासिक वेतन के 12% की दर से कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्पेंयो अंशदान के अपने हिस्से का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि उनकी स्थापना में कर्मचारियों की कुल संख्या सितंबर 2020 के वेतन महीने में एक हजार (1000) से कम हो। अतः नियोक्ता इस पैसे को बचाता है। यह सभी पात्र स्थापनाओं के नियोक्ताओं को अपने सभी नए कर्मचारियों को अधिक वेतन घर ले जाने हेतु नौकरी में बनाये रखने के लिए भी प्रोत्साहित करता है।

एबीआरवाई के अंतर्गत पात्र नियोक्ताओं और नए कर्मचारियों का पंजीकरण 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2022 तक उपलब्ध था।

**v) स्थापनाओं के लिए पात्रता शर्तें:**

- वेतन माह सितंबर 2020 के लिए फाईल की गई ईसीआर में ईपीएफ अंशदायी सदस्यों की संख्या कर्मचारियों का संदर्भ आधार है।
- 50 कर्मचारियों तक को रोजगार देने वाली स्थापनाओं को न्यूनतम 2 नए कर्मचारियों को जोड़ना होगा और 50 से अधिक कर्मचारियों को रोजगार देने वाली स्थापनाओं को संदर्भ आधार (तमिमतमदबम ठेम) में 5 नए कर्मचारियों को जोड़ना होगा और लाभों की पात्रता हेतु माह दर माह आधार पर संदर्भ आधार में कर्मचारियों की संख्या बनाए रखनी होगी।
- 01.10.2020 से 31.03.2022 के बीच ईपीएफओ के साथ पंजीकृत होने वाली नई स्थापनाओं के लिए, कर्मचारियों का संदर्भ आधार शून्य माना जाएगा। यदि ऐसी कोई स्थापना 20 से कम कर्मचारियों के साथ स्वेच्छा से पंजीकरण करती है और इस योजना की वैधता अवधि के दौरान 20 से कम कर्मचारियों को बनाए रखती है, तो ऐसी स्थापना को कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत वैधानिक योजनाओं से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी और लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को इस योजना की वैधता अवधि के बाद दो वर्ष की अवधि समाप्त होने तक अंतिम निकासी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

**vi) लाभार्थी— “नए कर्मचारी”**

“नया कर्मचारी” का अर्थ है रु. 15000/- प्रति माह से कम वेतन पाने वाला कोई भी कर्मचारी:

- जो 01.10.2020 से 31.03.2022 तक क.भ.नि.सं. के साथ पंजीकृत किसी स्थापना में पहली बार रोजगार ग्रहण करते हैं और जिन्हें आधार द्वारा मान्य यूएएन आवंटित किया जाता है।
- वे क.भ.नि. सदस्य जिन्होंने 01.03.2020 से 30.09.2020 के दौरान नौकरी छोड़ी है और 01.10.2020 से 31.03.2022 के बीच किसी भी क.भ.नि.सं के साथ पंजीकृत किसी स्थापना में कार्यग्रहण किया है।

नए कर्मचारी को प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए किसी भी योग्य प्रतिष्ठान में कार्यरत रहना चाहिए।

पीएमआरपीवाई / पीएमपीआरपीवाई के तहत पंजीकृत लाभार्थी होने वाले किसी भी नए कर्मचारी को लाभ उपलब्ध नहीं है।

**vii. लाभ का दावा और संवितरण:**

एबीआरवाई को लागू करने के लिए, ईपीएफओ ने नियोक्ता पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक सुविधा प्रदान की है जिससे नियोक्ता स्थापना और नए कर्मचारियों को पंजीकृत कर सकते हैं और प्रत्येक वेतन माह के लिए इलेक्ट्रॉनिक चालान सह रिटर्न (ईसीआर) के माध्यम से लाभों का दावा कर सकते हैं।

नियोक्ताओं को उस वेतन माह की समाप्ति के 60 दिनों के भीतर प्रत्येक वेतन माह के लिए नए कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों के संबंध में एक इलैक्ट्रॉनिक चालान सह रिटर्न (ईसीआर) दायर करना होगा। हालांकि, ईसीआर को देर से जमा करने के लिए धारा 7क्यू के अंतर्गत देय ब्याज की परिणामी देयता के लिए नियोक्ता उत्तरदायी होगा।

ईपीएफ/ईपीएस अंशदान के कर्मचारी तथा नियोक्ता के भाग से संबंधित लाभों को ईसीआर प्रस्तुत करते समय नियोक्ताओं को अग्रिम रूप से उपलब्ध कराया जाता है। यह राशि भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है और कर्मचारियों के खाते में क्रेडिट की जाती है। इससे लाभार्थी कर्मचारियों का टेक-होम वेतन बढ़ जाता है।

दोहराव, त्रुटियों की जांच करने और बेईमान सदस्यों को योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने से रोकने के लिए एबीआरवाई के लाभों को नए कर्मचारियों के आधार से जुड़े यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) में जमा किया जाता है।

**viii.** ईपीएफओ ने योजना के जागरूकता कार्यक्रमों को मजबूत करने के लिए और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कई कदम उठाया है। योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए, ईपीएफओ ने पंजीकरण के लिए इलैक्ट्रॉनिक सुविधाओं को लगाया है और ईपीएफ वेबसाइट पर एबीआरवाई टैब के तहत योजना दिशानिर्देश और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न भी अपलोड किए हैं और एबीआरवाई के तहत पंजीकृत नहीं होने वाले नियोक्ताओं को ईपीएफओ के नियोक्ता पोर्टल पर संदेशों के माध्यम से सूचित किया जा रहा है। ईपीएफओ के मुख्यालय और फील्ड कार्यालयों द्वारा नियोक्ताओं और नियोक्ता संघों और कर्मचारियों और संघ के प्रतिनिधियों दोनों के साथ वेबिनार और कार्यशालाओं के आयोजन के माध्यम से बड़े पैमाने पर प्रचार के माध्यम से जन जागरूकता पैदा की गई है। इसके अतिरिक्त, ईपीएफओ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी इस योजना का प्रचार कर रहा है। एबीआरवाई योजना से संबंधित क्रिएटिव और वीडियो ईपीएफओ के सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर साझा किए गए। इसके अलावा, उन स्थापनाओं को शिक्षित/प्रोत्साहित करने के लिए लक्षित प्रयास किए गए जिन्होंने अतीत में आवश्यक मानदंडों को पूरा किया है, लेकिन एबीआरवाई के तहत पंजीकृत नहीं हैं और एबीआरवाई के तहत पंजीकरण की अंतिम तिथि के बारे में उन्हें सूचित करने के लिए हर वैकल्पिक दिन पर एसएमएस भेजे गए थे।

**ix.** 31.03.2022 तक योजना के अंतर्गत प्रगति निम्नानुसार है:-

| वित्तीय वर्ष | यूनिक<br>लाभार्थी स्थापना | यूनिक लाभार्थी कर्मचारी (यूएएन) |                                |           | भुगतान की गई लाभ<br>राशि (करोड़ रुपए में) |
|--------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------------|
|              |                           | नए कर्मचारी                     | दोबारा जुड़ने वाले<br>कर्मचारी | कुल       |                                           |
| 2020-21      | 56,225                    | 10,82,073                       | 2,15,047                       | 12,97,120 | 351.07                                    |
| 2021-22      | 83,208                    | 38,07,441                       | 3,84,360                       | 41,91,801 | 4,046.36                                  |

# અધ્યાય

# 5

નિવેશ એવં લેખા

## अंशदान की दर

**5.1** अधिनियम के अंतर्गत नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों द्वारा अदा किए जाने वाले भविष्य निधि अंशदान की दर समय-समय पर संशोधित होती रही है। अंशदान की वर्तमान दर विभिन्न योजनाओं के वित्त – पोषण हेतु वेतन के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक प्रभार के साथ नीचे दी गई है:

|               | अंशदान लेखे<br>(अंशदान की दर) |             |             | प्रशासन लेखे<br>(अंशदान की दर) |             | कुल          |
|---------------|-------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------|
|               | ईपीएफ                         | ईपीएस       | ईडीएलआई     | ईपीएफ(*)                       | ईडीएलआई     |              |
| नियोक्ता      | 3.67                          | 8.33        | 0.50        | 0.50                           | 0.00        | 13.00        |
| कर्मचारी      | 12.00                         | 0.00        | 0.00        | 0.00                           | 0.00        | 12.00        |
| केन्द्र सरकार | 0.00                          | 1.16        | 0.00        | 0.00                           | 0.00        | 1.16         |
| <b>कुल</b>    | <b>15.67</b>                  | <b>9.49</b> | <b>0.50</b> | <b>0.50</b>                    | <b>0.00</b> | <b>26.16</b> |

(\*) दिनांक 01. 06. 2018 से प्रभावी

**5.2** नियोक्ता तथा कर्मचारी दोनों के लिए अंशदान दर वर्तमान में वेतन का 12% है, जिसमें प्रशासनिक प्रभार एवं ईडीएलआई योजना में अंशदान सम्मिलित नहीं है। ईडीएलआई योजना के तहत नियोक्ता, ईपीएफ एवं अंशदान के समग्र प्रशासनिक प्रभार का वहन करता है। ईपीएस में भारत सरकार वेतन के 1.16% की दर से अंशदान देती है। केवल निम्नलिखित स्थापना-वर्गों हेतु नियोक्ता तथा कर्मचारी दोनों के लिए अंशदान दर वेतन का 10% है।

- कोई स्थापना जिसमें 20 से कम कर्मचारी नियोजित हैं;
- कोई रुग्ण औद्योगिक कंपनी, जिसे रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (1986 का अधिनियम 1) की धारा 3 की उपधारा (I) के खंड (O) में परिभाषित किया गया है तथा जिसे अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत स्थापित औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड में संदर्भ के पंजीकरण की तिथि पर अथवा तिथि से प्रारम्भ होने की अवधि तथा उस तिथि पर समाप्त, जब से अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2) के अंतर्गत पारित आदेशों से उक्त स्थापना का कुल मूल्य सकारात्मक हो जाता है अथवा अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत स्वीकृत योजना के क्रियान्वयन की अंतिम तिथि से उक्त बोर्ड द्वारा रुग्ण घोषित किया गया हो
- कोई स्थापना, जिसने किसी वित्तीय वर्ष के अंत में अपने संपूर्ण शुद्ध मूल्य अर्थात् अदा की गई पूंजी की कुल राशि एवं फ्री रिजर्व के बराबर अथवा उससे अधिक घाटा उठाया हो तथा जिसने ऐसे वित्तीय वर्ष में तथा ऐसे वित्तीय वर्ष के ठीक पहले के वित्तीय वर्ष में रोकड़ हानि भी उठाई हो।
- (क) जूट उद्योग (ख) बीड़ी उद्योग (ग) ईट उद्योग (घ) बुनाई क्षेत्र के अतिरिक्त क्वायर उद्योग और (ड.) गौर-गम फैक्ट्रियों में कोई स्थापना;

**5.3** निम्नलिखित सारणी में अधिनियम के प्रारंभ की तिथि से निर्दिष्ट अवधि हेतु नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों दोनों के लिए भिन्न-भिन्न अंशदान दरों का उल्लेख है।

| वर्ष 1952 से अंशदान की दर   |                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अवधि                        | अंशदान की दर                                                                                                               |
| 01.11.1952 से<br>31.03.1956 | नियोक्ता एवं कर्मचारी दोनों द्वारा कुल मूल वेतन, मंहगाई भत्ता एवं भोजन पर छूट के प्रत्येक रूप पर एक आना।                   |
| 01.04.1956 से<br>31.03.1971 | कर्मचारी द्वारा कुल मूल वेतन, मंहगाई भत्ता एवं भोजन पर छूट की धनराशि का 6¼%। नियोक्ता द्वारा बराबर की राशि अदा की जाती थी। |

| वर्ष 1952 से अंशदान की दर   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अवधि                        | अंशदान की दर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 01.04.1971 से<br>31.07.1988 | कर्मचारी द्वारा कुल मूल वेतन, मंहगाई भत्ता एवं भोजन पर छूट की धनराशि का 6¼%। नियोक्ता द्वारा बराबर की राशि अदा की जाती थी।                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                             | 31 मार्च, 1972 को 8 प्रतिशत की बढ़ी हुई दर (नियोक्ता व कर्मचारी दोनों के लिए) ऐसी स्थापनाओं पर लागू की गई, जिनमें 50 या अधिक कर्मचारी नियोजित थे।                                                                                                                                                                                                                                     |
| 01.08.1988 से<br>31.05.1990 | प्रत्येक कर्मचारी, जो 1 अगस्त, 1988 से अंशदाता है, को देय मूल वेतन, मंहगाई भत्ता (भोजन में छूट की राशि सहित) एवं प्रतिधारण भत्ता (यदि कोई है) का 8⅓%।                                                                                                                                                                                                                                 |
| 01.06.1990 से<br>08.04.1997 | प्रत्येक कर्मचारी, जो 1 अगस्त, 1988 से अंशदाता हैं, को देय मूल वेतन, मंहगाई भत्ता (भोजन में छूट की राशि सहित) एवं प्रतिधारण भत्ता (यदि कोई है) का 8⅓%।                                                                                                                                                                                                                                |
|                             | 31 मार्च, 1991 को 10% की बढ़ी हुई दर, ऐसी स्थापनाओं पर लागू की गई, जिनमें 50 या अधिक कर्मचारी नियोजित थे।                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 09.04.1997 से<br>21.09.1997 | 5 श्रेणियों के उद्योगों/स्थापनाओं को, छोड़कर अन्य सभी के लिए भविष्य निधि अंशदान की दर 8⅓% से 10% तक बढ़ाते हुए दिनांक 9 अप्रैल, 1997 को अधिसूचना जारी की गई थी। इसके साथ 5 श्रेणियों के उद्योगों/स्थापनाओं को दिनांक 01.05.1997 से 8⅓% की दर से भविष्य निधि अंशदान का भुगतान करना था, जब कि शेष श्रेणियों के उद्योगों/स्थापनाओं को 10% की दर से भविष्य निधि अंशदान का भुगतान करना था। |
| 22.09.1997 के बाद           | 5 श्रेणियों के उद्योगों/स्थापनाओं को 10% की दर से भविष्य निधि अंशदान का भुगतान करना था, जबकि शेष श्रेणियों के उद्योगों/स्थापनाओं को 12% की दर से भविष्य निधि अंशदान का भुगतान करना था।                                                                                                                                                                                                |

### प्राप्त अंशदान (सभी तीन योजनाएं)

5.4 वर्ष 2021-22 के दौरान, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952, कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 तथा कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976 के संबंध में संगठन द्वारा अछूट प्राप्त स्थापनाओं से निम्नलिखित अंशदान एकत्रित किए गए थे:

| अछूट प्राप्त स्थापनाओं से प्राप्त भविष्य निधि अंशदान*<br>(करोड़ रु में) |                                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
|                                                                         | योजना                               | 2021.22    |
| 1.                                                                      | कर्मचारी भविष्य निधि योजना:         | 169,855.05 |
| 2.                                                                      | कर्मचारी पेंशन योजना:               |            |
|                                                                         | क) नियोक्ता का अंशदान               | 49,719.98  |
|                                                                         | ख) सरकार का अंशदान                  | 7,806.20   |
|                                                                         | कुल:                                | 57,526.18  |
| 3.                                                                      | कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना: |            |
|                                                                         | नियोक्ता का अंशदान                  | 2,568.47   |

\*अलेखापरीक्षित

भविष्य निधि

5.5 पिछले चार वर्षों के दौरान प्राप्त भविष्य निधि अंशदान का विवरण नीचे दिया गया है:-

| प्राप्त भविष्य निधि अंशदान (रूपए करोड़ों में) |                      |                              |
|-----------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| वर्ष                                          | अछूट-प्राप्त क्षेत्र | प्रतिशत में वर्ष-वार भिन्नता |
| 2021-22*                                      | 169,855.05           | 29.98                        |
| 2020-21                                       | 130,675.45           | 5.07                         |
| 2019-20                                       | 1,24,365.85          | 17.54                        |
| 2018-19                                       | 1,05,804.25          | 13.20                        |
| 2017-18                                       | 93,468.73            | 14.98                        |

\*अलेखापरीक्षित

पेंशन निधि

5.6 पूर्ववर्ती कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 की परिवार पेंशन निधि में कर्मचारी के वेतन का 1.16% नियोक्ता से तथा उतना ही कर्मचारी से अंशदान जमा किया जाना अनिवार्य था। केन्द्र सरकार ने भी सदस्यों के वेतन का 1.16% पेंशन निधि में अंशदान किया है। वर्तमान पेंशन योजना वर्ष 1995 में आरंभ हुई। बंद हो चुकी परिवार पेंशन योजना की संचित निधि वर्तमान पेंशन योजना के कॉर्पस का भाग है।

5.7 पेंशन योजना का वित्तपोषण सदस्य के वेतन के 8.33% की दर पर नियोक्ता के अंशदान से किया जाता है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार सदस्यों के वेतन के 1.16% की दर से अंशदान करती है।

5.8 निम्नलिखित सारणी में गत पांच वर्षों में पेंशन निधि में प्राप्त अंशदान दर्शाया गया है:

| वर्ष     | नियोक्ता का अंशदान (रु. करोड़ों में) | केन्द्र सरकार का अंशदान (रु. करोड़ों में) | % में वर्षवार भिन्नता (दोनों अंशदान) |
|----------|--------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| 2021-22* | 49,719.98                            | 7,806.20                                  | 13.77                                |
| 2020-21  | 44,009.53                            | 6,552.48                                  | -2.67                                |
| 2019-20  | 44,448.55                            | 7,504.59                                  | 11.34                                |
| 2018-19  | 40,259.74                            | 6,401.90                                  | 10.11                                |
| 2017-18  | 36,618.23                            | 5,757.42                                  | 16.44                                |

\*अलेखापरीक्षित

बीमा निधि

5.9 नियोक्ताओं को बीमा निधि में कर्मचारी के वेतन के 0.5% की दर से (अधिकतम वेतन 15,000/- प्रतिमाह) अंशदान करना होता है। वर्ष 2020-21 के दौरान रु. 2,185 करोड़ की तुलना में वर्ष 2021-22 के दौरान, रु. 2,568.47 करोड़ की राशि प्राप्त हुई थी।

5.10 वर्ष 2021-22 हेतु सभी तीन योजनाओं (अछूट प्राप्त क्षेत्र) के अंशदान लेखों में प्राप्ति एवं भुगतान का अंचल-वार ब्योरा परिशिष्ट-5(i) पर दिया गया है।

प्रशासनिक लेखा

5.11 कर्मचारी भविष्य निधि को प्रशासित करने का व्यय कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 54 में जैसा उल्लेख है, अछूट प्राप्त एवं छूट प्राप्त स्थापनाओं के नियोक्ताओं से निर्धारित दरों पर वसूले गए क्रमशः प्रशासकीय एवं निरीक्षण प्रभार से किया जाता है। कर्मचारी



भविष्य निधि योजना, 1952 का पैरा 38 एवं 39 निर्धारित करता है कि कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 का अनुपालन करने वाली अछूत प्राप्त स्थापनाओं के नियोक्ताओं को प्रशासनिक प्रभार का भुगतान करना होगा। अधिनियम की धारा 17(3) यह निर्धारित करती है कि प्रत्येक माह छूट प्राप्त स्थापनाओं द्वारा निरीक्षण प्रभार का भुगतान किया जाए।

- निधि के संसाधन तथा योजना को चलाने के लिए होने वाले व्यय को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय न्यासी बोर्ड, ईपीएफ जिस दर की सिफारिश करता है, उसके आधार पर नियोक्ताओं से प्रशासनिक/निरीक्षण प्रभारों की वसूली की जाती है। केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश पर प्रशासनिक प्रभार एवं निरीक्षण प्रभार की दरें केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की गई हैं तथा गजट में अधिसूचित की गई हैं।
- समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किए गए प्रशासनिक प्रभार एवं निरीक्षण प्रभार की दरें निम्न प्रकार हैं:-

| अछूत प्राप्त स्थापनाओं के नियोक्ताओं द्वारा देय प्रशासकीय प्रभार |       |                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अवधि                                                             | दर    | जिस पर गणना की गई                                                                                                                                                                                                      |
| 01.11.1952 से<br>31.12.1962                                      | 3%    | नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों के कुल अंशदान।                                                                                                                                                                              |
| 01.01.1963 से<br>30.09.1964                                      | 3%    | 6.25% की दर से देय नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों का कुल अंशदान।                                                                                                                                                           |
|                                                                  | 2.4%  | 8% की दर से देय नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों का कुल अंशदान।                                                                                                                                                              |
| 01.10.1964 से<br>30.11.1978                                      | 0.37% | कुल वेतन जिस पर अंशदान देय है।                                                                                                                                                                                         |
| 01.12.1978 से<br>30.09.1986                                      | 0.37% | कुल वेतन जिस पर अंशदान देय है। न्यूनतम प्रशासनिक प्रभार प्रतिमाह प्रति स्थापना रु. 5/- देय है।                                                                                                                         |
| 01.10.1986 से<br>31.07.1998                                      | 0.65% | कुल वेतन जिस पर अंशदान देय है। न्यूनतम प्रशासनिक प्रभार प्रतिमाह प्रति स्थापना रु. 5/- देय है।                                                                                                                         |
| 01.08.1998 से<br>31.12.2014                                      | 1.10% | कुल वेतन जिस पर अंशदान देय है। न्यूनतम प्रशासनिक प्रभार प्रतिमाह प्रति स्थापना रु. 5/- देय है।                                                                                                                         |
| 01.01.2015 से<br>31.03.2017                                      | 0.85% | कुल वेतन जिस पर अंशदान देय है। प्रत्येक ऐसी स्थापना जो कार्यरत नहीं है, जिसके कोई अंशदायी सदस्य नहीं है, के लिए न्यूनतम राशि रु. 75/- प्रतिमाह है और अन्य स्थापनाओं के लिए रु. 500/- प्रतिमाह प्रति स्थापना है।        |
| 01.04.2017 से<br>31.05.2018                                      | 0.65% | कुल वेतन जिस पर अंशदान देय है। प्रत्येक ऐसी स्थापना जो कार्यरत नहीं है जिसके कोई अंशदायी सदस्य नहीं है, के लिए न्यूनतम राशि रु. 75/- प्रतिमाह है और अन्य स्थापनाओं के लिए रु. 500/- प्रतिमाह प्रति स्थापना है।         |
| 01.06.2018 से<br>आगे                                             | 0.50% | कुल वेतन जिस पर अंशदान देय है। प्रत्येक ऐसी स्थापना जो कार्यरत नहीं है स्थापना जिसके कोई अंशदायी सदस्य नहीं है, के लिए न्यूनतम राशि रु. 75/- प्रतिमाह है और अन्य स्थापनाओं के लिए रु. 500/- प्रतिमाह प्रति स्थापना है। |

| छूट प्राप्त स्थापनाओं के नियोक्ताओं द्वारा देय निरीक्षण प्रभार |       |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|
| अवधि                                                           | दर    | जिस पर गणना की गई                                               |
| 01.11.1952 से<br>31.12.1962                                    | 0.75% | 6.25% की दर से देय नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों के कुल अंशदान पर। |
| 01.01.1963 से<br>30.09.1964                                    | 0.75% | 6.25% की दर से देय नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों के कुल अंशदान पर। |
|                                                                | 0.60% | 8% की दर से देय नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों के कुल अंशदान पर।    |
| 01.10.1964 से<br>31.07.1998                                    | 0.09% | कुल वेतन जिस पर अंशदान देय है।                                  |
| 01.08.1998 से आगे                                              | 0.18% | कुल वेतन जिस पर अंशदान देय है।                                  |

5.12 कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 से संबंधित वर्ष 2021-22 के प्रशासन लेखे की आय एवं व्यय निम्नानुसार है:

| आय-व्यय लेखा (रु. करोड़ों में) |                                                                   | 2021-22*        |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>आय:</b>                     |                                                                   |                 |
| क                              | प्रशासनिक, निरीक्षण प्रभार एवं शास्तिक नुकसानी (7क्यू ब्याज सहित) | 4,487.00        |
| ख                              | निवेश पर ब्याज                                                    | 1,918.83        |
| ग                              | अन्य लेखों से प्राप्तियां                                         | 43.91           |
| घ                              | विविध प्राप्तियां                                                 | 15.25           |
|                                | <b>कुल</b>                                                        | <b>6,464.99</b> |
| <b>व्यय:</b>                   |                                                                   |                 |
| क                              | राजस्व व्यय                                                       | 4,347.12        |
| ख                              | अन्य लेखों में भुगतान                                             | 43.91           |
|                                | <b>कुल</b>                                                        | <b>4,391.03</b> |
| व्यय पर आय की अधिकता           |                                                                   | 2,073.97        |

\*अलेखापरीक्षित

### प्रशासनिक राजस्व

5.13 वर्ष 2021-22 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 तथा कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976 के संबंध में नियोक्ताओं से वसूल किए गए प्रशासनिक राजस्व का विवरण नीचे दिया गया है:

| स्थापनाओं से प्राप्त प्रशासकीय/निरीक्षण प्रभार एवं शास्तिक नुकसानी (रु. करोड़ों में)* |                                    |                 |               |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
|                                                                                       | विवरण                              | ईपीएफ योजना     | ईडीएलआई योजना | कुल             |
| 1                                                                                     | प्रशासकीय प्रभार                   | 4,103.17        | 25.51         | 4,128.68        |
| 2                                                                                     | निरीक्षण प्रभार                    | 350.84          | 6.64          | 357.49          |
| 3                                                                                     | शास्तिक नुकसानी (7क्यू ब्याज सहित) | 32.99           | 2.24          | 35.22           |
|                                                                                       | <b>कुल</b>                         | <b>4,487.00</b> | <b>34.39</b>  | <b>4,521.39</b> |

\*अलेखापरीक्षित

**5.14** बीमा योजना के अंतर्गत छूट प्राप्त स्थापनाओं को निरीक्षण प्रभार का भुगतान वेतन के 0.005% की दर से करना होता है, जो रु. 1/- प्रतिमाह से कम न हो।

**5.15** कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत वर्ष 2020-21 के दौरान रु. 3,797.36 करोड़ की तुलना में वर्ष 2021-22 के दौरान रु. 4,487.00 करोड़ प्रशासनिक प्रभार के रूप में वसूल किए गए। ईडीएलआई योजना के अंतर्गत प्रशासनिक/निरीक्षण प्रभार, नुकसानी एवं लगाए गए ब्याज के रूप में वर्ष 2020-21 के दौरान रु. 27.99 करोड़ की तुलना में वर्ष 2021-22 के दौरान रु. 34.39 करोड़ की वसूली की गई।

#### 5.16 ईपीएफओ में निधि का निवेश

i. ईपीएफओ में धन का निवेश श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना एस.ओ. 1071 (ई) दिनांक 23 अप्रैल 2015 (ईपीएफ योजना 1952 के पैरा 52 के अनुसार) द्वारा अधिसूचित निवेश पैटर्न के अनुसार किया जाता है जिसे पुनः नीचे प्रस्तुत किया गया है।

एस ओ. 1071 (ई) – कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 52 के उप-पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और श्रम मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक एस.ओ. 3450 (ई) दिनांक 21 नवंबर 2013 का अधिक्रमण करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि निधि से संबंधित सभी वृद्धिशील जमाएं निम्नलिखित पैटर्न के अनुसार निवेश की जाएंगी:

| श्रेणी | निवेश पद्धति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | निवेश की जाने वाली राशि का प्रतिशत |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| (i)    | <p><b>सरकारी प्रतिभूतियां एवं संबंधित निवेश</b></p> <p>(ए) सरकारी प्रतिभूतियां,</p> <p>(बी) अन्य प्रतिभूतियां (प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) अधिनियम, 1956) की धारा 2 (एच) में परिभाषित प्रतिभूतियां) जिसका मूल तथा ब्याज पूर्णतः एवं बिना किसी शर्त के केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा गारंटीड होगा।</p> <p>प्रतिभूतियों की इस उप श्रेणी के अंतर्गत निवेशित पोर्टफोलियो निधि के कुल पोर्टफोलियो के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए।</p> <p>(सी) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए प्रतिबद्ध निधि के रूप में म्युचुअल फंड के यूनिट स्थापित किए जाते हैं, जिसे भारत के प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड द्वारा विनियमित किया जाता है:</p> <p>बशर्ते कि ऐसे म्युचुअल फंड में निवेशित पोर्टफोलियो किसी भी समय निधि के कुल पोर्टफोलियो के 5% से अधिक न हो तथा उनमें किया गया नया निवेश वर्ष में निवेशित अभिवृद्धि से 5% अधिक नहीं होना चाहिए।</p> | <b>(1) न्यूनतम 45% एवं 65% तक</b>  |
| (ii)   | <p><b>ऋण तंत्र एवं संबंधित निवेश</b></p> <p>(ए) कॉरपोरेट निकायों द्वारा जारी सूचीबद्ध (अथवा नए मामले में सूचीबद्ध करने के लिए प्रस्तावित) ऋण प्रतिभूतियों, जिसमें बैंक एवं सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों (सार्वजनिक वित्तीय संस्थान कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 के अंतर्गत परिभाषित), जिसमें निवेश की तिथि से तीन वर्ष की अवधि की न्यूनतम अवशिष्ट परिपक्वता अवधि हो।</p> <p>(बी) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत अनुसूचित कमर्शियल बैंकों द्वारा जारी बेसल-III टियर-1 बॉन्ड:</p> <p>बशर्ते बॉन्ड के प्रारंभिक प्रस्ताव में निवेश केवल ऐसे टियर-1 बॉन्ड में किया गया हो, जो सूचीबद्ध करने हेतु प्रस्तावित हो।</p> <p>बशर्ते कि केवल सैकेंडरी मार्केट से अनुसूचित व्यावसायिक बैंक के ऐसे बॉन्डों में केवल तभी निवेश किया जाए, जब ऐसे टियर-1 बॉन्ड सूचीबद्ध हों तथा जिनमें नियमित रूप से कारोबार होता हो।</p>                       | <b>(2) न्यूनतम 20% एवं 45% तक</b>  |

| श्रेणी | निवेश पद्धति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | निवेश की जाने वाली राशि का प्रतिशत |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|        | <p>किसी भी समय, इस उप श्रेणी में निवेशित कुल पोर्टफोलियो, निधि के कुल पोर्टफोलियो के 2% से अधिक न हो।</p> <p>प्रारंभिक प्रस्ताव में इस उप श्रेणी में कोई निवेश प्रारंभिक प्रस्ताव के 20% से अधिक न हो। साथ ही, किसी भी समय निधि द्वारा किसी विशेष बैंक के ऐसे टियर-। बॉन्डों का औसत मूल्य, उस बैंक द्वारा उस समय जारी ऐसे बॉन्डों के 20% से अधिक न हो।</p> <p>(सी) पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक की संस्थाओं, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम एवं एशियन विकास बैंक द्वारा जारी कम से कम 3 वर्ष के लिए लंबित परिपक्वता वाले रुपये बॉन्ड (डी) सूचीबद्ध व्यावसायिक बैंकों द्वारा जारी एक वर्ष से कम अवधि की आवधिक जमा प्राप्तियां, जो पिछले वर्षों में प्रकाशित वार्षिक रिपोर्टों के आधार पर निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती हैं, नियम के अंतर्गत प्रकाशित करना अपेक्षित है:</p> <p>i. पिछले तीन वित्तीय वर्षों में लाभ दर्शाया हो;</p> <p>ii. 9% न्यूनतम कैपिटल टू रिस्क वेटेज परिसंपत्ति अनुपात बरकरार रखा गया हो अथवा जैसा कि वर्तमान भारतीय रिजर्व बैंक मानकों द्वारा अनिवार्य है, जो भी उच्च हो;</p> <p>iii. कुल अग्रिमों के 4% से अधिक गैर-सक्रिय परिसंपत्तियां न हो;</p> <p>iv. न्यूनतम पूंजी 200 करोड़ रुपये से कम न हो;</p> <p>(ई) भारत के प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड द्वारा विनियमित ऋण म्युचुअल निधि की यूनितें:</p> <p>बशर्ते कि वर्ष में निवेश अभिवृद्धियों के 5% से अधिक ऋण म्युचुअल निधियों में ताजा निवेश न हो तथा उनमें निवेशित पोर्टफोलियो किसी भी समय निधि के कुल पोर्टफोलियो के 5% से अधिक न हो।</p> <p>(एफ) इन्फ्रास्ट्रक्चर से संबंधित निम्नलिखित ऋण तंत्र :</p> <p>(i) आधारभूत ढांचे के रखरखाव, अथवा विकास अथवा कम लागत के आवास के निर्माण अथवा प्रचालन कार्य में प्रमुख रूप से कार्यरत कार्पोरेट निकाय द्वारा जारी की गई सूचीबद्ध (नये इश्यू के मामले में सूचीबद्ध करने के लिए प्रस्तावित) ऋण प्रतिभूतियां।</p> <p>इसके अतिरिक्त, इस श्रेणी में भारतीय रेलवे अथवा कोई भी कार्पोरेट निकाय जिसमें इसकी अधिकांश शेयरभागिता हो, द्वारा जारी प्रतिभूतियां भी सम्मिलित हैं।</p> <p>इस श्रेणी में सरकार के किसी प्राधिकरण द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियां भी शामिल हैं, जो कि कार्पोरेट निकाय नहीं है और जिनका गठन केवल आधारभूत ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए किया गया है।</p> <p>यह भी स्पष्ट किया जाता है कि केन्द्र सरकार, रेलवे विभाग अथवा सरकार के किसी भी प्राधिकरण द्वारा आधारभूत ढांचे के व्यापार में कार्यरत किसी कार्पोरेट निकाय द्वारा जारी की गई किसी प्रतिभूति के लिए जारी किया गया "लैटर ऑफ कम्फर्ट" अथवा कोई भी सरचनात्मक बाध्यता, जो कि लैटर ऑफ कम्फर्ट में दी गई शर्तों के अनुरूप नहीं हो और ऊपर श्रेणी (i) (बी) के अंतर्गत अभिमुख प्रतिभूति के रूप में शामिल न हो, उसे इस उप श्रेणी के अंतर्गत पात्र प्रतिभूति माना जाएगा।</p> |                                    |

| श्रेणी | निवेश पद्धति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | निवेश की जाने वाली राशि का प्रतिशत |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|        | <p>(ii) किसी भी अधिसूचित व्यावसायिक बैंक द्वारा वहन करने योग्य हाउसिंग तथा आधारभूत ढांचा बान्ड्स, जो कि उपर्युक्त श्रेणी (ii) (डी) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूर्ण करता हो।</p> <p>(iii) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में कार्यरत आधारभूत ढांचा ऋण फंडों द्वारा जारी की गई सूचीबद्ध प्रतिभूतियां (या नए इश्यू के मामले में सूचीबद्ध करने के लिए प्रस्तावित।)</p> <p>(iv) भारत के प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड द्वारा विनियमित तथा म्यूचुअल फंड के रूप में कार्यरत आधारभूत ढांचा ऋण फंडों द्वारा जारी किए गए सूचीबद्ध (नये इश्यू के मामले में सूचीबद्ध करने के लिए प्रस्तावित) यूनिट्स।</p> <p>यह स्पष्ट किया जाता है, कि उपर्युक्त उल्लिखित अपवादों को छोड़कर, इस उप श्रेणी (एफ) के लिए एक सैक्टर को भारत सरकार के आधारभूत ढांचे को सुसंगत मास्टरलिस्ट के अनुसार आधारभूत ढांचे का भाग माना जाएगा।</p> <p>बशर्ते कि इस श्रेणी संख्यान (ii) की उपश्रेणियों (ए), (बी) तथा (एफ) (i) से (iv) के अंतर्गत किया गया निवेश केवल उन्हीं प्रतिभूतियों में किया जाएगा अथवा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (साख रेटिंग एजेंसी) विनियम, 1999 के समक्ष पंजीकृत कम से कम दो साख रेटिंग एजेंसियों से लागू रेटिंग स्केल में जिनकी न्यूनतम एए रेटिंग अथवा उसके समकक्ष है। बशर्ते कि उप श्रेणी (एफ) (iii) के मामले में रेटिंग गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से संबद्ध हो और उप श्रेणी (एफ) (iv) के अंतर्गत रेटिंग निधि की योजना के निवेश ग्रेड से ऊपर रेट की गई पात्र प्रतिभूतियों में निवेश से संबद्ध हो।</p> <p>बशर्ते यह भी कि यदि प्रतिभूतियों/संस्थाओं को दो से अधिक रेटिंग एजेंसियों द्वारा रेट किया गया है तो सभी रेटिंग में दो न्यूनतम पर विचार किया जाएगा।</p> <p>बशर्ते यह भी कि इस श्रेणी के अंतर्गत निवेश के लिए न्यूनतम एए रेटिंग की आवश्यकता होगी, जैसा कि ऊपर विनिर्दिष्ट किया गया है, कि उन प्रतिभूतियों में निवेश की अनुमति होगी जिनमें निवेश ग्रेड रेटिंग एए से कम होगी और उस मामले में जब ऐसी प्रतिभूतियों में चूक का जोखिम भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत जारी क्रेडिट डिफॉल्टज स्वैप्स (सी.डी.एस.एस.) से कवर किया गया हो तथा अंडरलाईंग प्रतिभूतियों के साथ खरीदा गया हो। इस प्रकार के स्वैप्स की खरीद राशि को इस श्रेणी के अंतर्गत किया गया निवेश माना जाएगा।</p> <p>उप श्रेणी (सी) हेतु घरेलू अथवा अंतर्राष्ट्रीय साख एजेंसी द्वारा एए की एकल रेटिंग स्वीकार्य होगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त श्रेणी (i) (बी) के अंतर्गत कवर्ड ऋण प्रतिभूतियां इस श्रेणी (ii) से अपवर्जित हैं।</p> <p>(जी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा विनियमित डेट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) की इकाइयां और भारत सरकार के साथ एक समझौते के अनुसार नियुक्त एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी जिसका उद्देश्य विशेष रूप से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई), केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू), केंद्रीय सार्वजनिक वित्तीय संस्थान (सीपीएफआई) और अन्य सरकारी संगठनों के बांड में निवेश करना है।</p> |                                    |

| श्रेणी | निवेश पद्धति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | निवेश की जाने वाली राशि का प्रतिशत |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| (iii)  | <p><b>लघु अवधि ऋण इन्स्ट्रुमेंट्स तथा संबंधित निवेश</b></p> <p>मुद्रा बाजार इन्स्ट्रुमेंट्स:</p> <p>बशर्ते कि कॉर्पोरेट निकाय द्वारा जारी किए गए वाणिज्यिक दस्तावेज में निवेश केवल उन इन्स्ट्रुमेंट्स में किया जाएगा, जिनकी भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड के समक्ष पंजीकृत न्यूनतम दो साख रेटिंग एजेंसियों से न्यूनतम रेटिंग ए1+ है।</p> <p>बशर्ते कि यदि वाणिज्यिक दस्तावेज की रेटिंग दो से अधिक रेटिंग एजेंसी द्वारा की गई है, तो दो न्यूनतम रेटिंग को माना जाएगा।</p> <p>बशर्ते कि अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी एक वर्ष तक की अवधि के जमा प्रमाणपत्र की इस उप श्रेणी में निवेश के लिए बैंक को उपर्युक्त श्रेणी (ii) (डी) में उल्लिखित सभी शर्तों को पूर्ण करना होगा।</p> <p>(बी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड द्वारा विनियमित तरल म्यूचुअल फंडों के यूनिट्स।</p> <p>(सी) अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक, जो कि उपर्युक्त श्रेणी (ii) (डी) में उल्लिखित सभी शर्तों को पूर्ण करते हैं, के द्वारा जारी एक वर्ष तक की अवधि के लिए सावधि जमा प्राप्तियां।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5% तक                              |
| (iv)   | <p><b>इक्विटी एवं संबंधित निवेश</b></p> <p>(ए) बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बी.एस.ई.) अथवा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एन.एस.ई.) पर सूचीबद्ध कॉर्पोरेट निकाय के शेयर, जिनका:</p> <p>(i) निवेश की तिथि को बाजार पूंजीकरण 5000 करोड़ रु. से कम न होय तथा</p> <p>(ii) दोनों में से किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में अंडरलाईंग ट्रेड किए गए शेयरों के साथ डेराईवेटिव्स।</p> <p>(बी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड द्वारा विनियमित म्यूचुअल फंडों के यूनिट्स, जिनके निवेश का 65% बी.एस.ई. अथवा एन.एस.ई. में सूचीबद्ध कॉर्पोरेट निकाय के शेयरों में है।</p> <p>बशर्ते कि ऐसे म्यूचुअल फंडों में भी कभी कुल पोर्टफोलियो के 5: से अधिक का निवेश नहीं किया जाएगा और इन म्यूचुअल फंडों में नया निवेश, वर्ष में नई वृद्धि के 5: से अधिक नहीं हो।</p> <p>(सी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड द्वारा विनियमित एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ई.टी.एफ.) इंडेक्स फंड्स, जो कि बी.एस.ई. सेंसेक्स इंडेक्स अथवा एन.एस.ई. निफ्टी 50 इंडेक्स के पोर्टफोलियो को रिप्लिकेट करता हो।</p> <p>(डी) कॉर्पोरेट निकायों में भारत सरकार के शेयरधारिता के निवेश हेतु विशेष रूप से निर्मित भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा विनियमित म्यूचुअल फंडों द्वारा जारी ई.टी.एफ.।</p> <p>(ई) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड द्वारा विनियमित विनियम व्यापार डेराईवेटिव्स, जो किसी स्वीकृत सूचीबद्ध स्टॉक में इंगित या केवल बचाव के उद्देश्य से कोई स्वीकृत संकेतक हो।</p> <p>बशर्ते कि अनुबंध मूल्य के संदर्भों में डेराईवेटिव्स में निवेशित पोर्टफोलियो, उपर्युक्त उप श्रेणियों (ए) से (डी) में निवेशित कुल पोर्टफोलियो के 5: से अधिक नहीं होगा।</p> | न्यूनतम 5% तथा<br>15% तक           |



| श्रेणी | निवेश पद्धति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | निवेश की जाने वाली राशि का प्रतिशत |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| (v)    | <p><b>परिसंपत्ति आधारित न्यासी ढांचे तथा विविध निवेश</b></p> <p>(ए) व्यापारिक बंधक आधारित प्रतिभूतियां या आवासीय बंधक आधारित प्रतिभूतियां।</p> <p>(बी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड द्वारा नियंत्रित रियल एस्टेट निवेश न्यासों के द्वारा जारी प्रतिभूतियों की यूनिट।</p> <p>(सी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड द्वारा नियंत्रित परिसंपत्ति समर्थित प्रतिभूतियां।</p> <p>(डी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड द्वारा नियंत्रित संरचनात्मक निवेश न्यासों के यूनिट्स।</p> <p>(ई) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा विनियमित श्रेणी I और श्रेणी II वैकल्पिक निवेश निधि (ए आई एफ) द्वारा जारी इकाइयाँ।</p> <p>बशर्ते कि निवेश "उप-श्रेणियों (ए) से (डी)" में केवल सूचीबद्ध इंस्ट्रुमेंट्स या ताजा मामलों में होगा जिन्हें सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है।</p> <p>बशर्ते यह भी कि इस श्रेणी के अंतर्गत निवेश केवल ऐसी प्रतिभूतियों में किया जाएगा, जिन्हें भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (क्रेडिट रेटिंग एजेंसी) विनियम 1999 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड द्वारा पंजीकृत कम से कम दो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से लागू रेटिंग पैमाने में न्यूनतम एए या समतुल्य रेटिंग प्राप्त हो। बशर्ते यह भी कि (बी) एवं (डी) उप श्रेणी के मामलों में न्यास की प्रायोजक संख्या की रेटिंग से संबंधित हो।</p> <p>बशर्ते यह भी कि यदि प्रतिभूतियों/संस्थाओं की दो रेटिंग एजेंसियों द्वारा रेटिंग की जाती है, तो दो न्यूनतम रेटिंग पर विचार किया जाएगा।</p> <p>बशर्ते कि उप-श्रेणी (ई) में निवेश की अनुमति निम्नलिखित शर्तों की संतुष्टि के अधीन है, अर्थात्—</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. श्रेणी I के तहत अनुमत निधियां इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड, एसएमई फंड, वेंचर कैपिटल फंड और सोशल वेंचर कैपिटल फंड हैं, जैसा कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (वैकल्पिक निवेश निधि) विनियम, 2012 में वर्णित है;</li> <li>2. श्रेणी-II के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (वैकल्पिक निवेश निधि) विनियम, 2012 के अनुसार, एआईएफ ऐसे एआईएफ के फंड का कम से कम 51% इन्फ्रास्ट्रक्चर संस्थाओं या एसएमई या उद्यम पूंजी या सामाजिक। कल्याणकारी संस्थाओं में से किसी एक में निवेश किया जाएगा;</li> <li>3. फंड केवल उन्हीं एआईएफ में निवेश करेंगे जिनका कोष 100 करोड़ रुपये के बराबर या उससे अधिक है।</li> <li>4. एकल एआईएफ में एक्सपोजर एआईएफ आकार के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। हालाँकि, यह सीमा सरकार द्वारा प्रायोजित एआईएफ पर लागू नहीं होगी;</li> <li>5. निधियां यह सुनिश्चित करेंगी कि निवेश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनियों की प्रतिभूतियों या भारत के बाहर निगमित और/या संचालित निधियों में नहीं किया जाना चाहिए;</li> <li>6. वैकल्पिक निवेश फंड का प्रायोजक फंड में प्रवर्तक या फंड का प्रमोटर समूह नहीं होना चाहिए; तथा</li> <li>7. एआईएफ का प्रबंधन ऐसे निवेश प्रबंधक द्वारा नहीं किया जाएगा, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फंड या फंड के प्रमोटर समूह द्वारा नियंत्रित या प्रबंधित किया जाता है।</li> </ol> | 5% तक                              |

[1] एस.ओ. 3034(ई) दिनांक 22.09.2016. द्वारा संशोधित दिनांक 17.03.2016 से प्रभावी

[2] एस.ओ. 1685(ई) दिनांक 20.04.2018 के माध्यम से संशोधित 19.02.2018 से प्रभावी

[3] का.आ. 4779(ई) दिनांक 30.12.2020. के द्वारा संशोधित 11.12.2019 से प्रभावी

[4] का.आ. 1710(ई) दिनांक 29.04.2021 द्वारा संशोधित दिनांक 15.03.2021 से प्रभावी

[5] का.आ. 1710(ई) दिनांक 29.04.2021 के द्वारा संशोधित दिनांक 29.04.2021 से प्रभावी

ii. बड़ी हुई नयी निधि को निवेश पैटर्न में विनिर्दिष्ट अनुमत श्रेणियों में ही निवेश किया जाएगा और यह निवेश प्रत्येक वर्ग में निवेश की गयी राशि की विनिर्दिष्ट अधिकतम अनुमत प्रतिशतता के अनुरूप ही होगा। इसके साथ ही अनुमत निवेशों की विविध उप श्रेणियों पर लागू अन्य प्रतिबंधों का भी अनुपालन किया जाएगा।

iii. निधियों में नई बढ़ोतरी पूर्व में अनिवेशित निधियों तथा प्राप्तियों, जैसे निधियों में अंशदान, लाभांश/ब्याज/कमीशन, पूर्व निवेशों की परिपक्वता राशियों का योग होगा, जो कि वित्त वर्ष के दौरान बाध्यकारी व्यय/निकास द्वारा कम हो गया हो।

iv. परिपक्वता से पहले किसी भी संपत्ति के पुट ऑप्शन कार्यकाल या परिसंपत्ति स्विच या व्यापार के प्रयोग से उत्पन्न आय को ऊपर वर्णित किसी भी अनुमत श्रेणी में इस तरह से निवेश किया जा सकता है कि किसी भी समय उस श्रेणी के तहत संपत्ति का प्रतिशत उस श्रेणी के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए और उप-श्रेणियों के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए, यदि कोई हो। हालांकि, आरबीआई द्वारा किसी भी अनिवार्य सरकारी ऋण स्विच के कारण संपत्ति स्विच इस प्रतिबंध के तहत कवर नहीं किया जाएगा।

v. टर्न ओवर अनुपात (वर्ष में खरीदी-बेची गयी प्रतिभूतियों की कीमत/वर्ष के प्रारम्भ तथा अंत में पोर्टफोलियो की औसत कीमत) दो से अधिक नहीं होना चाहिए।

vi. यदि, ऊपर उल्लिखित इस्ट्रूमेंट्स में से किसी एक की रेटिंग उस इस्ट्रूमेंट्स को क्रय करते समय, उसमें निवेश हेतु विनिर्धारित न्यूनतम अनुमत निवेश ग्रेड से गिर जाती है, जिसकी पुष्टि किसी ऋण रेटिंग एजेंसी द्वारा की गयी हो, तो अंशदाताओं के सर्वोत्तम हित वाले तरीके से निकासी के विकल्प पर विचार किया जाएगा और उसका उपयोग किया जाएगा।

vii. इन दिशानिर्देशों के लागू होने पर प्रत्येक आगामी वित्त वर्ष के लिए ऊपर विनिर्धारित निवेश पैटर्न समय से और उचित नियोजन के माध्यम से अलग-अलग हासिल किया जाएगा।

viii. निधियों का निवेश केवल लाभार्थियों के लाभ को ध्यान में रखते हुए, निष्पक्षता के साथ ही किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, किसी वित्त वर्ष में नए संवर्धनों के 5% से अधिक निवेश (यहां वर्णित ऐसी कंपनियों/संगठनों में समग्र) किसी कंपनी/संगठन की प्रतिभूतियों अथवा किसी कंपनी/संगठन, जिसमें ऐसी कंपनी/संगठन पहली कंपनी/संगठन के कर्मचारियों के लाभ हेतु सृजित निधि द्वारा जारी प्रतिभूतियों के 10% से अधिक धारण करती है तथा ऐसे निवेशों का कुल आकार किसी भी समय निधि के कुल पोर्टफोलियो के 5% से अधिक नहीं होगा। ऐसे मामलों में देय सावधानी हेतु विनिर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन करना चाहिए तथा विचारार्थ प्रतिभूतियां इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत अनुमत निवेशों के भीतर होनी चाहिए।

ix. विनिर्धारित पैटर्न के भीतर किसी न्यास/निधि की निधियों का विवेकपूर्ण निवेश न्यासियों का न्यासीय उत्तरदायित्व है तथा उसका सावधानीपूर्वक निर्वहन किया जाना आवश्यक है। तदनुसार निधियों के निवेश हेतु लिए गए निवेश निर्णयों हेतु न्यासी उत्तरदायी होंगे।

- निधि के प्रबंधन की लागत को नियंत्रित एवं इष्टतम बनाने हेतु न्यासी उचित कदम उठाएंगे।
- न्यास यह सुनिश्चित करेगा कि निवेश की प्रक्रिया जवाबदेह तथा पारदर्शी हो।
- यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निधि द्वारा किसी विशेष परिसंपत्ति में निवेश करते समय तथा उस अवधि के दौरान जब तक उसे निधि द्वारा रखा जाता है, किसी विशेष परिसंपत्ति से जुड़े हुए जोखिमों का आकलन करते समय उचित सावधानी बरती गयी है। इस अधिसूचना में रेटिंग की यथा अधिदेशित आवश्यकता का उद्देश्य निवेशों से जुड़े जोखिम को केवल व्यापक सामान्य स्तर तक सीमित करना है। तदनुसार, किसी भी प्रकार से यह नहीं समझा जाना चाहिए कि यह न्यूनतम विनिर्धारित रेटिंग को पूरा करने वाली किसी परिसंपत्ति में निवेश करने को स्वीकृति देती है अथवा निधिधन्यास द्वारा विनिर्धारित उचित सावधानी प्रक्रिया के लिए विकल्प है।

न्यास/निधि को किसी एक कंपनी, कारपोरेट समूह अथवा क्षेत्र में निवेश के केंद्रीकरण की रोकथाम हेतु विवेकपूर्ण दिशानिर्देश अपनाने अथवा लागू करने चाहिए।

x. यदि अपनी परिसंपत्तियों के प्रबंधन हेतु निधि ने पेशेवर निधि/परिसंपत्ति प्रबंधकों की सेवाएं ली हों, जिसे प्रत्येक लेन-देन की कीमत के आधार पर भुगतान किया जा रहा हो, उनके द्वारा, वर्णित श्रेणियों में से किसी एक म्यूचुअल फंड अथवा ईटीएफ अथवा इंडेक्स निधियों में निवेश की गयी निधियों की लागत, उनको देय भुगतान की गणना करके पहले ही घटा दी जाएगी ताकि लागत के दोहराए जाने से बचा जा सके। यह सुनिश्चित करने के लिए उचित सावधानी बरती जाएगी कि देय शुल्क को बढ़ाने के उद्देश्य से एक ही निवेश को बार-बार न कर दिया जाए। इस संबंध में श्रेणी III इस्ट्रूमेंट्स में निवेशों के लिए कमीशन को विशेष रूप से सावधानीपूर्वक विनियमित किया जाएगा।

### कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 निधि का निवेश

**5.17** पेंशन निधि के निवेश हेतु योजना में उपबंध (पेंशन योजना के पैरा 26) निम्नलिखित पद्धति में है:

- केन्द्रीय सरकार के अंशदान के अलावा, कर्मचारी पेंशन योजना में प्राप्त सभी धनराशि कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 52 के प्रावधानों के अनुसार विनियोजित की जाएगी।
- दिनांक 16.11.1995 को उपलब्ध परिवार पेंशन निधि की संपूर्ण परिसम्पत्ति, पेंशन निधि में मिला दी जाएगी और भारत सरकार के लोक खाते में विनियोजित रखी जाएगी। 17 नवंबर, 1995 से आगे पेंशन निधि में केन्द्रीय सरकार से आने वाले अंशदान को भी भारत सरकार के लोक-खाते में विनियोजित किया जाएगा।

### पोर्टफोलियो प्रबंधन

**5.18** निधि के निवेश का प्रबंधन पोर्टफोलियो प्रबंधकों द्वारा किया जाता है। निधि प्रबंधक श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा अधिसूचित निवेश पद्धति एवं बोर्ड द्वारा समय समय पर निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य करते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पोर्टफोलियो प्रबंधकों के निष्पादन का मूल्यांकन एक नियमित कार्य है और मैसर्स क्रिसिल (सी.आर.आई.एस.आई.एल.) द्वारा विकसित निष्पादन मानकों के आधार पर हर तिमाही में किया जाता है।

- निष्पादन मानक सक्रिय प्रकृति का है और यह ऐसी प्रतिभूतियों, जिनमें वर्तमान निवेश पद्धति एवं निवेश दिशा-निर्देशों के अनुसार ईपीएफ के धन के निवेश की अनुमति है, के दैनिक लाभ की जानकारी प्राप्त करता है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है, जिससे ईपीएफओ पोर्टफोलियो प्रबंधकों के निष्पादन की तुलना कर पाते हैं। यह ईपीएफओ के साथ-साथ पोर्टफोलियो प्रबंधकों के लिए भी संदर्भ बिन्दु का कार्य करता है तथा वर्तमान निवेश पद्धति एवं निवेश दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुमत परिसंपत्तियों के वर्ग में वर्तमान बाजार में निवेश से अर्जित किए जा सकने वाले सांकेतिक न्यूनतम लाभ की सूचना प्रदान करता है।
- केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने दिनांक 21.08.2019 को संपन्न अपनी 225वीं बैठक में 3 वर्ष की अवधि के लिए ईपीएफओ के राशि संग्रह (ऋण-पक्ष) के प्रबंधन हेतु निम्नलिखित कुल दो पोर्टफोलियो प्रबंधकों की नियुक्ति का अनुमोदन किया:
  - » यू.टी.आई. एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
  - » एस.बी.आई. फंड मैनेजमेंट (प्रा.) लिमिटेड
- वर्तमान पोर्टफोलियो प्रबंधकों ने 1 नवंबर, 2019 से ईपीएफओ के राशि संग्रह का प्रबंधन शुरू किया।

### 5.19 वर्ष 2021-22 के दौरान पोर्टफोलियो प्रबंधकों के निष्पादन:

- वर्ष 2021-22 के दौरान पोर्टफोलियो प्रबंधकों ने आय का अर्जन निवेश पद्धति एवं निवेश दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश द्वारा किया।
- एक वर्ष के दौरान निवेश पर प्रतिफल बाजार में विभिन्न स्थितियों के कारण बाजार से प्राप्त लाभों में भिन्नता के अधीन है और इसलिए गत वर्षों में अर्जित आय से इसकी तुलना वास्तव में नहीं की जा सकती। अतः, वास्तविक तुलना केवल उन पोर्टफोलियो प्रबंधकों के बीच की जा सकती है, जो एक ही बाजार में, एक जैसे नियमों के तहत निवेश कर रहे हैं।
- निधि प्रबंधकों में प्रतिस्पर्धा से एक अकेले पोर्टफोलियो प्रबंधक के खराब प्रदर्शन का, जिससे पूरे पोर्टफोलियो की आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जोखिम कम हुआ है। प्रतिस्पर्धा के साथ, सक्रिय बेंचमार्क का सृजन सभी पोर्टफोलियो प्रबंधकों के लिए संदर्भ का कार्य करता है, जो न केवल बेंचमार्क पूरे करने के लिए बल्कि इन से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए भरसक प्रयास करते हैं।
- ईपीएफओ के सलाहकार क्रिसिल द्वारा प्रस्तुत निष्पादन रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान पोर्टफोलियो प्रबंधकों द्वारा 7.20% लाभ प्राप्त किया गया जो वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित बेंचमार्क लाभ 6.95% से काफी अधिक है।
- 01.04.2021 से 31.03.2022 तक की अवधि के लिए पोर्टफोलियो प्रबंधकों का प्रदर्शन निम्नानुसार है:

| पोर्टफोलियो प्रबंधक | पोर्टफोलियो लाभ (%) | बेंचमार्क लाभ % |
|---------------------|---------------------|-----------------|
| यूटीआई एएमसी        | 7.18%               | 6.95%           |
| एसबीआईएफएमपीएल      | 7.23%               |                 |
| समग्र ईपीएफओ        | 7.20%               |                 |

\*स्रोत: क्रिसिल रिपोर्ट

- पोर्टफोलियो लाभ पैरामीटर पर, यूटीआई एएमसी द्वारा प्राप्त 7.18% लाभ की तुलना में एसबीआई एएमसी द्वारा 7.23% लाभ प्राप्त करने के कारण पहला स्थान दिया गया।
- परिसंपत्ति गुणवत्ता पैरामीटर पर, जी-सेक में यूटीआई एएमसी के 27.30% की तुलना में एसबीआई एएमसी को 36.58% के अधिक एक्सपोजर के कारण पहला स्थान दिया गया।

### 5.20 निवेशों का संग्रह तथा श्रेणीवार विवरण (अछूत प्राप्त क्षेत्र)।

#### (1) कर्मचारी भविष्य निधि:

क. निवेश (अंकित मूल्य पर)

(रु करोड़ में)

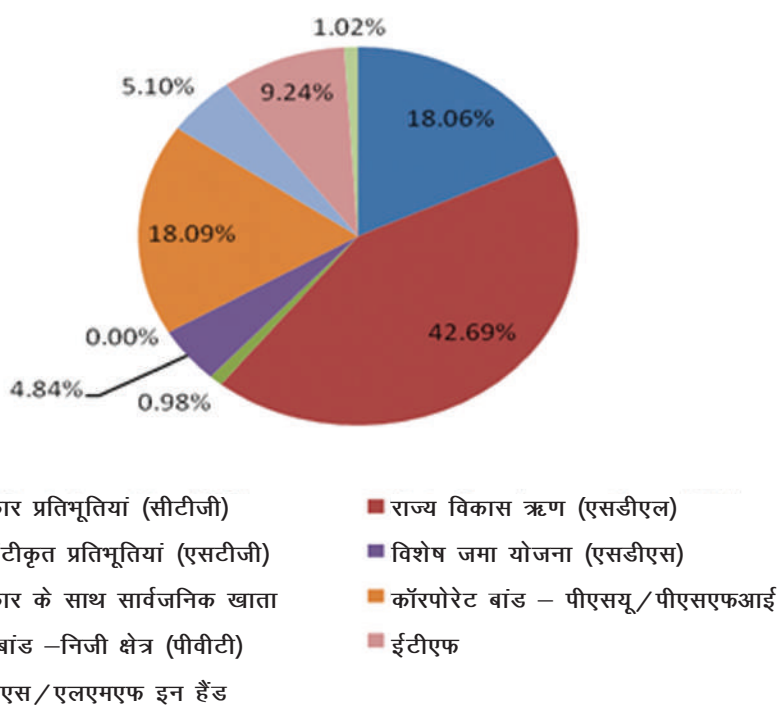
|    |                                                            |              |
|----|------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. | 31.03.2021 को कुल निवेश                                    | 9,41,340.81  |
| 2. | 31.03.2022 को कुल निवेश                                    | 11,00,953.66 |
| 3. | वर्ष 2021-22 के दौरान अंकित मूल्य पर निवेश में निवल वृद्धि | 1,59,612.85  |

ख. निवेशों का श्रेणीवार विवरण :

(रु करोड़ में)

| क्र.सं | श्रेणी                                 | दिनांक 31.03.2022 तक<br>अंकित मूल्य (रु करोड़ में) | प्रतिशत |
|--------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|
| 1.     | केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां (सीटीजी) | 1,98,787.86                                        | 18.06%  |
| 2.     | राज्य विकास ऋण (एसडीएल)                | 4,69,962.70                                        | 42.69%  |
| 3.     | राज्य सरकार की प्रतिभूतियां (एसटीजी)   | 10,740.57                                          | 0.98%   |
| 4.     | विशेष जमा योजना (एस.डी.एस.)            | 53,283.35                                          | 4.84%   |
| 5.     | केंद्र सरकार के सार्वजनिक लेखे         | -                                                  | 0.00%   |
| 6.     | कॉर्पोरेट बांड – पीएसयू/पीएसएफआई       | 1,99,104.58                                        | 18.09%  |
| 7.     | कॉर्पोरेट बांड – निजी क्षेत्र (पीवीटी) | 56,145.70                                          | 5.10%   |
| 8.     | ईटीएफ                                  | 1,01,712.44                                        | 9.24%   |
| 9.     | ट्रेप्स/एलएमएफ इन हैंड                 | 11,216.47                                          | 1.02%   |
| कुल    |                                        | 11,00,953.66                                       | 100.00% |

### ईपीएफ योजना में निवेश



## (2) कर्मचारी पेंशन निधि :

क. निवेश (अंकित मूल्य पर)

(रु. करोड़ों में)

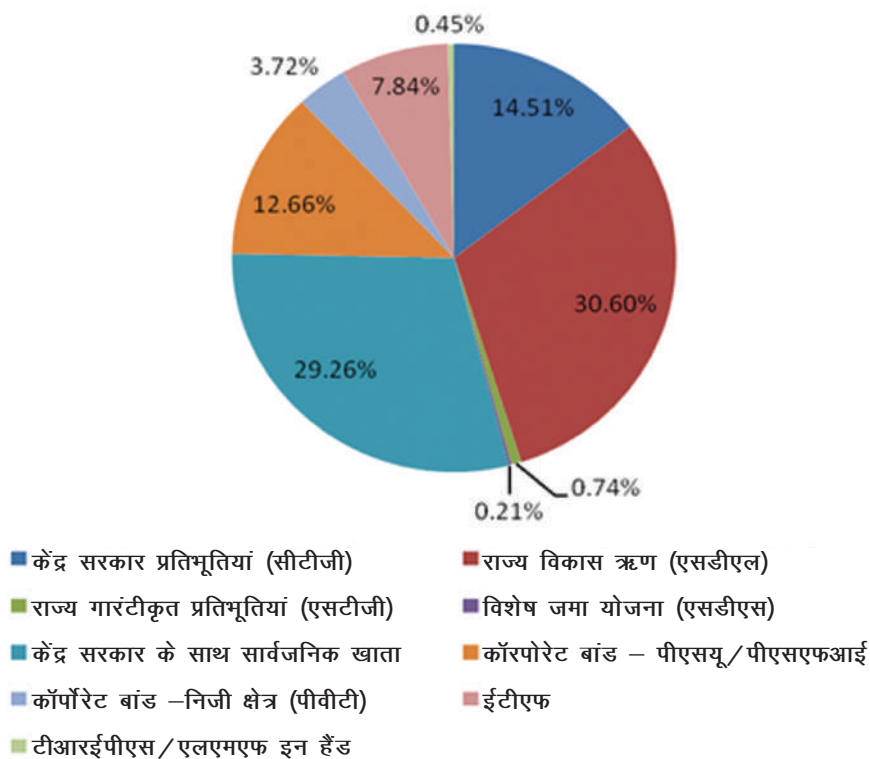
|    |                                                            |             |
|----|------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. | 31.03.2021 तक कुल निवेश                                    | 5,79,472.22 |
| 2. | 31.03.2022 तक कुल निवेश                                    | 6,75,261.83 |
| 3. | वर्ष 2021-22 के दौरान अंकित मूल्य पर निवेश में निवल वृद्धि | 95,789.61   |

ख. निवेशों का श्रेणीवार विवरण :

(रु. करोड़ों में)

| क्र.सं. | श्रेणी                                | दिनांक 31.03.2022 तक अंकित मूल्य (रु करोड़ में) | प्रतिशत        |
|---------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|
| 1.      | केंद्र सरकार प्रतिभूतियां (सीटीजी)    | 98,011.72                                       | 14.51%         |
| 2.      | राज्य विकास ऋण (एसडीएल)               | 2,06,643.12                                     | 30.60%         |
| 3.      | राज्य गारंटीकृत प्रतिभूतियां (एसटीजी) | 5,020.10                                        | 0.74%          |
| 4.      | विशेष जमा योजना (एसडीएस)              | 1,400.52                                        | 0.21%          |
| 5.      | केंद्र सरकार के सार्वजनिक लेखे        | 1,97,615.10                                     | 29.26%         |
| 6.      | कॉर्पोरेट बांड – पीएसयू/पीएसएफआई      | 85,507.45                                       | 12.66%         |
| 7.      | कॉर्पोरेट बांड – निजी क्षेत्र (निजी)  | 25,115.42                                       | 3.72%          |
| 8.      | ईटीएफ                                 | 52,899.46                                       | 7.83%          |
| 9.      | ट्रेप्स/एलएमएफ इन हैंड                | 3,048.93                                        | 0.45%          |
|         | <b>कुल</b>                            | <b>6,75,261.83</b>                              | <b>100.00%</b> |

## ईपीएस योजना में निवेश



(3) कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि:

क. निवेश (अंकित मूल्य पर)

(रु करोड़ों में)

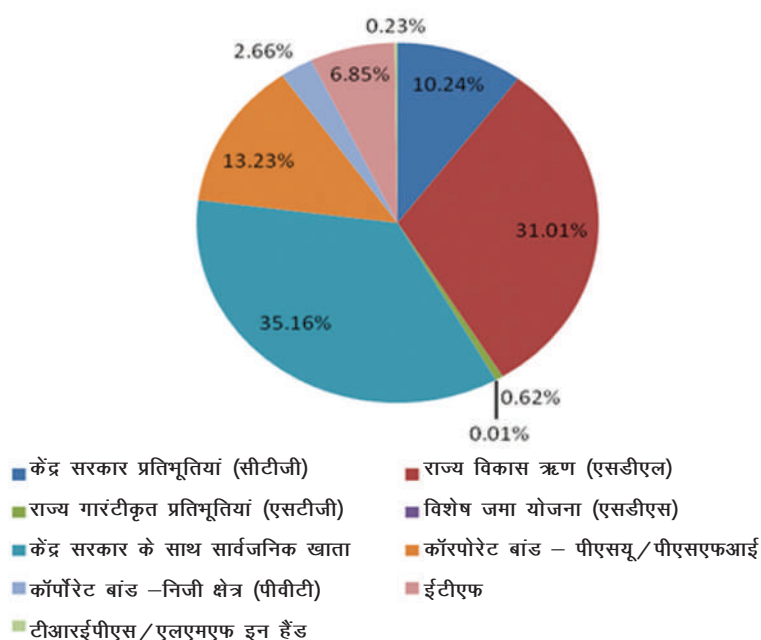
|    |                                                            |           |
|----|------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. | 31.03.2021 तक कुल निवेश                                    | 34,045.72 |
| 2. | 31.03.2022 तक कुल निवेश                                    | 37,218.69 |
| 3. | वर्ष 2021-22 के दौरान अंकित मूल्य पर निवेश में निवल वृद्धि | 3,172.97  |

ख. निवेशों का श्रेणीवार विवरण :

(रु करोड़ों में)

| श्रेणी | इंस्ट्रुमेंट/परिसंपत्ति               | दिनांक 31.03.2022 तक अंकित मूल्य | प्रतिशत |
|--------|---------------------------------------|----------------------------------|---------|
| I      | केंद्र सरकार प्रतिभूतियां (सीटीजी)    | 3,809.48                         | 10.24%  |
|        | राज्य विकास ऋण (एसडीएल)               | 11,541.55                        | 31.01%  |
|        | राज्य गारंटीकृत प्रतिभूतियां (एसटीजी) | 230.50                           | 0.62%   |
|        | विशेष जमा योजना (एसडीएस)              | 2.50                             | 0.01%   |
|        | केंद्र सरकार के सार्वजनिक लेखे ।      | 13,085.09                        | 35.16%  |
| II     | कॉर्पोरेट बांड – पीएसयू/पीएसएफआई      | 4,923.88                         | 13.23%  |
|        | कॉर्पोरेट बांड – निजी क्षेत्र (निजी)  | 988.85                           | 2.66%   |
| III    | ट्रेप्स/एलएमएफ इन हैंड                | 86.67                            | 0.23%   |
| IV     | ईटीएफ                                 | 2,550.17                         | 6.85%   |
| कुल    |                                       | 37,218.69                        | 100.00% |

ईडीएलआई योजना में निवेश





(4) स्टाफ भविष्य निधि:

क. निवेश (अंकित मूल्य पर)

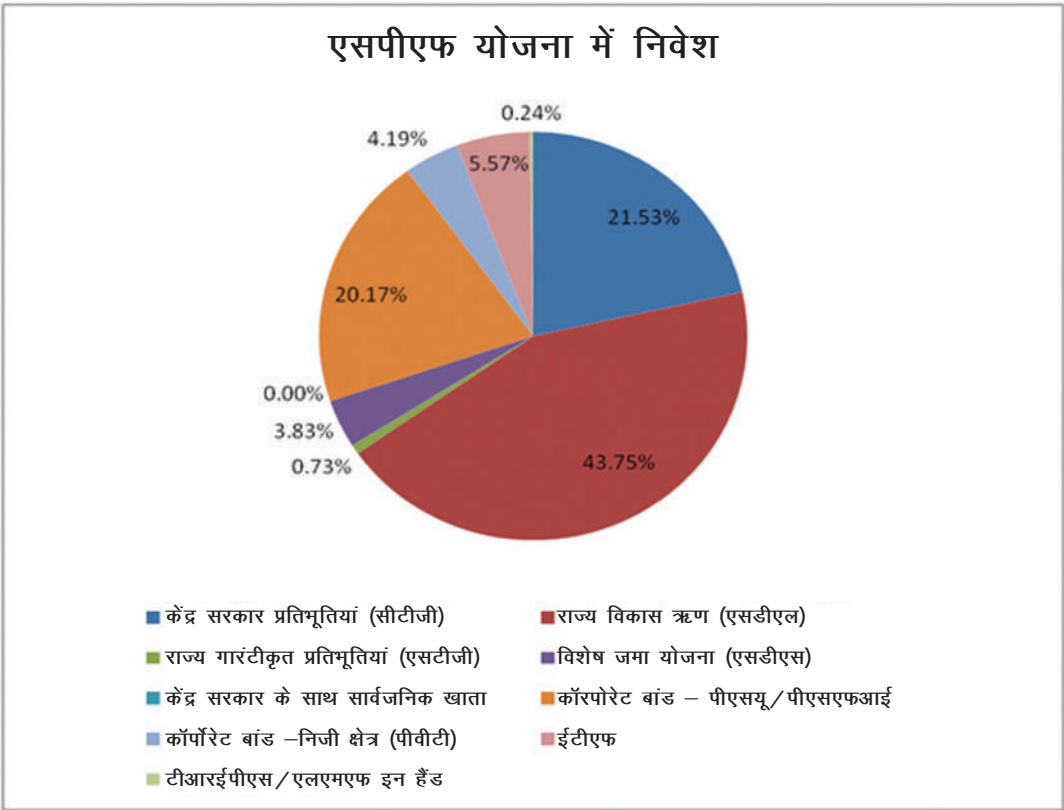
(रु करोड़ों में)

|    |                                                            |          |
|----|------------------------------------------------------------|----------|
| 1. | 31.03.2021 तक कुल निवेश                                    | 2,007.14 |
| 2. | 31.03.2022 तक कुल निवेश                                    | 2,178.26 |
| 3. | वर्ष 2021-22 के दौरान अंकित मूल्य पर निवेश में निवल वृद्धि | 171.12   |

ख. निवेशों का श्रेणीवार विवरण :

(रु करोड़ों में)

| श्रेणी | इंस्ट्रुमेंट / परिसंपत्ति             | दिनांक 31.03.2022 तक अंकित मूल्य | प्रतिशत |
|--------|---------------------------------------|----------------------------------|---------|
| I      | केंद्र सरकार प्रतिभूतियां (सीटीजी)    | 468.93                           | 21.53%  |
|        | राज्य विकास ऋण (एसडीएल)               | 952.90                           | 43.75%  |
|        | राज्य गारंटीकृत प्रतिभूतियां (एसटीजी) | 16.00                            | 0.73%   |
|        | विशेष जमा योजना (एसडीएस)              | 83.33                            | 3.83%   |
|        | केंद्र सरकार के सार्वजनिक लेखे ।      | -                                | 0.00%   |
| II     | कॉर्पोरेट बांड – पीएसयू/ पीएसएफआई     | 439.38                           | 20.17%  |
|        | कॉर्पोरेट बांड – निजी क्षेत्र (निजी)  | 91.30                            | 4.19%   |
| III    | ट्रेप्स/ एलएमएफ इन हैंड               | 5.13                             | 0.24%   |
| IV     | ईटीएफ                                 | 121.29                           | 5.57%   |
|        | कुल                                   | 2,178.26                         | 100.00% |



(5) स्टाफ पेंशन एवं ग्रेच्युटी :

क. निवेश (अंकित मूल्य पर)

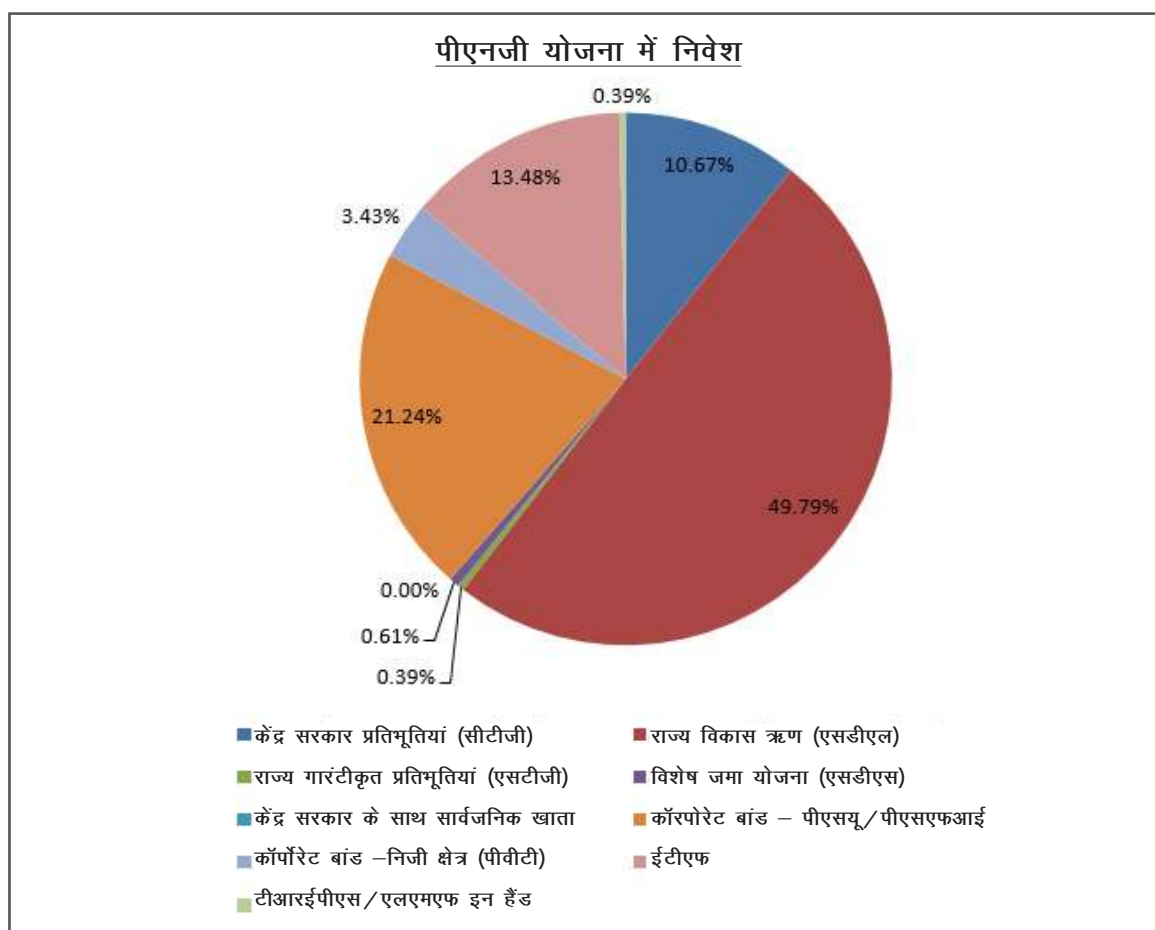
(रु करोड़ में)

|    |                                                            |           |
|----|------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. | 31.03.2021 तक कुल निवेश                                    | 12,441.18 |
| 2. | 31.03.2022 तक कुल निवेश                                    | 14,955.00 |
| 3. | वर्ष 2021-22 के दौरान अंकित मूल्य पर निवेश में निवल वृद्धि | 2,513.82  |

ख. निवेशों का श्रेणीवार विवरण :

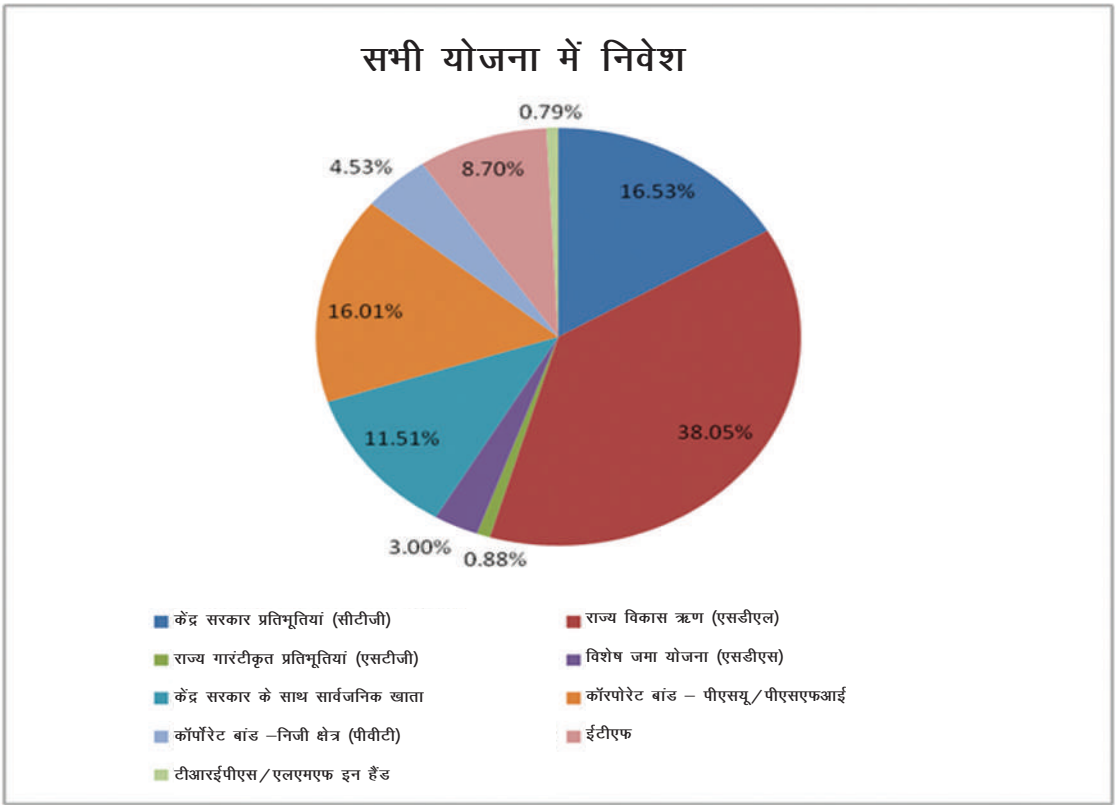
(रु करोड़ों में)

| श्रेणी | इंस्ट्रुमेंट/परिसंपत्ति               | दिनांक 31.03.2022 तक अंकित मूल्य | प्रतिशत        |
|--------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| I      | केंद्र सरकार प्रतिभूतियां (सीटीजी)    | 1,596.30                         | 10.67%         |
|        | राज्य विकास ऋण (एसडीएल)               | 7,445.81                         | 49.79%         |
|        | राज्य गारंटीकृत प्रतिभूतियां (एसटीजी) | 57.90                            | 0.39%          |
|        | विशेष जमा योजना (एसडीएस)              | 91.79                            | 0.61%          |
|        | केंद्र सरकार के सार्वजनिक लेखे        | -                                | 0.00%          |
| II     | कॉर्पोरेट बांड - पीएसयू/पीएसएफआई      | 3,176.38                         | 21.24%         |
|        | कॉर्पोरेट बांड - निजी क्षेत्र (निजी)  | 512.67                           | 3.43%          |
| III    | ट्रेप्स/एलएमएफ इन हैंड                | 58.05                            | 0.39%          |
| IV     | ईटीएफ                                 | 2,016.10                         | 13.48%         |
|        | <b>कुल</b>                            | <b>14,955.00</b>                 | <b>100.00%</b> |



दिनांक 31.03.2022 को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अंकित मूल्य पर समग्र राशि के श्रेणीवार निवेश की समेकित विवरणी (ईक्विटी से संबंधित निवेश सहित)

| योजनाएं (रु करोड़ में)                 |                              |                             |                                        |                            |                                                |              |          |
|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|--------------|----------|
| श्रेणी                                 | कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) | कर्मचारी पेंशन निधि (ईपीएस) | कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध निधि (ईडीएलआई) | स्टाफ भविष्य निधि (एसपीएफ) | स्टाफ पेंशन एवं ग्रेच्युटी निधि (एस पी एंड जी) | कुल          | %        |
| केंद्र सरकार प्रतिभूतियां (सीटीजी)     | 1,98,787.86                  | 98,011.72                   | 3,809.48                               | 468.93                     | 1,596.30                                       | 3,02,674.28  | 16.53%   |
| राज्य विकास ऋण (एसडीएल))               | 4,69,962.70                  | 2,06,643.12                 | 11,541.55                              | 952.90                     | 7,445.81                                       | 6,96,546.09  | 38.05%   |
| राज्य गारंटीकृत प्रतिभूतियां (एसटीजी)) | 10,740.57                    | 5,020.10                    | 230.50                                 | 16.00                      | 57.90                                          | 16,065.07    | 0.88%    |
| विशेष जमा योजना (एसडीएस)               | 53,283.35                    | 1,400.52                    | 2.50                                   | 83.33                      | 91.79                                          | 54,861.49    | 3.00%    |
| केंद्र सरकार के सार्वजनिक लेखे         | -                            | 1,97,615.10                 | 13,085.09                              | -                          | -                                              | 2,10,700.19  | 11.51%   |
| कॉर्पोरेट बांड – पीएसयू/ पीएसएफआई      | 1,99,104.58                  | 85,507.45                   | 4,923.88                               | 439.38                     | 3,176.38                                       | 2,93,151.66  | 16.01%   |
| कॉर्पोरेट बांड – निजी क्षेत्र (निजी))  | 56,145.70                    | 25,115.42                   | 988.85                                 | 91.30                      | 512.67                                         | 82,853.95    | 4.53%    |
| ईटीएफ                                  | 1,01,712.44                  | 52,899.46                   | 2,550.17                               | 121.29                     | 2,016.10                                       | 1,59,299.46  | 8.70%    |
| ट्रेप्स/ एलएमएफ इन हैंड                | 11,216.47                    | 3,048.93                    | 86.67                                  | 5.13                       | 58.05                                          | 14,415.26    | 0.79%    |
| कुल                                    | 11,00,953.66                 | 6,75,261.83                 | 37,218.70                              | 2,178.27                   | 14,954.99                                      | 18,30,567.44 | 100.00 % |



**5.21** विभिन्न योजनाओं यथा— कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 कर्मचारी पेंशन योजना, 1995, कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976 तथा स्टाफ भविष्य निधि और स्टाफ पेंशन ग्रेच्युटी के संबंध में अंकित मूल्य (ऋण) (अछूट—प्राप्त क्षेत्र) पर श्रेणीवार तथा कूपनवार निवेशों का ब्यौरा, **परिशिष्ट —5(ii)** से **5(vi)** पर है।

**5.22** वर्ष 2021–22 के दौरान निवेश (इक्विटी से संबंधित निवेश सहित) (अछूट—प्राप्त क्षेत्र) पर अर्जित निवल ब्याज नीचे तालिका में दिया गया है: —

| क्र.सं. | योजना                             | निवल ब्याज (रु. करोड़ों में ) |
|---------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1.      | कर्मचारी भविष्य निधि              | 75,801.98                     |
| 2.      | कर्मचारी पेंशन निधि               | 30,546.69                     |
| 3.      | कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि | 2,642.56                      |
| 4.      | स्टाफ भविष्य निधि                 | 155.73                        |
| 5.      | स्टाफ पेंशन एवं ग्रेच्युटी        | 869.08                        |

**5.23** वर्ष के दौरान छूट प्राप्त स्थापनाओं द्वारा किया गया निवेश नीचे दिया गया है:

| वर्ष 2021–22 के दौरान छूट प्राप्त स्थापनाओं द्वारा किया गया निवेश |                                |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| निवेश की श्रेणी                                                   | निवेशित राशि (रु. करोड़ों में) |
| विशेष जमा खाता                                                    | 1,918.24                       |
| सरकार द्वारा गारंटीड प्रतिभूतियां                                 | 17,875.67                      |
| राज्य सरकार की प्रतिभूतियां                                       | 24,340.56                      |
| अन्य                                                              | 86,258.89                      |
| कुल सकल निवेश                                                     | 1,30,393.37                    |
| घटा : छुड़ाई गई निधियां                                           | 24,983.99                      |
| <b>कुल निवल निवेश</b>                                             | <b>1,05,409.38</b>             |

सदस्यों के लिए ब्याज दर

**5.24** 1952 से ईपीएफ जमा पर घोषित ब्याज की दर **परिशिष्ट—5 (vii)** में दी गई है।

ईपीएफओ के कर्मचारियों के लिए उत्पादकता सहबद्ध बोनस

**5.25** ईपीएफओ के कर्मचारियों को वर्ष 2021–22 के दौरान दिए गए वर्ष 2020–21 के उत्पादकता सहबद्ध बोनस का कार्यालयवार विवरण **परिशिष्ट —5 (viii)** पर दिया गया है।

# अध्याय

# 6

ग्राहक सेवा, संप्रेषण एवं जन संपर्क

## ग्राहक सेवा प्रभाग

### 6.1 ईपीएफओ में शिकायत निवारण प्रणाली

ईपीएफओ अपने उद्देश्यों के अनुरूप सभी स्टैकहोल्डर्स की शिकायतों के निवारण और ग्राहक सेवा को बहुत महत्व देता है। संगठन के पास देश भर में विस्तारित अपने कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से अपने सभी स्टैकहोल्डर्स अर्थात् नियोक्ताओं, कर्मचारियों तथा पेंशनभोक्ताओं की शिकायतों के निपटारे के लिए एक मजबूत प्रणाली है। ईपीएफओ मुख्यालय में मौजूदा ग्राहक सेवा प्रभाग और देशभर में 21 जोन और 138 क्षेत्रीय कार्यालयों में फील्ड फोरमेशन संगठन के सभी हितधारकों को गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से सुविधा केन्द्रों, पीआरओ और सहायक कर्मचारियों से सुसज्जित है।

शिकायतों को पंजीकृत करने तथा उनका समाधान करने के लिए विभिन्न माध्यम इस प्रकार हैं –

- सीपीग्राम
- ईपीएफआईजीएमएस
- कॉल सेंटर
- व्हाट्स एप बिजनेस हेल्पलाइन
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एवं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के फेसबुक और ट्विटर खाता
- एफएक्यू
- सुविधा केंद्र

शिकायतें अंशदाताओं, पेंशनभोक्ताओं, ईपीएफओ के खाता धारकों तथा छूट और अछूट प्राप्त स्थापनाओं के नियोक्ताओं से सीधे प्राप्त होती है तथा राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, लोक शिकायत निदेशालय (डी पी जी), प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत निदेशालय (डीएआरपीजी), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा (एनएचआरसी) सोशल मीडिया जैसे ट्विटर और फेसबुक से भी प्राप्त होती हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान देशव्यापी लॉकडाउन के बावजूद, जिससे ईपीएफओ को केवल 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कार्य करना पड़ा, शिकायतों की संख्या में बड़े प्रतिशत की वृद्धि होने के बावजूद शिकायतों के समाधान में गति को कुशलतापूर्वक बनाए रखा गया था।

### 6.2 ग्राहक सेवा प्रभाग की संरचना

मुख्यालय में ग्राहक सेवा प्रभाग के प्रमुख अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय) स्तर के अधिकारी होते हैं, जिनके सहयोग हेतु अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (ग्राहक सेवा प्रभाग), क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-I, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-II, सहायक भविष्य निधि आयुक्त तथा अन्य कर्मचारी होते हैं। शिकायतों के निपटारे के लिए प्रत्येक आंचलिक कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय में नोडल अधिकारी को नामित किया गया है।

### 6.3 केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं मॉनीटरिंग प्रणाली (सीपीग्राम)

केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं मॉनीटरिंग प्रणाली (सीपीग्राम) भारत सरकार के लोक शिकायत पोर्टल ([www.pgportal.gov.in](http://www.pgportal.gov.in)) पर उपलब्ध है। यह लोक शिकायत निदेशालय (डीपीजी) तथा प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के सहयोग से एनआईसी द्वारा विकसित, एनआईसीएनईटी पर ऑनलाईन वेब सक्षम प्रणाली है। सीपीग्राम का प्राथमिक लक्ष्य देश भर के पीड़ित नागरिकों द्वारा चौबीसों घंटे (24x7) मंत्रालयों/विभागों/संगठनों को शिकायतें प्रस्तुत करने में सक्षम बनाने के लिए जो इन शिकायतों की जांच करते हैं और इन शिकायतों के त्वरित और अनुकूल निवारण के लिए कार्रवाई करते हैं, उन्हें ईपीएफओ में सफलतापूर्वक लागू किया गया है। ईपीएफओ के सभी कार्यालय शिकायतों को मॉनीटर एवं उनका निवारण करने के लिए नियमित रूप से इसका प्रयोग कर रहे हैं।

#### सीपीग्राम पोर्टल के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों की मॉनिटरिंग

- सीपीग्राम पोर्टल के अंतर्गत शिकायतें श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के माध्यम से ग्राहक सेवा प्रभाग, मुख्यालय में प्राप्त होती हैं। तत्पश्चात् उन्हें संबंधित फील्ड कार्यालय के साथ-साथ मुख्यालय में संबंधित प्रभाग के अपर कें.भ.नि.आ. को अग्रेषित किया

जाता है।

- फील्ड कार्यालय निर्धारित समय-सीमा के भीतर शिकायतों का निपटारा कर अपना उत्तर ग्राहक सेवा प्रभाग, मुख्यालय के पी.जी. पोर्टल पर अपलोड कर देते हैं।
- ग्राहक सेवा प्रभाग अंतिम निपटारे के लिए उत्तर को श्रम मंत्रालय को भेज देता है। श्रम मंत्रालय, डीपीजी से संबंधित शिकायतों को छोड़कर, जिनका उत्तर स्वयं डीपीजी द्वारा दिया जाता है, संबंधित नागरिक को उत्तर प्रेषित करता है।
- सभी स्तरों पर कड़ी मॉनीटरिंग की जा रही है। लंबित एवं निपटारा किए गए मामलों की रिपोर्ट नियमित रूप से निकाली जाती है तथा ई-मेल, व्हाट्सएप, कॉल आदि जैसे बहु माध्यमों से फील्ड कार्यालय, साथ ही मुख्यालय के विभिन्न अनुभागों द्वारा इन पर अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।
- सीपीग्राम पोर्टल पर पंजीकृत शिकायतों के लिए, सीपीग्राम पोर्टल पर सेवा की गुणवत्ता जानने के लिए प्रत्येक माह 20 शिकायतकर्ताओं को काल करके उनका फीडबैक प्राप्त किया जाता है।
- सीपीग्राम पोर्टल पर पंजीकृत कोविड-19 शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है और 3 दिनों के भीतर इनका समाधान किया जाता है।

सीपीग्राम के माध्यम से शिकायतों की प्राप्ति एवं निपटान

| वर्ष    | प्राप्त शिकायतों की संख्या | निपटाई गई शिकायतों की संख्या | निपटान का प्रतिशत | औसत समय |
|---------|----------------------------|------------------------------|-------------------|---------|
| 2020-21 | 44526                      | 43978                        | 98.76%            | 8       |
| 2021-22 | 94377                      | 93081                        | 98.62%            | 14      |

2020-21 में प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या 44526 थी जबकि 2021-22 में यह बढ़कर 94377 हो गई जो कि 2020-21 की तुलना में 111.95% अधिक है। हालांकि, शिकायतों को हल करने में लगने वाला औसत समय 2020-21 में 8 दिनों की तुलना में 2021-22 में बढ़कर 14 दिन हो गया है।

भारत सरकार के विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त शिकायतों का निपटान:

| क्र.सं. | शिकायत का स्रोत       | कुल प्राप्त | निपटाए गए | निपटान का प्रतिशत |
|---------|-----------------------|-------------|-----------|-------------------|
| 1.      | डीपीजी                | 2713        | 2584      | 95.24%            |
| 2.      | डीएआरपीजी             | 2219        | 2178      | 98.15%            |
| 3.      | स्थानीय / इंटरनेट     | 74348       | 73380     | 98.69%            |
| 4.      | राष्ट्रपति का सचिवालय | 451         | 443       | 98.23%            |
| 5.      | पेंशन                 | 5310        | 5244      | 98.76%            |
| 6.      | पीएमओ                 | 9334        | 9185      | 98.40%            |

नियमित समीक्षा बैठकें

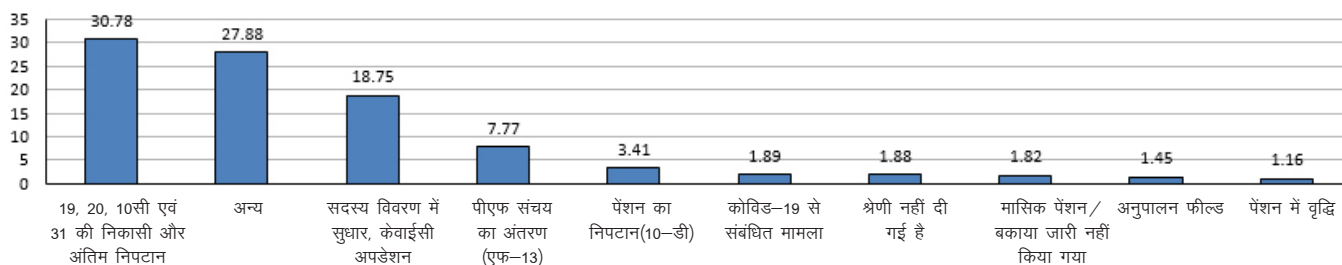
शिकायतों की गुणवत्ता और त्वरित निवारण को अत्यधिक महत्व दिया जाता है, इसके लिए केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, ईपीएफओ द्वारा साप्ताहिक समीक्षा बैठकें की जाती हैं। अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से स्थिति की समीक्षा की जाती है और ईपीएफओ के साथ प्रत्येक माह एक बार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा नियमित समीक्षा बैठकें की जाती हैं।

नियमित समीक्षा बैठकें सुनिश्चित करती हैं कि शिकायत निपटान के कार्य निष्पादन और गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है और उनकी शिकायत का निपटारा कैसे किया जाता है पर शिकायतकर्ता द्वारा दी गई प्रतिक्रिया के संबंध में आंचलिक कार्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों की मॉनीटरिंग भी की जाती है।



सीपीजीआरएएमएस (2021-22) में शीर्ष श्रेणियों का गुणवत्ता विश्लेषण:

| शिकायत श्रेणी                                 | पिछला बकाया | प्राप्त | कुल प्राप्ति | प्राप्ति : |
|-----------------------------------------------|-------------|---------|--------------|------------|
| 19, 20, 10सी एवं 31 की निकासी और अंतिम निपटान | 285         | 28768   | 29053        | 30.78      |
| अन्य                                          | 93          | 26215   | 26308        | 27.88      |
| सदस्य विवरण में सुधार, केवाईसी अपडेशन         | 37          | 17657   | 17694        | 18.75      |
| पीएफ संचय का अंतरण (एफ-13)                    | 52          | 7285    | 7337         | 7.77       |
| पेंशन का निपटान(10-डी)                        | 25          | 3195    | 3220         | 3.41       |
| कोविड-19 से संबंधित मामला                     | 0           | 1783    | 1783         | 1.89       |
| श्रेणी नहीं दी गई है                          | 4           | 1773    | 1777         | 1.88       |
| मासिक पेंशन/बकाया जारी नहीं किया गया          | 3           | 1715    | 1718         | 1.82       |
| अनुपालन फील्ड                                 | 17          | 1349    | 1366         | 1.45       |
| पेंशन में वृद्धि                              | 5           | 1091    | 1096         | 1.16       |
| पीएफ/पेंशन राशि का कम भुगतान                  | 4           | 925     | 929          | 0.98       |
| योजना प्रमाणपत्र (10 सी)                      | 1           | 376     | 377          | 0.40       |
| ब्याज संबंधित                                 | 4           | 368     | 372          | 0.39       |
| पीएफ पर्ची जारी करना/पीएफ शेष                 | 4           | 289     | 293          | 0.31       |
| तकनीकी समस्या के लिए आईएस, एनडीसी             | 2           | 254     | 256          | 0.27       |
| बीमा लाभ का भुगतान (5 आईएफ)                   | 0           | 249     | 249          | 0.26       |
| शिकायत ईपीएफओ से संबंधित नहीं है              | 1           | 131     | 132          | 0.14       |
| सुझाव                                         | 0           | 132     | 132          | 0.14       |
| चेक वापस होना/गुम होना                        | 2           | 123     | 125          | 0.13       |
| मा.सं. मुख्यालय एवं मा.सं. फील्ड कार्यालय     | 5           | 71      | 76           | 0.08       |
| अनुपालन मुख्यालय                              | 6           | 33      | 39           | 0.04       |
| पेंशन मुख्यालय                                | 0           | 36      | 36           | 0.04       |
| वित्त                                         | 0           | 7       | 7            | 0.01       |
| छूट                                           | 0           | 2       | 2            | 0.00       |
| कुल                                           | 550         | 93827   | 94377        | 100.00     |

**ग्राफ: सीपीग्राम्स में शीर्ष 10 श्रेणियों का गुणवत्ता विश्लेषण (2021-22)**


### सीपीग्राम में अपील

- जून, 2021 से सीपीग्राम्स ने अपने शिकायतकर्ताओं को, यदि वे शिकायत अधिकारी के समाधान से संतुष्ट नहीं हैं, उन्हें अपील की सुविधा प्रदान की है। शिकायत समाप्त होने के बाद यदि शिकायतकर्ता समाधान से संतुष्ट नहीं है तो वह फीडबैक दे सकता है। यदि रेटिंग 'खराब' है तो अपील दायर करने का विकल्प सक्षम है।
- 31 मार्च 2022 को अपील की स्थिति इस प्रकार है:-

| कुल प्राप्त अपील | कुल निपटाए गए अपील | दिनांक 31.03.2022 को लंबित अपील |
|------------------|--------------------|---------------------------------|
| 10024            | 9690               | 334                             |

### प्राथमिकता के आधार शिकायतों के निपटान हेतु विशेष अभियान

- सरकार ने 2 अक्टूबर 2021 से 31 अक्टूबर, 2021 की अवधि के दौरान लंबित मामलों के निपटान के लिए एक विशेष अभियान चलाया
- अभियान का उद्देश्य संसद सदस्यों, राज्य सरकारों, अंतर-मंत्रालयीन परामर्श (आईएमसी) के लंबित संदर्भों, संसदीय आश्वासनों और लोक शिकायतों के संदर्भों का निपटान करना था।
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) को अभियान के लिए नोडल विभाग के रूप में नामित किया गया है।
- अभियान के दौरान, ईपीएफओ द्वारा 4773 अपीलें प्राप्त की गईं और 31 अक्टूबर, 2021 की निर्धारित तिथि के भीतर पूरी तरह से निपटा दी गईं।

### 6.4 कर्मचारी भविष्य निधि ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली (ईपीएफआईजीएमएस)

#### ईपीएफआईजीएमएस की विशेषताएं:

क. 2010 में लॉन्च किया गया ईपीएफआईजीएमएस एक इंटरनेट आधारित शिकायत प्रबंधन प्रणाली है, जिसे सीएसडी द्वारा एनआईसी के सहयोग से विकसित किया गया है, और इसे संगठन की आवश्यकताओं के अनुकूल किया गया है। ईपीएफआईजीएमएस को एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म प्रदान करने की दृष्टि से विकसित किया गया है जो शिकायतों को दर्ज करने, स्वीकार करने और ट्रैक/मॉनीटर करने में सक्षम है जब तक कि उनका अंतिम रूप से निवारण नहीं किया जाता है।

इस प्रणाली ने न केवल अंशदाताओं को बिना किसी स्थानिक या अस्थायी प्रतिबंध के अपनी शिकायतों/प्रश्नों को दर्ज करने की सुविधा प्रदान की है, बल्कि शिकायतों के प्रबंधन में क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई है। अंशदाता सिस्टम को कहीं से भी और किसी भी समय एक्सेस कर सकते हैं।

तत्पश्चात् कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने स्टैकहोल्डरों के लिए कई नई ऑनलाइन सेवाओं जैसे ईसीआर, यूएएन, पासबुक, पीएमपीआरवाई, ऑनलाइन ट्रांसफर, ऑनलाइन क्लेम प्रोसेसिंग आदि की शुरुआत की है। ईपीएफओ के सेवा क्षेत्रों के विस्तार के साथ पहले का ईपीएफआईजीएमएस जो 2010 में शुरू किया गया था, सदस्यों के सामने आ रही नई चुनौतियों तथा नए मामलों का समाधान नहीं कर पा रहा था जिसके लिए इसके सुधार की आवश्यकता थी। माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री द्वारा 21 अगस्त, 2019 को हैदराबाद में संशोधित ईपीएफआईजीएमएस का शुभारंभ किया गया।

इसके अतिरिक्त, संशोधित ईपीएफआईजीएमएस नागरिक केंद्रित है और ईपीएफओ को शिकायतों के निवारण की मॉनीटरिंग में अधिक कुशलतापूर्वक, पारदर्शी और अधिक जवाबदेही के साथ सुविधा प्रदान करता है। इसने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को अपनी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और अंशदाताओं को कार्य की सुगमता में सुधार करने में मदद की है।

ख. संशोधित ईपीएफआईजीएमएस 2.0 में कई नई सुविधाएं हैं, जो निम्नानुसार हैं: –

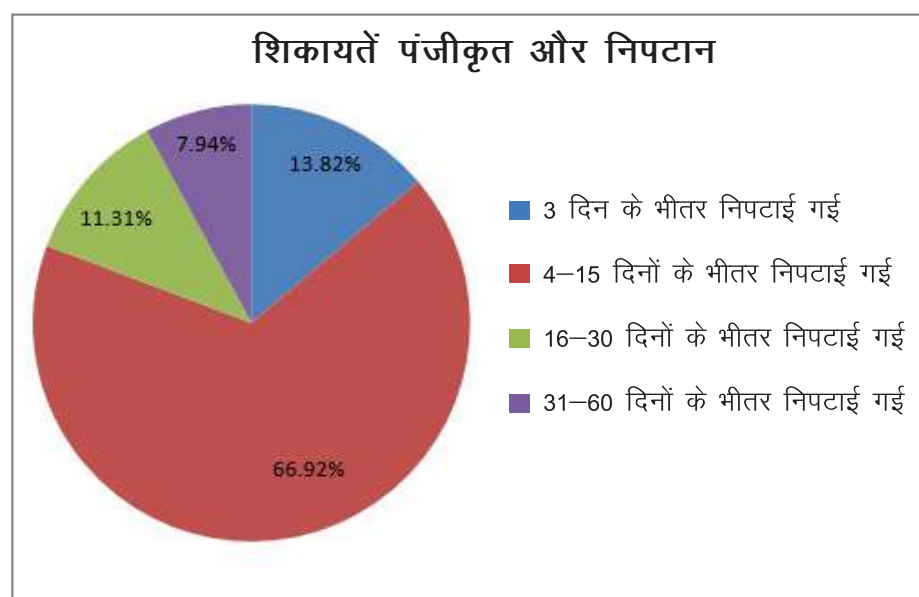
- यह द्विभाषी है जिससे शिकायतों को अंग्रेजी और हिंदी दोनों में पंजीकृत किया जा सकता है
- यूजर को प्रमाणित करने के लिए ओटीपी सत्यापन
- यूएन के आधार पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मास्टर डेटा बेस के साथ एकीकृत यूएन के परिणामस्वरूप शिकायत के निवारण के लिए ईपीएफ/कार्यालय की पहचान
- त्वरित समाधान – दर्ज शिकायत उस अधिकारी तक पहुंच जाती है जिसके पास सदस्य का खाता है
- व्यापक वर्गीकरण – शिकायतों की सही प्रकृति की पहचान करने के लिए 62 श्रेणियां शुरू की गईं
- शिकायतकर्ता की संतुष्टि के बाद ही शिकायत बंद की जाती है
- शिकायतकर्ता द्वारा (क) पोर्टल इंटरफेस (ख) निवारण की गुणवत्ता पर फीडबैक
- एक से अधिक दस्तावेज अपलोड – एक शिकायत में 3 दस्तावेज तक अपलोड किए जा सकते हैं
- इंटरएक्टिव सिस्टम – पूछे जाने पर शिकायतकर्ता ऑनलाइन टिप्पणी/स्पष्टीकरण भेज सकते हैं
- शिकायत निवारण में देरी होने पर शिकायतकर्ता को अंतरिम जवाब भेजा जा सकता है
- संप्रेषण और अलर्ट उपलब्ध कराने के लिए समर्पित ईमेल और एसएमएस सुविधा
- शिकायतों को 3-स्तरो पर भेजना – क्षेत्रीय कार्यालय, अंचल और मुख्यालय
- डैशबोर्ड और एमआईएस रिपोर्ट के माध्यम से प्रतिदिन मॉनिटरिंग

ग. ईपीएफआईजीएमएस पोर्टल पर निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा शिकायत दर्ज की जा सकती है—

- पीएफ सदस्य
- ईपीएस पेंशनभोक्ता
- नियोक्ता
- अन्य

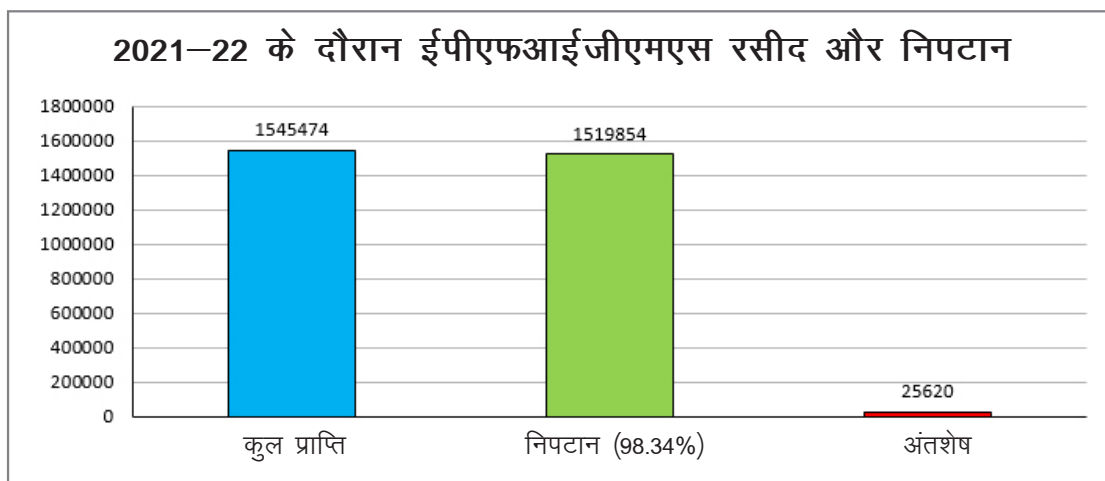
ईपीएफआईजीएमएस पर पंजीकृत तथा निपटाई गई शिकायतें

| वर्ष    | शिकायतों की संख्या | निपटाई गई | निपटान का प्रतिशत |
|---------|--------------------|-----------|-------------------|
| 2021-22 | 15,45,474          | 15,19,854 | 98.34%            |



- 81% शिकायतों का समाधान 15 दिनों के भीतर किया गया
- 92% शिकायतों का समाधान 30 दिनों के भीतर किया गया

ईपीएफआईजीएमएस में भी पिछले वर्ष की तुलना में शिकायतों में वृद्धि देखी गई। 2020-21 में प्राप्त शिकायतें 13,38,292 थीं जबकि 2021-22 में यह बढ़कर 15,45,474 हो गई जो कि 2020-21 की तुलना में 15.48% अधिक है।

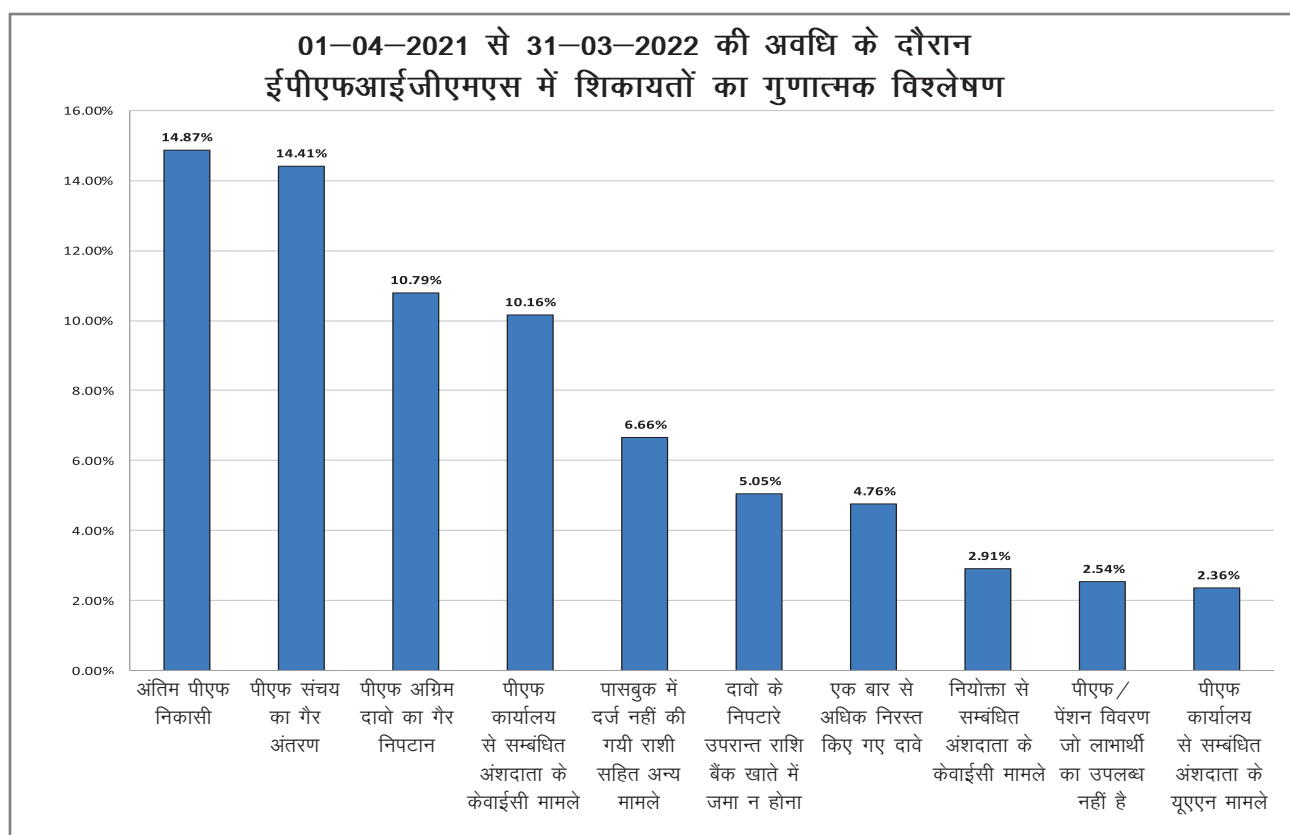


### ईपीएफआईजीएमएस पर कोविड-19 की शिकायतें

कोविड -19 महामारी अवधि के दौरान ईपीएफआईजीएमएस में शामिल शिकायतों की तीन श्रेणियां:

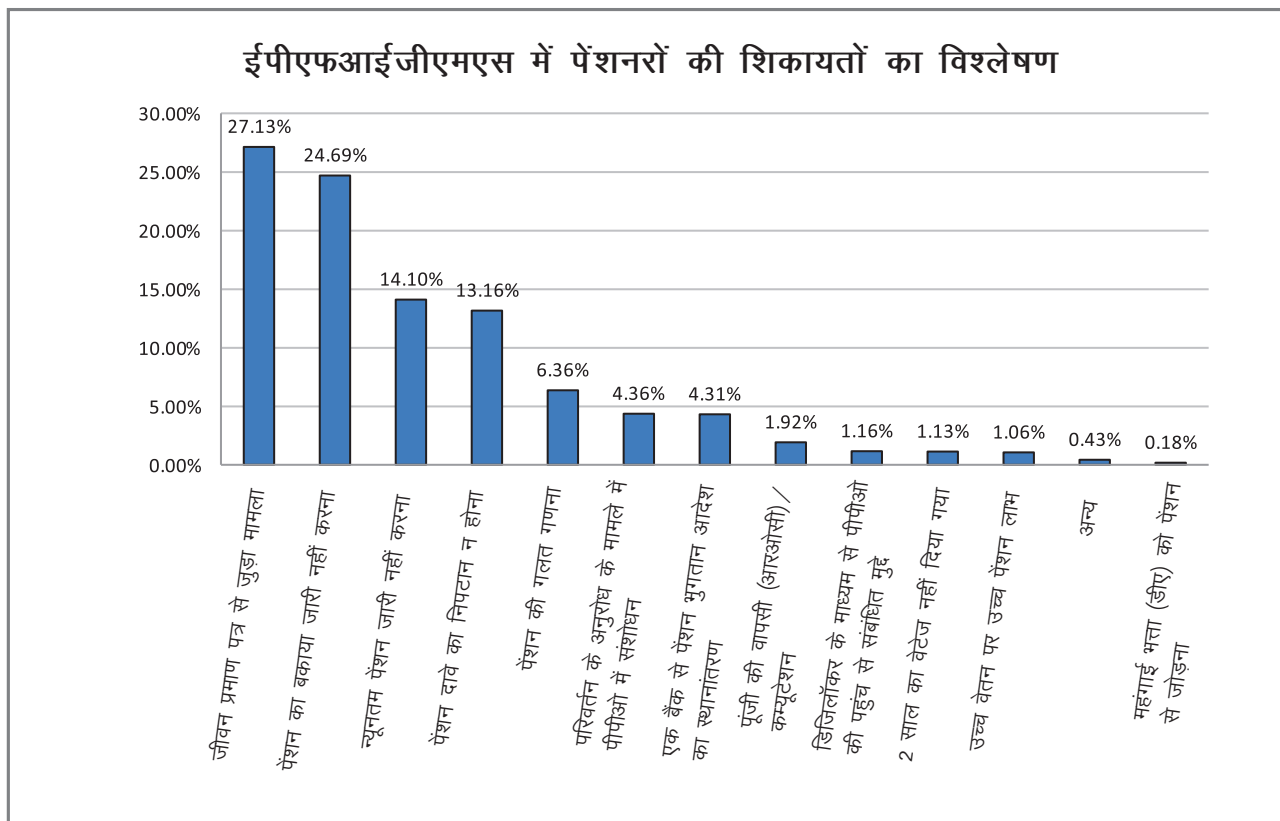
- क. कोविड-19 अग्रिम संबंधी
- ख. पीएमजीकेवाई से संबंधित
- ग. एक से अधिक बार अस्वीकृत दावे

कोविड-19 महामारी की अवधि के दौरान, कोविड-19 अग्रिमों से संबंधित 34,932 शिकायतें प्राप्त हुईं और 99.51% निपटान के साथ 34,760 शिकायतों का निपटारा किया गया।



## उमंग एप पर ईपीएफआईजीएमएस

| अवधि    | पंजीकृत शिकायत | उमंग के माध्यम से पंजीकृत | प्रतिशत |
|---------|----------------|---------------------------|---------|
| 2021-22 | 1532477        | 145827                    | 9.52    |



### 6.5 ईपीएफआईजीएमएस में कार्यालयों की स्टार रेटिंग

शिकायत निपटान की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए शिकायतों के निपटान के लिए स्टैकहोल्डर्स से फीडबैक प्राप्त किया गया। वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्त हुई 15,45,474 शिकायतों में से 15,19,854 शिकायतों यानि कि 98.34% का निपटारा किया गया है।

15,19,854 शिकायतों के निपटारे में से, ईपीएफओ को स्टैकहोल्डर्स से 2,48,221 अर्थात 16.33% फीडबैक प्राप्त हुए। इसके अलावा, 2,48,221 फीडबैक में से 1,11,768 (45.03%) फीडबैक 3 स्टार और उससे अधिक के हैं। अतः यह माना जा सकता है कि अधिकांश स्टैकहोल्डर ईपीएफओ के शिकायत निवारण तंत्र से संतुष्ट हैं।

पोर्टल निष्पादन तथा सुधार के लिए भी स्टैकहोल्डर्स से फीडबैक प्राप्त किया गया था। वर्ष के दौरान, ईपीएफआईजीएमएस पोर्टल के कार्य निष्पादन पर 81% फीडबैक 3 स्टार और उससे अधिक हैं।

### 6.6 कॉल सेंटर

ईपीएफओ के पास पूरे भारत में अपने स्टैकहोल्डर्स से टोल फ्री नंबर 1800118005 पर प्राप्त प्रश्नों के समाधान देने हेतु एनडीसी, द्वारका में एक कॉल सेंटर है। कॉल सेंटर कोविड-19 महामारी के दौरान भी काम कर रहा था। वर्ष 2021-22 के दौरान, नई दिल्ली स्थित कॉल सेंटर और 8 आंचलिक कॉल सेंटरों में 18,62,748 कॉलों पर कार्रवाई की गई।

- इसके अतिरिक्त, कॉल सेंटर को जनवरी, 2021 में सीएससी वीसीसी (वर्चुअल कॉन्टैक्ट सेंटर) के साथ नवीकरण किया गया था, जिसमें पहले की प्रणाली की तुलना में निम्नलिखित फायदे हैं:
  - » कॉल रिकॉर्डिंग सुविधा
  - » कॉल मॉनीटरिंग सुविधा
  - » रियल टाइम डैशबोर्ड
  - » मिसड कॉल स्टोर करने का प्रावधान
  - » कॉल बैक सुविधा
  - » एसएमएस भेजने का प्रावधान
  - » स्टैक होल्डर्स से फीडबैक
  - » विस्तृत रिपोर्ट हेतु प्रावधान
- सीएससी वीसीसी को लागू करने से पहले, कॉल सेंटर, प्रति दिन समाधान लगभग 2000 कॉल प्राप्त कर रहा था। इसके लागू होने के बाद, वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिदिन प्राप्त होने वाली औसत कॉलों की संख्या बढ़कर लगभग 5337 कॉल प्रति दिन (लगभग 165%) हो गई है।
- स्थानीय भाषाओं अर्थात हिंदी और अंग्रेजी के अलावा बंगाली, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मराठी, गुजराती, हिंदी और असमिया में प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 8 क्षेत्रीय कॉल सेंटर कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, मैंगलोर, बांद्रा, अहमदाबाद, जयपुर और गुवाहाटी में संचालित किए गए हैं।
- इंटरसेप्शन की सुविधा का उपयोग करके लाइव कॉल की निरंतर मॉनीटरिंग ने स्टैकहोल्डर्स को दिए गए उत्तर की गुणवत्ता सुनिश्चित की है।
- छह महीने की समयावधि के साथ सभी कॉलों को रिकॉर्ड करने की सुविधा शिकायत सत्यापन सुनिश्चित करती है।
- वास्तविक समय और इंटरैक्टिव डैशबोर्ड कुल एजेंटों, लॉगिन एजेंटों, सक्रिय एजेंटों, मुफ्त एजेंटों, ब्रेक पर एजेंटों, कतार में प्रतीक्षा करने वाले अंशदाता आदि की संख्या के संबंध में कॉल सेंटर के सुचारु कामकाज को सुनिश्चित करता है।
- एनडीसी, नई दिल्ली स्थित कॉल सेंटर में 61 एजेंट द्विभाषी हिंदी और अंग्रेजी में सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक 3 शिफ्टों में काम कर रहे हैं।







## गुवाहाटी में जोनल कॉल सेंटर का शुभारंभ

गुवाहाटी जोनल कॉल सेंटर का उद्घाटन 13 मार्च 2022 को माननीय केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्री द्वारा राज्य श्रम और रोजगार मंत्री और केंद्रीय न्यासी बोर्ड के सदस्यों की उपस्थिति में असमिया भाषा में कॉल का जवाब देने के लिए किया गया था। वर्तमान में ईपीएफओ अंग्रेजी और हिंदी के अलावा 7 स्थानीय भाषाओं (तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, गुजराती, बंगाली, असमिया) में कॉल का उत्तर दे रहा है।

## 6.7 व्हाट्सएप बिजनेस हेल्पलाइन

- ईपीएफओ ने जुलाई, 2020 से सभी 138 क्षेत्रीय कार्यालयों में व्हाट्सएप बिजनेस हेल्पलाइन कॉल नंबर शुरू किया है, ताकि स्टैकहोल्डरों द्वारा उनके घरों से उठाए गए प्रश्नों को आसानी से हल किया जा सके। ये व्हाट्सएप बिजनेस हेल्पलाइन नंबर ईपीएफओ की वेबसाइट पर पोस्ट किए गए हैं ताकि स्टैकहोल्डर अपने संबंधित भ.नि. कार्यालय के नंबरों तक आसानी से पहुंच सकें।
- प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में एक समर्पित टीम 24 घंटे के भीतर प्रश्नों का उत्तर सुनिश्चित करती है।
- वर्ष 2021-22 के दौरान व्हाट्सएप हेल्पलाइन के माध्यम से 5,12,487 शिकायतें/प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें से 5,03,572 का समाधान (98.26%) कर दिया गया है।
- सभी स्टैकहोल्डरों के लाभ के लिए हेल्पलाइन पर कैटलॉग सुविधाओं में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न/स्व-व्याख्यात्मक पाठ और मानकीकृत इन्फोग्राफिक को विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में साझा किया गया है।
- व्हाट्सएप हेल्पलाइन का एंड टू एंड एन्क्रिप्शन पूरी सुरक्षा का आश्वासन देता है।
- व्हाट्सएप हेल्पलाइन अंशदाताओं को निर्बाध और निरंतर सेवा वितरण सुनिश्चित करती है।

## 6.8 सोशल मीडिया

ईपीएफओ की सोशल मीडिया में प्रभावशाली उपस्थिति है। ईपीएफओ के सोशल मीडिया हैंडल से सोशल मीडिया के प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है और ईपीएफओ से संबंधित प्रश्नों का भी जवाब दिया जाता है जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के हैंडल पर प्राप्त होते हैं और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को उनके हैंडल पर पोस्ट करने के लिए भेजे जाते हैं।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्राप्त प्रश्नों के उत्तर की संख्या नीचे तालिका में दी गई है:

### क. सोशल मीडिया शिकायतें (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय/राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) से प्राप्त)

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा राज्य मंत्री (श्रम एवं रोजगार) (स्वतंत्र प्रभार) के ईपीएफओ से संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट पर प्राप्त शिकायतों/प्रश्नों का भी निवारण किया गया है। 01.04.2021 से 31.03.2022 की अवधि के दौरान, 2836 शिकायतें/प्रश्न प्राप्त हुए हैं और उनका निवारण किया गया है, जो निम्नानुसार है:

| माह           | प्राप्त शिकायतें | निपटाई गई शिकायतें | लंबित        |
|---------------|------------------|--------------------|--------------|
| अप्रैल, 2021  | 272              | 272                | शून्य        |
| मई, 2021      | 184              | 184                | शून्य        |
| जून, 2021     | 273              | 273                | शून्य        |
| जुलाई, 2021   | 269              | 269                | शून्य        |
| अगस्त, 2021   | 310              | 310                | शून्य        |
| सितंबर, 2021  | 196              | 196                | शून्य        |
| अक्टूबर, 2021 | 239              | 239                | शून्य        |
| नवंबर, 2021   | 289              | 289                | शून्य        |
| दिसंबर, 2021  | 251              | 251                | शून्य        |
| जनवरी, 2022   | 252              | 252                | शून्य        |
| फरवरी, 2022   | 164              | 164                | शून्य        |
| मार्च, 2022   | 137              | 137                | शून्य        |
| <b>कुल</b>    | <b>2836</b>      | <b>2836</b>        | <b>शून्य</b> |

## ख. ईपीएफओ

- ईपीएफओ की फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और कोरा जैसे सोशल मीडिया पर प्रभावशाली उपस्थिति है।
- सोशल मीडिया पर 31.03.2022 तक दिए गए उत्तर निम्नानुसार हैं:-

|        | प्राप्त प्रश्नों की संख्या | उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या | लंबित | निपटान % |
|--------|----------------------------|---------------------------------|-------|----------|
| फेसबुक | 50,922                     | 50,922                          | 0     | 100%     |
| ट्विटर | 29,721                     | 29,721                          | 0     | 100%     |

## 6.9 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यूज)

- ईपीएफओ से संबंधित कुल 375 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, डिविजनवार और श्रेणीवार वर्गीकृत किए गए।
- 13 आधिकारिक भाषाओं में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का अनुवाद सफलतापूर्वक पूरा हुआ। ये भाषाएँ हैं:- अंग्रेजी, हिंदी, तेलुगु, गुजराती, तमिल, पंजाबी, बंगाली, उड़िया, नेपाली, मलयालम, कन्नड़, मराठी और डोगरी
- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ईपीएफओ की वेबसाइट पर अंग्रेजी और हिंदी भाषा में सफलतापूर्वक अपलोड किए जाते हैं।
- ईपीएफओ के कोरा हैंडल पर 375 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न अपलोड किए गए हैं।
- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों से संबंधित क्रिएटिव ईपीएफओ के फेसबुक और ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किए गए हैं।

## 6.10 जन संपर्क अधिकारी एवं सुविधा केंद्र

संगठन के प्रत्येक कार्यालय में पीआरओ (जन संपर्क अधिकारी) तथा सुविधा केंद्र है। सभी आगंतुकों का सुविधा केंद्र पर स्वागत होता है और संगठन द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं/लाभों के संबंध में उचित मार्गदर्शन/स्पष्टीकरण उन्हें प्रदान किया जाता है। यदि उनकी कोई शिकायत हो, तो उसका भी निवारण किया जाता है।

## 6.11 महिला सशक्तिकरण डेस्क

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च 2022) के अवसर पर, माननीय मंत्री ने ईपीएफओ के साथ सभी महिला स्टेकहोल्डरों के विचार-विमर्श को पूरा करने के लिए एक महिला अधिकारिता डेस्क का शुभारंभ किया, जिसके तहत ईपीएफओ के महिला स्टेकहोल्डरों की सुविधा के लिए 25 हेल्पडेस्क स्थापित किए गए हैं:

|                   |              |                   |
|-------------------|--------------|-------------------|
| 1. दिल्ली (मध्य)  | 10. जयपुर    | 19. कोल्हापुरी    |
| 2. दिल्ली (उत्तर) | 11. शिमला    | 20. पुणे- अकुर्दी |
| 3. दिल्ली पश्चिम  | 12. उदयपुर   | 21. पुणे - कैंट   |
| 4. दिल्ली दक्षिण  | 13. अकोला    | 22. सोलापुर       |
| 5. बांद्रा        | 14. नागपुर   | 23. लुधियाना      |
| 6. बेंगलुरु       | 15. नासिक    | 24. चेन्नई        |
| 7. कोलकाता        | 16. जोधपुर   | 25. मैंगलोर       |
| 8. बैरकपुर        | 17. कोटा     |                   |
| 9. कोझीकोड        | 18. औरंगाबाद |                   |

## 6.12 प्रणालीगत परिवर्तन

सुधार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए समय-समय पर व्यापक नीतिगत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। ईपीएफओ में सेवा मानकों और उनकी गहन निगरानी प्रधान कार्यालय और अंचल कार्यालयों द्वारा की जा रही है। ईपीएफओ की सेवाओं को और अधिक ग्राहक-हितैषी बनाने के लिए निम्नलिखित नीतिगत बदलाव किए गए हैं:

- जिन ईपीएफओ अंशदाताओं के खाते में नियोक्ता के अंशदान का भाग जमा नहीं किया गया है, उन सभी को एसएमएस भेजा जाता है।

- अधिक पारदर्शिता लाने और शिकायतों को कम करने के लिए, भविष्य निधि की निकासी के समय अंशदाताओं को कैलकुलेशन शीट दी जाती है और पेंशनभोक्ताओं को भी स्वीकृत पेंशन राशि के विवरण वाली कैलकुलेशन शीट दी जाती है।

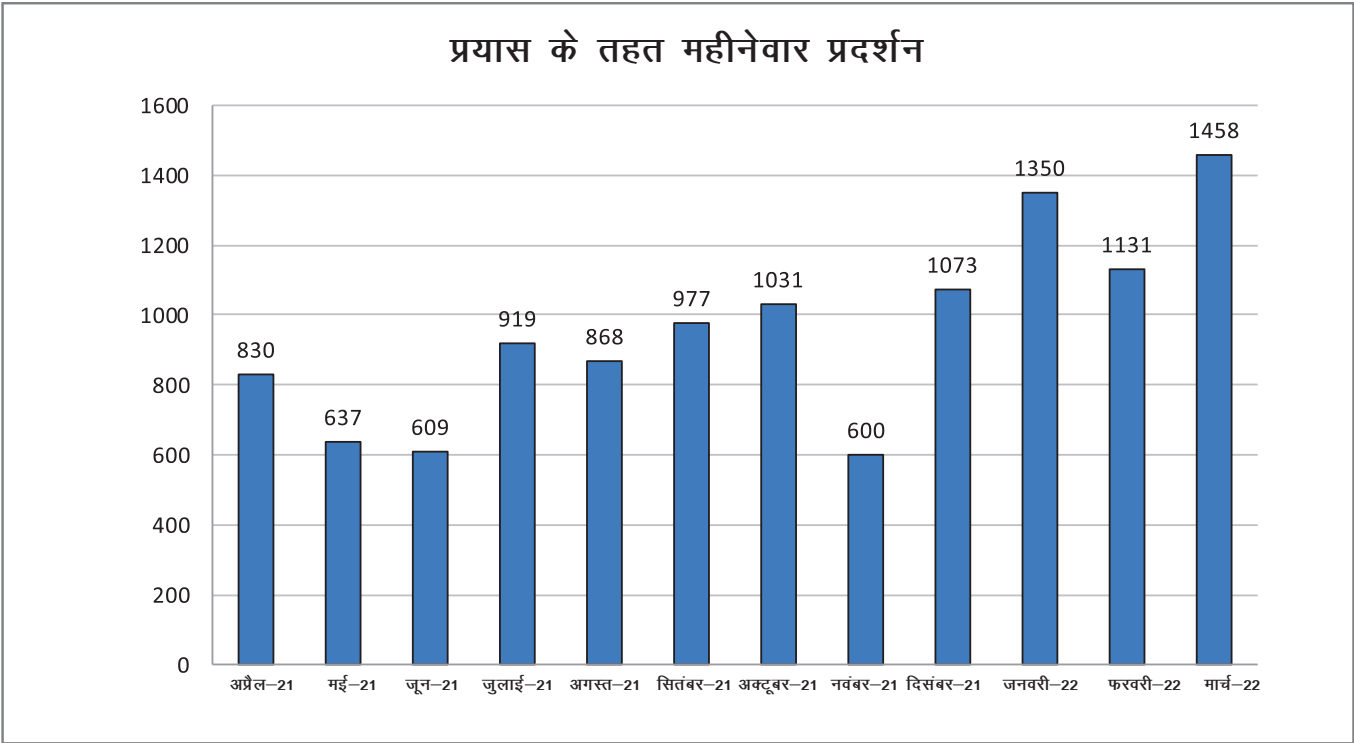
6.13 प्रयास

प्रयास, ईपीएस 1995 के सदस्यों को उनकी सेवानिवृत्ति के दिन पीपीओ सौंपने का एक प्रयत्न है। इस पहल के तहत, सदस्य के साथ-साथ उसके नियोक्ता को अग्रिम रूप से दावा प्रपत्र जमा करने की प्रक्रिया के माध्यम से उपयुक्त सुविधा और मार्गदर्शन दिया जाता है ताकि सेवानिवृत्ति के दिन सदस्य का पीपीओ जारी किया जा सके। प्रयास की शुरुआत 21.07.2020 को हुई थी

प्रयास में, उन ईपीएस-1995 सदस्यों के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा मासिक रूप से वेबिनार आयोजित किए जाते हैं, जो तीन महीने के भीतर सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिसमें उनके नियोक्ताओं को भी आमंत्रित किया जाता है। इन वेबिनारों का उद्देश्य ईपीएस-1995 के सदस्यों और उनके नियोक्ताओं को शिक्षित करना है ताकि वे सभी प्रकार से पूर्ण पेंशन दावे प्रस्तुत कर सकें और ऐसे सदस्यों को उनकी सेवानिवृत्ति के दिन पीपीओ जारी किया जा सके।

प्रयास के तहत सृजित पीपीओ का वर्ष-वार सारांश इस प्रकार है

| अवधि      | जनरेट किए गए पीपीओ की संख्या |
|-----------|------------------------------|
| 2020-2021 | 9702                         |
| 2021-2022 | 12933                        |



6.14 पेंशन अदालत

यह ईपीएस 1995 के पेंशनरों के लिए उनके संबंधित ईपीएफओ अधिकारियों/अधिकारियों के साथ उनकी शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता और कुशल और सुचारु सेवाओं पर हल करने के लिए एक पहल है। इस पहल में पेंशन न मिलने, बकाया, ट्रांसफर इन/आउट केस, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र आदि से संबंधित सभी प्रकार की शिकायतों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौके पर ही समाधान करने और उन्हें निर्बाध सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सुना जाता है। इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आयोजित किया जा सकता है।

'निधि आपके निकट' के अलावा हर माह 'पेंशन अदालत' का आयोजन भी किया जा रहा है।

### 6.15 निधि आपके निकट

संगठन की ओर से नियोक्ताओं सहित अपने स्टेकहोल्डरों के लिए अधिक सुलभ होने के प्रयास में, निधि आपके निकट शिविर हर महीने की 10 तारीख को फील्ड स्तर पर आयोजित किए जाते हैं। यह कार्यक्रम शिकायत निवारण के लिए भी एक मंच है क्योंकि यह सभी स्टेकहोल्डरों को एक सामान्य मंच पर लाता है जहां सेवा वितरण में भविष्य में सुधार के लिए प्रतिक्रिया प्राप्त की जाती है।

- यह कर्मचारियों /नियोक्ताओं और पेंशनभोक्ताओं को एक सामान्य मंच पर एक साथ लाता है।
- कार्यक्रम के दौरान ईपीएफओ द्वारा कर्मचारियों /नियोक्ताओं के हित में विभिन्न नई पहलों के बारे में बताया गया।
- यह कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को ईपीएफओ की सेवा वितरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों के संबंध में सुझाव और प्रतिक्रिया देने के लिए प्रोत्साहित करता है।

### संप्रेषण और जनसंपर्क प्रभाग

**6.16** संप्रेषण एवं जनसंपर्क प्रभाग (सी एवं पीआर) जनसंपर्क के लिए नोडल डेस्क का प्रतिनिधित्व करता है ताकि स्टेकहोल्डर्स, विशेष रूप से मीडिया, और समाज के अन्य राय निर्माताओं के साथ संबंध स्थापित किया जा सके और उसे बनाए रखा जा सके। इसकी जिम्मेदारियों में डिजाइनिंग, संचार, अभियान, प्रेस विज्ञप्ति जारी करना, प्रेस के साथ समन्वय करना शामिल है। यह संगठन के प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है, वेबसाइट और सोशल मीडिया सामग्री को बनाए रखता है, और ईपीएफओ की ब्रांड छवि बनाता है, जिससे नागरिक केंद्रित इकाई के रूप में सरकार की छवि में सुधार होता है।

कोविड महामारी के कारण पारंपरिक आउटरीच गतिविधियों के संदर्भ में पिछले वित्तीय वर्ष में अनूठी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तथापि, सी एवं पीआर डिवीजन ईपीएफओ द्वारा की गई पहलों के बारे में जागरूकता फैलाने में काफी सक्रिय रहा है ताकि जीवन में सुगमता, व्यवसाय करने में अनुकूलता, कुशल सेवा वितरण और ईपीएफ लाभों की पहुंच को व्यापक बनाया जा सके।

नागरिकों के साथ जुड़ने के लिए ईपीएफओ में विकास लाने के लिए समय-समय पर प्रेस विज्ञप्तियां जारी की गईं, विशेष रूप से उन पहलों के बारे में जिन्होंने कोविड युग के प्रभाव को कम करने में मदद की। प्रेस विज्ञप्ति, वेबिनार, और सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंच बनाना कार्यनीति में निहित थी। इसके परिणाम स्वरूप, ईपीएफओ के प्रयासों ने वास्तव में कोविड बाधा के बावजूद सरकार की “अनिवार्य सेवाओं” शाखा के रूप में कार्य करते हुए, सेवा अनुरोधों को संभालने के दौरान नागरिकों का विश्वास अर्जित किया। राष्ट्रीय मीडिया ने सामाजिक सुरक्षा वितरण को निर्बाध रूप से सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में विश्वास देने वाले ईपीएफओ की खबरों को बड़े पैमाने पर प्रसारित किया। लगभग सभी पहलों ने सकारात्मक कहानियां बनाईं जैसे कि आत्मानिर्भर भारत रोजगार योजना का त्वरित रोल आउट, जिसे विशेष रूप से लॉकडाउन के कारण होने वाली असुविधाओं को रोकने के लिए शुरू किया गया था, ईडीएलआई के तहत 28.04.2021 से 6 लाख से 7 लाख तक का आश्वासन लाभ, ईपीएफ सदस्यों को दूसरा नॉन-रिफंडेबल कोविड-19 अग्रिम लाभ उठाने की अनुमति देता है।

20 नवंबर, 2021 को आयोजित 229वीं केंद्रीय न्यासी बोर्ड बैठक में ‘रिस्पांस टू कोविड- 2.0’ शीर्षक से दो विशेष रूप से डिजाइन की गई पुस्तिकाओं का विमोचन किया गया। यह बुकलेट कोविड-19 महामारी के कठिन समय के दौरान अपने स्टेकहोल्डरों को नवाचार करने और निर्बाध सेवाएं प्रदान करने के लिए ईपीएफओ की तैयारियों को समाहित करने का एक प्रयास था। यह बुकलेट पुस्तिका श्रृंखला में दूसरी थी; पहला संस्करण 04 मार्च 2021 को आयोजित 228वीं केंद्रीय न्यासी बोर्ड बैठक में जारी किया गया था। एक अन्य पुस्तिका जिसका शीर्षक ‘निर्बाध: निर्बाध सेवा वितरण’, ईपीएफओ द्वारा “ईपीएफओ टू ई-ईपीएफओ” में सफल डिजिटल परिवर्तन की दिशा में पिछले तीन वर्षों में की गई पहलों और अपनाई गई कार्यनीतियों का संकलन है। इन प्रयासों ने ईपीएफओ को डिजिटल रूप से कागज रहित संगठनों की ओर बढ़ने में सक्षम बनाया है, जिससे इसके सभी स्टेकहोल्डरों के लिए जीवन की सुगमता में वृद्धि हुई है।

2020-2021 के दौरान, जहां महामारी कोविड-19 और परिणामी लॉकडाउन द्वारा गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा, सी एवं पीआर प्रभाग ने सोशल मीडिया के माध्यम से स्टेकहोल्डरों को फेसबुक और ट्विटर पर क्रिएटिव पोस्ट करके, यूट्यूब पर बैनर, कार्टून और वीडियो के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में शिक्षित किया।

### 6.17 सी एवं पीआर प्रभाग द्वारा सूचना प्रसार और लोकप्रिय बनाने के प्रमुख क्षेत्र थे:

- स्टेकहोल्डर्स के लिए यह सीख है कि ईपीएफओ व्यक्तिगत विवरण जैसे पैन, यूएएन, फोन, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप आदि पर बैंक खाता नहीं मांगता है, इसलिए ऐसी कॉल का जवाब कभी न दें।

- ई-नामांकन भरने के लाभ।
- ई-नामांकन कैसे दर्ज करें, इस पर उपाय
- ई-नामांकन फाइल करने की आवश्यकताएं
- सदस्यों को ई-नामांकन दायर करने और परिवार को सशक्त बनाने के लिए शिक्षित करना
- सदस्यों को शिक्षित करें कि ई-नामांकन क्यों दायर करना चाहिए
- पेरोल डाटा
- अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला सदस्यों से ई-नामांकन दायर करने और अपने परिवार के सदस्यों को सशक्त बनाने का आग्रह किया गया।
- आत्मानिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) के 3 स्तंभ
- स्टेकहोल्डर्स को टीडीएस देयताओं के बारे में जानकारी
- सदस्य मौजूदा नामांकन को बदलने के लिए नया नामांकन दायर कर सकते हैं।
- पेंशनभोक्ताओं को सूचना कि वे अब किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं जो जमा करने की तिथि से 1 वर्ष के लिए वैध होगा।
- सदस्यों को ईपीएफ ऑनलाइन अंतरण करने के बारे में शिक्षित करना।
- कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976 की मुख्य विशेषताएं
- मिस्ड कॉल द्वारा ईपीएफ शेष चेक करें
- ईपीएफओ सामाजिक सुरक्षा कवरेज के लिए एयर इंडिया को शामिल करता है
- ईपीएफओ रिकॉर्ड में जन्म तिथि को ऑनलाइन अपडेट करने की प्रक्रिया
- गैर-वापसी योग्य ईपीएफ अग्रिम के आवेदन के लिए सदस्यों को शिक्षित करें
- एबीआरवाई के तहत पंजीकरण की तिथि 31.03.2022 तक बढ़ाया गया
- ईपीएस 1995 के तहत माता-पिता/नामिती को देय लाभ
- ईपीएस 1995 के तहत अनाथों को देय लाभ
- ईपीएस 1995 के तहत विधवा/विधुर को देय लाभ
- ईपीएफ सदस्य दूसरे कोविड -19 अग्रिम का लाभ उठा सकते हैं
- ईपीएफओ सेवाएं उमंग ऐप पर उपलब्ध हैं।
- सदस्य शिकायतों के निवारण के लिए ईपीएफआईजीएमएस पोर्टल पर जा सकते हैं
- ईपीएफ सदस्य सेवा छोड़ने के बाद भी कोविड अग्रिम सुविधा का लाभ उठा सकते हैं

2021-2022 के दौरान, ईपीएफओ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का व्यापक रूप से महत्वपूर्ण बैठकों/कार्यक्रमों जैसे सीबीटी बैठकों, स्थापना दिवस समारोहों और सरकार द्वारा योजनाओं के शुभारंभ पर प्रकाश डालने के लिए एक आउटरीच टूल के रूप में उपयोग किया गया था। 31.3.2022 तक ईपीएफओ के फेसबुक पेज पर 2,96,920 फॉलोअर्स थे और पिछले वर्ष (यानी 2020-2021) की तुलना में लगभग 24% की बढ़ोत्तरी हुई तथा ट्विटर पर 1,92,197 फॉलोअर्स थे जो पिछले वर्ष (यानी 2020-2021) से लगभग 56% तक बढ़ गए और यूट्यूब पर कुल फॉलोअर्स की संख्या 18300 थी। आयोजित किए गए वेबिनार की कुल संख्या 26,186 थी जिसमें 1,68,519 स्टेकहोल्डर्स ने भाग लिया था।

### सूचना का अधिकार

**6.18** सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत उत्तरदायित्वों के प्रभावी निर्वहन हेतु ईपीएफओ ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों, आंचलिक कार्यालयों के साथ-साथ मुख्यालय के प्रत्येक प्रभाग के लिए केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (सी.पी.आई.ओ.), केंद्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी (सी.ए.पी.आई.ओ.) तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को नामित किया है। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वर्ष के दौरान निपटाए गए आवेदनों/फाइल की गई अपीलों की स्थिति **परिशिष्ट-6** में दी गई है।





महिला दिवस

# અધ્યાય

# 7

માનવ સંસાધન



## 7.1 परिचय

ईपीएफओ में संगठन के विशाल ढांचे तथा कर्मचारियों के कार्य में विविधता को देखते हुए “मानव संसाधन प्रबंधन” (एचआरएम) एक महत्वपूर्ण प्रभाग है। समग्र रूप से देखा जाए, तो प्रशिक्षण, करियर के विकास तथा निष्पादन प्रबंध के क्षेत्र में समुचित नीतियों के माध्यम से अपने अधिकारियों और स्टाफ की क्षमताओं को निरंतर चिन्हित, पोषण करने तथा प्रयोग करने के लिए माहौल सृजित करना ही ईपीएफओ के मानव संसाधन प्रभाग का कार्य है। मानव संसाधन को संगठन की सर्वाधिक मूल्यवान संपत्ति मानते हुए, वर्तमान कार्य तथा योजनाओं एवं संगठन में प्रत्याशित भविष्य की भूमिका के लिए निरंतर मूल्यांकन किया जाता है। मार्च, 2022 के अंत तक मुख्यालय, (राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी तथा 4 आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान तथा 1 उप आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान सहित) 21 आंचलिक कार्यालयों, 138 क्षेत्रीय कार्यालयों, 114 जिला कार्यालयों, 05 विशेष राज्य कार्यालयों में अधिकारियों और स्टाफ का 14484 समर्पित कार्यबल है। मानव शक्ति के संसाधनों के प्रबंध तथा कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने में इसका अधिकतम प्रयोग करने के लिए मानव संसाधन की कार्यप्रणाली मुख्यतः, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करती है।

मानव संसाधन विंग का नेतृत्व संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी, अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय) करते हैं। इनके कार्यों को प्रभागों और अनुभागों में व्यवस्थित किया जाता है, जैसे मानव संसाधन प्रबंधन प्रभाग, मानव संसाधन विकास प्रभाग, परीक्षा, प्रशिक्षण, कल्याण और औद्योगिक संबंध अनुभाग।

## 7.2 मानव शक्ति :

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कुल 24,073 स्वीकृत कार्यबल के लिए दिनांक 31.03.2022 तक अधिकारियों एवं स्टाफ की कुल वर्तमान संख्या 14,484 है।

ग्रुप ‘ए’, ग्रुप ‘बी’ तथा ग्रुप ‘सी’ के स्टाफ/अधिकारियों की पदवार स्वीकृत संख्या तथा कार्यरत संख्या का पदवार विवरण क्रमशः परिशिष्ट-7(i) से 7(iii) पर तथा अंचल/श्रेणी-वार विवरण परिशिष्ट 7(iv) से 7(vi) पर दिया गया है।

## वर्ष के दौरान की गई पदोन्नतियां

7.3 संगठन के समूह ‘ए’ संवर्ग का प्रबंधन केंद्रीय रूप से किया जाता है। मानव संसाधन प्रबंधन प्रभाग ने नियमित डीपीसी आयोजित करके संगठन के लिए जनशक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सभी महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा किया। ग्रुप ‘ए’, ‘बी’ और ‘सी’ में की गई कैडर-वार पदोन्नति इस प्रकार है: —

### 7.3.1 ग्रुप ‘ए’ कैडर:

- **क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-I :** 152 क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-I की नियुक्ति पीबी3 रु. 15600-39100/- ग्रेड पे. रु. 8700/- के एनएफएसजी स्केल में करने के लिए एनएफएसजी आदेश जारी किया गया।
- **क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-II:** पैनल वर्ष 2021 एवं 2022 के लिए वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-II के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की गई और कुल 96 अधिकारियों को क्षेत्रीय भविष्य निधि-II के पद पर पदोन्नत किया गया। इसके अलावा, 01 अधिकारी को सीलबंद लिफाफा खोलकर क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-II के पद पर पदोन्नत किया गया।
- **सहायक भविष्य निधि आयुक्त:** वेतन मैट्रिक्स के लेवल 10 में सहायक भविष्य निधि आयुक्त के पद पर प्रोन्नति के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक आयोजित की गई और 49 अधिकारियों को सहायक भविष्य निधि आयुक्त के पद पर पदोन्नत किया गया। इसके अलावा, सीलबंद लिफाफा खोलकर 02 अधिकारियों को भी सहायक भविष्य निधि आयुक्त के पद पर पदोन्नत किया गया।
- **निदेशक (राजभाषा):** वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 में निदेशक (राजभाषा) के पद पर पदोन्नति के लिए एक कार्यालय आदेश जारी किया गया।

- **सहायक निदेशक (आईएस)** — पीबी-3, रु15600-39100/- . ग्रेड पे रु. 6600/- के सीनियर टाइम स्केल में 18 सहायक निदेशक (आईएस) की नियुक्ति के लिए एक एसटीएस आदेश जारी किया गया।
- **मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी:** मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी को वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 में प्रतिनियुक्ति के आधार पर ईपीएफओ में नियुक्त किया गया (पीबी -4, रुपये 37,400- 67,000 रुपये ग्रेड वेतन 8700/- रुपये के साथ)।

### 7.3.2 गुप 'बी' कैडर:

- **प्रवर्तन अधिकारी/लेखा अधिकारी (वरिष्ठता कोटा):** 14 क्षेत्रों के लिए प्रवर्तन अधिकारी/लेखा अधिकारी के पद के लिए नियमितीकरण/पदोन्नति को मंजूरी दी गई। वरिष्ठता कोटे के अंतर्गत प्रवर्तन अधिकारी/लेखा अधिकारी के पद पर कुल 145 कर्मचारियों की पदोन्नति की गई।
- **निजी सचिव (वरिष्ठता कोटा):** 91 निजी सहायकों के निजी सचिव के पद के लिए नियमितीकरण/पदोन्नति को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया था।
- **अनुभाग अधिकारी (वरिष्ठता कोटा):** 04 सहायक अनुभाग अधिकारियों के संबंध में अनुभाग अधिकारी के पद के लिए नियमितीकरण/ पदोन्नति को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया था।
- **सहायक अनुभाग अधिकारी (वरिष्ठता कोटा):** 10 अपर डिवीजन लिपिकों के संबंध में सहायक अनुभाग अधिकारी के पद के लिए नियमितीकरण/पदोन्नति को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया था।

**7.4 आरक्षण नीति का कार्यान्वयन** ईपीएफओ संगठन के मुख्य कार्यालय में स्थापित मुख्य संपर्क अधिकारी (सीएलओ) के रूप में अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अध्यक्षता में एक विशेष प्रकोष्ठ, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों/कार्मिकों से संबंधित समय-समय पर जारी आरक्षण नीति के आदेशों का उचित अनुपालन सुनिश्चित करता है और इन श्रेणियों के कर्मचारियों की शिकायतों का भी निपटारा करता है। यह इन श्रेणियों के लिए सांख्यिकीय डेटा की जांच और समेकन करता है। मुख्य संपर्क अधिकारी की सहायता मुख्य कार्यालय में एक संपर्क अधिकारी और 01 अनुभाग अधिकारी करते हैं। इसके अलावा, प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयों में एक संपर्क अधिकारी नामित किया गया है।

सीएलओ क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अनुरक्षित आरक्षण रॉस्टर्स/रजिस्टर्स का निरीक्षण करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों का दौरा भी करता है। इसी प्रकार, क्षेत्रीय कार्यालयों के संपर्क अधिकारी समय-समय पर अपने-अपने कार्यालयों में आरक्षण रॉस्टर्स/रजिस्टर्स का निरीक्षण और संवीक्षा करते हैं। निरीक्षण के दौरान यदि आरक्षित श्रेणियों की कमी/ बैकलॉग रिक्तियों सहित, रॉस्टर/रजिस्टर्स के उचित कार्यान्वयन में कोई चूक पाई जाती है तो, संबंधित कार्यालयों द्वारा सुधार किए जाने हेतु निरीक्षण रिपोर्ट में दर्ज की जाती है। सीएलओ की सिफारिशों पर तुरंत ध्यान दिया जाता है और उन्हें स्पष्ट किया जाता है।

विशेष प्रकोष्ठ को वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों और उनके संघों से 19 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से 04 का उत्तर दे दिया गया है या उनका समाधान कर दिया गया है और शेष 15 को अंतिम रूप देने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

### गुप 'ए' के पदों में आरक्षण

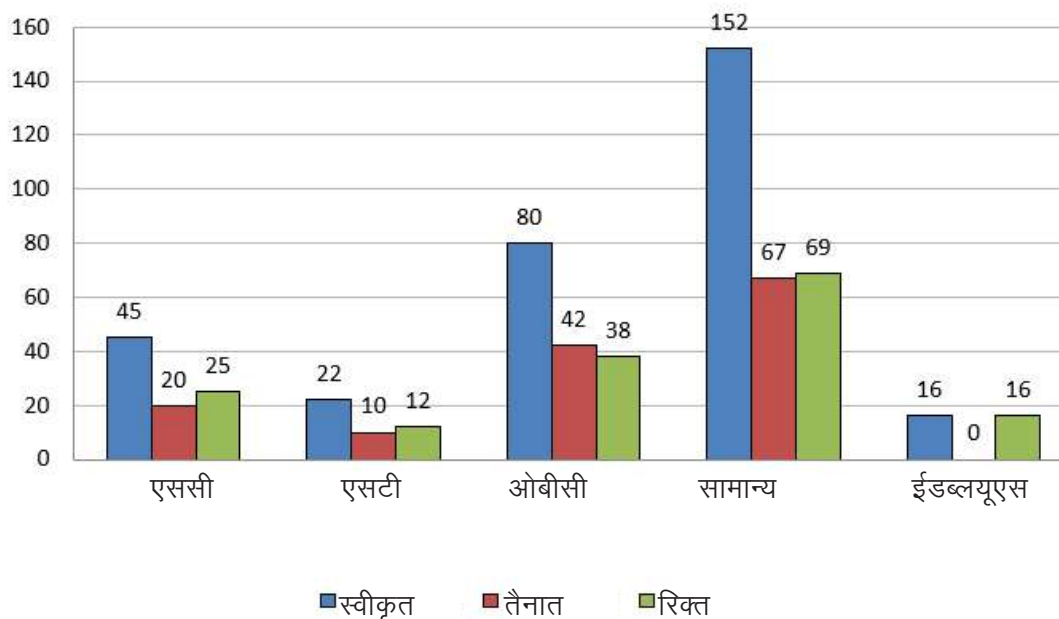
भारत सरकार की नीति के अनुसार समूह 'ए' में सेवाओं में आरक्षण केवल सहायक भविष्य निधि आयुक्त के ग्रेड में संगठन के आयुक्त संवर्ग के निम्नतम रैंक में लागू है।

वर्तमान प्रावधानों के अनुसार, सहायक भविष्य निधि आयुक्त संवर्ग में पात्र अधिकारियों को आरक्षण का लाभ दिया गया है। 31.12.2021 को, सीधी भर्ती कोटा में सहायक भविष्य निधि आयुक्त के संवर्ग में विभिन्न श्रेणियों का प्रतिनिधित्व और साथ ही विभागीय पदोन्नति कोटा नीचे **तालिका-I एवं तालिका-II** में दिया गया है: -

तालिका-1:

सीधी भर्ती कोटा – 31.12.2021 की स्थिति

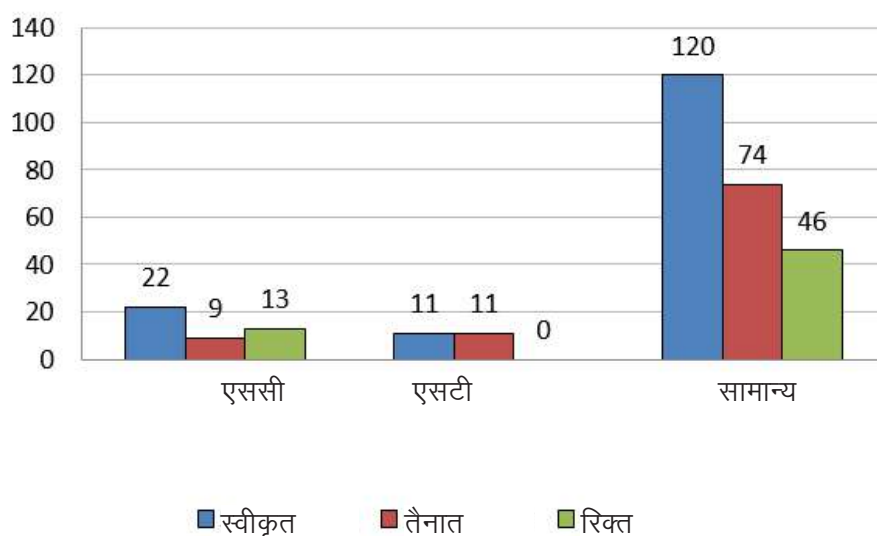
सहायक भविष्य निधि आयुक्त-सीधी भर्ती कोटा



तालिका- 2

विभागीय पदोन्नति कोटा – 31.12.2021 को स्थिति

सहायक भविष्य निधि आयुक्त-विभागीय पदोन्नति कोटा



7.5 अंतर-क्षेत्रीय स्थानान्तरण:

केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने एसएसए के कैडर के लिए अंतर क्षेत्रीय (राज्य) स्थानान्तरण नीति में संशोधन किया और सक्षम प्राधिकारी को उन अधिकारियों के संबंध में सेवा अवधि में छूट देने के लिए अधिकृत किया जहां स्थानान्तरण के लिए अनुरोध प्रचलित डीओपी&टी दिशानिर्देशों के आधार पर किया गया है। तदनुसार, वर्ष 2022 के लिए अंतर क्षेत्रीय (राज्य) स्थानान्तरण के अनुरोधों पर कार्रवाई की गई और 74 अधिकारियों के संबंध में स्थानान्तरण आदेश जारी किए गए।

## 7.6 अनुकंपा नियुक्ति:

केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने अनुकंपा के आधार पर व्यक्तियों को नियुक्त करने की शक्तियों के प्रत्यायोजन को संशोधित किया। केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त और अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (अंचल) को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए शक्तियों के संशोधित प्रत्यायोजन के बाद, संबंधित सक्षम अधिकारियों द्वारा नियुक्ति के 20 प्रस्ताव जारी किए गए हैं।

## मानव संसाधन विकास (एच आर डी)

**7.7** मानव संसाधन विकास विंग, मानव संसाधन प्रभाग की नीति योजना विंग है। उसकी निर्दिष्ट जिम्मेदारियों में, पदों का सृजन एवं, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से परामर्श करते हुए भर्ती नियमों का आलेखन एवं संशोधन करना है। यह कैंडर समीक्षा एवं पुनर्संरचना, प्रशिक्षण एवं विकास से संबंधित नीतिगत मामलों तथा प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन को भी संभालता है। मौटे तौर पर इस प्रभाग का कार्य ऐसे माहौल का सृजन करना है, जिससे कि प्रशिक्षण, कैरियर विकास और निष्पादन प्रबंधन के क्षेत्र में समुचित नीतियों के माध्यम से अधिकारियों तथा स्टाफ की क्षमताओं की निरंतर पहचान, पोषण एवं प्रयोग होता रहे।

**7.8** वर्ष 2021-2022 के दौरान, ईपीएफओ में आयुक्त संवर्ग के लिए स्थानांतरण नीति को संशोधित किया गया था और "आयुक्त संवर्ग के लिए स्थानांतरण नीति, 2022 30.03.2022 को परिचालित की गई थी।

**7.9** ईपीएफओ में ग्रुप बी अधिकारियों के लिए एक मसौदा स्थानांतरण नीति तैयार की गई और स्टेकहोल्डर्स की टिप्पणियों के लिए परिचालित की गई।

**7.10** ई-ऑफिस के अखिल भारतीय रोल आउट के लिए कार्य शुरू किया गया था और लगभग 15000 उपयोगकर्ताओं के लिए लाइसेंस के लिए एनआईसी और तकनीकी सहायता के लिए रेलटेल के साथ मामला उठाया गया। इसे क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी से आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया।

**7.11** सीसीएस (आचरण) नियम, 1964 के नियम 13 और नियम 18 के अंतर्गत संपत्ति रिटर्न की सूचना के मामले में शक्तियों का पुनः प्रत्यायोजन किया गया था।

**7.12** 01.01.2004 को या उसके बाद नियुक्त हुए केंद्रीय बोर्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए भारत सरकार की नई पेंशन योजना (एनपीएस) को 15.09.2010 को आयोजित केंद्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी की भविष्य निधि की 190 वीं बैठक में संगठन द्वारा अंगीकार किया गया था। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कुल 136 डीडीओ को नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के साथ पीएओ के रूप में पंजीकृत किया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 7740 कर्मचारी वर्तमान में एनपीएस के सदस्य हैं।

## परीक्षा अनुभाग

**7.13** ईपीएफओ, मुख्यालय का परीक्षा अनुभाग ईपीएफओ में विभिन्न संवर्गों के भर्ती नियमों में निर्धारित परीक्षा कोटे के विरुद्ध रिक्तियों को भरने के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करता है तथा ईपीएफओ में समूह-बी (अराजपत्रित) तथा समूह-सी के पदों हेतु सीधी भर्ती परीक्षाओं का भी आयोजन करता है। इसके अतिरिक्त, परीक्षा अनुभाग सीधी भर्ती के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा और परिवीक्षाधीन परीक्षा आयोजित करने के लिए परीक्षा योजनाओं को भी अधिसूचित करता है। वर्ष 2021-2022 के दौरान कृत कार्रवाई का विवरण नीचे दिया गया है।

## अनुभाग पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए एलडीसीई के परिणाम की घोषणा:

अनुभाग पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक 27.07.2019 को आयोजित की गई थी। इस परीक्षा के संबंध में, विभिन्न कानूनी मंचों में पात्रता, वर्षवार परिणाम आदि विभिन्न श्रेणियों के लगभग 70 मामले दर्ज किए गए थे। विभिन्न कानूनी मुद्दों की विस्तार से जांच की गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक राज्य के संबंध में परिणाम की घोषणा को रोकने वाला कोई कानूनी मुद्दा नहीं है। तदनुसार, जब लंबित मुद्दों का समाधान किया गया, राज्यों के संबंध में परिणाम चरणों में घोषित किया गया। परिणाम विभिन्न अदालती मामलों के परिणाम के अधीन घोषित किया गया था।

परिणाम की घोषणा का विवरण इस प्रकार है: —

| क्रम सं | क्षेत्र/राजनीतिक राज्य | परिणाम घोषणा तिथि | रिक्ति |       |       |     | योग्य |       |       |     |
|---------|------------------------|-------------------|--------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-----|
|         |                        |                   | एस सी  | एस टी | यू आर | कुल | एस सी | एस टी | यू आर | कुल |
| 1       | 17 राज्य*              | 25.01.2022        | 107    | 54    | 598   | 759 | 107   | 28    | 598   | 733 |
| 2       | गुजरात                 | 10.02.2022        | 11     | 03    | 61    | 75  | 11    | 03    | 61    | 75  |
| 3       | मध्य प्रदेश            |                   | 04     | 07    | 24    | 35  | 04    | 07    | 24    | 35  |
| 4       | राजस्थान**             | 22.02.2022        | 03     | 02    | 17    | 22  | 03    | 02    | 16'   | 21  |
| 5       | तेलंगाना               | 25.03.2022        | 04     | 04    | 26    | 34  | 04    | 04    | 26    | 34  |
| 6       | झारखण्ड                | 29.03.2022        | 01     | 00    | 07    | 08  | 01    | 00    | 07    | 08  |
| कुल     |                        |                   | 130    | 70    | 733   | 933 | 130   | 44    | 732   | 906 |

\*उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्व क्षेत्र, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु।

\*\*माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के दिनांक 29.05.18 के अंतरिम आदेश के अनुसार श्री प्रेमचंद देशन्त्री द्वारा दायर एसबीसी नं. 7261/2018 में एक पद रिक्ति रखा गया था।

#### 7.14 राजभाषा हिंदी का प्रगामी प्रयोग

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार को सुनिश्चित करने तथा विभिन्न स्तरों पर इसका प्रयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में, चुनौतीपूर्ण स्थितियों के बीच समीक्षाधीन वर्ष (2021-2022) में भी राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग में समग्र रूप से वृद्धि हुई है, जैसा कि निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट है:

- संगठन के मुख्यालय सहित समस्त क्षेत्रीय/आंचलिक कार्यालयों तथा आंचलिक प्रशिक्षण संस्थानों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है। सभी क्षेत्रीय/आंचलिक कार्यालयों तथा आंचलिक प्रशिक्षण संस्थानों में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समितियों ने प्रत्येक तिमाही में सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। गृह मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा जारी किए गए एसओपी के अनुसार वर्चुअल प्लेटफॉर्म या सामाजिक दूरी के मानदंडों को बनाए रखते हुए इन कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की कुल 623 बैठकों का आयोजन किया गया।
- वर्ष के दौरान, मुख्यालय द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों/आंचलिक कार्यालयों तथा आंचलिक प्रशिक्षण संस्थानों से प्राप्त 652 तिमाही प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा की गई तथा कार्य की गुणवत्ता के आधार पर 'सर्वश्रेष्ठ', 'बहुत अच्छा', 'संतोषजनक' तथा 'खेदजनक' ग्रेडिंग प्रदान की गई। उल्लेखनीय है कि संगठन के समस्त कार्यालयों द्वारा राजभाषा नियम-5 तथा राजभाषा अधिनियम की धारा-3(3) का पूर्ण अनुपालन किया जा रहा है।
- संगठन में राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार हेतु तथा स्टाफ को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वर्ष के दौरान भारत सरकार, द्वारा जारी एसओपी के अनुसार वर्चुअल प्लेटफॉर्म या सामाजिक डिस्टेंसिंग मानदंडों को बनाए रखते हुए कुल 607 हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओं में कुल 5,424 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने कार्यालयीन कार्य में हिंदी का व्यावहारिक प्रयोग करने के लिए अपने ज्ञान तथा कौशल में सुधार का अवसर प्राप्त हुआ।
- 'विभागीय हिंदी प्रयोग नकद पुरस्कार प्रोत्साहन योजना' के अंतर्गत संगठन के उन कर्मचारियों को, जिन्होंने 'ख' क्षेत्र में 75 % तथा 'ग' क्षेत्र में 50% कार्य हिन्दी में किया है, प्रत्येक को रु 1000/- का नकद पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस मद के तहत कुल रु 14,55,000/- की राशि खर्च की गई है।
- राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, दक्षिण दिल्ली-। की अध्यक्षता कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, मुख्यालय को सौंपी गई है। वर्तमान में इसके अंतर्गत सदस्य कार्यालयों की संख्या लगभग 70 है। सदस्य

कार्यालयों की रिपोर्टों को मॉनिटर करने के लिए 8 नोडल कार्यालयों को भी नामित किया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की आधिकारिक वेबसाइट पर ईपीएफओ कॉर्नर टेब के अंतर्गत नराकास टेब उपलब्ध कराया गया है, जिससे कि सभी कार्यालय अपनी सूचना उपलब्ध करा सकें। ई-मेल के माध्यम से सदस्य कार्यालयों से संपर्क करने के लिए ई-मेल आईडी [tollic.epfo@epfindia.gov.in](mailto:tollic.epfo@epfindia.gov.in) का भी सृजन किया गया है।

- राजभाषा विभाग के निर्देशों के अनुसार संगठन के लगभग सभी क्षेत्रीय/आंचलिक कार्यालय तथा आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) के सक्रिय सदस्य हैं तथा उसकी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। वर्ष के दौरान अपने-अपने कार्यालयों में हिन्दी में श्रेष्ठ कार्य निष्पादन के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, ठाणे, मंगलूर, मुजफ्फरपुर, नागपुर, आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान, कोलकाता को पुरस्कार, राजभाषा शील्ड एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया।
- स्टाफ द्वारा उपयोग करने हेतु प्रत्येक कार्यालय में एक पुस्तकालय है। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार, पुस्तकों की खरीद पर खर्च की गई कुल राशि में से 50% राशि हिंदी पुस्तकों की खरीद के लिए खर्च की जाती है।
- भारत सरकार के एसओपी दिशा-निर्देशों और अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए सितंबर माह के दौरान संगठन के सभी कार्यालयों में हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं में पुरस्कार स्वरूप रु. 23,71,645/- की राशि खर्च की गई।
- ईपीएफओ में राजभाषा में की गई प्रगति की समीक्षा करने के लिए संसदीय राजभाषा समिति ने क्षेत्रीय कार्यालय, करनाल (09.04.2021), पीडीनास (06.07.2021) क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली, (मध्य) (16.08.2021), क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली, (दक्षिण) (18.08.2021), क्षेत्रीय कार्यालय, फरीदाबाद (20.09.2021), क्षेत्रीय कार्यालय, वड़ोदरा (22.09.2021), क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी (26.10.2021), क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता (28.10.2021), क्षेत्रीय कार्यालय, दार्जिलिंग (29.12.2021) क्षेत्रीय कार्यालय, सिलिगुड़ी (31.12.2021) तथा क्षेत्रीय कार्यालय पोर्टब्लेयर (25.02.2022) का निरीक्षण किया।

### 7.15 ईपीएफ स्टाफ पेंशनभोक्ता

दिनांक 31.03.2022 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कुल पेंशनभोक्ताओं की संख्या 14,552 है। इनमें से 11120 पेंशनभोक्ता हैं तथा 3432 परिवार पेंशनभोक्ता हैं। विशेष रूप से उनकी शिकायतों के निवारण हेतु नोडल अधिकारियों को नामित किया गया है। स्टाफ पेंशनभोक्ता एवं परिवार पेंशनभोक्ता की कुल संख्या (अंचल-वार) का विवरण **परिशिष्ट -7(vii)** पर दिया गया है।

### 7.16 सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 48 और एफआर धारा 56 (जे) के अंतर्गत समीक्षा

सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 48 और एफआर धारा 56 (जे) के अंतर्गत स्क्रीनिंग और समीक्षा से संबंधित कार्रवाई मुख्य कार्यालय के साथ-साथ फील्ड कार्यालयों में भी की जा रही है। क्षेत्रीय कार्यालयों के संबंध गुप-ए और गुप-बी (ईओ/एओ और समकक्ष और ईओ/एओ और समकक्ष से नीचे) पदों के लिए और मुख्य कार्यालय में (एसओ और समकक्ष और एसओ और समकक्ष से नीचे) पदों के लिए समीक्षा की गई थी। उपलब्ध और संबंधित फील्ड कार्यालय से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार गुप-ए और गुप-बी के संवर्गों में 1068 अधिकारियों/कर्मचारियों की स्क्रीनिंग की गई है और 464 अधिकारियों की समीक्षा मुख्यालय और फील्ड कार्यालयों में गुप-बी के कैडर में की गई है।

### 7.17 वार्षिक अचल संपत्ति रिटर्न (एआईपीआर)

इन-हाउस विकसित एआईपीआर मॉड्यूल को तैनात किया गया है और ईपीएफओ के 798 गुप ए अधिकारियों और 3481 गुप बी अधिकारियों के संबंध में एआईपीआर को इस मॉड्यूल के माध्यम से वर्ष 2021-22 के लिए ऑनलाइन जमा किया गया था। यह सॉफ्टवेयर ईपीएफओ के सूचना सेवा प्रभाग द्वारा डिजाइन, विकसित और तैनात किया गया है।

### 7.18 अनुशासनात्मक और अपील/समीक्षा अनुभाग (डीएआर):

ऐसी कमियां, जो प्रशासनिक प्रकृति की होती हैं तथा जो सतर्कता से संबंधित नहीं होती, उनके लिए 29 सितंबर, 2011 को मुख्यालय के मानव संसाधन प्रभाग के अंतर्गत प्रशासनिक सतर्कता अनुभाग का सृजन किया गया जिसे बाद में कुछ अतिरिक्त कार्यभार भी अंतरित किए गए। अनुभाग को अब अनुशासनात्मक तथा अपील/समीक्षा (डीएआर) अनुभाग के नाम से जाना जाता है।



### कार्य निष्पादन को संक्षेप में नीचे दिया गया है:

- प्रशासनिक चूक के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही आरंभ करना: नोटिस किए गए कदाचार के आधार पर, 04 अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी। लंबित विभागीय मामलों (पिछले वर्ष से लंबित मामलों सहित) को समय पर अंतिम रूप देने के लिए कदम उठाए गए, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे 03 मामलों का समापन किया गया।
- निलंबन के मामलों की समीक्षा: मामला सतर्कता विंग से मा.सं.प्र. और फिर एवीएस को अंतरित करने के बाद, सतर्कता मामलों सहित सभी मामलों में निलंबन, डीएआर अनुभाग में संसाधित किया जाता है। निलंबन समीक्षा समिति की बैठकें/विचार-विमर्श समय-समय पर होता रहता है और सभी मामलों को समीक्षा के लिए इसके समक्ष रखा जाता है। नियुक्ति प्राधिकारी के निर्णय के आधार पर कुल 08 अधिकारियों को निलंबित किया गया। समिति की सिफारिश के अनुसार 02 अधिकारियों (पिछले वर्षों के दौरान निलंबित किए गए सहित) का निलंबन रद्द कर दिया गया।
- ऊपर वर्णित मुख्य क्षेत्रों से संबंधित विविध कार्य: आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत आवेदनों के अतिरिक्त, अदालतों/न्याधिकरणों/आयोगों से संबंधित मामलों सहित, विभागीय मामलों के लिए जांच/प्रेजेंटिंग अधिकारियों को मानदेय की मंजूरी आदि के अलावा, लगभग 1300 सतर्कता अनापत्ति प्रमाणपत्रों पर कार्रवाई की गई।

### 7.19 स्टाफ कल्याण गतिविधियां

दिनांक 29.12.1989 को आयोजित अपनी 121वीं बैठक में, केंद्रीय न्यासी बोर्ड (ईपीएफ) ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सभी स्टाफ सदस्यों को सुरक्षा-सह-कल्याण कवर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ईपीएफ स्टाफ कल्याण निधि की गठन के प्रस्ताव के लिए स्वीकृति प्रदान की।

वर्ष 2021-22 के दौरान सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से स्टाफ मनोरंजन क्लब, छात्रवृत्ति और बुक अवार्ड और अन्य गतिविधियों जैसे कि मुख्यालय एवं पीडीनास सहित प्रत्येक फील्ड कार्यालय में गठित एक स्क्रीनिंग समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर लंबी बीमारी और सर्जरी में कर्मचारियों / परिवार के सदस्य को 2.10,000/- रूपए की वित्तीय सहायता प्रदान करनाय सेवानिवृत्त हो रहे प्रत्येक कार्मिक के संबंध में, प्रति सेवानिवृत्त कर्मचारी हेतु निर्धारित विदाई अनुदान रु 15,000/- उन सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य चिकित्सा स्वास्थ्य जांच, जो 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं और उन कर्मचारियों के लिए यह वैकल्पिक है जो 45 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त चिकित्सा स्वास्थ्य जांच सुविधाओं का लाभ कर्मचारियों और उनके जीवनसाथी द्वारा 50-55 वर्ष के बीच द्विवार्षिक रूप से और 55-60 वर्ष की आयु में हर वर्ष लिया जा सकता है जिसकी अधिकतम सीमा रु. 2000/- प्रति पुरुष कर्मचारी/महिला कर्मचारी के जीवनसाथी और रु 2200/- महिला कर्मचारी/पुरुष कर्मचारी की जीवनसाथी के लिए है महिला दिवस समारोह का खर्च महिलाओं के लिए कॉमन रूम का रखरखाव हॉलिडे होम/गेस्ट हाउस, कैंटीन रखरखाव मृत्यु राहत निधि आदि) के लिए "स्टाफ कल्याण निधि" के बजटीय शीर्ष के अंतर्गत रु. 21 करोड़ की राशि, संबंधित आंचलिक कार्यालयों/मुख्यालय/पीडीनास के माध्यम से विभिन्न स्टाफ कल्याण समितियों (आरएस डब्ल्यूसी) को आबंटित की गई।

### 7.20 नई पहल की गई :

गैर-कोविड-19 (सामान्य मृत्यु) के कारण कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में रु आठ लाख एक्स ग्रेडिया डेथ रिलीफ फंड: गैर-कोविड-19 (सामान्य मृत्यु) के कारण किसी कर्मचारी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में मृत कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को देय अनुग्रह मृत्यु राहत कोष की दर को रु. 4.20 लाख से बढ़ाकर रु. 8 लाख किया गया है।

### 7.21 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में स्टाफ खेल गतिविधियाँ:

केन्द्रीय खेल संवर्धन बोर्ड (सीएसपीबी) को बोर्ड के कर्मचारियों के लिए खेल संबंधी गतिविधियों का आयोजन करने का कार्य सौंपा गया है। किसी भी अंचल में विभिन्न क्षेत्रीय खेल संवर्धन बोर्डों (आरएसपीबी) द्वारा रोटेशन के आधार पर सभी खेल स्पर्धाओं का आयोजन किया जाता है। "खेल गतिविधियाँ" बजट शीर्ष के अंतर्गत रु. 4,21,66,765 करोड़ का बजट अनुमोदित किया गया। तथापि, कोविड-19 महामारी के कारण, गृह मंत्रालय और भारत सरकार के देश भर में कोविड-19 वायरस की रोकथाम के लिए दिशा-निर्देश के आलोक में वर्ष 2021-22 के दौरान कोई खेल गतिविधियाँ आयोजित नहीं की गईं।

चूंकि कोविड -19 महामारी के कारण खेल गतिविधियों का आयोजन नहीं किया गया था, इसलिए ईपीएफओ के सभी कार्यालयों को 10 या अधिक योग्य ग्रुप-बी और ग्रुप-सी कर्मचारियों जिन्होंने अवसर पर आगे बढ़कर लॉक डाउन अवधि के दौरान स्टैकहोल्डर्स को लगातार



और निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित की जिससे नागरिक-सरकारी विश्वास को और मजबूत करने में मदद मिली को प्रशंसा पत्र के साथ-साथ नकद पुरस्कार जो रुपये 5000/- (रुपये पांच हजार मात्र) से अधिक न हो के लिए 2.18 करोड़ रुपये आबंटित किए गए।

## 7.22 औद्योगिक संबंध (आई आर)

औद्योगिक संबंध किसी भी औद्योगिक विवाद को हल करने के लिए किसी संगठन के प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच कड़ी का काम करते हैं। ईपीएफओ के संदर्भ में, इसका अर्थ एक तरफ प्रबंधन (मुख्य कार्यालय स्तर पर और क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर) और दूसरी तरफ स्टाफ/कर्मचारियों के बीच उनके मान्यता प्राप्त कर्मचारी एसोसिएशन या संघों या अधिकारियों/कर्मचारियों के वैध प्रतिनिधियों के माध्यम से बातचीत है।

सामूहिक चर्चा की प्रक्रिया द्वारा समस्याओं को दूर करते हुए प्रबंधन तथा कर्मचारियों के बीच एक सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित किया जाता है जो आदर्श रूप से समस्याओं के समाधान में परिणामित होना चाहिए। एक प्रेरित और उत्पादक कार्य बल के लिए अच्छे औद्योगिक संबंध आवश्यक हैं।

अपने ग्राहकों को अत्याधुनिक सेवाएं प्रदान करने के साथ ही अपने कर्मचारियों के लिए अनुकूल कार्यस्थल प्रदान करने के लक्ष्य के साथ ईपीएफओ कर्मचारियों के वैध प्रतिनिधियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध रखने का निरंतर प्रयास करता है। एक सर्वांगपूर्ण वातावरण के लिए और कर्मचारियों के निष्पादन को बढ़ावा देने के लिए, नीति निर्माण में विभिन्न मान्यता प्राप्त कर्मचारी एसोसिएशन/संघों/स्टाफ/अधिकारियों के यूनियनों के विचारों को आत्मसात तथा कार्यान्वित करने के लिए संचार के माध्यमों को सदैव उपलब्ध रखा जाता है।

2021-22 के दौरान, ईपीएफओ अधिकारियों और कर्मचारी प्रतिनिधियों (संघ) के बीच मुख्य कार्यालय, ईपीएफओ, नई दिल्ली में बैठकें आयोजित की गईं ताकि ईपीएफओ कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों और उनके करियर की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की जा सके।

इस प्रकार, संगठनात्मक लक्ष्यों के साथ-साथ प्रगतिशील प्रबंधन को संतुलित करने के लक्ष्यों में, औद्योगिक संबंध पूरे वर्ष एचआरएम डिवीजन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल रहे।

## सतर्कता

**7.23** ईपीएफओ मुख्यालय, नई दिल्ली में संयुक्त सचिव स्तरीय मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा सतर्कता प्रभाग का नेतृत्व किया जाता है। हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता और नई दिल्ली में उप-निदेशक (सतर्कता) के नेतृत्व में चार आंचलिक सतर्कता निदेशालय हैं।

ईपीएफओ में सतर्कता प्रशासन ने बदलती संगठनात्मक जरूरतों और चुनौतियों के अनुरूप अपने दृष्टिकोण की रणनीति बनाने का प्रयास किया है। यह भ्रष्ट गतिविधियों पर अंकुश लगाने और उन्मूलन के लिए निवारक सतर्कता पर जोर देता है और मुख्य कार्यात्मक क्षेत्रों के साथ निरंतर जुड़ाव के माध्यम से पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देता है। यह दंडात्मक सतर्कता के कार्य को भी परखता है जो एक संगठन में आवश्यक है जो निरंतर नागरिकों के सम्पर्क में रहता है और सार्वजनिक धन की देखरेख करता है।

## 7.24 निवारक सतर्कता

01.04.2021 से 31.03.2022 की अवधि के दौरान ईपीएफओ के 13 कार्यालयों में निवारक सतर्कता निरीक्षण / आकस्मिक जांच की गई। दावा निपटान, अनुपालन और मानव संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में प्रणालीगत सुधार के लिए संबंधित कार्यात्मक प्रभागों को सुझाव जारी किए गए।

## 7.25 दंडात्मक सतर्कता

- **शिकायतें:** 01.04.2021 से 31.03.2022 के दौरान 1206 नई शिकायतें प्राप्त हुईं। 31.03.2022 तक 1205 शिकायतों का निपटारा किया गया है।
- **केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की पहले एवं दूसरे-चरण की सलाह:** वर्ष के दौरान 31.03.2022 तक 22 मामलों में सीवीसी की पहले चरण की सलाह का निपटान किया गया, जिसमें 20 बड़े दंड से संबंधित मामले थे और 02 छोटे दंड से संबंधित मामले थे। 4 मामलों में सीवीसी की दूसरे चरण की सलाह का निपटान किया गया जो बड़े दंड से संबंधित मामले थे।

- **आरंभ की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही:** वर्ष के दौरान 31.03.2022 तक 43 अनुशासनिक कार्यवाहियां शुरू की गईं।
- **निपटवाई गई अनुशासनात्मक कार्यवाहियां:** वर्ष के दौरान 23 अनुशासनात्मक कार्यवाहियों का निपटारा किया गया, जिनमें से 21 बड़े दंड वाली कार्यवाहियां थीं और 02 छोटे दंड वाली कार्यवाही थी।
- **मुकद्दमों के लिए स्वीकृति एवं धरा 17(ए) के अंतर्गत दी गई स्वीकृति:** 01/04/2021– 31/03/2022 की अवधि के दौरान 25 मामलों में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (2018 में संशोधित) की धारा 17। के अंतर्गत जांच के लिए मंजूरी दी गई थी।

## 7.26 निगरानी एवं खोज

- **केंद्रीय जांच ब्यूरो/भ्रष्टाचार निरोधी ब्यूरो के साथ समन्वय बैठकें:** केंद्रीय जांच ब्यूरो/भ्रष्टाचार निरोधी ब्यूरो के साथ समन्वय बैठकें आयोजित की गईं तथा अनुमोदित सूचियां तैयार की गई हैं तथा ओ.डी.आई. सूची को अद्यतन किया गया।

## सतर्कता जागरूकता सप्ताह (वीएडब्ल्यू) 2021

**7.27 सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021,** 26.10.2021 से 01.11.2021 तक “स्वतंत्र भारत/75— अखंडता के साथ आत्मनिर्भरता” विषय पर मनाया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 से संबंधित सभी गतिविधियाँ कोविड –19 से संबंधित सामाजिक दूरियों के मानदंडों और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए और भारत सरकार द्वारा निर्धारित आर्थिक उपायों का पालन करते हुए आयोजित की गईं।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां आयोजित की गईं:

- **सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा:** 26.10.2021 को सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा के साथ वीएडब्ल्यू 2021 गतिविधियों की शुरुआत हुई। ई-प्रतिज्ञा लिंक को ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर पोस्ट किया गया और जन जागरूकता के लिए सोशल मीडिया खातों के माध्यम से प्रचारित किया गया।
- **हस्ताक्षर अभियान:** वीएडब्ल्यू की भावना और संदेश को प्रसारित करने के लिए मुख्य कार्यालय में एक हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया गया।
- **वेबिनार सह प्रशिक्षण:** 29.12.2021 को आईटी वातावरण में निवारक सतर्कता विषय पर एक वेबिनार सह प्रशिक्षण आयोजित किया गया। कार्यक्रम के लक्ष्य समूह में आंचलिक और क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी अधिकारी शामिल थे और धोखाधड़ी को रोकने और दिन-प्रतिदिन की निगरानी में सुधार के लिए आईटी उपकरण और आईटी सक्षम ऑडिट इंस्ट्रूमेंट्स का लाभ उठाना केंद्र में रहे।
- **पीआईडीपीआई पुस्तिका:** दिनांक 28.10.2021 को सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान माननीय श्रम सचिव द्वारा पीआईडीपीआई के प्रावधानों पर प्रकाश डालने वाली एक पुस्तिका का विमोचन किया गया।
- **आउटरीच गतिविधियां:** फील्ड कार्यालय स्तर पर, कई तरह की पहल की गई, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से सेमिनार, कार्यशालाओं, पैनल चर्चाओं और शिकायत निवारण शिविरों सहित स्टेकहोल्डर्स की गंभीर भागीदारी देखी गई। पब्लिक आउटरीच के हिस्से के रूप में, स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए विभिन्न गतिविधियों और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और विभिन्न स्थानों पर ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। ग्राम सभाओं में कुल 604 नागरिकों ने भाग लिया और 1436 स्कूल और 210 कॉलेज के छात्रों ने विभिन्न गतिविधियों और प्रतियोगिताओं में भाग लिया।
- इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता पैदा करने और वीएडब्ल्यू की थीम और भावना को दृश्यता देने के लिए, रोहतक, हैदराबाद और भोपाल में वॉकथॉन, मैराथन, मार्च पास्ट, मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया, जो कुछ उदाहरण हैं। पीआईडीपीआई पर ध्यान केंद्रित करते हुए, स्टेकहोल्डर्स और जनता के बीच व्हिसलब्लोअर तंत्र पर प्रावधानों के बारे में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया गया। आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए पोस्टरों को पीआईडीपीआई प्रावधानों के प्रसार के लिए मुख्य कार्यालय और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रदर्शित किया गया था। यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि वीएडब्ल्यू 2021 के विषय और संदेश को बढ़ावा देने और सप्ताह के दौरान ईपीएफओ द्वारा की गई विभिन्न गतिविधियों को प्रचारित करने के लिए ईपीएफओ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का काफी हद तक उपयोग किया गया था।
- **समापन समारोह:** वीएडब्ल्यू 2021 का समापन 01/11/2021 को केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अध्यक्षता में एक समापन समारोह के साथ संपन्न हुआ, जिसके दौरान सप्ताह के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

## भौतिक सुविधा प्रभाग

**7.28** भौतिक सुविधा प्रभाग, ईपीएफओ के मुख्य कार्यालय, फील्ड कार्यालयों और स्टाफ क्वार्टर की भौतिक बुनियादी ढांचे से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करता है। प्रभाग का नेतृत्व एक मुख्य अभियंता द्वारा किया जाता है, जो भवनों के निर्माण/रखरखाव और किराए पर लेने से संबंधित सभी मामलों में के.भ.नि.आ का तकनीकी सलाहकार होता है। कार्यालय भवनों एवं स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण हेतु भूमि क्रय करने के संबंध में भी उनका सुझाव लिया जाता है।

वर्ष 2021-22 के दौरान, अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय) जो मुख्य अभियंता के रूप में कार्यरत हैं, को एक अपर के.भ.नि.आ, 01 क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त—। स्तर के अधिकारी, एक क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त—।। तीन कनिष्ठ अभियंता, एक अनुभाग अधिकारी और दो सहायक अनुभाग अधिकारियों द्वारा मुख्यालय में भौतिक सुविधा प्रभाग में सहयोग प्रदान किया गया।

31.03.2021 को ईपीएफओ भवनों एवं किराए पर लिए गए भवनों की स्थिति निम्नानुसार है:—

| कार्यालयों का प्रकार | कुल कार्यालय | स्वयं के भवन | किराए के परिसर में कार्यालय | प्रक्रिया के अंतर्गत भूमि खरीद | कार्यालयों की कुल संख्या जहां भूमि की पहचान की जानी शेष है | निर्माणाधीन भवन |
|----------------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| आंचलिक कार्यालय      | 21           | 18           | 3                           | 0                              | 1                                                          | 2               |
| क्षेत्रीय कार्यालय   | 138          | 94           | 44                          | 14                             | 22                                                         | 8               |
| पीडीनास/आ.प्र.सं     | 6            | 5            | 1                           | 0                              | 1                                                          | 0               |
| जिला कार्यालय        | 117          | 0            | 117                         | 0                              | 0                                                          | 0               |
| मुख्यालय             | 1            | 1            | 0                           | 0                              | 0                                                          | 1               |

स्थापनाओं और ग्राहकों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने से प्रत्येक वर्ष ईपीएफओ का दायरा बढ़ रहा है। ईपीएफओ अपने कार्यालयों के लिए नए भवन के निर्माण के साथ-साथ अपने किराए के भवन में कार्यरत मौजूदा कार्यालयों का उन्नयन कर रहा है। निर्माण संबंधी प्रस्तावों का मूल्यांकन करते समय भौतिक सुविधा प्रभाग इन कार्यालयों के सुगम और प्रभावी कामकाज के लिए डिजाइन में नवीनतम भौतिक सुविधाओं को शामिल करना सुनिश्चित करता है ताकि इन्हें आधुनिक भवन बनाया जा सके। स्टेकहोल्डरों, विशेषतः वृद्ध और असहाय (दिव्यांग) व्यक्तियों के लिए नवनिर्मित भवनों के साथ-साथ पुराने भवनों में जहां ऐसे सुविधाएं नहीं हैं, आसानी से पहुंच का प्रावधान करना सुनिश्चित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में गुजरात के नरोडा और वटवा के क्षेत्रीय कार्यालय भवनों के निर्माण का कार्य शुरू किया गया था।

## गतिविधियाँ/उपलब्धियाँ

गुवाहाटी, असम में 11 और 12 मार्च को आयोजित केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की 230वीं बैठक के दौरान, माननीय अध्यक्ष सीबीटी ने क्षेत्रीय कार्यालय, चिक्कमगलुरु और क्षेत्रीय कार्यालय, शिवमोग्गा के नवनिर्मित कार्यालय भवनों का आभासी उद्घाटन किया और क्षेत्रीय कार्यालय, नरोडा के लिए आधारशिला नींव रखी।

## अन्य प्रमुख पहल

**रूफ टॉप सोलर पावर की पहल:** रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने और 2022 तक 100 गीगावाट लक्ष्य को पूरा करने के लिए, सभी विभागों/मंत्रालयों को “रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टिक पैनल” की स्थापना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था। इस दिशा में, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 29 सितंबर 2015 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया था जिसमें नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों को शामिल किया गया था। जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए, ईपीएफओ ने एक रोड मैप तैयार किया और राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रुमेंट्स लिमिटेड (आरईआईएल) के माध्यम से रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी मॉडल (आरएससीओ) के अंतर्गत अपने कार्यालयों में सौर पीवी पैनल स्थापित करने का काम शुरू किया। 31 मार्च 2022 तक, मेसर्स आरईआईएल ने गोवा, कोच्चि, कोझीकोड, अगरतला, भोपाल, जबलपुर, द्वारका और देहरादून में स्थित 08 कार्यालयों में 410.39 केल्विन की कुल क्षमता के साथ सोलर रूफ टॉप पैनल स्थापित किए हैं। अन्य ईपीएफओ कार्यालयों, जहां व्यवहार्यता की जांच से इस तरह की स्थापना संभव है, में सोलर रूफ टॉप पैनल लगाने का कार्य प्रगति पर है।





सतर्कता जागरूकता सप्ताह

# अध्याय

# 8

प्रशिक्षण एवं अनुसंधान

## 8.1 पृष्ठभूमि

आज की तेजी से बदलती दुनिया में, किसी भी संगठन के लिए तकनीकी विकास के साथ तालमेल बनाए रखने और अपने स्टेकहोल्डरों की बढ़ती अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। साथ ही, यह अपने मानव संसाधनों को उनके उच्चतम प्रदर्शन स्तरों पर बनाए रखने में भी बहुत उपयोगी है। इस प्रकार, किसी भी संगठन की सफलता और विकास के लिए एक प्रशिक्षण नीति और उसका उपयुक्त अनुपालन होना महत्वपूर्ण है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) जैसे सार्वजनिक सेवा प्रदान करने से संबंधित संगठन के मामले में यह अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।

कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप लॉक डाउन के कारण सामान्य गतिविधियों में गतिरोध के कारण वर्ष 2021-22 बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा है।

“राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति” 2012 के अनुसार, सभी सिविल सेवकों को उनके वर्तमान या भविष्य की नौकरियों के लिए दक्ष बनाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। ऐसा प्रशिक्षण (क) उनके सेवा में प्रवेश करने के समय और (ख) उनके सेवाकाल के दौरान उचित अंतराल पर दिया जाना है। तदनुसार, कर्मचारियों ने भी अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण देने के लिए कई कदम उठाए हैं।

## 8.2 प्रशिक्षण के उद्देश्य

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के प्रशिक्षण में निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है : —

- (i) व्यक्तियों और संगठनों के बेहतर प्रदर्शन के लिए आवश्यक पेशेवर ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण को बनाए रखना और बढ़ाना;
- (ii) पेशेवर, सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक वातावरण में जिसमें कार्य करना है, के साथ-साथ व्यावसायिक आवश्यकताओं की बेहतर समझ को बढ़ावा देना।
- (iii) सही व्यवहार की ओर उन्मुख करना।

## 8.3 प्रशिक्षण की रूपरेखा

सभी श्रेणियों के कर्मचारी निम्नलिखित प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे:

- क. सेवा में प्रवेश के समय प्रारंभिक प्रशिक्षण;
- ख. उपयुक्त अंतराल पर सेवाकालीन प्रशिक्षण और
- ग. अपनी पदोन्नति के समय सेवाकालीन प्रशिक्षण।

## 8.4 कार्यनीति

**सभी के लिए प्रशिक्षण:** नीति निर्माण में निम्नतम और अत्याधुनिक से लेकर उच्चतम तक संगठन के सभी स्तरों को प्रशिक्षण दिया जाता है। उपयुक्त प्रशिक्षण डिजाइन के उद्देश्य से, संगठनात्मक सेवा को निम्नलिखित दो रूप में विभाजित किया गया है:

- I. सहायक भविष्य निधि आयुक्त, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-II, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-I से अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त कैडर तक के ग्रुप ‘ए’ स्तर के सभी अधिकारियों के लिए प्रशासनिक/प्रबंधन स्तरीय प्रशिक्षण।
- II. i) ग्रुप ‘बी’ स्तर के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण जो ग्रुप ‘सी’ के लिए पर्यवेक्षण स्तर के हैं।  
ii) सबसे निचले स्तर के कर्मचारी, जो अत्याधुनिक रूप से काम कर रहे हैं, जो ज्यादातर ग्रुप ‘सी’ सेवाओं के सदस्य हैं, जिसमें पूर्ववर्ती समूह ‘डी’ भी शामिल है।

इसके अतिरिक्त, संगठन के कई अन्य कार्यात्मक प्रभागों को संबंधित कार्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इसलिए, सतर्कता, आंतरिक लेखा परीक्षा, भौतिक सुविधा प्रभाग, सूचना सेवा प्रभाग और राजभाषा जैसे प्रभागों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करने की आवश्यकता है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उपस्थिति को कैरियर की प्रगति के साथ साथ अनिवार्य रूप से जोड़ा जाएगा। विभिन्न स्तरों और

विभिन्न क्षेत्रों में कर्मियों की प्रभावशीलता में सुधार के लिए, क्षेत्र विशेष के लिए अल्पकालिक कौशल उन्नयन/सेन्सेटाईजेशन कार्यक्रम विशेष रूप से विशिष्ट कार्यों को करने वाले कर्मियों को लक्षित करके संगठन द्वारा तैयार किए जाएंगे।

### 8.5 प्रशिक्षण कार्यक्रम

विभिन्न स्तरों के कैंडर की विभिन्न आवश्यकताओं और कार्यात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, प्रशिक्षण कार्यक्रमों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- सेवा में प्रवेश करने वालों के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण/फाउंडेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम/सेवाकालीन कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- प्रबंधन विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- विशिष्ट मुद्दों पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम (कार्यशालाएं/सेमिनार)।
- विशेष श्रेणी के कर्मियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम
- नियोक्ताओं और सदस्यों के लिए जागरूकता कार्यक्रम।

### 8.6 ईपीएफओ में प्रशिक्षण संरचना

आजीवन सीखते रहने से व्यक्तिगत और संगठनात्मक विकास होता है। संगठनों के पोषण और विकास में प्रशिक्षण और विकास की महत्वपूर्ण भूमिका को महसूस करते हुए, अक्टूबर 1990 में ईपीएफओ के मुख्यालय में सामाजिक सुरक्षा में प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान नामक एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया था।

समय के साथ, एनआईटीआरएसएस ने एक स्वतंत्र इकाई के रूप में काम करना शुरू कर दिया और नवंबर 1992 से इसे सामाजिक सुरक्षा में प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय अकादमी (एनएटीआरएसएस) के रूप में जाना जाने लगा। इसने दिसंबर 1997 से इंस्टीट्यूशनल एरिया, जनकपुरी, नई दिल्ली में अपने वर्तमान परिसर से कार्य करना शुरू कर दिया। 25 मई, 2016 को नाटरस का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा अकादमी (पीडीनास) कर दिया गया। ईपीएफओ में कर्मियों की लगातार बढ़ती अपेक्षाओं पर प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने के लिए आधुनिकीकरण योजना शुरू करने का समय आ गया है, जो अपने प्रशिक्षण और अनुसंधान आवश्यकताओं के संबंध में मार्गदर्शन और दिशा के लिए अकादमी की ओर देखते हैं। अकादमी और उसके आंचलिक घटकों को ईपीएफओ की लगभग 18 हजार सशक्त जनशक्ति को प्रशिक्षण देने और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान करने का प्राथमिक कार्य सौंपा गया है। अकादमी, अपने 32 वर्षों के कार्यकाल में, प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं परामर्श से जुड़े एक प्रमुख संस्थान के रूप में उभरी है। यह न केवल कर्मियों के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करती है अपितु भारत तथा विदेश में अन्य सामाजिक सुरक्षा संगठनों के प्रतिभागियों को भी आमंत्रित करती है। सामाजिक सुरक्षा प्रशिक्षण में अग्रणी यह संस्थान, प्रशिक्षक विकास कार्यक्रमों के लिए कर्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रमाणित केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान भी है। देश में अपनी तरह के एकमात्र संस्थान के अन्य फोकस क्षेत्रों में पॉलिसी एडवोकेसी, अनुसंधान और क्षमता निर्माण शामिल हैं।

### 8.7 पीडीनास में बुनियादी ढांचा

**लेक्चर हॉल:** इसमें एक योग हॉल और एक सभागार जिसमें 118 व्यक्ति बैठ सकते हैं, के अलावा सभी नवीनतम प्रशिक्षण सहायक साधनों और उपकरणों से सुसज्जित चार व्याख्यान कक्ष हैं।

**पुस्तकालय:** पुस्तकालय में कुछ क्षेत्रीय भाषाओं के अलावा अंग्रेजी और हिंदी भाषा की 10000 से अधिक पुस्तकें मौजूद हैं। इस संग्रह में, सामाजिक सुरक्षा पर पुस्तकों के अलावा, प्रशिक्षण और विकास, भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था, कानून और संविधान, साहित्य, प्रबंधन, लोक प्रशासन, अध्यात्मवाद, योग, वैयक्तिक विकास, यात्रा वृत्तांत जैसे विविध विषय शामिल हैं। विभिन्न श्रम कानून जर्नल को सब्सक्राइब करने के अलावा, पुस्तकालय विभिन्न भारतीय और विदेशी जर्नल को भी सब्सक्राइब करता है।



**हॉस्टल:** हॉस्टल ब्लॉक में वाई-फाई इंटरनेट की सुविधा से सुसज्जित 48 वातानुकूलित कमरे हैं। हॉस्टल में एक व्यायामशाला, एक संगीत कक्ष और एक कंप्यूटर लैब भी है।

**खेल सुविधाएं:** अकादमी में बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कैरम, शतरंज, बिलियर्ड्स, साइकिलिंग आदि जैसी कई खेल सुविधाएं हैं।

**मेस:** मेस जिस में 80 अधिकारियों के बैठने की व्यवस्था है, द्वारा प्रशिक्षु अधिकारियों को संतुलित आहार प्रदान किया जाता है।

### 8.8 पीडीएनएसएस के लिए प्रशिक्षण लक्ष्य समूह

पीडीएनएसएस में, ईपीएफओ के सभी समूह 'ए' अधिकारियों और प्रशिक्षक विकास कार्यक्रमों के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा, नेपाल आदि के ईपीएफ संगठन के लिए सामाजिक सुरक्षा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

### 8.9 प्रशासनिक संरचना

वर्तमान में, अकादमी के प्रमुख निदेशक हैं, जो अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्या.) स्तर के अधिकारी हैं। केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त अकादमी के पदेन डीन हैं। निदेशक, पीडीएनएसएस, और उनके अधीनस्थ अधिकारी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन की अनुसूची के अनुसार प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करते हैं जो अकादमी में प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अन्य गतिविधियों के सुचारु संचालन के लिए आवश्यक हैं। अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के संबंध में अकादमी की स्वीकृत संख्या को ईपीएफओ, मुख्यालय द्वारा जनवरी, 2017 में संशोधित किया गया है।

### 8.10 वर्ष 2021-22 के दौरान पीडीएनएसएस में प्रशिक्षण गतिविधियों की मुख्य विशेषताएं

वर्ष 2021-22 के दौरान, महामारी के कारण अकादमी कुल 07 वेबिनार/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर सकी है। इनमें नए पंजीकृत नियोक्ताओं के लिए ऑनबोर्डिंग टू ईपीएफओ सिम्लीफाईड शीर्षक से 2 कार्यक्रम, 01 वेबिनार 'आईटी वातावरण में निवारक सतर्कता' पर, 02 'वेल बींग' आर्ट ऑफ लिविंग पर ऑनलाइन क्षमता निर्माण कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा संहिता पर 01 ऑनलाइन कार्यक्रम और श्रम सुविधा पोर्टल और ई-श्रम पर 01 ऑनलाइन कार्यक्रम जिसमें कुल 1719 प्रतिभागियों ने भाग लिया। पीडीएनएसएस द्वारा 2021-22 के दौरान आयोजित कार्यक्रमों का विवरण **परिशिष्ट-8 (i)** में दिया गया है।

- पीडीएनएसएस ने निम्नलिखित दो पुस्तिकाएं तैयार की थीं, जिनका विमोचन अध्यक्ष, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा दिनांक 20.11.2021 को नई दिल्ली में आयोजित केन्द्रीय न्यासी बोर्ड की 229वीं बैठक के दौरान किया गया था।
  - » कोविड के प्रति प्रतिक्रिया – 2.0
  - » निर्बाध: निर्बाध सेवा वितरण
- पीडीएनएसएस ने ई-संग्रह (ईपीएफओ के सभी प्रभागों से संबंधित सभी परिपत्रों का संकलन) तैयार किया था जिसे अध्यक्ष, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा गुवाहाटी में आयोजित केन्द्रीय न्यासी बोर्ड की 230वीं बैठक में जारी किया गया था।
- पीडीएनएसएस ने फील्ड कार्यालयों से सफलता की कहानियों के संकलन पर एक पुस्तिका तैयार की है और इसे गुवाहाटी में अध्यक्ष, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा 230वीं के.न्या.सी. बोर्ड बैठक में जारी किया गया था।

### 8.11 अखिल भारतीय उपस्थिति

राष्ट्रीय अकादमी की निम्नलिखित पांच क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से अखिल भारतीय उपस्थिति है। अकादमी ईपीएफओ में पर्यवेक्षी और परिचालन स्तरों में काम करने वाले कर्मियों के लिए एक समान आधार पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को डिजाइन और कार्यान्वित करने के लिए क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के साथ समन्वय करती है। अकादमी का यह उद्देश्य है कि सभी कर्मियों को, उचित समय पर, इंडक्शन कोर्स, इन-सर्विस कोर्स और स्पेशलाइज्ड कोर्स / वर्कशॉप के माध्यम से आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि फील्ड फॉर्मेशन और मुख्यालय में अपने कार्यों के निर्वहन के लिए उनके पेशेवर कौशल को उन्नत किया जा सके।

- I. **फरीदाबाद, हरियाणा में स्थित, डॉ. एस.पी. मुखर्जी सामाजिक सुरक्षा प्रशासन संस्थान, आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान (उत्तरी अंचल), फरीदाबाद (हरियाणा):** इस संस्थान के क्षेत्राधिकार में दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में स्थित ईपीएफओ के कार्यालय शामिल हैं। (ग्रुप बी और सी कर्मिकों के लिए)
- II. **चेन्नई (तमिलनाडु) स्थित आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान (दक्षिण अंचल):** इस संस्थान के क्षेत्राधिकार में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पांडिचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य के कभनिस कार्यालय शामिल हैं। (ग्रुप बी और सी कर्मिकों के लिए)
- III. **कोलकाता (पश्चिम बंगाल स्थित आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान (पूर्वी अंचल):** इस संस्थान के क्षेत्राधिकार में बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, (ग्रुप बी और सी कर्मिकों के लिए) असम और मेघालय राज्य (ग्रुप बी कर्मिकों के लिए) के कार्यालय शामिल हैं।
- IV. **उज्जैन (मध्य प्रदेश) स्थित आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान (पश्चिमी अंचल):** यह छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में स्थित ईपीएफओ के कार्यालयों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का ध्यान रखता है। (ग्रुप बी और सी कर्मिकों के लिए)
- V. **शिलांग (मेघालय) स्थित उप-आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान:** उप-आ.प्र.सं. के अंतर्गत पूर्वोत्तर के राज्य अर्थात् असम, गुवाहाटी, अगरतला, तिनसुकिया, शिलांग के कार्यालय आते हैं। (केवल ग्रुप सी कर्मिकों के लिए)

### 8.12 आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण कार्यक्रम

कर्मचारियों की बदलती प्रशिक्षण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण कार्यक्रम एक समान तरीके से आयोजित किए जाते हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

1. नए नियुक्त/पदोन्नत सामाजिक सुरक्षा सहायक, अनुभाग पर्यवेक्षक तथा प्रवर्तन अधिकारी/लेखाधिकारी के लिए प्रवेश पाठ्यक्रम।
2. कार्यात्मक क्षेत्रों में ग्रुप बी एवं सी कर्मचारियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम।
3. ग्राहक सेवाएं, मा.सं.प्र., आर.टी.आई. एवं महिला सशक्तीकरण पर विशेष कार्यक्रम।
4. नियोक्ता/कर्मचारियों के लिए कार्यशालाएं।

### 8.13 आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान के लिए लक्ष्य समूह

आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान के लक्षित समूह में सभी ग्रुप बी अधिकारी और ग्रुप सी स्टाफ सदस्य शामिल हैं जो उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र में आने वाले फील्ड कार्यालयों में तैनात हैं।

### 8.14 आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशासनिक संरचना

ईपीएफओ में कैडर पुनर्गठन के परिणामस्वरूप, अब आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान का नेतृत्व अपर के.भ.नि.आयुक्त रैंक के एक अधिकारी द्वारा किया जाता है, जिन्हें उपयुक्त संख्या में के.भ.नि.आ-1 स्तर के अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होता है।

### 8.15 आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान एवं उप – आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण गतिविधियों की मुख्य विशेषताएं

वर्ष 2021-22 के दौरान महामारी के कारण आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान/उप – आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सका।

### 8.16 अन्य गतिविधियां

प्रशिक्षण के अलावा, अकादमी द्वारा सहायक भविष्य निधि आयुक्त, प्रवर्तन अधिकारी/लेखाधिकारी, सहायक अनुभाग अधिकारी एवं सामाजिक सुरक्षा सहायकों के कैडरों के लिए सभी परिवीक्षा परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। परिवीक्षा परीक्षा के अलावा, अकादमी अनुकंपा आधार पर नियुक्त सामाजिक सुरक्षा सहायकों (एसएसएस) और डाटा एंट्री ऑपरेटरों (डीईओ) के लिए कंप्यूटर कौशल परीक्षा भी आयोजित करती है। ये परीक्षाएं पीडीएनएसएस द्वारा आंचलिक प्रशिक्षण संस्थानों के सहयोग से आयोजित की जाती हैं।

### 8.17 आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान में भौतिक सुविधाएं और इन्फ्रास्ट्रक्चर

उप- आ.प्र.सं., शिलांग को छोड़कर सभी आ.प्र.सं. स्वयं के भवनों में कार्य करते हैं और प्रशिक्षण हॉल, कंप्यूटर लैब, सम्मेलन सुविधा, पुस्तकालय और भोजन सहित हॉस्टल जैसी आवश्यक प्रशिक्षण इन्फ्रास्ट्रक्चर से सुसज्जित हैं।

### 8.18 प्रशिक्षण की मॉनिटरिंग और मूल्यांकन

अकादमी ने संचालित किए जाने वाले सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संबंध में एक नियमित फीडबैक प्रणाली तैयार की है जिससे पीडीनास में आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मूल्यांकन हेतु इसके पास डाटाबेस उपलब्ध हो सके। प्रशिक्षण के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रभाव पर सूचना/फीडबैक प्राप्त करना है और किसी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रासंगिकता और महत्व का आकलन करना है। यह भविष्य के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आवश्यक संशोधन हेतु एक अंतर्दृष्टि भी उपलब्ध कराता है। इसके आलाोक में, यह, संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध प्रशिक्षण संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किस प्रकार किया जाए, तय करने के लिए सूचना का व्यवस्थित संग्रह और मूल्यांकन है। मूल्यांकन प्रशिक्षुओं की प्रतिक्रिया, कार्य व्यवहार के स्तर एवं कार्यात्मक स्तर सहित उनकी राय के माध्यम से किया जा सकता है।

### 8.19 अनुसंधान

अकादमी सामाजिक सुरक्षा प्रशासन के विभिन्न पहलुओं पर शोध करती है। अकादमी द्वारा शुरू की गई कुछ शोध परियोजनाएं इस प्रकार हैं:

- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित शोध परियोजना के एक भाग के रूप में नाइयों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना
- दिल्ली के रिक्शा चालकों पर अनुसंधान परियोजना
- कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत बीड़ी कामगारों की सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकताएं और कवरेजिबिलिटी
- सार्क देशों के निर्माण कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना – 2018/19

# अध्याय

# 9

सूचना प्रौद्योगिकी पहल

ईपीएफओ, जैसे एक सार्वजनिक सेवा संगठन के रूप में सुगमता एवं दक्षता के साथ स्टेकहोल्डरों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को प्राथमिकता देता है। इस कार्यक्षेत्र में सूचना सेवा प्रभाग (आईएस) ने विशेष रूप से कोविड समय के दौरान पीएमजीकेवाई या एबीआरवाई जैसी भारत सरकार की ई-गवर्नेंस पहलों को लागू किया है। ईपीएफओ ने कर्मचारियों की कम उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए कार्यभार संतुलन के लिए बहु स्थानीय दावों को प्रस्तुत करने के लिए विशेष कदम उठाए।

**9.1** यूएन और इसे केवाईसी के साथ जोड़ने से ईपीएफओ के संचालन का पुराना तरीका बदल गया है। ऑनलाइन सेवाओं के आगमन के साथ, इस पहल ने आम नागरिकों को दावा पावती, ऑनलाइन रिटर्न दायर करने और रोजगार में परिवर्तन पर खातों के ऑटो ट्रांसफर जैसी ऑनलाइन सेवाओं में पारदर्शिता की शुरुआत करके सशक्त बनाया है। इसके अलावा, भ.नि.सदस्य के लिए डेस्कटॉप या मोबाइल फोन के माध्यम से ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए उमंग ऐप पर इन सेवाओं का विस्तार किया गया।

**प्रमुख पहल इस प्रकार हैं:**

### **1. नियोक्ता लॉगिन में डीएससी/ई-साइन ऑथराइजेशन पत्र अपलोड सुविधा**

ईपीएफओ को पेपरलेस बनाने के प्रयास में यूनिफाइड पोर्टल में डीएससी/ई-साइन ऑथराइजेशन लेटर को डिजिटल रूप से अपलोड करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इससे संगठन को पारदर्शिता में सुधार लाने और डीएससी/ई-साइन अप्रूवल एप्लीकेशंस की बेहतर निगरानी में मदद मिलेगी।

### **2. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आरओसी-III जारी करने की कार्यक्षमता**

इससे पहले, पेंशनभोक्ता के पास योजना के पैरा 12 ए के अनुसार तीन मोड में पेंशन के कम्प्यूटेशन का विकल्प था। ये विकल्प 26 सितंबर 2008 से पहले उपलब्ध थे। फील्ड ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एक नई कार्यक्षमता जोड़ी गई है ताकि उन पेंशनभोक्ताओं को लाभ जारी किया जा सके जिन्होंने आरओसी-III (एक बार में एक मुश्त) का विकल्प चुना था और अब वे लाभ के पात्र हैं।

### **3. नियोक्ताओं के लिए कारोबार बंद होने की घोषणा करने की सुविधा**

अंशदान न करने वाले नियोक्ताओं के लिए पोर्टल के माध्यम से कारोबार बंद करने की घोषणा की सुविधा शीघ्र निपटान और आवश्यक कार्रवाई में मदद करती है जिसे फील्ड कार्यालय द्वारा किए जाने की आवश्यकता होती है। यह नियोक्ताओं के डेटाबेस को अद्यतन रखने में भी मदद करेगा। पहले, नियोक्ताओं को कारोबार बंद करने की घोषणा के लिए मैन्युअल रूप से कारवाई करनी पड़ती थी।

### **4. प्रधान नियोक्ता और ठेकेदार (ठेकेदार पक्ष की कार्यक्षमता)**

नियोक्ता इंटरफेस पर एक प्रावधान दिया गया है जहां ठेकेदार अपने प्रमुख नियोक्ता घोषित कर सकते हैं और प्रधान नियोक्ता को उपलब्ध कराए गए कर्मचारियों का माहवार विवरण भी अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ, प्रधान नियोक्ता अपने लॉगिन के माध्यम से अनुबंध कर्मचारियों की ईपीएफ अनुपालन स्थिति देख सकते हैं।

# અધ્યાય

# 10

## લેખાપરીક્ષા



## लेखापरीक्षा

**10.1** कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 का पैरा-56, कर्पेयो 1995 का पैरा-30 और ईडीएलआई योजना 1976 का पैरा-20, निधियों के लेखों (उनके प्रशासन लेखों और उन योजनाओं के संचालन के लिए किए गए खर्च सहित) की लेखापरीक्षा केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से करने के लिए प्रावधान करता है।

**10.2** आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभाग अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय) (लेखापरीक्षा) के पर्यवेक्षण और नियंत्रण में कार्य करता है जिन्हें एक अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (लेखापरीक्षा) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

मुख्यालय स्थित आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभाग क्षेत्रीय कार्यालयों, पीडीनास, आंचलिक प्रशिक्षण संस्थानों, उप आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान तथा मुख्यालय की आंतरिक लेखापरीक्षा को मॉनिटर करता है अतः यह नियमों एवं विनियमों को लागू कराने में तथा वित्तीय अनियमितताओं को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह आंतरिक लेखा परीक्षा पार्टियों द्वारा उठाये गए ऑडिट पैरा की भी जांच करता है और तदनुसार निवारक उपायों तथा ईपीएफओ के विभिन्न प्रभागों के विषयक कार्यों में सुधार लाने हेतु सुझाव देता है।

**10.3** मुख्यालय में लेखापरीक्षा ढांचे के अतिरिक्त, फील्ड स्तर पर 15 आंतरिक लेखापरीक्षा पार्टियां (आईएपी) स्वीकृत हैं। प्रत्येक आंतरिक लेखापरीक्षा पार्टी के अध्यक्ष एक उप निदेशक होते हैं जिसकी सहायता के लिए 2-3 सहायक निदेशक (लेखापरीक्षा), 2 सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी और 2-4 लेखापरीक्षक होते हैं। 31-03-2022 को आंतरिक लेखापरीक्षा की मानवशक्ति निम्नानुसार थी:-

| क्रम सं. | पद                         | स्वीकृत | तैनात | रिक्त |
|----------|----------------------------|---------|-------|-------|
| 1.       | उपनिदेशक (लेखापरीक्षा)     | 15      | 3     | 12    |
| 2.       | सहायक निदेशक (लेखापरीक्षा) | 30      | 5     | 25    |
| 3.       | सहायक लेखा अधिकारी         | 36      | 6     | 30    |
| 4.       | ऑडिटर                      | 60      | 17    | 43    |
|          | कुल                        | 141     | 31    | 110   |

**10.4** वर्ष 2021-2022 के दौरान, आईएपी में सभी स्तरों पर जनशक्ति की अत्यधिक कमी के कारण, कुछ आईएपी को कार्यात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विलय कर दिया गया है और 31.03.2022 तक 15 स्वीकृत आईएपी के बजाय निम्नलिखित 10 आंतरिक लेखापरीक्षा दल कार्यात्मक थे।

|                    |              |          |
|--------------------|--------------|----------|
| चेन्नई             | हैदराबाद     | कानपुर   |
| मुंबई              | तिरुवनंतपुरम | अहमदाबाद |
| कोलकाता/जलपाईगुड़ी | रांची        |          |
| जयपुर              | बैंगलोर      |          |

उपरोक्त 10 कार्यात्मक आईएपी में से भी, कुछ उप निदेशक (लेखापरीक्षा) और/या सहायक। कार्यात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निदेशकों (लेखापरीक्षा) को अन्य आईएपी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

## आंतरिक लेखा परीक्षा के प्रमुख क्षेत्र

**10.5** संगठन के फील्ड कार्यालयों के केन्द्रित एवं प्रभावी आंतरिक लेखा परीक्षा हेतु उनकी महत्ता तथा कार्य की प्रकृति को देखते हुए कुछ विशेष प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई। वर्ष के दौरान सभी क्षेत्रों को कवर करते हुए लेखा परीक्षा हेतु निम्नलिखित 41 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई:

| क्र.सं. | फील्ड कार्यालयों हेतु प्रमुख क्षेत्रों की मदें                   |
|---------|------------------------------------------------------------------|
|         | लेखा :                                                           |
| 1       | वर्ष के दौरान एक ही बैंक में एक से अधिक भुगतानों का 100% सत्यापन |
| 2       | वर्ष के दौरान डमी खातों में क्रेडिट की गई राशि की 100% जांच।     |

| क्र.सं. | फील्ड कार्यालयों हेतु प्रमुख क्षेत्रों की मदें                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3       | ट्रांसफर आउट मामलों के संबंध में सत्यापन                                                                                                                                                                                                                                |
| 4       | कार्यालय के निष्क्रिय खाते तथा उनसे प्रत्याहरण                                                                                                                                                                                                                          |
| 5       | अपेंडिक्स ई प्रविष्टियों के माध्यम से परिवर्तन का 100% सत्यापन                                                                                                                                                                                                          |
| 6       | यूएन आर्बिट्रि न होने/अथवा अन्य किसी कारण से अंशधारकों के असमेकित क्रेडिट/असमेकित चालान                                                                                                                                                                                 |
| 7       | ईपीएफओ के अंशधारकों के खाते में विपरीत शेष                                                                                                                                                                                                                              |
| 8       | अदावी जमा/शेष जिनकी जांच की जानी है                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9       | क्या पूरे विवरण के साथ ईसीआर समय पर जमा किया जा रहा है                                                                                                                                                                                                                  |
| 10      | कोविड -19 अग्रिम योजना की कोविड -19 दावों के निपटान और ऑटो मोड के माध्यम से निपटाए गए दावों की लेखापरीक्षा                                                                                                                                                              |
| 11      | प्रत्येक कार्यालय द्वारा विभिन्न प्रकार के दावों को पारित करने में लगने वाले औसत समय और अस्वीकृत दावों के प्रतिशत की लेखापरीक्षा। दावों की अस्वीकृति के कारण और उनकी उपचारात्मक कार्रवाई और क्या दावेदार को सही कारण बताया गया था कि उसका दावा क्यों खारिज किया गया था। |
| 12      | सदस्य प्रोफाइल नाम पिता/पति/पत्नी/लिंग में सुधार का सत्यापन                                                                                                                                                                                                             |
| 13      | ऑफलाइन दावे और उसके कारणों का 100% सत्यापन                                                                                                                                                                                                                              |
| 14      | ट्रांसफर-इन खाते, सदस्य खाते में क्रेडिट नहीं किया गया का सत्यापन                                                                                                                                                                                                       |
| 15      | वापस प्राप्त राशि जिसे लाभार्थियों के खाते में पुनः प्राधिकृत नहीं किया गया का सत्यापन                                                                                                                                                                                  |
| 16      | दावे निपटाए गए लेकिन बैंक खाते में क्रेडिट में देरी हुई। कितने दिनों की देरी और इसका कारण क्या है                                                                                                                                                                       |
| 17      | दावा न की गई शेष राशि यदि कोई हो और अवधि जिसके लिए दावा नहीं किया गया है                                                                                                                                                                                                |
|         | <b>रोकड़ :</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 18      | भारतीय स्टेट बैंक से देरी से क्रेडिट पर एकत्रित ब्याज तथा बैंक को कमीशन/सेवा प्रभारों का भुगतान                                                                                                                                                                         |
| 19      | भविष्य निधि दावों पर टीडीएस कटौती तथा आयकर विभाग को जमा करने के संबंध में 100% सत्यापन                                                                                                                                                                                  |
| 20      | डिमांड ड्रॉफ्ट के माध्यम से प्राप्त प्रेषण, क्या इसे बिना किसी विलंब के भली भांति लेखांकन किया गया है, के संबंध में 100% सत्यापन                                                                                                                                        |
|         | <b>पेंशन :</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 21      | विशेष 10डी एवं विशेष 10सी मामलों का 100% सत्यापन                                                                                                                                                                                                                        |
| 22      | उच्चतर पेंशन मामलों का 100% सत्यापन                                                                                                                                                                                                                                     |
| 23      | पीपीओ वार पेंशन समाधान से संबंधित रिकॉर्ड का 100% सत्यापन                                                                                                                                                                                                               |
| 24      | एक ही आधार से जुड़े दोहरे/एकाधिक पेंशन मामलों की लेखापरीक्षा                                                                                                                                                                                                            |
| 25      | बाल पेंशन का ऑडिट                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | <b>अनुपालन :</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 26      | वर्ष के दौरान धारा 1(4) के अंतर्गत कवरेज का 100% सत्यापन                                                                                                                                                                                                                |
| 27      | वर्ष के दौरान नियोक्ता द्वारा प्रशासनिक शुल्क और छूट प्राप्त स्थापनाओं द्वारा देय निरीक्षण शुल्क का कम भुगतान                                                                                                                                                           |
| 28      | ओएलआरई कवरेज की कवरेज पुष्टि की टेस्ट जांच                                                                                                                                                                                                                              |
| 29      | अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत अभियोजन मामलों का लंबन                                                                                                                                                                                                                    |
| 30      | नुकसानी लगाने एवं एकत्र करने की स्थिति                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | <b>छूट :</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 31      | ईडीएलआई से छूट प्राप्त मामलों का 100% सत्यापन                                                                                                                                                                                                                           |

| क्र.सं. | फील्ड कार्यालयों हेतु प्रमुख क्षेत्रों की मदें                                                                         |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32      | छूट प्राप्त स्थापना के अनुपालन लेखापरीक्षा तथा उनके अनुपालन की स्थिति                                                  |
| 33      | छूट प्राप्त मामलों को रद्द करने और सरेंडर करने की प्रक्रिया में विलंब                                                  |
|         | <b>पीएमआरपीवाई/ पीएमजीकेवाई/एबीआरवाई</b>                                                                               |
| 34      | वर्ष, 2019 तक पीएमआरपीवाई योजना के अंतर्गत व्यय/नियोक्ताओं को प्रतिपूर्ति का सत्यापन                                   |
| 35      | फील्ड कार्यालयों में लागू सरकार की पीएमजीकेवाई योजना की लेखापरीक्षा।                                                   |
| 36      | स्थापनाओं और कर्मचारियों की एबीआरवाई पात्रता का सत्यापन।                                                               |
|         | <b>प्रशासन :</b>                                                                                                       |
| 37      | जीएफआर प्रावधानों, बजट आबंटन तथा प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों की अनुसूची के संदर्भ में खरीद एवं व्यय की लेखा परीक्षा |
| 38      | स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत दिए गए दिशा-निदेशों के संदर्भ में कार्यालय की भौतिक स्वच्छता                             |
| 39      | अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा मामले                                                                                   |
| 40      | आंचलिक कार्यालयों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में सुविधा केंद्रों का कार्य करना।                                          |
| 41      | दर्ज शिकायतों के समाधान में लगने वाला समय और गुणवत्ता।                                                                 |

10.6 वर्ष के दौरान आंतरिक लेखा परीक्षा पार्टियों द्वारा कार्यालयों की आंतरिक लेखा परीक्षा में की गई प्रगति की स्थिति इस प्रकार है:

| आंतरिक लेखापरीक्षा पार्टियों की संख्या | लेखापरीक्षित कार्यालयों की संख्या | उन कार्यालयों की संख्या जिनकी 31.03.22 तक लेखापरीक्षा की गई |
|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 10 (कार्य कर रही हैं)                  | 142                               | *94                                                         |

\* वर्ष के दौरान कोविड-19 के कारण आई महामारी के प्रसार के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगाया गया, आवागमन पर लगाये प्रतिबंधों तथा सम्पूर्ण भारत में गतिविधियों में आये व्यापक गतिरोध के कारण, 142 कार्यालयों में से, केवल 94 कार्यालय ही आंतरिक लेखा परीक्षा पार्टियों द्वारा ऑडिट किए जा सके।

वर्ष के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा पैरा की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है :

| क्र.सं. | अंचल                    | 31/03/2021 को लंबित पैरा (ओबी) | वर्ष के दौरान जुड़े पैरा | समिति द्वारा वर्ष के दौरान कुल ड्रॉप पैरा | 31/03/2022 को कुल लंबित पैरा (सीबी) (च=ग+घ-ड) |
|---------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| (क)     | (ख)                     | (ग)                            | (घ)                      | (ड)                                       | (च)                                           |
| 1       | विजयवाड़ा (आ.प्र.)      | 626                            | 99                       | 19                                        | 706                                           |
| 2       | हैदराबाद                | 915                            | 151                      | 0                                         | 1066                                          |
| 3       | बेंगलुरु                | 1192                           | 168                      | 67                                        | 1293                                          |
| 4       | हुबली (कर्नाटक और गोवा) | 1285                           | 90                       | 49                                        | 1326                                          |
| 5       | पटना (बिहार और झारखंड)  | 782                            | 92                       | 26                                        | 848                                           |
| 6       | चेन्नई                  | 1035                           | 206                      | 0                                         | 1241                                          |
| 7       | कोयंबटूर                | 896                            | 110                      | 33                                        | 973                                           |
| 8       | दिल्ली और उत्तराखंड     | 747                            | 0                        | 171                                       | 576                                           |
| 9       | अहमदाबाद (गुजरात)       | 1236                           | 192                      | 106                                       | 1322                                          |

| क्र.सं. | अंचल                  | 31 / 03 / 2021<br>को लंबित पैरा<br>(ओबी) | वर्ष के दौरान<br>जुड़े पैरा | समिति द्वारा वर्ष<br>के दौरान कुल<br>ड्रॉप पैरा | 31 / 03 / 2022<br>को कुल लंबित<br>पैरा (सीबी)<br>(च=ग+घ-ड) |
|---------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| (क)     | (ख)                   | (ग)                                      | (घ)                         | (ड)                                             | (च)                                                        |
| 10      | फरीदाबाद (हरियाणा)    | 777                                      | 24                          | 0                                               | 801                                                        |
| 11      | तिरुवनंतपुरम          | 955                                      | 162                         | 72                                              | 1045                                                       |
| 12      | भोपाल                 | 1193                                     | 148                         | 58                                              | 1283                                                       |
| 13      | मुंबई-I (बांद्रा)     | 543                                      | 52                          | 0                                               | 595                                                        |
| 14      | मुंबई-II (ठाणे)       | 778                                      | 122                         | 0                                               | 900                                                        |
| 15      | पुणे                  | 1494                                     | 88                          | 0                                               | 1582                                                       |
| 16      | गुवाहाटी (एनईआर)      | 826                                      | 77                          | 45                                              | 858                                                        |
| 17      | भुवनेश्वर             | 424                                      | 66                          | 0                                               | 490                                                        |
| 18      | चंडीगढ़               | 460                                      | 18                          | 0                                               | 478                                                        |
| 19      | जयपुर (राजस्थान)      | 632                                      | 110                         | 49                                              | 693                                                        |
| 20      | कानपुर (उत्तर प्रदेश) | 1050                                     | 218                         | 57                                              | 1211                                                       |
| 21      | कोलकाता               | 1765                                     | 164                         | 50                                              | 1879                                                       |
| 22      | पीडीनास / मुख्यालय    | 252                                      | 23                          | 0                                               | 275                                                        |
|         | <b>कुल</b>            | <b>19863</b>                             | <b>2380</b>                 | <b>802</b>                                      | <b>21441</b>                                               |

संक्षेप में, वर्ष के दौरान आंतरिक लेखा परीक्षा पार्टियों द्वारा 2380 आंतरिक ऑडिट पैरा उठाए गए। इसके अलावा, एफआईएसी द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार 802 ऑडिट पैरा ड्रॉप किए गए।

**10.7** आंतरिक लेखापरीक्षा पैरा की जांच की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने तथा उन पर उचित कार्रवाई करने के लिए, वित्त निवेश एवं लेखापरीक्षा समिति (एफआईएसी) के अनुमोदन से एक समिति तंत्र स्थापित किया गया। एफआईएसी द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप समिति तंत्र में समितियों की तीन श्रेणियों—समिति 'ए', समिति 'बी' तथा समिति 'सी' की परिकल्पना की गई। इनका गठन इस प्रकार है :

क. समिति 'ए' को "प्रणालीगत अथवा नीति मामलों से संबंधित पैरा जिनका संबंध प्रक्रियागत चूक से होता है, जिसमें रु. 1 करोड़ से अधिक वित्तीय मूल्य निहित है" से संबंधित पैरा को ड्रॉप करने की शक्तियां प्राप्त हैं। समिति में निम्नलिखित अधिकारी होते हैं :

|                  |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>समिति 'ए'</b> | केन्द्रीय भविष्य निधि आयोग, अध्यक्ष                                               |
|                  | अपर केन्द्रीय आयुक्त (मुख्या.) (लेखापरीक्षा), सदस्य                               |
|                  | वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी अथवा अपर केन्द्रीय आयुक्त (मुख्या.), सदस्य |

ख. समिति 'बी' को "प्रक्रियागत चूक जिनमें रु. 1 करोड़ तक का वित्तीय मूल्य निहित है", को ड्रॉप करने की शक्तियां प्राप्त हैं। इसके अलावा, समिति ए से संबंधित पैरा को छोड़कर मुख्यालय तथा पीडीनास से संबंधित सभी पैरा समिति 'बी' द्वारा ड्रॉप किए जाएंगे। समिति में निम्नलिखित अधिकारी होते हैं :

|                   |                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>समिति 'बी'</b> | अपर केन्द्रीय आयुक्त (मुख्या.) (लेखापरीक्षा), अध्यक्ष    |
|                   | अपर केन्द्रीय आयुक्त (वि.एवं ले.), सदस्य                 |
|                   | अपर केन्द्रीय आयुक्त (विधि)/क्षे.भ.नि.आ. (विधि), सदस्य   |
|                   | उप निदेशक/सहायक निदेशक (क्षेत्राधिकार वाली आईएपी), सदस्य |

ग. समिति 'सी' को "प्रक्रियागत चूक जिनमें वित्तीय मूल्य निहित नहीं है", को ड्रॉप करने की शक्तियां प्राप्त हैं। समिति में निम्नलिखित अधिकारी होते हैं :

|            |                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| समिति "सी" | अपर केन्द्रीय आयुक्त (मुख्या.)/अपर केन्द्रीय आयुक्त , अध्यक्ष |
|            | क्षे.भ.नि.आ.-। (आंचलिक कार्यालय में तैनात वरिष्ठतम), सदस्य    |
|            | उप निदेशक/सहायक निदेशक (क्षेत्राधिकार वाली आईएपी), सदस्य      |

## सांविधिक लेखा – परीक्षा

**10.8** भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के मार्गदर्शन में संगठन के प्रधान कार्यालय के खातों और लेन-देन का लेखा-परीक्षा महानिदेशक लेखापरीक्षा द्वारा नियमित रूप से किया जाता है। इसके अलावा, प्रधान कार्यालय में आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभाग राज्यों के संबंधित महालेखाकार द्वारा प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय और अन्य कार्यालयों के नियमित लेखापरीक्षा की निगरानी करता है। आंतरिक लेखापरीक्षा विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के संबंध में राज्य महालेखाकार द्वारा उठाए गए बकाया लेखापरीक्षा पैराओं की निगरानी भी करती है।

## समवर्ती लेखापरीक्षा

**10.9** कर्मचारी भविष्य निधिसं में समवर्ती लेखापरीक्षा की स्थापना 29.08.2017 को हुई। समवर्ती लेखापरीक्षा पोर्टल को केंद्रीय मंत्री (श्रम एवं रोजगार), भारत सरकार द्वारा 01.05.2018 को आधिकारिक रूप से शुरू किया गया। सिस्टम आधारित वातावरण (अर्थात् ऑनलाइन दावा निपटान) की ओर धीरे-धीरे बढ़ने के कारण केंद्रीकृत स्थान पर डाटा की उपलब्धता और बढ़ते हुए अनियमित भुगतान के परिणामस्वरूप, अन्य वित्तीय संगठनों की तरह, कर्मचारी भविष्य निधिसं को भी अपने संगठन में समवर्ती लेखापरीक्षा की आवश्यकता महसूस हुई इसलिए, कर्मचारी भविष्य निधिसं में समवर्ती लेखा परीक्षा शुरू की गई थी।

समवर्ती लेखा परीक्षा एक व्यवस्थित और समय पर जांच है जो प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों के साथ सटीकता, प्रामाणिकता और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित आधार पर लेनदेन होने से पहले पूरी की जाती है। इसमें लेन-देन की पर्याप्त जाँच और प्रणालीगत कमियों का पता लगाने पर जोर दिया जाता है।

समवर्ती लेखापरीक्षा के प्रमुख अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय) होते हैं और उनकी सहायता के लिए 01 अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, 01 क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1, 01 सहायक भविष्य निधि आयुक्त, 01 सहायक निदेशक (लेखापरीक्षा), 04 सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, 03 ऑडिटर तथा दो सहायक अनुभाग अधिकारी की एक टीम होती है।

प्रत्येक अंचल के लिए, संबंधित आंचलिक अपर केंद्रीय आयुक्त द्वारा नामित 2 लेखापरीक्षकों (1 डीपीए और 1 एसएसए) की 21 क्षेत्रीय टीमों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने के बाद 03.10.2019 से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा संसाधित दावों की समसामयिक लेखा परीक्षा में अधिक प्रभावशीलता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए निपटान से संबंधित समवर्ती लेखापरीक्षा कार्य को अंचल के स्तर पर विकेंद्रीकृत किया गया है। वर्तमान में सभी अंचल कार्यालयों में 42 लेखापरीक्षक तैनात।

## 10.10 उद्देश्य:

- प्रक्रिया के किसी भी उल्लंघन को प्रकाश में लाना।
- लेन-देन के समय (अर्थात् समवर्ती रूप से), दैनिक आधार पर फील्ड कार्यालयों से संबंधित प्रमुख लेनदेन का अध्ययन करना।
- वित्तीय अनियमितताओं/विसंगतियों/संभावित गलत भुगतानों का समय पर पता लगाना और उनकी रोकथाम सुनिश्चित करना।

## 10.11 महत्व:

- लेन-देन के होने और उसकी परीक्षा के बीच के अंतराल को कम करना।
- एक स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा परीक्षा (वर्तमान में ईपीएफओ के भीतर से ही)
- यह देखना कि लेन-देन अथवा निर्णय कर्मचारी भविष्य निधिसं द्वारा निर्धारित किए गए नीतिगत मापदंडों के भीतर हैं।
- प्रत्यायोजित प्राधिकारी द्वारा लेन-देन किया जाता है या प्रत्यायोजित प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिए जाते हैं।

### 10.12 समवर्ती लेखापरीक्षा द्वारा उपयोग की जाने वाली कार्यात्मकताएं (फिल्टर):

समवर्ती लेखापरीक्षा ने आईएस डिवीजन की सहायता से 10 कार्यात्मकताएं (फिल्टर) विकसित की हैं, जिसके माध्यम से दावों पर कार्यालय-वार अलर्ट दैनिक आधार पर डाउनलोड और विश्लेषण किया जाता है, निम्नलिखित विवरण के अनुसार:

- जन्मतिथि / नाम में बदलाव
- एक ही खाते में एकाधिक भुगतान
- निष्क्रिय खातों से भुगतान
- उच्च मूल्य के दावे (शीर्ष 50)
- पीपीओ का संशोधन
- छूट प्राप्त स्थापनाओं से ईडीएलआई दावों का भुगतान

एसओएम दिनांक 26-7-2021 के दौरान, केमनिआ ने समवर्ती लेखापरीक्षा को निम्नलिखित का विश्लेषण नियमित आधार पर करने का निर्देश दिया था:

- क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा निपटाए जा रहे एक लाख से अधिक मूल्य के सभी भौतिक दावे ।
- सदस्य शेष के साथ-साथ नियोजित शेष में परिशिष्ट-ई के माध्यम से किए गए सभी समायोजन ।
- मामले जहां शून्य ओबी वाले बंद स्थापनाओं में नए सदस्य बनाए गए हैं ।
- गैर ईसीआर/बंद स्थापनाओं से प्राप्त निपटान के सभी मामले ।

तदनुसार, निम्नलिखित कार्यात्मकताओं को विकसित किया गया और 09/2021 से सीएसी का कार्य शुरू किया गया:

- परिशिष्ट-ई के साथ दावे
- बंद स्थापनाओं से दावे
- शून्य ओबी के साथ खोले गए सदस्य खाते
- भौतिक दावे

### 10.13 समवर्ती लेखापरीक्षा को अतिरिक्त कार्य:

उपरोक्त 10 कार्यात्मकताओं के माध्यम से उत्पन्न अलर्ट के विश्लेषण और क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत उत्तरों की समीक्षा के अलावा, 2021-22 के दौरान समवर्ती लेखापरीक्षा द्वारा किए गए अतिरिक्त कार्य हैं:

- 1) नियमित लेखापरीक्षा कार्य के अलावा, सीए एचओ टीम ने क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजे गए उन अलर्ट की समीक्षा की है जिनके जवाब "ओके" या "कोई अनियमितता नहीं मिली" आदि के रूप में प्राप्त हुए हैं और भविष्य निधि देयों के गलत जारी होने का पता लगाया है ।
- 2) दावों के स्वतः निपटान का अध्ययन । दावों के ऑटो सेटलमेंट के कम प्रतिशत के कारण और कोविड -19 और 68-जे बीमारी अग्रिम दावों के ऑटो सेटलमेंट का प्रतिशत बढ़ाने के लिए सुझाव प्रस्तुत किए ।
- 3) आधार और ध्यान के बिना 23-09-2020 से 12-02-2021 तक निपटाए गए दावों की लेखापरीक्षा ।
- 4) नाम बदलने, जन्मतिथि बदलने और केवाईसी को अपडेट करने के लिए मास्टर सर्कुलर पर टिप्पणियां प्रस्तुत की गई ।
- 5) वॉलेट बैंकिंग के माध्यम से ग्राहकों को कर्मचारी भविष्य निधि लाभ के भुगतान का अध्ययन - 29432 दावे ।
- 6) परिशिष्ट-ई के उपयोग के लिए सुझाव ।
- 7) एक ही बैंक खाते में कई भुगतानों के सीएसी अलर्ट के कारण महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव कॉटन ग्राइंग मार्केटिंग फेडरेशन क्षेत्रीय



कार्यालय, औरंगाबाद में बड़ी पेंशन धोखाधड़ी का पता चला। 395 बहु भुगतान दावों के संबंध में 7 पीएस के अनुसार प्राप्त कुल अंशदान रु. 2,80,839/- था जबकि ऐसे कर्मचारियों को भुगतान किया गया कुल निकासी लाभ है। 73,97,906/- था ।

8) धोखाधड़ी के एक प्रयास और एकाधिक के मामलों के संबंध में जानकारी का विश्लेषण करते समय, अखिल भारतीय पैमाने पर फर्जी स्थापनाओं द्वारा केवाईसी विवरण में संशोधन के दृष्टांतों का चला था। 3925 दावों को नवंबर 2021 के दौरान रोक दिया गया।

9) उपरोक्त मामले में आगे की जांच से क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ में केवाईसी में संशोधन द्वारा धोखाधड़ी निकासी का पता चला, जिसमें 38 दावों की राशि रु 1.83 करोड़ थी।

10) इसी डेटा के कारण 1297 के दावों के संबंध में एक बैंक खाते में 1,57,48,964 रूपए की राशि के कई भुगतानों का पता चला।

11) क्षेत्रीय कार्यालय, औरंगाबाद के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में त्रुटि का पता चला, जहां यह देखा गया है कि विभिन्न कर्मचारी भविष्य निधि सदस्यों द्वारा लिए गए अग्रिमों को एक ही सदस्य के खाता बही से डेबिट किया गया है। सिस्टम की इस त्रुटि के संबंध में आईएस डिवीजन को सूचित कर दिया गया है।

12) 418 स्थापनाएं 12% की पात्रता के बावजूद 24% की दर से एबीआरवाई लाभ लेते हुए पाई गई। कुल शामिल राशि रु. 60.21 करोड़ थी।

13) समवर्ती लेखापरीक्षा ने 11 स्थापनाओं का पता लगाया, जो दिल्ली उत्तर, मध्य और पश्चिम द्वारा फर्जी प्रमाणित थी और जिन्होंने 992 यूएन से संबंधित रु. 1.17 करोड़ के फर्जी एबीआरवाई लाभ लिए।

#### 10.14 वर्ष 2021-22 के दौरान भेजे गए कुल अलर्ट नीचे (माहवार) सारणीबद्ध हैं:

| माह        | भेजे गए कुल अलर्ट | संलिप्त राशि (करोड़ों में) |
|------------|-------------------|----------------------------|
| अप्रैल-21  | 77624             | 2952.19                    |
| मई-21      | 66647             | 2425.88                    |
| जून-21     | 84500             | 3338.55                    |
| जुलाई-21   | 88824             | 3683.62                    |
| अगस्त-21   | 83830             | 2781.36                    |
| सितम्बर-21 | 162368            | 4601.06                    |
| अक्टूबर-21 | 169036            | 3755.33                    |
| नवंबर-21   | 126244            | 3177.4                     |
| दिसंबर-21  | 166524            | 4258.64                    |
| जनवरी -22  | 137741            | 3282.98                    |
| फरवरी -22  | 150218            | 3978.24                    |
| मार्च-22   | 176486            | 3837.73                    |
| <b>कुल</b> | <b>1490042</b>    | <b>42072.98</b>            |

#### 10.15 उपलब्धियां:

समवर्ती लेखापरीक्षा दल की पिछले तीन लगातार वर्षों की समग्र रूप से उपलब्धियां नीचे सारणीबद्ध हैं:

| क्र.सं. | लेखापरीक्षा का क्षेत्र                | 2019.20 |               | 2020.21 |                | 2021.22 |                |
|---------|---------------------------------------|---------|---------------|---------|----------------|---------|----------------|
|         |                                       | संख्या  | राशि (रूपए)   | संख्या  | राशि (रूपए)    | संख्या  | राशि (रूपए)    |
| 1       | वर्ष के दौरान सृजित कुल अलर्ट         | 461804  | 4027.36 करोड़ | 1001870 | 35621.08 करोड़ | 1490042 | 42072.98 करोड़ |
| 2       | अलर्ट द्वारा रोका गया अनियमित भुगतान। | 601     | 5.00 करोड़    | 277     | 5.22 करोड़     | 242     | 1.25 करोड़     |

| क्र.सं. | लेखापरीक्षा का क्षेत्र                                                | 2019.20 |             | 2020.21 |             | 2021.22 |             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
|         |                                                                       | संख्या  | राशि (रूपए) | संख्या  | राशि (रूपए) | संख्या  | राशि (रूपए) |
| 3       | समवर्ती लेखापरीक्षा से चेतावनियों के प्रत्युत्तर में वसूल की गई राशि। | 45      | 34.17 लाख   | 127     | 62 लाख      | 63      | 1.26 करोड़  |

**10.16 संक्षिप्त विश्लेषण—** उपरोक्त तालिका की जांच से पता चलता है कि समवर्ती लेखापरीक्षा द्वारा भेजे गए अलर्ट की संख्या में वृद्धि की प्रवृत्ति है। समवर्ती लेखापरीक्षा अलर्ट का प्रभाव अनियमित भुगतान के घटते मामलों से स्पष्ट है। इसी प्रकार सीएसी अलर्ट के कारण राशि की बढ़ती वसूली में भी यही प्रवृत्ति देखी जा सकती है। इसके अलावा जांच करने पर यह पाया गया है कि अधिकांश अनियमितताओं में एक ही बैंक खाते में कई भुगतान शामिल हैं, जिसे नीचे दिए गए विश्लेषण से देखा जा सकता है—

| 2021-22 के दौरान देखी गई कुल अनियमितताएँ | एक ही बैंक खाते में एकाधिक भुगतान | अन्य अनियमितताएँ |
|------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 242                                      | 201                               | 41               |

**10.17** उपरोक्त के अलावा, वर्ष 2021-22 के दौरान समवर्ती लेखापरीक्षा द्वारा निम्नलिखित अनियमितताओं को प्रबंधन के ध्यान में लाया गया।

| क्र. सं. | विवरण                                                                                                   | संख्या      | राशि (रु.)  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1        | महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप कॉटन फेडरेशन, औरंगाबाद में फर्जी पेंशन के दावे                                   | 395         | 73.97 लाख   |
| 2        | क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ में केवाईसी में संशोधन द्वारा धोखाधड़ी से निकासी                             | 38          | 1.83 करोड़  |
| 3        | एक ही बैंक खाते में एकाधिक भुगतान (केवाईसी संशोधनों में शामिल स्थापनाओं के संबंध में विशेष लेखापरीक्षा) | 1297        | 1.57 करोड़  |
| 4        | वॉलेट बैंकिंग के माध्यम से कर्मचारी भविष्य निधि भुगतान का ऑडिट                                          | 29432       | 30.38 करोड़ |
| 5        | स्थापनाएं 12% की पात्रता के बावजूद 24% की दर से एबीआरवाई लाभ लेते हुए पाई गई।                           | 418         | 60.21 करोड़ |
| 6        | पुणे और दिल्ली में स्थित 11 फर्जी प्रतिष्ठानों द्वारा लिया गया फर्जी एबीआरवाई लाभ।                      | 992 (यूएएन) | 1.17 करोड़  |

# અધ્યાય

# 11

વિધિ મામલે

## सामान्य अवलोकन

**11.1** कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 तथा इसके अंतर्गत निर्मित योजनाओं (कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952, कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976 एवं कर्मचारी पेंशन योजना, 1995) के क्रियान्वयन तथा विनियमन का दायित्व सौंपा गया है। संगठन से जुड़े न्यायिक मामले अधिनियम की व्याख्या उसके कार्यान्वयन से संबंधित होते हैं। सामान्यतः विधि मामलों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:-

**अनुपालन कार्रवाई** — इस क्षेत्र में न्यायिक मामले, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के विभिन्न प्रावधानों जैसे 7-ए, 7-बी, 7-क्यू, 14 बी आदि के अंतर्गत की गई कार्रवाई के कारण उत्पन्न होते हैं।

**अंशदाता को सेवा संबंधी क्षेत्र :-** माननीय उच्चतम न्यायालय ने क्षे.भ.नि.आ. बनाम शिव कुमार जोशी के मामले में दिनांक 14.12.1999 के आदेश में निर्णय दिए कि ईपीएफओ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत आता है। तदनुसार तीनों योजनाओं अर्थात् कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952, कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976 तथा कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत अंशदाताओं को दी जाने वाली सेवाओं में किसी भी कमी के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के विरुद्ध उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत मामले दर्ज किए जाते हैं।

**प्रशासनिक प्रकृति के मामले—** इस श्रेणी के अंतर्गत अधिकतर मामले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों तथा अधिकारियों के सेवा मामलों से संबंधित हैं और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अंतर्गत आरंभ किए जाते हैं।

## 11.2 वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण मामले

### I. सर्वोच्च न्यायालय में पेंशन संबंधी मुकदमे:

1. पी.ससिकुमार बनाम भारत संघ (वर्ष 2015 की डब्ल्यूपी संख्या 13120, 12.10.2018 को निर्णीत) मामले में माननीय केरल उच्च न्यायालय का निर्णय, जिसने कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में 2014 के संशोधनों को रद्द कर दिया था, को एसएलपी(सी) 16721-16722/- 2019 में भारत संघ द्वारा तथा एसएलपी(सी) संख्या 8658-8659/ 2019 में समीक्षा याचिका संख्या 1430-1431/- 2019 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा चुनौती दी गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसके समक्ष प्रस्तुत मामले की योग्यता को देखते हुए अपने आदेश दिनांक 12.07.2019 द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की समीक्षा याचिका के साथ भारत संघ की एसएलपी को भी लिस्ट करने का निर्देश दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 06.02.2020 द्वारा निदेश दिए हैं कि मामलों को एसएलपी तथा समीक्षा याचिका सुनने वाली 03 न्यायाधीशों की बड़ी बेंच के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।
2. इसके अतिरिक्त, केरल उच्च न्यायालय ने पी शशिकुमार बनाम भारत संघ के मामले में अपने आदेश दिनांक 21.12.2020 द्वारा निदेश दिया कि कभनिस के जवाब को ध्यान में रखते हुए मामले को प्रेषित किया जाए।
3. 2019 के एसएलपी संख्या 16721-16722, दिनांक 21.01.2021 के आदेश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 01.04.2019 के अपने आदेश को वापिस लिया जिसके द्वारा, दिनांक 12.10.2018 के केरल उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए ईपीएफओ द्वारा दायर की गई एसएलपी को खारिज किया था।
4. निम्न सूची बद्ध मामलों में, ईपीएफओ से प्राप्त चुनौती के पश्चात, केरल उच्च न्यायालय के दिनांक 12.10.2018 के निर्णय के आधार पर दिल्ली एवं राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित अनुवर्ती आदेशों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस जारी किया।
  - क. 2021 की एसएलपी सं. 1366, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त बनाम अखिल भारतीय ओएनजीसी भूतपूर्व कर्मचारी कल्याण संघ
  - ख. 2019 की डायरी सं. 44650, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त बनाम नीरज भार्गव
  - ग. 2019 की डायरी सं. 44506, अध्यक्ष, केंद्रीय न्यासी बोर्ड, ईपीएफ बनाम विनोद कुमार शर्मा
  - घ. 2020 की डायरी सं. 26686, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (पेंशन) बनाम आर एस ए एम लिमिटेड कर्मचारी कल्याण संघ

- ड. 2021 की एसएलपी सं. 1701, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, ईपीएफओ बनाम अमित मुखर्जी
- च. 2021 की एसएलपी सं. 1738, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, ईपीएफओ बनाम सुरिंदर सिंह गूमर
- छ. 2021 की एसएलपी सं. 2465, अध्यक्ष, केंद्रीय न्यासी बोर्ड, ईपीएफओ बनाम भूतपूर्व कर्मचारी कल्याण सोसाइटी
5. सभी मामले दिनांक 25.02.2021 को सूचीबद्ध हुए थे, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने मामलों को दैनिक आधार पर सूचीबद्ध करने हेतु आदेश पारित किया। इसके अलावा अदालत ने यह भी निर्देश दिया:
- (i) एसएलपी (सी) संख्या 8658-8659/- 2019, 16721-16722/- 2019 केरल के उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.10.2018 से उत्पन्न
- (ii) एसएलपी (सी) संख्या 1366/- 2021 खदिल्ली के उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.12.2019 से उत्पन्न होने के साथ-साथ, एसएलपी (सी) डायरी नंबर 46219/2019 [दिल्ली के उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.5.2019 से उत्पन्न];
- (iii) एसएलपी (सी) संख्या 2465/2021 [राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.08.2019 से उत्पन्न]; तथा
- (iv) सीए क्रमांक 10013-10014/2016 में अवमानना याचिका (सी) सं. 1917-1918/2018 आर.सी. गुप्ता एवं अन्य आदि बनाम क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन तथा अन्य आदि में इस न्यायालय द्वारा सी. ए.सं. 10013/201 में पारित आदेश दिनांक 04.10.2016 के कार्यान्वयन की मांग, मामलों की संबंधित श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख मामलों के रूप में लिया जाएगा। शेष मामले भी उसी दिन सूचीबद्ध किए जाएंगे। आगे विचार किए जाने तक, उपर्युक्त चार श्रेणियों के मामलों में पारित किसी भी आदेश के कार्यान्वयन की मांग करने वाले किसी भी अवमानना आवेदन पर किसी भी न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। इस न्यायालय में लंबित अवमानना याचिकाओं में, कथित अवमाननाकर्ता की व्यक्तिगत उपस्थिति को समाप्त कर दिया गया है।
- (v) डायरी सं. 22242/2019 अवमानना याचिका को वापस लेने की स्वतंत्रता की मांग करते हुए एक पत्र परिचालित किया गया है। अनुरोध स्वीकार किया गया है। अवमानना याचिका को बंद किया गया है।
6. इसके बाद दिनांक 24.08.2021 के आदेश द्वारा माननीय न्यायालय ने निम्नानुसार निर्देश दिया:
- (i) ये, और अन्य प्रस्तुतियां जो आर.सी. गुप्ता के मामले में लिए गए निर्णय में निर्धारित सिद्धांत की प्रयोज्यता को छूते हैं वे मामले की तह तक जाते हैं। दो न्यायाधीशों की बेंच में बैठकर उक्त दलीलों पर विचार करना हमारे लिए उचित नहीं होगा। तार्किक तरीका यह होगा कि इन सभी मामलों को कम से कम तीन न्यायाधीशों की पीठ को भेजा जाए ताकि उचित निर्णय लिया जा सके।
- (ii) विचार के लिए उठने वाले प्रमुख प्रश्न यह हैं कि क्या कर्मचारी पेंशन योजना के अनुच्छेद 11(3) के तहत कोई कट-ऑफ तारीख होगी और क्या आर.सी. गुप्ता के मामले में लिए गए निर्णय शासी सिद्धांत होंगे जिसके आधार पर इन सभी मामलों का निपटारा किया जाना चाहिए।
7. अतः मामले को एक बड़ी बेंच हेतु निर्दिष्ट किया गया है।

### सर्वोच्च न्यायालय में निष्पादन:

सर्वोच्च न्यायालय में मामलों का संचालन सीधे मुख्यालय में विधि प्रभाग द्वारा किया जाता है। वर्ष के दौरान, सर्वोच्च न्यायालय में ईपीएफओ का कार्य निष्पादन निम्नानुसार था:

| वर्ष                        | निर्णीत मामलों की कुल संख्या | पक्ष में निर्णीत | विरोध में निर्णीत | वापस भेजे गए |
|-----------------------------|------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| 01.04.2021 से<br>31.03.2022 | 26                           | 23               | 2                 | 1            |

II. उच्च न्यायालयों में मामले : इस दौरान विभिन्न उच्च न्यायालयों में कुल 1496 मामलों पर निर्णय लिया गया।

### III. केंद्र सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालय

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबंधों के अंतर्गत केंद्र सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों (सीजीआईटी-सह-एलसी) की स्थापना की गई हैं, जो केंद्रीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले औद्योगिक विवादों के अधिनिर्णयन के लिए हैं। विभिन्न राज्यों में 22 सीजीआईटी-सह-श्रम न्यायालय स्थापित हैं। सीजीआईटी-सह-श्रम न्यायालय संख्या I, मुंबई और सीजीआईटी-सह-श्रम न्यायालय, कोलकाता राष्ट्रीय अधिकरण के रूप में भी कार्य करते हैं।

ईपीएफएटी को वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा सीजीआईटी के साथ विलय कर दिया गया था। वित्त अधिनियम, 2017 के अध्याय ट के भाग ग्ट की धारा 156 के तहत, उपधारा (1ए) को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7ए में सम्मिलित किया गया था, जो "(1ए) के रूप में पठित है। उप-धारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा गठित औद्योगिक न्यायाधिकरण वित्त अधिनियम, 2017 के अध्याय VI के भाग XIV के प्रारंभ से, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7डी में संदर्भित न्यायाधिकरण को प्रदत्त अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और अधिकार का भी प्रयोग करेगा।" 26 मई, 2017 को वित्तीय अधिनियम, 2017 के अध्याय VI के भाग XIV के प्रावधान लागू होने की तिथि के रूप में तय किया गया था।

विलय के पश्चात, अधिनियम की धारा 7आई के अंतर्गत अपीलों को सीजीआईटी की अधिकार क्षेत्रों वाली बेंचों द्वारा सुनवाई की जा रही है।

### IV. विधि सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग सिस्टम (लिंक्स)

विधि सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग सिस्टम (लिंक्स) को विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा वेब आधारित एप्लीकेशन्स के माध्यम से केंद्र सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत संघ और संगठनों की ओर से मामलों के संचालन की निगरानी के लिए शुरू किया गया था। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने जून, 2017 में एलआईएमबीएस प्रवेश किया और संगठन के सभी मामलों को अब इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकता है।

#### 11.3 विभिन्न न्यायिक मंचों के समक्ष मामलों की स्थिति निम्नानुसार है:

| क्र.सं. | श्रेणी                                             | कुल कार्यभार<br>(01.04.2021 को) | वर्ष के दौरान कुल जुड़े मामले | वर्ष के दौरान निर्णीत |             |             | वर्ष के दौरान निर्णीत कुल | अंतिम शेष<br>(31.03.2022 को) |
|---------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------------------|------------------------------|
|         |                                                    |                                 |                               | के विरुद्ध            | पक्ष में    | वापस लिए गए |                           |                              |
| 1       | सर्वोच्च न्यायालय के मामलों की स्थिति              | 157                             | 15                            | 2                     | 23          | 1           | 26                        | 146                          |
| 2       | उच्च न्यायालय के मामलों की स्थिति                  | 11930                           | 1869                          | 126                   | 1305        | 62          | 1496                      | 12303                        |
| 3       | जिला न्यायालय के मामलों की स्थिति                  | 5598                            | 719                           | 53                    | 786         | 1           | 842                       | 5475                         |
| 4       | केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (सीएटी) मामलों की स्थिति | 313                             | 85                            | 16                    | 61          | 3           | 80                        | 318                          |
| 5       | सीजीआईटी मामलों की स्थिति                          | 7342                            | 1015                          | 149                   | 681         | 91          | 918                       | 7439                         |
| 6       | राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के मामलों की स्थिति        | 90                              | 16                            | 2                     | 1           | 0           | 3                         | 103                          |
| 7       | राज्य उपभोक्ता आयोग के मामलों की स्थिति            | 1793                            | 614                           | 53                    | 54          | 0           | 107                       | 2300                         |
| 8       | जिला उपभोक्ता फोरम मामलों की स्थिति                | 3952                            | 557                           | 468                   | 313         | 0           | 780                       | 3729                         |
|         | <b>कुल</b>                                         | <b>31175</b>                    | <b>4890</b>                   | <b>869</b>            | <b>3224</b> | <b>158</b>  | <b>4252</b>               | <b>31813</b>                 |



#### 11.4 विभिन्न न्यायालयों के अंतर्गत अंचल-वार मामलों की स्थिति:

| क्र.सं. | कार्यालय                   | कुल कार्यभार<br>(01.04.2021 को) | वर्ष के दौरान<br>कुल जुड़े<br>मामले | वर्ष के दौरान निर्णय लिया |             |                | वर्ष के<br>दौरान<br>निर्णीत कुल | अंतिम शेष<br>(31.03.2022 को) |
|---------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------|---------------------------------|------------------------------|
|         |                            |                                 |                                     | के विरुद्ध                | पक्ष में    | वापस लिए<br>गए |                                 |                              |
| 1       | कोयंबतूर                   | 2315                            | 368                                 | 49                        | 276         | 12             | 337                             | 2346                         |
| 2       | हुबली                      | 2951                            | 893                                 | 334                       | 354         | 5              | 693                             | 3151                         |
| 3       | बैंगलोर                    | 1191                            | 174                                 | 25                        | 193         | 4              | 222                             | 1143                         |
| 4       | राजस्थान                   | 1218                            | 160                                 | 25                        | 78          | 0              | 103                             | 1275                         |
| 5       | विजयवाड़ा                  | 725                             | 54                                  | 1                         | 57          | 1              | 59                              | 720                          |
| 6       | पुणे                       | 2613                            | 289                                 | 11                        | 131         | 13             | 155                             | 2747                         |
| 7       | केरल                       | 3448                            | 519                                 | 75                        | 818         | 54             | 947                             | 3020                         |
| 8       | हरियाणा                    | 643                             | 116                                 | 5                         | 36          | 2              | 44                              | 715                          |
| 9       | पंजाब एवं<br>हिमाचल प्रदेश | 1275                            | 222                                 | 5                         | 96          | 6              | 107                             | 1390                         |
| 10      | भोपाल                      | 2036                            | 432                                 | 16                        | 268         | 6              | 290                             | 2178                         |
| 11      | बांद्रा                    | 1104                            | 97                                  | 3                         | 19          | 1              | 23                              | 1178                         |
| 12      | कोलकाता                    | 2177                            | 125                                 | 14                        | 62          | 1              | 77                              | 2225                         |
| 13      | तेलंगाना                   | 1088                            | 181                                 | 0                         | 100         | 2              | 102                             | 1167                         |
| 14      | ओडीशा                      | 930                             | 127                                 | 4                         | 28          | 0              | 32                              | 1025                         |
| 15      | थाणे                       | 839                             | 90                                  | 13                        | 19          | 13             | 45                              | 884                          |
| 16      | चेन्नई एवं<br>पुदुचेरी     | 1459                            | 318                                 | 187                       | 121         | 3              | 311                             | 1466                         |
| 17      | पूर्वोत्तर क्षेत्र         | 99                              | 8                                   | 0                         | 4           | 0              | 4                               | 103                          |
| 18      | गुजरात                     | 1127                            | 108                                 | 34                        | 102         | 0              | 136                             | 1099                         |
| 19      | दिल्ली                     | 1555                            | 214                                 | 20                        | 181         | 13             | 214                             | 1555                         |
| 20      | उत्तर प्रदेश               | 1676                            | 218                                 | 5                         | 187         | 11             | 203                             | 1691                         |
| 21      | बिहार                      | 706                             | 177                                 | 43                        | 94          | 11             | 148                             | 735                          |
|         | <b>कुल</b>                 | <b>31175</b>                    | <b>4890</b>                         | <b>869</b>                | <b>3224</b> | <b>158</b>     | <b>4252</b>                     | <b>31813</b>                 |

# अध्याय

# 12

अंतर्राष्ट्रीय कामगारों के लिए सामाजिक  
सुरक्षा

## पृष्ठभूमि

**12.1** वैश्वीकरण के उद्भव और आर्थिक उदारीकरण तथा विश्व के बदलते जनसांख्यिकीय प्रोफाइल ने श्रमिकों के अंतर्राष्ट्रीय प्रवास को अनिवार्य बना दिया है। भारत, आईटी, स्वास्थ्य और प्रबंधन इत्यादि के क्षेत्रों में युवा एवं तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त जन-शक्ति की एक बड़ी संख्या के साथ मानव पूंजी के विशाल स्रोत के रूप में उभरा है। इसने भारत से दूसरे देशों में कुशल श्रम शक्ति की गतिशीलता को प्रोत्साहित किया।

इसके अतिरिक्त, तकनीक के प्रयोग से और भारत सरकार द्वारा विनिर्माण, कृषि आधारित उद्योगों और भारत में सेवा क्षेत्र के उद्योगों में तेजी से बढ़ती विविध गतिविधियों में अधिक से अधिक एफडीआई लाने के लिए किए गए प्रयासों से विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार हेतु अन्य देशों से भारत में विशिष्ट कार्यबल की गतिशीलता में वृद्धि हुई है।

**12.2** विभिन्न देशों में कार्यरत भारतीय पेशेवरों को विदेश में अपने प्रवास के दौरान अनिवार्य रूप से सामाजिक सुरक्षा अंशदान करना होता है। तथापि मौद्रिक अंशदान देने के बावजूद ऐसे प्रवासी भारतीय मेजबान देश में विशेष सामाजिक सुरक्षा नियमों के प्रभावी होने के कारण जिसमें न्यूनतम पात्रता अवधि का निर्धारण है, सामाजिक सुरक्षा लाभों से वंचित रहते हैं। मेजबान देश में अपने प्रवास के दौरान प्रवासी पेशेवरों द्वारा किया गया अंशदान न्यूनतम अर्हक अवधि की समाप्ति से पूर्व स्वदेश लौटने की स्थिति में समाप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त, मूल देश में सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने के लिए छोटी अंशदायी अवधि के लिए सेवा की गणना करने का कोई प्रावधान भी नहीं है।

**12.3** प्रवासी कामगारों के अधिकारों की सुरक्षा के उद्देश्य से, भारत सरकार ने द्विपक्षीय सामाजिक सुरक्षा करार (एस.एस.ए.) करने का निर्णय लिया। सामाजिक सुरक्षा करार (एस.एस.ए.), इन बाधाओं से पार पाने तथा लाभार्थियों को लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से, दो करारकर्ता देशों की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में समन्वयन करता है। एस.एस.ए. के कारण भारतीय कामगारों को अपनी तैनाती वाले देश में अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट प्राप्त होती है और दोहरे कराधान से बचाव होता है। इसके अतिरिक्त, विदेशों में प्रदान की जाने वाली सेवा का लाभ 'समग्रीकरण' के माध्यम से प्राप्त होता है और भुगतान भारत में प्राप्त होता है।

**12.4** द्विपक्षीय सामाजिक सुरक्षा करारों के उपबंधों को लागू करने के उद्देश्य से कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में पैरा 83 तथा कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में पैरा 43-ए शामिल कर कर्मचारी भविष्य निधि योजना तथा कर्मचारी पेंशन योजना में अंतर्राष्ट्रीय कामगारों के लिए विधायी उपबंध डाले गए। यह 1 अक्तूबर, 2008 से प्रभावी हुए। समय के साथ जरूरतों के अनुरूप विशेष उपबंधों में संशोधन किए गए।

**12.5** द्विपक्षीय आधार पर सामाजिक सुरक्षा करार पर वार्ता शुरू करने के लिए विदेश मंत्रालय (एम.ई.ए.), भारत सरकार नोडल मंत्रालय है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन भी वार्ता-प्रक्रिया में सहयोग करता है तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय मार्गदर्शक निकाय है।

सामाजिक सुरक्षा करारों के उपबंधों को संचालित करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को संपर्क एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। इसमें कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कवर की गई स्थापनाओं के कर्मचारियों के अलावा सभी भारतीय स्थापनाओं (निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र) को कवरेज प्रमाणपत्र (सी.ओ.सी.) जारी करना शामिल है, जब उनकी तैनाती विदेश में किसी ऐसे देश में होती है, जिसके साथ भारत का सामाजिक सुरक्षा करार हो।

### अंतर्राष्ट्रीय कामगारों के संबंध में विशेष उपबंध :-

**12.6** कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 83 तथा कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के पैरा 43-ए में अंतर्राष्ट्रीय कामगार के संबंध में पहचान, अपवर्जन, सदस्यता एवं लाभ उपलब्ध कराने के लिए विशेष उपबंध शामिल हैं।

**12.7** एक अंतर्राष्ट्रीय कामगार (आईडब्ल्यू), कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 83 के तहत प्रतिस्थापित उपपैरा 2 (जेए) के अंतर्गत दी गई परिभाषा के अनुसार एक भारतीय कामगार अथवा कोई विदेशी नागरिक हो सकता है।

### अंतर्राष्ट्रीय कामगार (आईडब्ल्यू) की परिभाषा:

- ऐसा भारतीय कर्मचारी, जो ऐसे देश में काम कर चुका है या करने जा रहा है, जिसके साथ भारत का सामाजिक सुरक्षा करार है तथा जो उक्त करार के अंतर्गत प्राप्त हुई अथवा प्राप्त होने वाली पात्रता की बंदौलत उस देश के सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है;

- ii. भारत में किसी स्थापना में, जिस पर कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 लागू है, कार्यरत किसी भारतीय कर्मचारी से भिन्न कर्मचारी, जिसके पास भारत से भिन्न किसी अन्य देश का पासपोर्ट है;

### 12.8 सामाजिक सुरक्षा करार (एसएसए)

सामाजिक सुरक्षा करार कामगारों के हितों की रक्षा करने वाला एक द्विपक्षीय साधन है। एसएसए में सामान्य तौर पर चार महत्वपूर्ण प्रावधान यथा 'समानता', 'पृथकीकरण', 'समग्रीकरण' तथा 'पोर्टेबिलिटी' शामिल होते हैं। तथापि, कुछ देशों के साथ एसएसए में 'समग्रीकरण' उपलब्ध नहीं है:

- व्यवहार की समानता** – एस.एस.ए. यह सुनिश्चित करता है कि जिन भारतीय कामगारों पर यह लागू होता है उनके पास उस विदेशी देश के सामाजिक सुरक्षा विधान के अंतर्गत मूल नागरिकों के समान ही अधिकार और कर्तव्य हों।
- पृथकीकरण** – जिन देशों के साथ भारत का सामाजिक सुरक्षा करार हुआ है, ऐसे देशों में काम करने वाले भारतीय कामगारों को उन देशों की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में अंशदान से छूट प्राप्त है, बशर्ते, वे कामगार भारत की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का अनुपालन कर रहे हों। यह छूट करार में उल्लिखित विशिष्ट अवधि के लिए ही उपलब्ध है।
- लाभों का समग्रीकरण** – पेंशन की पात्रता निर्धारित करने के लिए एस.एस.ए. देश में की गई सेवा की अवधि की गणना की जाती है। हालांकि, वास्तविक पेंशन लाभ, केवल अंशदायी सेवा की अवधि के लिए प्रो-राटा आधार पर देय है।
- पेंशन की पोर्टेबिलिटी** – अपने देश अथवा अन्य किसी देश में रहने का विकल्प चुनने वाले लाभार्थियों को पेंशन लाभ बिना किसी कटौती के सीधे तौर पर देय है।

### 12.9 भारत ने 20 सामाजिक सुरक्षा करार किए हैं जिनमें से नवीनतम करार अभी प्रभावी होना शेष है।

विभिन्न देशों के अंतर्राष्ट्रीय कामगारों को उपलब्ध लाभों के प्रकार का विवरण इस प्रकार है :

| क्र.सं. | देश           | प्रभावी होने की तिथि | पृथकीकरण                                          | समग्रीकरण | पोर्टेबिलिटी |
|---------|---------------|----------------------|---------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 1       | बेल्जियम      | 01.09.2009           | 5 वर्ष                                            | ✓         | ✓            |
| 2       | जर्मनी        | 01.10.2009           | 4 वर्ष                                            | ✓         | ✓            |
| 3       | स्विट्जरलैंड  | 29.01.2011           | 6 वर्ष                                            | x         | ✓            |
| 4       | डेनमार्क      | 01.05.2011           | (भारतीयों के लिए) 5 वर्ष<br>(डैनिश के लिए) 3 वर्ष | ✓         | ✓            |
| 5       | लक्जमबर्ग     | 01.06.2011           | 5 वर्ष                                            | ✓         | ✓            |
| 6       | फ्रांस        | 01.07.2011           | 5 वर्ष                                            | ✓         | ✓            |
| 7       | दक्षिण कोरिया | 01.11.2011           | 8 वर्ष                                            | ✓         | ✓            |
| 8       | नीदरलैंड      | 01.12.2011           | 5 वर्ष                                            | x         | ✓            |
| 9       | हंगरी         | 01.04.2013           | 5 वर्ष                                            | ✓         | ✓            |
| 10      | फिनलैंड       | 01.08.2014           | 5 वर्ष                                            | ✓         | ✓            |
| 11      | स्वीडन        | 01.08.2014           | 2 वर्ष                                            | ✓         | ✓            |
| 12      | चेक गणराज्य   | 01.09.2014           | 5 वर्ष                                            | ✓         | ✓            |
| 13      | नार्वे        | 01.01.2015           | 5 वर्ष                                            | ✓         | ✓            |
| 14      | ऑस्ट्रिया     | 01.07.2015           | 5 वर्ष                                            | ✓         | ✓            |
| 15      | कनाडा         | 01.08.2015           | 5 वर्ष                                            | ✓         | ✓            |
| 16      | ऑस्ट्रेलिया   | 01.01.2016           | 5 वर्ष                                            | ✓         | ✓            |
| 17      | जापान         | 01.10.2016           | 5 वर्ष                                            | ✓         | ✓            |
| 18      | क्यूबेक       | 01.04.2017           | 5 वर्ष                                            | ✓         | ✓            |
| 19      | पुर्तगाल      | 08.05.2017           | 5 वर्ष                                            | ✓         | ✓            |
| 20      | ब्राजील       | प्रभावी होना है।     | 5 वर्ष                                            | ✓         | ✓            |

अब तक एसएसए के लिए 17 देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता चल रही है जो ये है— संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, फिलीपींस, स्पेन, पोलैंड, रूस, थाईलैंड, चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पेरू, लिथुआनिया, इंडोनेशिया, साइप्रस, श्रीलंका, इटली और चीन हैं।

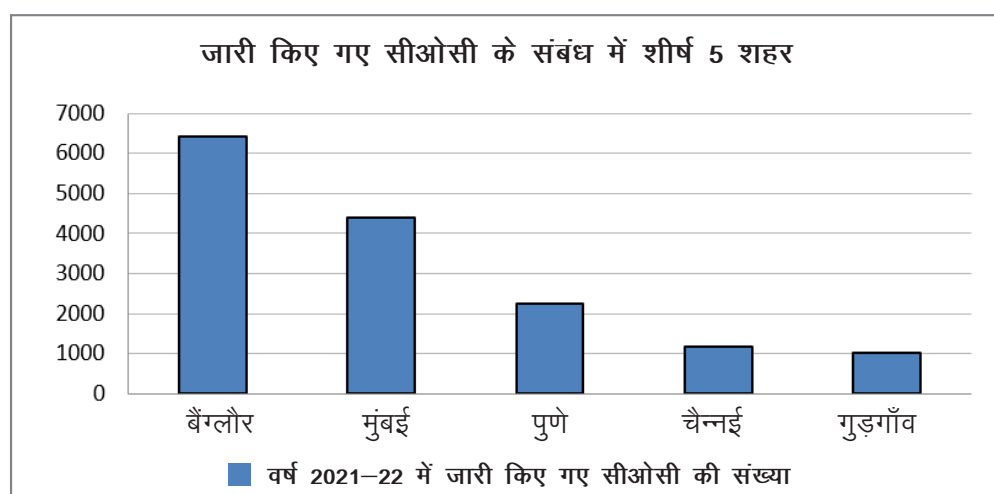
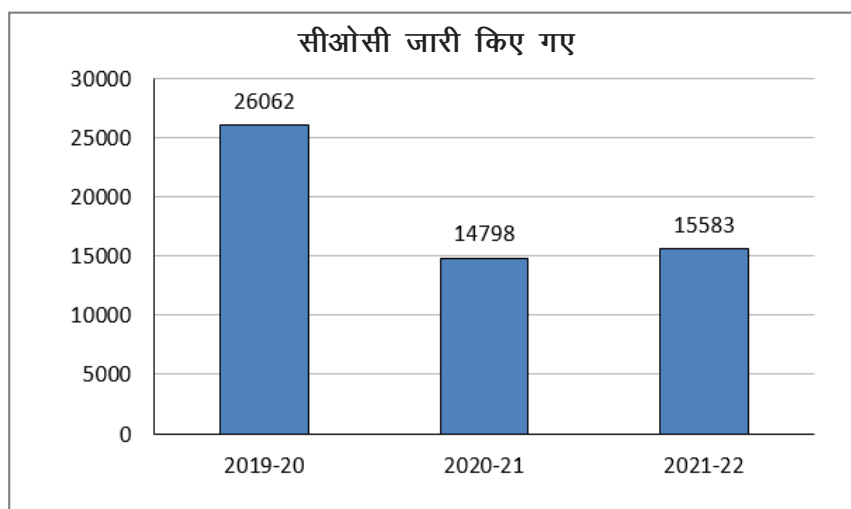
## 12.10 कवरेज का प्रमाण पत्र (सीओसी)

**कवरेज का प्रमाण पत्र (सीओसी):** इसे पृथकीकरण प्रमाणपत्र/लागू विधान का प्रमाणपत्र भी कहा जाता है। सीओसी ऐसे भारतीय कर्मचारियों को जारी किया जाता है, जो ऐसे देश में तैनात हो, जिसका भारत के साथ एसएसए है। भारतीय नागरिक जिन्हें ईपीएफओ द्वारा कवरेज प्रमाणपत्र जारी किया गया है, उन्हें सामाजिक सुरक्षा करार के पृथकीकरण प्रावधानों के नियमों के तहत अपनी तैनाती के देश में सामाजिक सुरक्षा अंशदान करने से छूट दी गई है।

सीओसी हेतु आवेदन की सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध है। कर्मचारी अथवा नियोक्ता सीओसी के लिए अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारी पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं, जिसका लिंक ईपीएफओ की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके पश्चात् आवेदन इलैक्ट्रॉनिक रूप से ईपीएफओ के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजा जाता है, जहां आवेदन पर कार्रवाई की जाती है।

एसएसए के अंतर्गत कवर देशों अर्थात् बेल्जियम, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, लक्समबर्ग, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, नीदरलैंड्स, हंगरी, फिनलैंड, चेक गणराज्य, स्वीडन, नार्वे, ऑस्ट्रिया, कनाडा, आस्ट्रेलिया, जापान तथा पुर्तगाल में तैनात भारतीय कर्मचारियों को सीओसी जारी किए गए हैं।

वैश्विक स्वास्थ्य महामारी ने वर्ष 2020-2021 में लोगों की सीमा पार आवाजाही को कम कर दिया। वैश्विक स्वास्थ्य महामारी का प्रभाव भारत से अंतर्राष्ट्रीय कामगारों के प्रवास के आंकड़ों पर दिखाई दिया। ईपीएफओ द्वारा जारी सीओसी की संख्या में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई क्योंकि वित्तीय वर्ष 2019-20 में 26062 की तुलना में वर्ष 2020-21 में केवल 14798 सीओसी जारी किए गए। तथापि, वर्ष 2021-22 में इसमें 15583 की बढ़ोतरी की प्रवृत्ति देखी गई, जो यह इंगित करता है कि अंतर्राष्ट्रीय कामगारों का सीमा पार आवागमन कोविड-19 महामारी के प्रभावों से धीरे-धीरे उबर रहा है।



# अध्याय

# 13

आजादी का अमृत महोत्सव

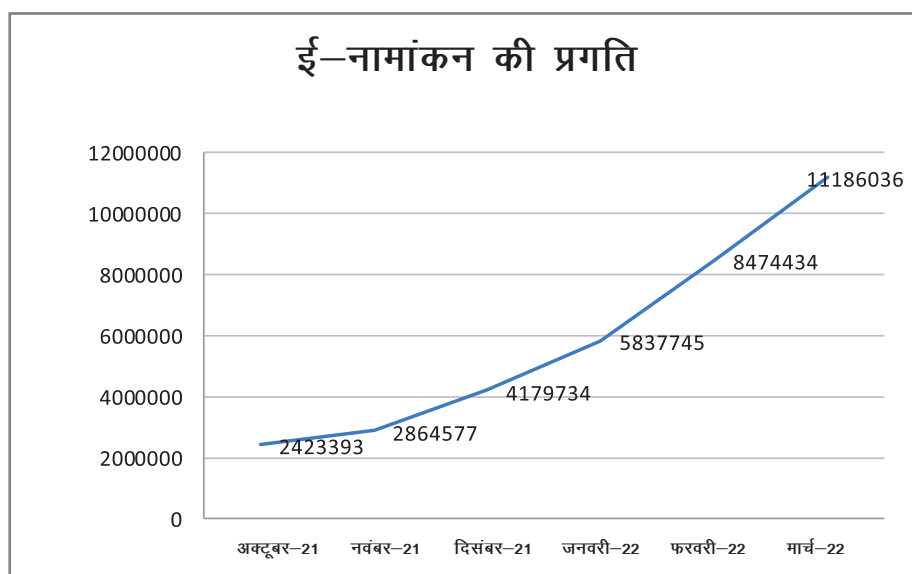
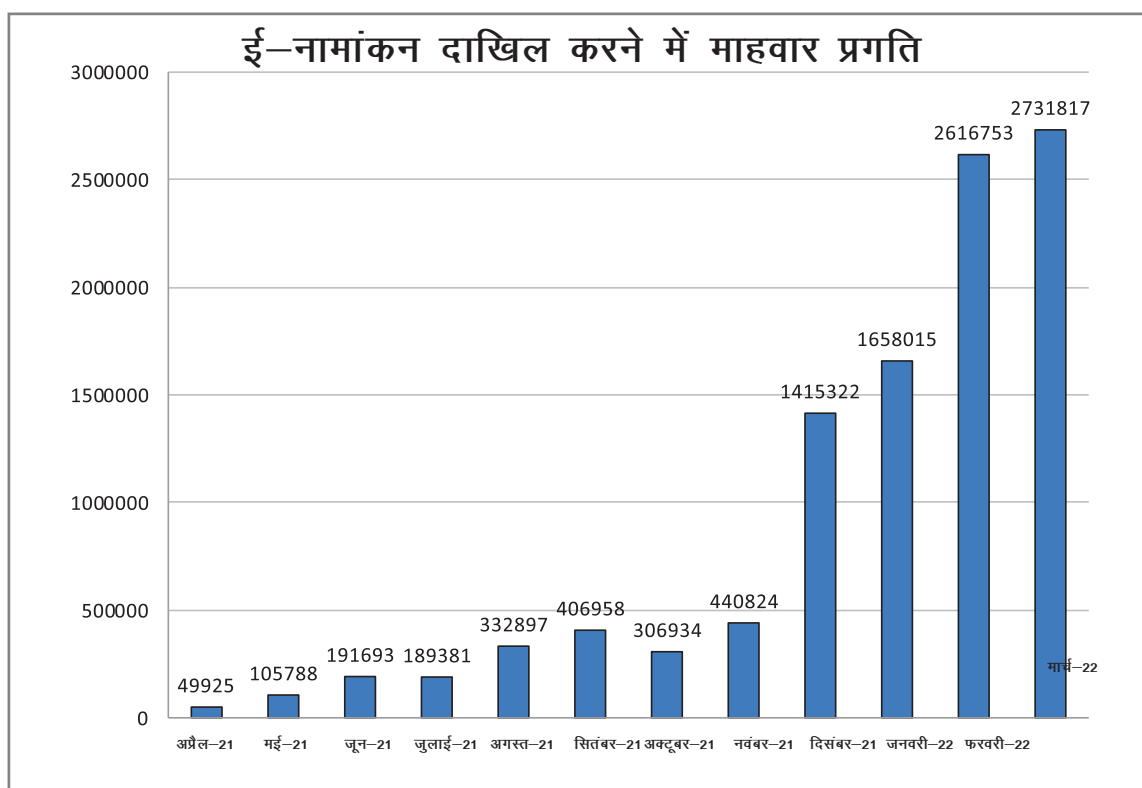
### 13.1 एकेएम के तहत ई-नामांकन (पेंशन प्रभाग)

आजादी का अमृत महोत्सव के समारोह के रूप में, ईपीएफओ ने सदस्यों और उनके परिवार के सदस्यों को ईपीएफओ सेवाओं का लाभ उठाने के दौरान स्वतंत्रता के एक नए सोपान पर जाने के लिए ई-नामांकन बढ़ाने के लिए एक अभियान शुरू किया। एकेएम के दौरान आइकॉनिक सप्ताह के समारोह तक 75 लाख का लक्ष्य इसके लिए निर्धारित किया गया था।

एकेएम के दौरान 75 लाख ई-नामांकन प्राप्त करने के लिए, अंचल-वार न्यूनतम दैनिक लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और पेंशन प्रभाग द्वारा नियमित आधार पर निगरानी की जाती थी। विभिन्न स्थानों पर शिविर आयोजित किए गए जिनमें वृक्षारोपण, जूट और बीड़ी कामगारों के लिए विशेष शिविर शामिल थे।

ईपीएफओ द्वारा किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप, इसने आइकॉनिक सप्ताह की समय सीमा से बहुत पहले 26.02.2022 को एकेएम के दौरान 75 लाख ई-नामांकन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया।

वित्तीय वर्ष 2021-2022 के दौरान दायर किए गए कुल ई-नामांकन - 1,04,46,297





### ई-नामांकन दाखिल करने की यात्रा में महत्वपूर्ण मील के पत्थर नीचे दिए गए हैं:-

जिस तिथि को ईपीएफओ ने 25 लाख नामांकन पूरे किए – 11.12.2021

जिस तिथि को ईपीएफओ ने 50 लाख नामांकन पूरे किए – 29.01.2022

जिस तिथि को ईपीएफओ ने 75 लाख नामांकन पूरे किए – 26.02.2022

जिस तिथि को ईपीएफओ ने 01 करोड़ नामांकन पूरे किए – 15.03.2022

### 13.2 छूट प्रभाग की गतिविधियां:-

आजादी का अमृत महोत्सव के तहत, 11.03.2022 को गुवाहाटी में आयोजित 230वीं केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक के दौरान निम्नलिखित तीन श्रेणियों के तहत छूट प्राप्त स्थापनाओं को ई-नामांकन पुरस्कार दिया गया:

| क्र.सं. | श्रेणी                    | छूटप्राप्त स्थापना का नाम                        |
|---------|---------------------------|--------------------------------------------------|
| 1       | बड़ी स्थापना (>5000 )     | एमएसईबी, मुंबई – एमएचबीएन0001251                 |
| 2       | मध्यम स्थापना (1000–5000) | केएसआरटीसी, मैंगलोर प्रभाग – केएनएमएलआर0000989   |
| 3       | छोटी स्थापना (<1000)      | मणिपाल प्रौद्योगिकी संस्थान दृ केएनयूडीपी0008208 |

### 13.3 सी एंड पीआर प्रभाग की गतिविधियां:-

भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के रूप में, ईपीएफओ ने सदस्यों को ई-नामांकन दाखिल करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक अभियान शुरू किया है। यह ईपीएफओ के सदस्यों के लिए ईपीएफओ की सेवाओं का लाभ उठाने हेतु स्वतंत्रता का एक नया सोपान होगा। स्टैकहोल्डरों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए, मुख्यालय के संचार एवं जनसंपर्क (सी एवं पीआर) प्रभाग द्वारा सोशल मीडिया पर क्रिएटिव, यूट्यूब वीडियो और जीआईएफ नियमित रूप से पोस्ट किए जा रहे हैं। इस कार्य का नेतृत्व करने के लिए, ईपीएफओ ने अपने परिसर में काम करने वाले लगभग सभी संविदा कर्मचारियों का ई-नामांकन सुनिश्चित किया। मार्च 2022 के दौरान सी एवं पीआर ने नई दिल्ली और गुवाहाटी में 2 स्टार कार्यक्रमों सहित आइकॉनिक सप्ताह के समारोहों का सफलतापूर्वक आयोजन किया। नई दिल्ली में एक विशेष कार्यक्रम में, इसने 8 मार्च 2022 को महिला दिवस मनाया। इस समारोह का आयोजन ईपीएफओ, ईएसआईसी और डीजीएमएस द्वारा संयुक्त रूप से “महिला कार्यबल का मूल्य और सशक्तिकरण” विषय पर किया गया था, जिसकी अध्यक्षता श्री भूपेंद्र यादव, माननीय श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री तथा अध्यक्ष, के. न्या.बो. (कभनि) ने की थी। माननीय श्री रामेश्वर तेली, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री और उपाध्यक्ष, के. न्या.बो. (कभनि), श्री सुनील बड़थवाल, सचिव (श्रम एवं रोजगार) और सह-उपाध्यक्ष, केंद्रीय न्यासी बोर्ड (कभनि), श्री एम.एस. भाटिया, महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम तथा अन्य गणमान्य अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित की गई थी।

ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा विशेष शिविरों के माध्यम से स्थापनाओं के साथ हाथ मिलाने और सक्रिय रूप से उन तक पहुंचने वाली महिला सदस्यों के ई-नामांकन में तेजी लाने के लिए सप्ताह भर चलने वाले विशेष अभियान का भी प्रयास किया गया था। पेंशन प्रभाग के समन्वय में, सी एवं पीआर प्रभाग ने देश में 10,000 से अधिक स्थापनाओं को मंजूरी दी, जिन्होंने अपनी महिला कर्मचारियों के 100% ई-नामांकन दायर करने की सूचना दी। एक अन्य अभियान में, ईपीएफओ ने 5 मार्च 2022 तक सभी महिला दावों के प्रसंस्करण को लक्षित किया। मार्च को समाप्त होने वाली इस पहल ने एक सप्ताह के अभ्यास में लगभग 638 करोड़ रुपये की कुल राशि के 144069 महिलाओं के दावों का निपटारा किया।

माननीय केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री ने ईपीएफओ के साथ सभी महिला स्टैकहोल्डरों की बातचीत को विशेष रूप से पूरा करने के लिए प्रमुख क्षेत्रीय कार्यालयों में “महिला सशक्तिकरण डेस्क” शुरू किया था। माननीय केंद्रीय मंत्री ने ईएसआईसी की 03 महिला कोरोना योद्धाओं अर्थात् ईएसआईसी अस्पतालों में कार्यरत डॉ. जयश्री शिव कुमार भाले (आंध्र प्रदेश), श्रीमती उमा गोपीनाथ (चिकित्सा अधिकारी, केके नगर) और श्रीमती मीनाक्षी (पैरामेडिकल स्टाफ को मान्यता पुरस्कार भी वितरित किए। उन्होंने भारत में पहली बार खदानों में काम करने वाली 04 महिला खदान कामगारों नामतः सुश्री अरुणा नारायण संकटला और सुश्री बिपाशा बिस्वास जो ओपन कॉस्ट खदानों में काम करती हैं तथा भूमिगत खदानों से सुश्री संध्या रसकटला के साथ-साथ सुश्री योगेश्वरी राणे को भी सम्मानित किया।

8 मार्च 2022 को महिला दिवस मनाने संबंधी वीडियो फिल्म और महिला अधिकारिता डेस्क के शुभारंभ पर फिल्म तैयार की गई और ईपीएफओ के यूट्यूब चैनल पर पोस्ट की गई।

12 मार्च को गुवाहाटी में एक सार्वजनिक समारोह में, श्री भूपेंद्र यादव, माननीय केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री और अध्यक्ष, के. न्या.बो. (कभनि) श्री हिमंत बिस्वा सरमा, माननीय मुख्यमंत्री, असम श्री रामेश्वर तेली, माननीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री और उपाध्यक्ष, केंद्रीय

न्यासी बोर्ड (ईपीएफ), श्री सुनील बड़थवाल, सचिव (श्रम एवं रोजगार) और सह-उपाध्यक्ष, केंद्रीय न्यासी बोर्ड (कभनि), श्री संजय किशन और श्री अशोक सिंघल माननीय मंत्री, असम सरकार की उपस्थिति में निम्नलिखित का शुभारंभ/उद्घाटन किया गया था:-

- (i) पीई पोर्टल 2.0: इस अपग्रेड किए गए पोर्टल के माध्यम से, ठेकेदार अब अपने प्रधान नियोक्ता (पीई) और अनुबंध अवधि, अनुबंध/कार्य आदेश और तैनात कर्मचारियों के यूएएन जैसे विवरण घोषित कर सकते हैं। यह पीई और ठेकेदारों के लिए अनुपालन में आसानी की दिशा में एक कदम है।
- (ii) क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी में वर्चुअल रूप से ई-ऑफिस लॉन्च किया गया। यह सुविधा कामकाज में पारदर्शिता बनाए रखते हुए कार्यालयों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए ई-गवर्नेंस की दिशा में एक कदम है। इस कदम का एक अतिरिक्त लाभ पर्यावरण संरक्षण के मिशन में योगदान करने वाले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को कार्बन क्रेडिट का उपार्जन है।
- (iii) क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी में 8वें क्षेत्रीय कॉल सेंटर का उद्घाटन: इस लॉन्च के साथ, ईपीएफओ कॉल सेंटर हिंदी और अंग्रेजी के अलावा सात (7) स्थानीय भाषाओं जैसे बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और असमिया में कॉल स्वीकार करता है।
- (iv) ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालयों के कामकाज की 75 सफलता की कहानियों के संकलन का विमोचन किया।
- (v) सभी के लिए प्रासंगिक परिपत्रों की आसान खोज और पहुंच के लिए परिपत्रों के ई-कम्पेंडियम के रूप में ईपीएफओ के प्रासंगिक परिपत्रों के संकलन का एक डिजिटल संस्करण जारी किया।
- (vi) अध्यक्ष, केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने ई-नामांकन, स्वच्छता और आईएसओ प्रमाणन में सर्वश्रेष्ठ कार्य निष्पादन करने वाले कार्यालयों को पुरस्कार प्रदान किए।
- (vii) चिकमगलूर और शिमोगा क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यालय भवन का लगभग उद्घाटन किया गया।
- (viii) वर्चुअल रूप में नरोदा (अहमदाबाद) में एक कार्यालय भवन के निर्माण के लिए आधारशिला रखी गई।

12 मार्च 2022 को गुवाहाटी में सार्वजनिक समारोह के दौरान निम्नलिखित वीडियो/डॉक्यूमेंटरी फिल्मों भी प्रदर्शित की गईं: -

- (i) प्रधान नियोक्ता पोर्टल 2.0
- (ii) क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी में ई-ऑफिस का शुभारंभ
- (iii) क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी में 8वें जोनल कॉल सेंटर का उद्घाटन
- (iv) ई-नामांकन

उपर्युक्त 2 स्टार इवेंट के अलावा, निम्नलिखित कार्यक्रम भी आयोजित किए गए-

- 07 मार्च 2022 को पश्चिम बंगाल चंपदानी, हुगली में एंगस जूट कामगारों के लिए ई-नामांकन शिविर आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री दिलीप भट्टाचार्य (केंद्रीय न्यासी बोर्ड के सदस्य) थे। शिविर में लगभग 250 सदस्यों ने भाग लिया।
- 10 मार्च 2022 को, बीड़ी श्रमिकों के लिए ईपीएफओ ई-नामांकन शिविर निजामाबाद, तेलंगाना में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम का आयोजन ईपीएफओ क्षेत्रीय कार्यालय निजामाबाद द्वारा मैसर्स देसाई ब्रदर्स लिमिटेड, मल्लाराम, निजामाबाद, जो एक बीड़ी स्थापना है, के परिसर में किया गया था। ई-नामांकन शिविर में विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया, जिसमें श्री सी नारायण रेड्डी, कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट, निजामाबाद शामिल थे। शिविर में लगभग 150 सदस्यों ने भाग लिया।
- 12 मार्च 2022 को, अलीपुरद्वार, पश्चिम बंगाल में चाय बागान में ईपीएफओ ई-नामांकन शिविर महिला श्रमिकों पर विशेष जोर देने के साथ अलीपुरद्वार में बीरपारा चाय बागान, बीरपारा अलीपुरद्वार में आयोजित किया गया था। श्री जॉन बारला, माननीय राज्य मंत्री (अल्पसंख्यक मामले), भारत सरकार मुख्य अतिथि थे। शिविर में लगभग 60 सदस्यों ने भाग लिया।

ईपीएफओ विभिन्न साप्ताहिक कार्यक्रमों का आयोजन करके आजादी का अमृत महोत्सव मनाना जारी रखा है जो स्टैकहोल्डरों/नियोक्ताओं, कर्मचारियों आदि के लिए केंद्रित हैं। सप्ताह के दौरान, 21-26 मार्च 2022, पीई पोर्टल और प्रमुख नियोक्ताओं द्वारा ठेकेदारों के पंजीकरण के बारे में, क्षेत्रीय कार्यालय नोएडा, दिल्ली (उत्तर) और हावड़ा के कार्यालयों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक गहन और उपयोगी चर्चा हुई। उक्त पोर्टल पर अपने ठेकेदारों को घोषित करने के लिए प्रधान नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यालयों ने विभिन्न पहल की हैं। कार्यालय ने प्रधान नियोक्ता (पीई) के साथ नियमित रूप से वेबिनार/सेमिनार/बैठकें आयोजित की ताकि उन्हें नियमित रूप से समझा जा सके।

#### 13.4 पीडीनास प्रभाग द्वारा की गई गतिविधियां: -

- ई-कम्पेंडियम (ईपीएफओ के सभी प्रभागों से संबंधित सभी परिपत्रों का संकलन)
- फील्ड कार्यालयों से सफलता की कहानियों के संकलन पर पुस्तिका।



आजादी का अमृत महोत्सव

# परिशिष्ट



## परिशिष्ट-1 (i)

| 31.03.2022 को केंद्रीय न्यासी बोर्ड, ईपीएफ के सदस्य |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अध्यक्ष                                             |                                                                                                                     |
| 1.                                                  | केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली।                                                            |
| उपाध्यक्ष                                           |                                                                                                                     |
| 2.                                                  | श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली।                                                                |
| सह-उपाध्यक्ष                                        |                                                                                                                     |
| 3.                                                  | सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।                                                              |
| केंद्र सरकार के प्रतिनिधि-5                         |                                                                                                                     |
| 4.                                                  | अपर सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली                                                           |
| 5.                                                  | अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार अथवा संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली |
| 6.                                                  | संयुक्त सचिव (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के प्रभारी), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली               |
| 7.                                                  | संयुक्त सचिव तथा महानिदेशक, श्रम कल्याण, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली                            |
| 8.                                                  | संयुक्त सचिव (पेंशन सुधार), वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली                               |
| राज्य सरकार के प्रतिनिधि – 15                       |                                                                                                                     |
| 9.                                                  | सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार, श्रम विभाग, हैदराबाद                                                                      |
| 10.                                                 | सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन सरकार, श्रम विभाग, चंडीगढ़                                                                    |
| 11.                                                 | सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, श्रम विभाग, दिल्ली                                                    |
| 12.                                                 | सचिव, गुजरात सरकार, श्रम एवं रोजगार विभाग, गांधी नगर                                                                |
| 13.                                                 | सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग, चंडीगढ़                                                                            |
| 14.                                                 | सचिव, कर्नाटक सरकार, श्रम विभाग, बंगलुरु                                                                            |
| 15.                                                 | सचिव, केरल सरकार, श्रम विभाग, तिरुवनंतपुरम                                                                          |
| 16.                                                 | सचिव, मध्य प्रदेश सरकार, श्रम विभाग, भोपाल                                                                          |
| 17.                                                 | सचिव, महाराष्ट्र सरकार, श्रम विभाग, मुंबई                                                                           |
| 18.                                                 | सचिव, पंजाब सरकार, श्रम विभाग, चंडीगढ़                                                                              |
| 19.                                                 | सचिव, राजस्थान सरकार, श्रम विभाग, जयपुर                                                                             |
| 20.                                                 | सचिव, तमिलनाडु सरकार, श्रम विभाग, चेन्नई                                                                            |
| 21.                                                 | सचिव, तेलंगाना सरकार, श्रम विभाग, हैदराबाद                                                                          |
| 22.                                                 | सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, श्रम विभाग, लखनऊ                                                                          |
| 23.                                                 | सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार, श्रम विभाग, कोलकाता                                                                       |

| नियोक्ताओं के प्रतिनिधि-10  |                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 24.                         | श्री अरूण चावला, नियोक्ताओं का अखिल भारतीय संगठन (भारतीय नियोक्ता परिषद)             |
| 25.                         | श्री माईकल डायस, भारतीय नियोक्ता फेडरेशन (भारतीय नियोक्ता परिषद)                     |
| 26.                         | श्री अतुल सोबती, स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज (भारतीय नियोक्ता परिषद) |
| 27.                         | श्री सौगत राय चौधरी, भारतीय उद्योग परिसंघ                                            |
| 28.                         | श्री आशीष विग, पी.एच.डी. चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री                              |
| 29.                         | श्री के.ई. रघुनाथन, अखिल भारतीय निर्माता संगठन                                       |
| 30.                         | श्री एस.के. शर्मा, भारतीय उद्योग एवं संस्थान एसोसिएशन                                |
| 31.                         | श्री गोविंद लेले, लघु उद्योग भारती                                                   |
| 32.                         | श्री अनुपम मलिक, एसोसिएटेड चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया                  |
| 33.                         | श्री संजय भाटिया, फेडरेशन ऑफ इंडिया चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री                   |
| कर्मचारियों के प्रतिनिधि-10 |                                                                                      |
| 34.                         | श्री हिरनमय जे.पांड्या, भारतीय मजदूर संघ                                             |
| 35.                         | श्री प्रभाकर जे. बानासुरे, भारतीय मजदूर संघ                                          |
| 36.                         | श्री संकरी मल्लेशम, भारतीय मजदूर संघ                                                 |
| 37.                         | श्री ए.के. पद्मनाभन, सीटू                                                            |
| 38.                         | श्री सुकुमार दामले, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस।                               |
| 39.                         | श्री हरभजन सिंह सिद्धू, हिंद मजदूर सभा                                               |
| 40.                         | श्री दिलीप भट्टाचार्य, अखिल भारतीय यूनाईटेड ट्रेड यूनियन सेंटर                       |
| 41.                         | रिक्त, इंटक                                                                          |
| 42.                         | रिक्त, इंटक                                                                          |
| 43.                         | रिक्त, इंटक                                                                          |
| पदेन सदस्य सचिव             |                                                                                      |
| 44.                         | केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन                             |

## परिशिष्ट-1 (ii)

| 31.03.2022 को कार्यकारी समिति, केंद्रीय न्यासी बोर्ड (ईपीएफ) के सदस्यों की सूची |                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अध्यक्ष                                                                         |                                                                                                |
| 1.                                                                              | सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली                                          |
| केंद्र सरकार के प्रतिनिधि – 2                                                   |                                                                                                |
| 2.                                                                              | अपर सचिव अथवा संयुक्त सचिव (सामाजिक सुरक्षा), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली  |
| 3.                                                                              | अपर सचिव अथवा संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली |
| राज्य सरकार के प्रतिनिधि – 3                                                    |                                                                                                |
| 4.                                                                              | सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, श्रम विभाग, लखनऊ                                                     |
| 5.                                                                              | सचिव, महाराष्ट्र सरकार, उद्योग, श्रम एवं ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, मुंबई                          |
| 6.                                                                              | सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम एवं रोजगार विभाग, चंडीगढ़                                            |
| नियोक्ताओं के प्रतिनिधि – 3                                                     |                                                                                                |
| 7.                                                                              | श्री अरुण चावला                                                                                |
| 8.                                                                              | श्री सौगत राय चौधरी                                                                            |
| 9.                                                                              | श्री गोविंद लेले                                                                               |
| कर्मचारियों के प्रतिनिधि – 3                                                    |                                                                                                |
| 10.                                                                             | श्री हरभजन सिंह सिद्धू                                                                         |
| 11.                                                                             | श्री सुनकारी मल्लेशम                                                                           |
| 12.                                                                             | श्री दिलीप भट्टाचार्य                                                                          |
| पदेन सदस्य सचिव                                                                 |                                                                                                |
| 13.                                                                             | केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन                                       |



## परिशिष्ट-2 (i)

| स्थापनाएं और सदस्य – अंचल एवं कार्यालय-वार (31.03.2022) |                                          |             |              |        |             |              |          |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|----------|
| क्रम सं.                                                | उद्योग का प्रकार                         | स्थापनाएं   |              |        | सदस्य       |              |          |
|                                                         |                                          | छूट प्राप्त | अछूट प्राप्त | कुल    | छूट प्राप्त | अछूट प्राप्त | कुल      |
| 1                                                       | सोडा वाटर                                | 1           | 1335         | 1336   | 5           | 157848       | 157853   |
| 2                                                       | अगरबत्ती                                 | 0           | 773          | 773    | 0           | 68871        | 68871    |
| 3                                                       | कृषि फार्म                               | 6           | 17578        | 17584  | 15017       | 277013       | 292030   |
| 4                                                       | अपरटाइट खान                              | 0           | 28           | 28     | 0           | 1392         | 1392     |
| 5                                                       | आर्किटेक्ट्स                             | 1           | 2118         | 2119   | 180         | 94017        | 94197    |
| 6                                                       | एस्बेस्टोस                               | 2           | 150          | 152    | 2886        | 18997        | 21883    |
| 7                                                       | एस्बेस्टस सीमेंट शीट्स                   | 1           | 200          | 201    | 260         | 48794        | 49054    |
| 8                                                       | अन्नक की खानें                           | 0           | 56           | 56     | 0           | 5706         | 5706     |
| 9                                                       | अटोर्नीज                                 | 2           | 140          | 142    | 93          | 6892         | 6985     |
| 10                                                      | ऑटोमोबाइल सर्विसिंग                      | 27          | 10839        | 10866  | 232268      | 1422984      | 1655252  |
| 11                                                      | बॉल क्ले खानें                           | 0           | 88           | 88     | 0           | 9020         | 9020     |
| 12                                                      | राष्ट्रीयकृत बैंकों के अलावा अन्य बैंक।  | 69          | 4697         | 4766   | 879007      | 942025       | 1821032  |
| 13                                                      | बैराइट्स / डोलोमाइट / फायरक्ले आदि खानें | 1           | 69           | 70     | 0           | 5317         | 5317     |
| 14                                                      | बैराइट्स खानें                           | 0           | 23           | 23     | 0           | 1447         | 1447     |
| 15                                                      | बॉक्साइट खानें                           | 7           | 125          | 132    | 20970       | 6230         | 27200    |
| 16                                                      | बीड़ी बनाना                              | 0           | 8348         | 8348   | 0           | 4005191      | 4005191  |
| 17                                                      | बीयर मैन्युफैक्चरिंग                     | 3           | 411          | 414    | 9080        | 87106        | 96186    |
| 18                                                      | बिस्कुट बनाना                            | 3           | 1884         | 1887   | 5444        | 375586       | 381030   |
| 19                                                      | बोन क्रशिंग                              | 0           | 188          | 188    | 0           | 8639         | 8639     |
| 20                                                      | वनस्पति उद्यान                           | 0           | 351          | 351    | 0           | 37843        | 37843    |
| 21                                                      | ब्रैड                                    | 6           | 1020         | 1026   | 366         | 114539       | 114905   |
| 22                                                      | ईंट                                      | 1           | 19469        | 19470  | 0           | 398144       | 398144   |
| 23                                                      | ब्रश                                     | 0           | 171          | 171    | 0           | 11123        | 11123    |
| 24                                                      | भवन और निर्माण उद्योग                    | 31          | 151280       | 151311 | 99948       | 17254110     | 17354058 |
| 25                                                      | बटन                                      | 0           | 181          | 181    | 0           | 17457        | 17457    |
| 26                                                      | कैल्साइट माइन्स                          | 0           | 69           | 69     | 0           | 11372        | 11372    |
| 27                                                      | केन फार्मस                               | 4           | 208          | 212    | 766         | 12730        | 13496    |
| 28                                                      | कैंटीन                                   | 1           | 6196         | 6197   | 876         | 511581       | 512457   |
| 29                                                      | इलायची के बागान                          | 0           | 432          | 432    | 0           | 10863        | 10863    |
| 30                                                      | काजू                                     | 0           | 3152         | 3152   | 0           | 536793       | 536793   |
| 31                                                      | मवेशी चारा उद्योग                        | 1           | 830          | 831    | 395         | 117687       | 118082   |
| 32                                                      | सीमेंट                                   | 48          | 3012         | 3060   | 168597      | 618841       | 787438   |

| स्थापनाएं और सदस्य – अंचल एवं कार्यालय-वार (31.03.2022) |                                                              |             |              |        |             |              |          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|----------|
| क्रम सं.                                                | उद्योग का प्रकार                                             | स्थापनाएं   |              |        | सदस्य       |              |          |
|                                                         |                                                              | छूट प्राप्त | अछूट प्राप्त | कुल    | छूट प्राप्त | अछूट प्राप्त | कुल      |
| 33                                                      | चार्टर्ड या पंजीकृत एकाउंटेंट                                | 1           | 1310         | 1311   | 15162       | 111770       | 126932   |
| 34                                                      | चीनी मिट्टी की खानें                                         | 0           | 152          | 152    | 0           | 12631        | 12631    |
| 35                                                      | क्रोमाइट माइन्स                                              | 1           | 89           | 90     | 818         | 65550        | 66368    |
| 36                                                      | सिगरेट                                                       | 4           | 131          | 135    | 25889       | 25671        | 51560    |
| 37                                                      | सिनकोना बागान                                                | 0           | 24           | 24     | 0           | 13351        | 13351    |
| 38                                                      | 5 या अधिक कर्मचारियों वाले सिनेमा थिएटर                      | 0           | 2394         | 2394   | 0           | 58784        | 58784    |
| 39                                                      | सिनेमा सहित प्रीव्यू थिएटर                                   | 4           | 7749         | 7753   | 49          | 113387       | 113436   |
| 40                                                      | कॉफी क्योरिंग                                                | 2           | 213          | 215    | 388         | 27133        | 27521    |
| 41                                                      | कॉफी बागान                                                   | 3           | 2947         | 2950   | 2028        | 123365       | 125393   |
| 42                                                      | कॉयर                                                         | 1           | 857          | 858    | 0           | 65871        | 65871    |
| 43                                                      | कॉलेज                                                        | 6           | 10534        | 10540  | 1205        | 642880       | 644085   |
| 44                                                      | जीवन बीमा, एन्युटी आदि देने वाली कंपनियां                    | 2           | 574          | 576    | 125409      | 348615       | 474024   |
| 45                                                      | प्रदर्शन के लिए कंपनियां: सोसाइटीयां, एसोसिएशन, ध्वलबद्धसमूह | 17          | 5415         | 5432   | 4954        | 531398       | 536352   |
| 46                                                      | कनफेक्शनरी                                                   | 4           | 2753         | 2757   | 834         | 345829       | 346663   |
| 47                                                      | कोरन्डम खानें                                                | 0           | 50           | 50     | 0           | 7373         | 7373     |
| 48                                                      | कॉस्ट – कार्य लेखाकार                                        | 0           | 365          | 365    | 0           | 17886        | 17886    |
| 49                                                      | कॉटन गिनिंग – प्रेसिंग                                       | 21          | 7470         | 7491   | 28130       | 575000       | 603130   |
| 50                                                      | क्रॉकरी                                                      | 1           | 718          | 719    | 0           | 73965        | 73965    |
| 51                                                      | दाल मिलिंग                                                   | 0           | 1199         | 1199   | 0           | 44668        | 44668    |
| 52                                                      | डायमंड कटिंग                                                 | 1           | 3567         | 3568   | 0           | 325216       | 325216   |
| 53                                                      | हीरे की खानें                                                | 1           | 65           | 66     | 189         | 3373         | 3562     |
| 54                                                      | डायमंड सॉ मिल्स                                              | 1           | 53           | 54     | 0           | 5236         | 5236     |
| 55                                                      | डिस्टिलिंग – स्प्रिट का सुधार                                | 6           | 975          | 981    | 3981        | 170341       | 174322   |
| 56                                                      | वितरण-फिल्म                                                  | 1           | 209          | 210    | 1           | 8644         | 8645     |
| 57                                                      | डोलोमाइट खानें                                               | 0           | 81           | 81     | 0           | 13700        | 13700    |
| 58                                                      | खाद्य तेल – वसा                                              | 21          | 4764         | 4785   | 20832       | 344073       | 364905   |
| 59                                                      | इलेक्ट्र., मैकेनिकल या जनरल इंजीनियरिंग उत्पाद               | 308         | 106784       | 107092 | 1736347     | 21279092     | 23015439 |
| 60                                                      | इलेक्ट्र. पोर्सलीन इन्सुलेटर                                 | 4           | 3105         | 3109   | 759         | 117004       | 117763   |

| स्थापनाएं और सदस्य – अंचल एवं कार्यालय-वार (31.03.2022) |                                                                  |             |              |        |             |              |          |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|----------|
| क्रम सं.                                                | उद्योग का प्रकार                                                 | स्थापनाएं   |              |        | सदस्य       |              |          |
|                                                         |                                                                  | छूट प्राप्त | अछूट प्राप्त | कुल    | छूट प्राप्त | अछूट प्राप्त | कुल      |
| 61                                                      | बिजली (जी, टी, डी)                                               | 215         | 11160        | 11375  | 462868      | 862863       | 1325731  |
| 62                                                      | निजी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कंपनियां                    | 6           | 2275         | 2281   | 448476      | 538162       | 986638   |
| 63                                                      | पन्ना खानें                                                      | 0           | 47           | 47     | 0           | 7400         | 7400     |
| 64                                                      | इंजीनियर्स – इंजी. ठेकेदार                                       | 56          | 173023       | 173079 | 848479      | 13252869     | 14101348 |
| 65                                                      | निर्माण, मार्केटिंग सर्विसिंग, कंप्यूटर के उपयोग में लगी स्थापना | 32          | 23130        | 23162  | 1691781     | 6305430      | 7997211  |
| 66                                                      | निर्माण, रखरखाव, संचालन के लिए रेलवे में लगी स्थापना             | 0           | 4027         | 4027   | 0           | 96436        | 96436    |
| 67                                                      | सफाई, सफाई सेवाओं में लगी स्थापना                                | 0           | 22568        | 22568  | 0           | 3167558      | 3167558  |
| 68                                                      | कूरियर सेवाएं प्रदान करने में लगी स्थापना                        | 1           | 1241         | 1242   | 31341       | 278747       | 310088   |
| 69                                                      | विमान या एयरलाइनों की स्थापना                                    | 3           | 344          | 347    | 21206       | 60686        | 81892    |
| 70                                                      | विशेषज्ञ सेवाएं                                                  | 198         | 353850       | 354048 | 2293481     | 96579730     | 98873211 |
| 71                                                      | विस्फोटक                                                         | 4           | 527          | 531    | 2207        | 49837        | 52044    |
| 72                                                      | फेल्डस्पार खानें                                                 | 1           | 63           | 64     | 4030        | 6777         | 10807    |
| 73                                                      | फेरो क्रोम                                                       | 1           | 262          | 263    | 426         | 99881        | 100307   |
| 74                                                      | फेरो मैंगनीज                                                     | 2           | 204          | 206    | 447         | 35093        | 35540    |
| 75                                                      | फिल्म प्रक्रिया-लेबोरेट्रीज                                      | 0           | 464          | 464    | 0           | 35825        | 35825    |
| 76                                                      | फिल्म निर्माण कंसर्न                                             | 0           | 1942         | 1942   | 0           | 65368        | 65368    |
| 77                                                      | फिल्म स्टूडियो                                                   | 0           | 649          | 649    | 0           | 39826        | 39826    |
| 78                                                      | वित्तीय स्थापना                                                  | 54          | 12306        | 12360  | 69952       | 3117812      | 3187764  |
| 79                                                      | फायरवर्क्स                                                       | 1           | 1609         | 1610   | 1250        | 285653       | 286903   |
| 80                                                      | फायरवले खानें                                                    | 0           | 33           | 33     | 0           | 3133         | 3133     |
| 81                                                      | मछली प्रसंस्करण और मांसाहारी खाद्य संरक्षण                       | 1           | 1708         | 1709   | 22          | 229296       | 229318   |
| 82                                                      | फ्लेवरेट खानें                                                   | 0           | 31           | 31     | 0           | 2959         | 2959     |
| 83                                                      | फ्लोर मिलिंग                                                     | 4           | 2339         | 2343   | 631         | 174273       | 174904   |

| स्थापनाएं और सदस्य – अंचल एवं कार्यालय-वार (31.03.2022) |                             |             |              |       |             |              |          |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------|-------|-------------|--------------|----------|
| क्रम सं.                                                | उद्योग का प्रकार            | स्थापनाएं   |              |       | सदस्य       |              |          |
|                                                         |                             | छूट प्राप्त | अछूट प्राप्त | कुल   | छूट प्राप्त | अछूट प्राप्त | कुल      |
| 84                                                      | अग्रेषण एजेंसी              | 2           | 4641         | 4643  | 59630       | 725473       | 785103   |
| 85                                                      | फलों के बगीचे               | 1           | 272          | 273   | 2314        | 18138        | 20452    |
| 86                                                      | फल – शाकाहारी संरक्षण       | 2           | 3278         | 3280  | 150         | 294957       | 295107   |
| 87                                                      | वस्त्र बनाना                | 5           | 20334        | 20339 | 1280        | 11687498     | 11688778 |
| 88                                                      | गौर गम फैक्ट्रियां          | 0           | 108          | 108   | 0           | 7491         | 7491     |
| 89                                                      | सामान्य बीमा                | 1           | 363          | 364   | 0           | 793210       | 793210   |
| 90                                                      | कांच                        | 12          | 1992         | 2004  | 38838       | 391147       | 429985   |
| 91                                                      | ग्लू और जिलेटिन फैक्ट्रियां | 0           | 71           | 71    | 0           | 5822         | 5822     |
| 92                                                      | सोने की खानें               | 3           | 142          | 145   | 6480        | 7056         | 13536    |
| 93                                                      | ग्रेफाइट खानें              | 0           | 110          | 110   | 0           | 5656         | 5656     |
| 94                                                      | जिप्सम खानें                | 0           | 42           | 42    | 0           | 859          | 859      |
| 95                                                      | हैवी – फाईन कैमिकल्स        | 178         | 17661        | 17839 | 392438      | 4690532      | 5082970  |
| 96                                                      | अस्पताल                     | 36          | 23692        | 23728 | 85122       | 3179922      | 3265044  |
| 97                                                      | होटल                        | 21          | 25216        | 25237 | 29478       | 2635138      | 2664616  |
| 98                                                      | बर्फ या आईसक्रीम            | 1           | 794          | 795   | 6075        | 90303        | 96378    |
| 99                                                      | नील                         | 0           | 106          | 106   | 0           | 35359        | 35359    |
| 100                                                     | इंडिस्ट्र. – पावर अल्कोहल   | 1           | 142          | 143   | 22          | 18010        | 18032    |
| 101                                                     | इंडोलियम                    | 62          | 2152         | 2214  | 22070       | 206704       | 228774   |
| 102                                                     | अंतर्देशीय जल परिवहन        | 5           | 566          | 571   | 6599        | 37979        | 44578    |
| 103                                                     | लोहा और इस्पात              | 63          | 16622        | 16685 | 327723      | 2274784      | 2602507  |
| 104                                                     | लौह अयस्क की खानें          | 21          | 688          | 709   | 21694       | 103984       | 125678   |
| 105                                                     | लौह अयस्क पैलेट्स           | 2           | 426          | 428   | 1621        | 70275        | 71896    |
| 106                                                     | जूट                         | 76          | 318          | 394   | 291092      | 126249       | 417341   |
| 107                                                     | जूट बेलिंग या प्रेसिंग      | 0           | 100          | 100   | 0           | 4037         | 4037     |
| 108                                                     | कत्था बनाना                 | 2           | 163          | 165   | 1473        | 16729        | 18202    |
| 109                                                     | ज्ञान या प्रशिक्षण संस्थान  | 4           | 7840         | 7844  | 417         | 509448       | 509865   |
| 110                                                     | कयानाइट माइंस               | 0           | 26           | 26    | 0           | 913          | 913      |
| 111                                                     | एलएसी & शैलैक               | 1           | 102          | 103   | 2977        | 4692         | 7669     |
| 112                                                     | लॉन्ड्री – लॉन्ड्री सेवाएं  | 0           | 798          | 798   | 0           | 51299        | 51299    |
| 113                                                     | चर्म उत्पाद                 | 11          | 7535         | 7546  | 16948       | 1305837      | 1322785  |

| स्थापनाएं और सदस्य – अंचल एवं कार्यालय-वार (31.03.2022) |                                              |             |              |        |             |              |         |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|---------|
| क्रम सं.                                                | उद्योग का प्रकार                             | स्थापनाएं   |              |        | सदस्य       |              |         |
|                                                         |                                              | छूट प्राप्त | अछूट प्राप्त | कुल    | छूट प्राप्त | अछूट प्राप्त | कुल     |
| 114                                                     | लिग्नाइट खानें                               | 2           | 83           | 85     | 23017       | 24543        | 47560   |
| 115                                                     | चूना पत्थर की खानें                          | 3           | 794          | 797    | 1002        | 83829        | 84831   |
| 116                                                     | लिनोलियम                                     | 1           | 18           | 19     | 0           | 2241         | 2241    |
| 117                                                     | लॉजिंग हाउस, सर्विस अपार्टमेंट, कॉलोमिनियम्स | 0           | 1409         | 1409   | 0           | 103878       | 103878  |
| 118                                                     | मैग्नेसाइट खानें                             | 2           | 111          | 113    | 1172        | 41971        | 43143   |
| 119                                                     | मैंगनीज खानें                                | 16          | 329          | 345    | 7474        | 54901        | 62375   |
| 120                                                     | संगमरमर खानें                                | 0           | 527          | 527    | 0           | 17598        | 17598   |
| 121                                                     | माचिस                                        | 2           | 1803         | 1805   | 1217        | 267754       | 268971  |
| 122                                                     | मैडिकल प्रैक्टिशनर                           | 5           | 4040         | 4045   | 1574        | 618682       | 620256  |
| 123                                                     | मैस                                          | 0           | 583          | 583    | 0           | 70359        | 70359   |
| 124                                                     | अभ्रक खानें                                  | 2           | 292          | 294    | 4712        | 13339        | 18051   |
| 125                                                     | अभ्रक खान – अभ्रक उद्योग                     | 2           | 482          | 484    | 730         | 32030        | 32760   |
| 126                                                     | दूध के उत्पाद                                | 31          | 4329         | 4360   | 39530       | 489588       | 529118  |
| 127                                                     | खनिज तेल शोधन                                | 3           | 411          | 414    | 3942        | 69604        | 73546   |
| 128                                                     | मिश्रित बागान                                | 0           | 447          | 447    | 0           | 14896        | 14896   |
| 129                                                     | नगर परिषदधनिगम                               | 0           | 2953         | 2953   | 0           | 347510       | 347510  |
| 130                                                     | मिरोबालन – शाकाहारी टैनिंग                   | 0           | 53           | 53     | 0           | 2940         | 2940    |
| 131                                                     | समाचार पत्र स्थापनाएं                        | 16          | 1757         | 1773   | 26667       | 186877       | 213544  |
| 132                                                     | अखाद्य तेल & वसा                             | 0           | 707          | 707    | 0           | 52572        | 52572   |
| 133                                                     | अलौह धातु और मिश्र धातु                      | 9           | 2107         | 2116   | 31357       | 258465       | 289822  |
| 134                                                     | गेरू की खदानें                               | 0           | 168          | 168    | 0           | 17238        | 17238   |
| 135                                                     | अन्य                                         | 134         | 280597       | 280731 | 219332      | 5293323      | 5512655 |
| 136                                                     | पेंट्स – वार्निश                             | 19          | 2527         | 2546   | 35439       | 283590       | 319029  |
| 137                                                     | कागज                                         | 18          | 2930         | 2948   | 42373       | 286251       | 328624  |
| 138                                                     | कागज के उत्पाद                               | 15          | 6175         | 6190   | 30898       | 570668       | 601566  |
| 139                                                     | काली मिर्च के बागान                          | 1           | 70           | 71     | 73          | 4964         | 5037    |
| 140                                                     | पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस उत्पादन             | 36          | 2425         | 2461   | 95345       | 124854       | 220199  |
| 141                                                     | पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस रिफाइनिंग           | 19          | 1832         | 1851   | 51416       | 199482       | 250898  |
| 142                                                     | पिकर्स                                       | 0           | 210          | 210    | 0           | 30403        | 30403   |
| 143                                                     | प्लास्टिक उत्पाद                             | 9           | 15644        | 15653  | 6774        | 1953085      | 1959859 |

| स्थापनाएं और सदस्य – अंचल एवं कार्यालय-वार (31.03.2022) |                                             |             |              |       |             |              |         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|--------------|-------|-------------|--------------|---------|
| क्रम सं.                                                | उद्योग का प्रकार                            | स्थापनाएं   |              |       | सदस्य       |              |         |
|                                                         |                                             | छूट प्राप्त | अछूट प्राप्त | कुल   | छूट प्राप्त | अछूट प्राप्त | कुल     |
| 144                                                     | प्लाईवुड                                    | 1           | 3480         | 3481  | 6           | 298249       | 298255  |
| 145                                                     | मुर्गी पालन                                 | 0           | 1584         | 1584  | 0           | 241528       | 241528  |
| 146                                                     | प्रिंटिंग                                   | 22          | 9235         | 9257  | 3622        | 606290       | 609912  |
| 147                                                     | निजी हवाई अड्डे और संयुक्त उद्यम हवाई अड्डे | 0           | 74           | 74    | 0           | 8897         | 8897    |
| 148                                                     | लकड़ी का प्रसंस्करण और उपचार                | 1           | 793          | 794   | 113         | 61090        | 61203   |
| 149                                                     | क्वार्टसाइट खानें                           | 0           | 53           | 53    | 0           | 3667         | 3667    |
| 150                                                     | क्वार्ट्ज खानें                             | 0           | 175          | 175   | 0           | 167514       | 167514  |
| 151                                                     | रेलवे बुकिंग एजेंसियां                      | 0           | 75           | 75    | 0           | 4239         | 4239    |
| 152                                                     | रीफ्रैक्टरीज                                | 9           | 1030         | 1039  | 127606      | 149249       | 276855  |
| 153                                                     | अनुसंधान संस्थान                            | 5           | 1801         | 1806  | 6446        | 113621       | 120067  |
| 154                                                     | रेस्टोरेंट                                  | 1           | 16609        | 16610 | 43          | 1527124      | 1527167 |
| 155                                                     | चावल मिलिंग                                 | 2           | 15831        | 15833 | 6402        | 434014       | 440416  |
| 156                                                     | सड़क मोटर परिवहन                            | 159         | 14370        | 14529 | 755242      | 1569755      | 2324997 |
| 157                                                     | रबर बागान                                   | 1           | 923          | 924   | 0           | 64388        | 64388   |
| 158                                                     | रबर उत्पाद                                  | 19          | 5410         | 5429  | 18664       | 1453947      | 1472611 |
| 159                                                     | नमक                                         | 3           | 694          | 697   | 353         | 73138        | 73491   |
| 160                                                     | सेनेटरी वेयर                                | 1           | 1241         | 1242  | 3595        | 123698       | 127293  |
| 161                                                     | सॉ मिल्स                                    | 1           | 1280         | 1281  | 27          | 45878        | 45905   |
| 162                                                     | स्कूल                                       | 250         | 47330        | 47580 | 47254       | 2661651      | 2708905 |
| 163                                                     | वैज्ञानिक संस्थान                           | 3           | 572          | 575   | 589         | 75839        | 76428   |
| 164                                                     | सिलिका (रेत) खानें                          | 2           | 313          | 315   | 1536        | 22579        | 24115   |
| 165                                                     | सिलिमेनाइट खानें                            | 1           | 24           | 25    | 789         | 678          | 1467    |
| 166                                                     | सोपस्टोन खानें                              | 1           | 488          | 489   | 1621        | 72690        | 74311   |
| 167                                                     | सोसायटी & क्लब & एसोसिएशन                   | 6           | 4485         | 4491  | 2631        | 337641       | 340272  |
| 168                                                     | सोसायटी क्लब या एसोसिएशन                    | 14          | 10354        | 10368 | 1650        | 711611       | 713261  |
| 169                                                     | कॉटन वेस्ट की छंटाई/धुलाई/धुंधलीसिंग        | 0           | 444          | 444   | 0           | 74272        | 74272   |
| 170                                                     | स्टार्च                                     | 3           | 237          | 240   | 1689        | 31276        | 32965   |
| 171                                                     | स्टेशनरी उत्पाद                             | 1           | 1450         | 1451  | 236         | 150627       | 150863  |
| 172                                                     | स्टेलाइट खानें                              | 0           | 144          | 144   | 0           | 7600         | 7600    |
| 173                                                     | तम्बाकू के पत्तों की स्टेमिंग या री-ड्राईंग | 0           | 83           | 83    | 0           | 6554         | 6554    |
| 174                                                     | स्टीबडोरिंग, लोडिंग-अनलोडिंग शिप्स          | 2           | 785          | 787   | 12305       | 102218       | 114523  |

| स्थापनाएं और सदस्य – अंचल एवं कार्यालय-वार (31.03.2022) |                                                   |             |              |         |             |              |           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|-------------|--------------|-----------|
| क्रम सं.                                                | उद्योग का प्रकार                                  | स्थापनाएं   |              |         | सदस्य       |              |           |
|                                                         |                                                   | छूट प्राप्त | अछूट प्राप्त | कुल     | छूट प्राप्त | अछूट प्राप्त | कुल       |
| 175                                                     | चिप्स बिल्डरों आदि के लिए पत्थर की खदानें।        | 0           | 1375         | 1375    | 0           | 53720        | 53720     |
| 176                                                     | रुफ-पलोर स्लैब आदि के लिए पत्थर की खदानें।        | 2           | 2170         | 2172    | 21447       | 113684       | 135131    |
| 177                                                     | स्टोनवेयर जार                                     | 0           | 91           | 91      | 0           | 8645         | 8645      |
| 178                                                     | स्टोनवेयर पाइप                                    | 1           | 571          | 572     | 72          | 43178        | 43250     |
| 179                                                     | पेट्रोलधम्राकृतिक गैस का भंडारण, परिवहन या डिस्ट. | 5           | 4534         | 4539    | 8299        | 190683       | 198982    |
| 180                                                     | चीनी                                              | 46          | 3513         | 3559    | 58067       | 670227       | 728294    |
| 181                                                     | चाय                                               | 28          | 1771         | 1799    | 15466       | 682720       | 698186    |
| 182                                                     | चाय बागान                                         | 6           | 1139         | 1145    | 1666        | 391574       | 393240    |
| 183                                                     | तम्बू बनाना                                       | 1           | 266          | 267     | 2           | 11258        | 11260     |
| 184                                                     | टैक्स्टाईल                                        | 93          | 41829        | 41922   | 165807      | 9069463      | 9235270   |
| 185                                                     | नाटकीय प्रदर्शन करने वाले थिएटर                   | 1           | 1459         | 1460    | 0           | 37839        | 37839     |
| 186                                                     | टाइल्स                                            | 2           | 3822         | 3824    | 2588        | 253506       | 256094    |
| 187                                                     | तंबाकू उद्योग                                     | 1           | 1999         | 2000    | 0           | 222636       | 222636    |
| 188                                                     | व्यापार – वाणिज्यिक स्थापनाएं                     | 191         | 117763       | 117954  | 893451      | 17639826     | 18533277  |
| 189                                                     | ट्रैवल एजेंसियां                                  | 20          | 10761        | 10781   | 33623       | 652276       | 685899    |
| 190                                                     | विश्वविद्यालय                                     | 126         | 1345         | 1471    | 6663        | 150696       | 157359    |
| 191                                                     | विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल आदि।                  | 357         | 35876        | 36233   | 72485       | 3068605      | 3141090   |
| 192                                                     | वाईडिंग थ्रेड यार्न रीलिंग                        | 2           | 561          | 563     | 7977        | 137293       | 145270    |
| 193                                                     | लकड़ी संरक्षण संयंत्र                             | 1           | 389          | 390     | 3741        | 219906       | 223647    |
| 194                                                     | लकड़ी सीजनिंग भट्टियां                            | 0           | 147          | 147     | 0           | 10651        | 10651     |
| 195                                                     | लकड़ी वर्कशॉप                                     | 0           | 3528         | 3528    | 0           | 245054       | 245054    |
| 196                                                     | जूलॉजिकल गार्डन                                   | 2           | 180          | 182     | 0           | 13721        | 13721     |
|                                                         | कुल                                               | 3452        | 1862339      | 1865791 | 13501988    | 263869197    | 277371185 |



परिशिष्ट-2 (ii)

| स्थापनाएं और सदस्य – अंचल एवं कार्यालय-वार (31.03.2022)    |             |              |         |                        |             |              |           |                        |
|------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|------------------------|-------------|--------------|-----------|------------------------|
| अंचल                                                       | स्थापनाएं   |              |         |                        | सदस्य       |              |           |                        |
|                                                            | छूट प्राप्त | अछूट प्राप्त | कुल     | समस्त भारत के कुल का % | छूट प्राप्त | अछूट प्राप्त | कुल       | समस्त भारत के कुल का % |
| आंध्र प्रदेश (विजयवाड़ा)                                   | 47          | 57799        | 57846   | 3                      | 84374       | 5550048      | 5634422   | 2                      |
| बेंगलुरु (बेंगलुरु)                                        | 106         | 81877        | 81983   | 4                      | 2524232     | 25159620     | 27683852  | 10                     |
| बिहार और झारखंड (पटना)                                     | 251         | 79021        | 79272   | 4                      | 304496      | 4907103      | 5211599   | 2                      |
| चेन्नई और पुदुचेरी (चेन्नई)                                | 121         | 80397        | 80518   | 4                      | 648736      | 18521574     | 19170310  | 7                      |
| दिल्ली और उत्तराखंड                                        | 236         | 133920       | 134156  | 7                      | 1040836     | 24201671     | 25242507  | 9                      |
| गुजरात (अहमदाबाद)                                          | 163         | 137729       | 137892  | 7                      | 412744      | 21258518     | 21671262  | 8                      |
| हरियाणा                                                    | 143         | 87369        | 87512   | 5                      | 668305      | 19839617     | 20507922  | 7                      |
| जम्मू कश्मीर और लद्दाख (दिल्ली एवं उत्तराखंड)              | 0           | 20808        | 20808   | 1                      | 0           | 520590       | 520590    | 0                      |
| कर्नाटक (बेंगलुरु के अलावा) और गोवा (हुबली)                | 89          | 63131        | 63220   | 3                      | 240464      | 6526077      | 6766541   | 2                      |
| केरल और लक्षद्वीप (तिरुवनंतपुरम)                           | 55          | 46148        | 46203   | 2                      | 46212       | 3886113      | 3932325   | 1                      |
| मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ (भोपाल)                           | 177         | 98236        | 98413   | 5                      | 178485      | 8489499      | 8667984   | 3                      |
| महाराष्ट्र (मुंबई को छोड़कर) (पुणे)                        | 162         | 161505       | 161667  | 9                      | 652756      | 20447220     | 21099976  | 8                      |
| मुंबई-1 (बांद्रा)                                          | 290         | 37506        | 37796   | 2                      | 2873834     | 13905944     | 16779778  | 6                      |
| मुंबई-2 (ठाणे)                                             | 114         | 98757        | 98871   | 5                      | 758779      | 17597165     | 18355944  | 7                      |
| उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (गुवाहाटी)                            | 25          | 42161        | 42186   | 2                      | 32062       | 1452161      | 1484223   | 1                      |
| उड़ीसा (भुवनेश्वर)                                         | 108         | 46656        | 46764   | 3                      | 106480      | 3861809      | 3968289   | 1                      |
| पंजाब और हिमाचल प्रदेश                                     | 188         | 90991        | 91179   | 5                      | 220367      | 9657703      | 9878070   | 4                      |
| राजस्थान                                                   | 250         | 75964        | 76214   | 4                      | 248728      | 7178254      | 7426982   | 3                      |
| तमिलनाडु (चेन्नई को छोड़कर)                                | 67          | 87081        | 87148   | 5                      | 246498      | 13191186     | 13437684  | 5                      |
| तेलंगाना (हैदराबाद)                                        | 79          | 87572        | 87651   | 5                      | 839577      | 14394225     | 15233802  | 5                      |
| उत्तर प्रदेश                                               | 205         | 147884       | 148089  | 8                      | 355272      | 12704316     | 13059588  | 5                      |
| पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप और सिक्किम (कोलकाता) | 576         | 99827        | 100403  | 5                      | 1018751     | 10618784     | 11637535  | 4                      |
| समस्त भारत                                                 | 3452        | 1862339      | 1865791 | 100                    | 13501988    | 263869197    | 277371185 | 100                    |

## परिशिष्ट-2 (iii)

| स्थापनाएं और सदस्य – राज्यवार (31.03.2022) |             |                |                |                        |                 |                  |                  |                        |
|--------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------------|
| अंचल                                       | स्थापनाएं   |                |                |                        | सदस्य           |                  |                  |                        |
|                                            | छूट प्राप्त | अछूट प्राप्त   | कुल            | समस्त भारत के कुल का % | छूट प्राप्त     | अछूट प्राप्त     | कुल              | समस्त भारत के कुल का % |
| अंडमान व निकोबार द्वीप समूह                | 2           | 1329           | 1331           | 0                      | 232             | 56169            | 56401            | 0                      |
| आंध्र प्रदेश                               | 47          | 57799          | 57846          | 3                      | 84374           | 5550048          | 5634422          | 2                      |
| अरुणाचल प्रदेश                             | 4           | 2894           | 2898           | 0                      | 0               | 39973            | 39973            | 0                      |
| असम                                        | 16          | 31286          | 31302          | 2                      | 14924           | 1100833          | 1115757          | 0                      |
| बिहार                                      | 105         | 46660          | 46765          | 3                      | 28782           | 2363458          | 2392240          | 1                      |
| चंडीगढ़                                    | 40          | 17712          | 17752          | 1                      | 19875           | 3024735          | 3044610          | 1                      |
| छत्तीसगढ़                                  | 116         | 26685          | 26801          | 1                      | 75718           | 2328480          | 2404198          | 1                      |
| दिल्ली                                     | 195         | 114148         | 114343         | 6                      | 936462          | 20197730         | 21134192         | 8                      |
| गोवा                                       | 9           | 7031           | 7040           | 0                      | 13367           | 1703908          | 1717275          | 1                      |
| गुजरात                                     | 163         | 137729         | 137892         | 7                      | 412744          | 21258518         | 21671262         | 8                      |
| हरियाणा                                    | 143         | 87369          | 87512          | 5                      | 668305          | 19839617         | 20507922         | 7                      |
| हिमाचल प्रदेश                              | 78          | 27889          | 27967          | 2                      | 44442           | 1986994          | 2031436          | 1                      |
| जम्मू और कश्मीर                            | 0           | 20354          | 20354          | 1                      | 0               | 516648           | 516648           | 0                      |
| झारखंड                                     | 146         | 32361          | 32507          | 2                      | 275714          | 2543645          | 2819359          | 1                      |
| कर्नाटक                                    | 186         | 137977         | 138163         | 7                      | 2751329         | 29981789         | 32733118         | 12                     |
| केरल                                       | 55          | 46148          | 46203          | 2                      | 46212           | 3886113          | 3932325          | 1                      |
| लद्दाख                                     | 0           | 454            | 454            | 0                      | 0               | 3942             | 3942             | 0                      |
| मध्य प्रदेश                                | 61          | 71551          | 71612          | 4                      | 102767          | 6161019          | 6263786          | 2                      |
| महाराष्ट्र                                 | 566         | 297768         | 298334         | 16                     | 4285369         | 51950329         | 56235698         | 20                     |
| मणिपुर                                     | 3           | 1556           | 1559           | 0                      | 117             | 41747            | 41864            | 0                      |
| मेघालय                                     | 2           | 3239           | 3241           | 0                      | 17021           | 115624           | 132645           | 0                      |
| मिजोरम                                     | 0           | 359            | 359            | 0                      | 0               | 10253            | 10253            | 0                      |
| नागालैंड                                   | 0           | 824            | 824            | 0                      | 0               | 22626            | 22626            | 0                      |
| ओडिशा                                      | 108         | 46656          | 46764          | 3                      | 106480          | 3861809          | 3968289          | 1                      |
| पंजाब                                      | 70          | 45390          | 45460          | 2                      | 156050          | 4645974          | 4802024          | 2                      |
| राजस्थान                                   | 250         | 75964          | 76214          | 4                      | 248728          | 7178254          | 7426982          | 3                      |
| सिक्किम                                    | 4           | 903            | 907            | 0                      | 57              | 107103           | 107160           | 0                      |
| तमिलनाडु                                   | 188         | 167478         | 167666         | 9                      | 895234          | 31712760         | 32607994         | 12                     |
| तेलंगाना                                   | 79          | 87572          | 87651          | 5                      | 839577          | 14394225         | 15233802         | 5                      |
| त्रिपुरा                                   | 0           | 2002           | 2002           | 0                      | 0               | 116556           | 116556           | 0                      |
| उत्तर प्रदेश                               | 205         | 147884         | 148089         | 8                      | 355272          | 12704316         | 13059588         | 5                      |
| उत्तराखंड                                  | 41          | 19772          | 19813          | 1                      | 104374          | 4003941          | 4108315          | 1                      |
| पश्चिम बंगाल                               | 570         | 97596          | 98166          | 5                      | 1018462         | 10460061         | 11478523         | 4                      |
| <b>समस्त भारत</b>                          | <b>3452</b> | <b>1862339</b> | <b>1865791</b> | <b>100</b>             | <b>13501988</b> | <b>263869197</b> | <b>277371185</b> | <b>100</b>             |

## परिशिष्ट-2 (iv)

| स्थापनाएं और सदस्य – शीर्ष 25 उद्योग/ वर्ग वार (31.03.2022) |                |            |                  |            |
|-------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------------|------------|
| उद्योग का प्रकार                                            | स्थापनाएं      |            | सदस्य            |            |
|                                                             | संख्या         | %          | संख्या           | %          |
| विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने वाली स्थापनाएं                   | 354048         | 19         | 98873211         | 36         |
| इलैक्ट्रिकल, मैकेनिकल अथवा सामान्य इंजीनियरिंग उत्पाद       | 107092         | 6          | 23015439         | 8          |
| ट्रेडिंग एवं कमर्शियल स्थापनाएं                             | 117954         | 6          | 18533277         | 7          |
| भवन एवं निर्माण स्थापनाएं                                   | 151311         | 8          | 17354058         | 6          |
| इंजीनियर्स एवं इंजीनियरिंग ठेकेदार                          | 173079         | 9          | 14101348         | 5          |
| वस्त्र निर्माण                                              | 20339          | 1          | 11688778         | 4          |
| टेक्सटाईल                                                   | 41922          | 2          | 9235270          | 3          |
| कंप्यूटर के उपयोग, निर्माण तथा विपणन सेवा में लगी स्थापनाएं | 23162          | 1          | 7997211          | 3          |
| अन्य                                                        | 280731         | 15         | 5512655          | 2          |
| भारी एवं परिष्कृत रसायन                                     | 17839          | 1          | 5082970          | 2          |
| बीड़ी निर्माण                                               | 8348           | 0          | 4005191          | 1          |
| अस्पताल                                                     | 23728          | 1          | 3265044          | 1          |
| वित्तीय स्थापनाएं                                           | 12360          | 1          | 3187764          | 1          |
| साफ सफाई सेवाओं में लगी स्थापनाएं                           | 22568          | 1          | 3167558          | 1          |
| विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल आदि                             | 36233          | 2          | 3141090          | 1          |
| स्कूल                                                       | 47580          | 3          | 2708905          | 1          |
| होटल                                                        | 25237          | 1          | 2664616          | 1          |
| लोहा तथा इस्पात                                             | 16685          | 1          | 2602507          | 1          |
| सड़क मोटर परिवहन                                            | 14529          | 1          | 2324997          | 1          |
| प्लास्टिक उत्पाद                                            | 15653          | 1          | 1959859          | 1          |
| राष्ट्रीयकृत बैंकों को छोड़कर अन्य बैंक                     | 4766           | 0          | 1821032          | 1          |
| ऑटोमोबाइल सर्विसिंग                                         | 10866          | 1          | 1655252          | 1          |
| रेस्तरां                                                    | 16610          | 1          | 1527167          | 1          |
| रबड़ उत्पाद                                                 | 5429           | 0          | 1472611          | 1          |
| बिजली (जी,टी,डी)                                            | 11375          | 1          | 1325731          | 0          |
| <b>शीर्ष 25 उद्योग</b>                                      | <b>1559444</b> | <b>84</b>  | <b>248223541</b> | <b>89</b>  |
| शेष उद्योग                                                  | 306347         | 16         | 29147644         | 11         |
| <b>कुल योग</b>                                              | <b>1865791</b> | <b>100</b> | <b>277371185</b> | <b>100</b> |

| 31.03.2022 को पेंशनभोक्तों का वर्गीकरण |                     |              |                             |                            |               |             |                 |                       |                         |                                            |                 |                       |                         |             |                     |                     |                  |                |                                 |                       |
|----------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------|
| क्षेत्रीय कार्यालय                     | पेंशन निधि के सदस्य |              | सदस्य पेंशनभोक्ता           |                            |               |             |                 | पति/पत्नी पेंशनभोक्ता |                         |                                            |                 |                       | बाल पेंशन               |             |                     |                     | अन्य पेंशनभोक्ता |                |                                 |                       |
|                                        |                     |              | समयपूर्व पेंशन (50-57 वर्ष) | अधिवर्षिता पेंशन (58 वर्ष) | अशक्तता पेंशन | कुल (4+5+6) | सेवा में मृत्यु |                       | सेवा के बाद मृत्यु होना | 8, 9 एवं 10 को छंदकर पति/पत्नी पेंशनभोक्ता | कुल (8+9+10+11) | परिवार पेंशन योजना-71 | कर्मचारी पेंशन योजना-65 | कुल (13+14) | नामिती पेंशन भोक्ता | अभिभावक पेंशनभोक्ता | अनाथ पेंशनभोक्ता | कुल (16+17+18) | सकल योग को. सं. 7, 12, 15, - 19 | आर ओ.सी. पेंशन भोक्ता |
|                                        | छूट प्राप्त         | अछूट प्राप्त | 4                           | 5                          | 6             | 7           | 8               | 9                     | 10                      | 11                                         | 12              | 13                    | 14                      | 15          | 16                  | 17                  | 18               | 19             |                                 |                       |
| 1                                      | 2                   | 3            |                             |                            |               |             |                 |                       |                         |                                            |                 |                       |                         |             |                     |                     |                  |                | 20                              | 21                    |
| कडवा                                   | 2308                | 1542304      | 17906                       | 25040                      | 22            | 42968       | 2371            | 11868                 | 2822                    | 10584                                      | 27645           | 7                     | 8886                    | 8893        | 110                 | 998                 | 223              | 1331           | 80837                           | 113                   |
| गुंदूर                                 | 892                 | 1518759      | 14641                       | 23420                      | 23            | 38084       | 1747            | 10111                 | 2915                    | 9149                                       | 23922           | 2                     | 7434                    | 7436        | 212                 | 789                 | 271              | 1272           | 70714                           | 86                    |
| विशालाभनम                              | 47417               | 1962402      | 14039                       | 35822                      | 28            | 49889       | 2537            | 13315                 | 3783                    | 13161                                      | 32796           | 5                     | 9305                    | 9310        | 233                 | 701                 | 205              | 1139           | 93134                           | 94                    |
| राजमुंदरो                              | 25086               | 666158       | 10838                       | 20465                      | 17            | 31320       | 1626            | 7453                  | 2054                    | 8800                                       | 19933           | 2                     | 5196                    | 5198        | 124                 | 525                 | 166              | 815            | 57266                           | 80                    |
| बेंगलुरु (मध्य)                        | 147057              | 3766471      | 13311                       | 18056                      | 16            | 31383       | 3365            | 5959                  | 1219                    | 6318                                       | 16861           | 5                     | 2623                    | 2628        | 132                 | 579                 | 69               | 780            | 51652                           | 20                    |
| पीन्या                                 | 25320               | 3871299      | 9788                        | 15171                      | 6             | 24965       | 14              | 3662                  | 1088                    | 3015                                       | 7779            | 0                     | 3674                    | 3674        | 54                  | 622                 | 109              | 785            | 37203                           | 32                    |
| बेंगलुरु (इलेक्ट्रॉनिक सिटी)           | 751063              | 2802939      | 2200                        | 3198                       | 3             | 5401        | 3               | 1313                  | 334                     | 418                                        | 2068            | 0                     | 1469                    | 1469        | 31                  | 206                 | 27               | 264            | 9202                            | 1                     |
| के आर पुष्प (काइटफील्ड)                | 64924               | 4350922      | 12814                       | 18987                      | 12            | 31813       | 20              | 3584                  | 1114                    | 4602                                       | 9320            | 0                     | 3475                    | 3475        | 24                  | 597                 | 55               | 676            | 45284                           | 10                    |
| राजराजेश्वरी नगरी                      | 11955               | 1438660      | 3337                        | 7501                       | 4             | 10842       | 1               | 1664                  | 424                     | 828                                        | 2917            | 0                     | 1882                    | 1882        | 17                  | 323                 | 47               | 387            | 16028                           | 0                     |
| बेंगलुरु (मल्लेश्वरम)                  | 100014              | 3876765      | 8628                        | 15335                      | 6             | 23969       | 403             | 4167                  | 693                     | 4374                                       | 9637            | 0                     | 1722                    | 1722        | 64                  | 216                 | 37               | 317            | 35645                           | 29                    |
| बेंगलुरु (कोरमंगला)                    | 886193              | 3940941      | 436                         | 1225                       | 0             | 1661        | 0               | 322                   | 87                      | 136                                        | 545             | 0                     | 326                     | 326         | 8                   | 70                  | 8                | 86             | 2618                            | 0                     |
| तुमकूर                                 | 68                  | 234193       | 2899                        | 2230                       | 0             | 5129        | 2               | 514                   | 201                     | 661                                        | 1378            | 0                     | 474                     | 474         | 7                   | 51                  | 11               | 69             | 7050                            | 2                     |
| येलाहंका                               | 27356               | 1351925      | 2558                        | 2995                       | 0             | 5553        | 65              | 820                   | 232                     | 778                                        | 1895            | 0                     | 595                     | 595         | 22                  | 103                 | 8                | 133            | 8176                            | 5                     |
| पटना                                   | 9446                | 1732589      | 11707                       | 26394                      | 34            | 38135       | 1189            | 6773                  | 1510                    | 6573                                       | 16045           | 1                     | 6585                    | 6586        | 85                  | 354                 | 117              | 556            | 61322                           | 29                    |
| भागलपुर                                | 2022                | 285787       | 2987                        | 9426                       | 8             | 12421       | 297             | 2744                  | 476                     | 2072                                       | 5589            | 0                     | 2147                    | 2147        | 12                  | 256                 | 39               | 307            | 20464                           | 4                     |
| मुजफ्फपुर                              | 10466               | 449229       | 21948                       | 60314                      | 33            | 82295       | 2706            | 12444                 | 2674                    | 17394                                      | 35218           | 4                     | 11490                   | 11494       | 34                  | 594                 | 169              | 797            | 129804                          | 71                    |
| रंभी                                   | 166242              | 1097815      | 13428                       | 51684                      | 22            | 65134       | 1994            | 8217                  | 2640                    | 11542                                      | 24393           | 1                     | 6839                    | 6840        | 39                  | 348                 | 159              | 546            | 96913                           | 366                   |
| जमशेदपुर                               | 78996               | 1462514      | 17865                       | 24899                      | 10            | 42774       | 932             | 4949                  | 3721                    | 6392                                       | 15994           | 1                     | 3826                    | 3827        | 84                  | 206                 | 109              | 399            | 62994                           | 15                    |
| चेन्नई (त्तर)                          | 276036              | 4881988      | 19783                       | 35910                      | 19            | 55712       | 2065            | 6176                  | 1554                    | 8004                                       | 17799           | 0                     | 3916                    | 3916        | 97                  | 752                 | 107              | 956            | 78383                           | 100                   |
| वेल्लोर                                | 13119               | 885183       | 25518                       | 18592                      | 20            | 44130       | 1975            | 9148                  | 2734                    | 9435                                       | 23292           | 4                     | 7855                    | 7859        | 133                 | 1222                | 225              | 1580           | 76861                           | 81                    |
| अंबापुर                                | 192556              | 3645820      | 14173                       | 17011                      | 18            | 31202       | 981             | 4475                  | 1251                    | 4756                                       | 11463           | 0                     | 3800                    | 3800        | 75                  | 717                 | 111              | 903            | 47368                           | 35                    |
| ताम्रस                                 | 31696               | 3837561      | 13126                       | 17731                      | 8             | 30865       | 896             | 4101                  | 1105                    | 4700                                       | 10802           | 4                     | 3534                    | 3538        | 73                  | 727                 | 124              | 924            | 46129                           | 31                    |
| पुदुचेरी                               | 1747                | 833689       | 4068                        | 8047                       | 5             | 12120       | 460             | 1770                  | 482                     | 2342                                       | 5054            | 5                     | 1468                    | 1473        | 28                  | 168                 | 43               | 239            | 18886                           | 13                    |
| चेन्नई (दक्षिण)                        | 21527               | 4786461      | 3593                        | 7240                       | 3             | 10836       | 147             | 1510                  | 361                     | 1308                                       | 3326            | 0                     | 1013                    | 1013        | 30                  | 196                 | 33               | 259            | 15434                           | 11                    |
| दिल्ली (त्तर)                          | 66574               | 4290489      | 14259                       | 32517                      | 14            | 46790       | 2398            | 7862                  | 1643                    | 6178                                       | 18081           | 31                    | 6457                    | 6488        | 130                 | 507                 | 203              | 840            | 72199                           | 60                    |
| दिल्ली (पूर्व)                         | 139535              | 4785082      | 4620                        | 11182                      | 12            | 15814       | 86              | 2993                  | 646                     | 1799                                       | 5524            | 1                     | 2721                    | 2722        | 45                  | 251                 | 77               | 373            | 24433                           | 10                    |
| दिल्ली (दक्षिण)                        | 425867              | 3709164      | 2111                        | 7600                       | 3             | 9714        | 10              | 1918                  | 401                     | 1058                                       | 3387            | 0                     | 1630                    | 1630        | 23                  | 166                 | 43               | 232            | 14963                           | 21                    |

| 31.03.2022 को पेंशनभोक्तारों का वर्गीकरण |                     |              |                                |                                 |                  |                |                        |                         |                               |                                                        |                        |                                   |                                     |                |                           |                        |                     |                     |                       |                      |                                         |                              |
|------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| क्षेत्रीय कार्यालय                       | पेंशन निधि के सदस्य |              | सदस्य पेंशनभोक्ता              |                                 |                  |                |                        | पति / पत्नी पेंशनभोक्ता |                               |                                                        |                        |                                   | बाल पेंशन                           |                |                           |                        | अन्य पेंशनभोक्ता    |                     |                       |                      | सकल योग<br>को सं 7,<br>12, 15,<br>- 19) | आर<br>ओसी<br>पेंशन<br>भोक्ता |
|                                          | घुट प्राप्त         | अघुट प्राप्त | समयपूर्व पेंशन<br>(60-57 वर्ष) | अविवाहिता<br>पेंशन<br>(58 वर्ष) | अशक्तता<br>पेंशन | कुल<br>(4+5+6) | सेवा में मृत्यु        |                         | सेवा के<br>बाद मृत्यु<br>होना | 8, 9 एवं 10 को<br>छोड़कर<br>पति / पत्नी<br>पेंशनभोक्ता | कुल<br>(8+9+<br>10+11) | परिवार<br>पेंशन<br>योजना-95<br>71 | कर्मचारी<br>पेंशन<br>योजना-95<br>71 | कुल<br>(13+14) | नातिनी<br>पेंशन<br>भोक्ता | अभिभावक<br>पेंशनभोक्ता | अन्य<br>पेंशनभोक्ता | अग्र<br>पेंशनभोक्ता | कुल<br>(16+17<br>+18) | अंतिम योग<br>(20+21) |                                         |                              |
|                                          |                     |              |                                |                                 |                  |                | एकमात्र<br>पेंशन<br>71 | द्वितीय<br>पेंशन<br>95  |                               |                                                        |                        |                                   |                                     |                |                           |                        |                     |                     |                       |                      |                                         |                              |
| 1                                        | 2                   | 3            | 4                              | 5                               | 6                | 7              | 8                      | 9                       | 10                            | 11                                                     | 12                     | 13                                | 14                                  | 15             | 16                        | 17                     | 18                  | 19                  | 20                    | 21                   | 22                                      |                              |
| देहरादून                                 | 50032               | 2598946      | 4621                           | 19332                           | 12               | 23965          | 882                    | 5097                    | 958                           | 4504                                                   | 11441                  | 2                                 | 5204                                | 5206           | 63                        | 422                    | 173                 | 658                 | 41270                 | 14                   | 41284                                   |                              |
| हल्द्वानी                                | 22745               | 1613718      | 4736                           | 10303                           | 15               | 15054          | 526                    | 4104                    | 761                           | 2591                                                   | 7982                   | 1                                 | 4481                                | 4482           | 48                        | 303                    | 146                 | 497                 | 28015                 | 7                    | 28022                                   |                              |
| दिल्ली वेस्ट                             | 49278               | 5622662      | 2343                           | 6998                            | 5                | 9346           | 151                    | 1583                    | 387                           | 844                                                    | 2965                   | 1                                 | 1628                                | 1629           | 21                        | 112                    | 37                  | 170                 | 14110                 | 7                    | 14117                                   |                              |
| मध्य दिल्ली                              | 104761              | 2268903      | 4839                           | 22891                           | 4                | 27734          | 680                    | 2881                    | 487                           | 3063                                                   | 7111                   | 6                                 | 1945                                | 1951           | 22                        | 96                     | 58                  | 176                 | 36972                 | 31                   | 37003                                   |                              |
| अहमदाबाद                                 | 93479               | 6324564      | 36544                          | 62057                           | 28               | 98629          | 3560                   | 14712                   | 3458                          | 21096                                                  | 42826                  | 7                                 | 10054                               | 10061          | 141                       | 1091                   | 392                 | 1624                | 153140                | 86                   | 153226                                  |                              |
| सूरा                                     | 23582               | 2859458      | 9305                           | 22810                           | 17               | 32132          | 584                    | 5122                    | 1427                          | 4781                                                   | 11914                  | 0                                 | 3857                                | 3857           | 55                        | 459                    | 148                 | 662                 | 48565                 | 30                   | 48595                                   |                              |
| वडोदरा                                   | 75037               | 3207065      | 17311                          | 37467                           | 20               | 54798          | 930                    | 7819                    | 2013                          | 9062                                                   | 19824                  | 1                                 | 5705                                | 5706           | 108                       | 401                    | 168                 | 677                 | 81005                 | 403                  | 81408                                   |                              |
| राजकोट                                   | 56040               | 3277997      | 14451                          | 31814                           | 11               | 46276          | 1176                   | 6698                    | 1451                          | 9214                                                   | 18539                  | 3                                 | 4853                                | 4856           | 83                        | 574                    | 169                 | 826                 | 70497                 | 164                  | 70661                                   |                              |
| वापी                                     | 12783               | 3172834      | 3543                           | 8128                            | 6                | 11677          | 211                    | 2593                    | 795                           | 1803                                                   | 5402                   | 0                                 | 2682                                | 2682           | 17                        | 290                    | 75                  | 382                 | 20143                 | 108                  | 20251                                   |                              |
| नरोज़ा                                   | 13948               | 606547       | 13172                          | 14709                           | 5                | 27886          | 359                    | 3161                    | 1030                          | 5240                                                   | 9790                   | 2                                 | 2835                                | 2837           | 14                        | 258                    | 120                 | 392                 | 40905                 | 35                   | 40940                                   |                              |
| वटवा                                     | 0                   | 454757       | 5030                           | 6681                            | 3                | 11714          | 13                     | 1068                    | 404                           | 1502                                                   | 2987                   | 0                                 | 1135                                | 1135           | 21                        | 100                    | 71                  | 192                 | 16028                 | 4                    | 16032                                   |                              |
| भरुच                                     | 8521                | 1539960      | 2852                           | 8552                            | 12               | 11416          | 22                     | 2503                    | 653                           | 1771                                                   | 4949                   | 0                                 | 2434                                | 2434           | 48                        | 243                    | 96                  | 387                 | 19186                 | 7                    | 19193                                   |                              |
| फरीदाबाद                                 | 12701               | 4935297      | 15244                          | 16925                           | 18               | 32187          | 666                    | 4800                    | 1586                          | 4713                                                   | 11765                  | 2                                 | 5499                                | 5501           | 52                        | 338                    | 179                 | 569                 | 50022                 | 61                   | 50083                                   |                              |
| करनाल                                    | 29226               | 2125591      | 9191                           | 21474                           | 26               | 30691          | 911                    | 6921                    | 1660                          | 5446                                                   | 14938                  | 1                                 | 6587                                | 6588           | 95                        | 548                    | 216                 | 859                 | 53076                 | 19                   | 53095                                   |                              |
| रोहतक                                    | 14366               | 1169257      | 6306                           | 12236                           | 19               | 18561          | 673                    | 5398                    | 1182                          | 3578                                                   | 10831                  | 0                                 | 5278                                | 5278           | 101                       | 419                    | 193                 | 713                 | 35383                 | 22                   | 35405                                   |                              |
| गुरग्राम (पूर्व)                         | 466052              | 5449295      | 2786                           | 6848                            | 9                | 9643           | 230                    | 2030                    | 538                           | 1054                                                   | 3852                   | 2                                 | 2087                                | 2089           | 37                        | 135                    | 57                  | 229                 | 15813                 | 7                    | 15820                                   |                              |
| गुरग्राम (पश्चिम)                        | 2731                | 7278177      | 1398                           | 3110                            | 9                | 4517           | 40                     | 1535                    | 332                           | 469                                                    | 2376                   | 0                                 | 1888                                | 1888           | 72                        | 75                     | 38                  | 185                 | 8966                  | 0                    | 8966                                    |                              |
| श्रीनगर                                  | 0                   | 258646       | 0                              | 6                               | 0                | 6              | 0                      | 1                       | 0                             | 0                                                      | 1                      | 0                                 | 2                                   | 2              | 0                         | 0                      | 0                   | 0                   | 9                     | 0                    | 9                                       |                              |
| जम्मू                                    | 0                   | 829786       | 4                              | 35                              | 0                | 39             | 0                      | 19                      | 6                             | 1                                                      | 26                     | 0                                 | 38                                  | 38             | 0                         | 7                      | 0                   | 7                   | 110                   | 0                    | 110                                     |                              |
| लद्दाख (लेह)                             | 0                   | 7577         | 0                              | 0                               | 0                | 0              | 0                      | 0                       | 0                             | 0                                                      | 0                      | 0                                 | 0                                   | 0              | 0                         | 0                      | 0                   | 0                   | 0                     | 0                    | 0                                       |                              |
| गोवा                                     | 10552               | 1713027      | 5071                           | 12559                           | 18               | 17648          | 475                    | 2687                    | 882                           | 2947                                                   | 6991                   | 0                                 | 2731                                | 2731           | 124                       | 323                    | 78                  | 525                 | 27895                 | 30                   | 27925                                   |                              |
| गुलबर्गा                                 | 27672               | 377887       | 4680                           | 10052                           | 6                | 14738          | 837                    | 4126                    | 1012                          | 3955                                                   | 9930                   | 0                                 | 4371                                | 4371           | 40                        | 314                    | 130                 | 484                 | 29523                 | 8                    | 29531                                   |                              |
| डुबली                                    | 65049               | 1015829      | 20747                          | 28045                           | 29               | 48821          | 1748                   | 9135                    | 2384                          | 10011                                                  | 23278                  | 3                                 | 8637                                | 8640           | 170                       | 895                    | 285                 | 1350                | 82089                 | 45                   | 82134                                   |                              |
| मंगलौर                                   | 14363               | 839600       | 70724                          | 19532                           | 50               | 90306          | 1075                   | 5274                    | 1524                          | 6604                                                   | 14477                  | 13                                | 4426                                | 4439           | 609                       | 424                    | 378                 | 1411                | 110633                | 22                   | 110655                                  |                              |
| मैसूर                                    | 45854               | 1029351      | 14477                          | 17253                           | 15               | 31745          | 1206                   | 5782                    | 1373                          | 5904                                                   | 14265                  | 5                                 | 4268                                | 4273           | 104                       | 892                    | 136                 | 1132                | 51415                 | 87                   | 51502                                   |                              |
| बेल्गारी                                 | 12192               | 527442       | 4423                           | 6306                            | 4                | 10733          | 580                    | 3109                    | 869                           | 2706                                                   | 7264                   | 2                                 | 3067                                | 3069           | 21                        | 400                    | 93                  | 514                 | 21580                 | 23                   | 21603                                   |                              |
| चिकमंगलूर                                | 7366                | 239351       | 5165                           | 6275                            | 8                | 11448          | 381                    | 1871                    | 557                           | 1884                                                   | 4693                   | 0                                 | 1480                                | 1480           | 34                        | 319                    | 37                  | 390                 | 18011                 | 10                   | 18021                                   |                              |
| रायचूर                                   | 10058               | 215199       | 2985                           | 5588                            | 8                | 8581           | 573                    | 2923                    | 582                           | 2675                                                   | 6753                   | 0                                 | 2770                                | 2770           | 37                        | 202                    | 99                  | 338                 | 18442                 | 7                    | 18449                                   |                              |

| 31.03.2022 को पेंशनभोक्तारों का वर्गीकरण |                     |              |                                |                                 |                  |                |                 |                        |                               |                                                       |                        |                                 |                               |                |                           |                        |                     |                       |        |     |                                          |                              |                      |
|------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|--------|-----|------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| क्षेत्रीय कार्यालय                       | पेंशन निधि के सदस्य |              | सदस्य पेंशनभोक्ता              |                                 |                  |                |                 | पति /पत्नी पेंशनभोक्ता |                               |                                                       |                        |                                 | बाल पेंशन                     |                |                           |                        |                     | अन्य पेंशनभोक्ता      |        |     | सकल योग<br>को.सं. 7,<br>12, 15,<br>- 19) | आर<br>ओसी<br>पेंशन<br>भोक्ता | अंतिम योग<br>(20+21) |
|                                          | पेंशन निधि के सदस्य |              | समयपूर्व पेंशन<br>(50-57 वर्ष) | अविवाहिता<br>पेंशन<br>(58 वर्ष) | अशक्तता<br>पेंशन | कुल<br>(4+5+6) | सेवा में मृत्यु |                        | सेवा के<br>बाद मृत्यु<br>होना | 8, 9 एवं 10 को<br>छोड़कर<br>पति /पत्नी<br>पेंशनभोक्ता | कुल<br>(8+9+<br>10+11) | परिवार<br>पेंशन<br>योजना-<br>71 | कर्मचारी<br>पेंशन<br>योजना-95 | कुल<br>(13+14) | नामिती<br>पेंशन<br>भोक्ता | अभिभावक<br>पेंशनभोक्ता | अन्य<br>पेंशनभोक्ता | कुल<br>(16+17<br>+18) |        |     |                                          |                              |                      |
|                                          | घुट प्राप्त         | अघुट प्राप्त |                                |                                 |                  |                | एम्पीएस<br>71   | ईपीएस<br>95            |                               |                                                       |                        |                                 |                               |                |                           |                        |                     |                       |        |     |                                          |                              |                      |
| 1                                        | 2                   | 3            | 4                              | 5                               | 6                | 7              | 8               | 9                      | 10                            | 11                                                    | 12                     | 13                              | 14                            | 15             | 16                        | 17                     | 18                  | 19                    | 20     | 21  | 22                                       |                              |                      |
| सिमोगा                                   | 8827                | 300027       | 9428                           | 10269                           | 18               | 19715          | 683             | 3213                   | 819                           | 4557                                                  | 9272                   | 1                               | 2370                          | 2371           | 66                        | 370                    | 77                  | 513                   | 31871  | 10  | 31881                                    |                              |                      |
| रुडुपी                                   | 5787                | 262386       | 11896                          | 6925                            | 13               | 18834          | 211             | 1311                   | 371                           | 1266                                                  | 3159                   | 2                               | 1131                          | 1133           | 177                       | 216                    | 67                  | 460                   | 23586  | 7   | 23593                                    |                              |                      |
| तिरुवनंतपुरम (त्रिवेन्द्रम)              | 3147                | 696940       | 10581                          | 28085                           | 58               | 38724          | 634             | 3061                   | 489                           | 5071                                                  | 9255                   | 3                               | 1682                          | 1685           | 69                        | 284                    | 99                  | 452                   | 50116  | 39  | 50155                                    |                              |                      |
| काश्मिकोड (कालीकट)                       | 7126                | 546087       | 23644                          | 28740                           | 98               | 52482          | 1128            | 3738                   | 726                           | 9139                                                  | 14731                  | 4                               | 2262                          | 2266           | 143                       | 332                    | 106                 | 581                   | 70060  | 57  | 70117                                    |                              |                      |
| कन्नूरी                                  | 0                   | 167578       | 41185                          | 15709                           | 141              | 57035          | 906             | 2058                   | 605                           | 7012                                                  | 10581                  | 4                               | 1288                          | 1292           | 165                       | 202                    | 79                  | 446                   | 69354  | 23  | 69377                                    |                              |                      |
| काश्मि (कोचीन)                           | 29100               | 1972181      | 31045                          | 56656                           | 110              | 87811          | 1603            | 6142                   | 1179                          | 12046                                                 | 20970                  | 17                              | 3671                          | 3688           | 211                       | 586                    | 175                 | 972                   | 113441 | 97  | 113538                                   |                              |                      |
| कोट्टायम                                 | 0                   | 274682       | 17256                          | 20848                           | 36               | 38140          | 629             | 2782                   | 733                           | 4396                                                  | 8540                   | 6                               | 1488                          | 1494           | 62                        | 209                    | 75                  | 346                   | 48520  | 79  | 48599                                    |                              |                      |
| कोल्लम                                   | 2694                | 234015       | 21400                          | 57139                           | 248              | 78787          | 834             | 3671                   | 611                           | 8575                                                  | 13691                  | 26                              | 1372                          | 1398           | 55                        | 176                    | 102                 | 333                   | 94209  | 205 | 94414                                    |                              |                      |
| रायपुर (छत्तीसगढ़)                       | 45718               | 2427214      | 15733                          | 47740                           | 42               | 63515          | 1582            | 11420                  | 2943                          | 12242                                                 | 28187                  | 1                               | 9428                          | 9429           | 50                        | 624                    | 205                 | 879                   | 102010 | 176 | 102186                                   |                              |                      |
| इंदौर                                    | 49710               | 2704716      | 25152                          | 18304                           | 20               | 43476          | 1306            | 5965                   | 1743                          | 7913                                                  | 16927                  | 4                               | 5350                          | 5354           | 60                        | 394                    | 155                 | 609                   | 66366  | 56  | 66422                                    |                              |                      |
| भोपाल                                    | 9015                | 1572095      | 6400                           | 17016                           | 10               | 23426          | 605             | 4022                   | 776                           | 4162                                                  | 9565                   | 0                               | 3644                          | 3644           | 76                        | 287                    | 123                 | 486                   | 37121  | 23  | 37144                                    |                              |                      |
| जबलपुर                                   | 20957               | 787266       | 12665                          | 23109                           | 25               | 35799          | 1086            | 7979                   | 1743                          | 6810                                                  | 17618                  | 1                               | 7191                          | 7192           | 105                       | 582                    | 197                 | 884                   | 61493  | 5   | 61498                                    |                              |                      |
| उज्जैन                                   | 10                  | 341476       | 10773                          | 6457                            | 10               | 17240          | 676             | 2076                   | 821                           | 4424                                                  | 7997                   | 0                               | 1811                          | 1811           | 32                        | 140                    | 68                  | 240                   | 27288  | 21  | 27309                                    |                              |                      |
| ग्वालियर                                 | 134                 | 646312       | 11286                          | 7076                            | 11               | 18373          | 799             | 2144                   | 960                           | 3288                                                  | 7191                   | 5                               | 2220                          | 2225           | 38                        | 186                    | 79                  | 303                   | 28092  | 9   | 28101                                    |                              |                      |
| सागर                                     | 112                 | 215165       | 3990                           | 4543                            | 2                | 8535           | 272             | 2792                   | 711                           | 1673                                                  | 5448                   | 0                               | 2295                          | 2295           | 25                        | 145                    | 51                  | 221                   | 16499  | 0   | 16499                                    |                              |                      |
| औरंगाबाद                                 | 18684               | 2449846      | 18231                          | 27426                           | 53               | 45710          | 1094            | 7617                   | 1575                          | 8579                                                  | 18865                  | 1                               | 5507                          | 5508           | 81                        | 266                    | 108                 | 455                   | 70538  | 105 | 70643                                    |                              |                      |
| कोल्हापुर                                | 58917               | 1092253      | 41917                          | 62291                           | 125              | 104333         | 3648            | 15491                  | 4095                          | 22686                                                 | 45920                  | 14                              | 12771                         | 12785          | 128                       | 1077                   | 471                 | 1676                  | 164714 | 126 | 164840                                   |                              |                      |
| नागपुर                                   | 59472               | 1920310      | 38637                          | 43642                           | 58               | 82337          | 2625            | 13255                  | 3039                          | 18038                                                 | 36957                  | 8                               | 10225                         | 10233          | 109                       | 850                    | 317                 | 1276                  | 130803 | 45  | 130848                                   |                              |                      |
| नासिक                                    | 71460               | 2357185      | 39531                          | 69797                           | 68               | 109396         | 2761            | 15237                  | 3196                          | 18047                                                 | 39241                  | 5                               | 10632                         | 10637          | 89                        | 722                    | 283                 | 1094                  | 160368 | 93  | 160461                                   |                              |                      |
| पुणे (पुणे कैंट)                         | 61618               | 6641552      | 18192                          | 41178                           | 25               | 59395          | 1498            | 9824                   | 2052                          | 9277                                                  | 22651                  | 3                               | 7774                          | 7777           | 42                        | 753                    | 234                 | 1029                  | 90852  | 92  | 90944                                    |                              |                      |
| सोलापुर                                  | 15730               | 442871       | 29411                          | 23566                           | 23               | 53000          | 809             | 6339                   | 1930                          | 7725                                                  | 16803                  | 0                               | 5485                          | 5485           | 31                        | 451                    | 307                 | 789                   | 76077  | 76  | 76153                                    |                              |                      |
| अकोला                                    | 14358               | 324999       | 13898                          | 24472                           | 11               | 38381          | 994             | 4740                   | 1071                          | 7212                                                  | 14017                  | 0                               | 2862                          | 2862           | 22                        | 297                    | 77                  | 396                   | 55656  | 53  | 55709                                    |                              |                      |
| पुणे (अहमदी)                             | 229509              | 5466451      | 15183                          | 17850                           | 7                | 33040          | 551             | 3884                   | 1027                          | 4991                                                  | 10453                  | 1                               | 3266                          | 3267           | 19                        | 230                    | 90                  | 339                   | 47099  | 33  | 47132                                    |                              |                      |
| मुंबई (बांद्रा)                          | 418775              | 4646718      | 9319                           | 15864                           | 7                | 25190          | 3827            | 4704                   | 901                           | 4561                                                  | 13993                  | 10                              | 1835                          | 1845           | 66                        | 362                    | 69                  | 497                   | 41525  | 27  | 41552                                    |                              |                      |
| मुंबई (दादर)                             | 225646              | 3018225      | 11921                          | 7833                            | 4                | 19758          | 1084            | 1999                   | 875                           | 4169                                                  | 8127                   | 2                               | 942                           | 944            | 40                        | 120                    | 47                  | 207                   | 29036  | 42  | 29078                                    |                              |                      |
| मुंबई (मरीन पॉइंट)                       | 1142032             | 2982671      | 8806                           | 17865                           | 12               | 26683          | 1579            | 3893                   | 809                           | 4525                                                  | 10806                  | 1                               | 1501                          | 1502           | 66                        | 183                    | 76                  | 325                   | 39316  | 27  | 39343                                    |                              |                      |
| मुंबई (पवई)                              | 557874              | 3177218      | 962                            | 1716                            | 2                | 2680           | 186             | 463                    | 102                           | 393                                                   | 1144                   | 0                               | 259                           | 259            | 11                        | 55                     | 11                  | 77                    | 4160   | 3   | 4163                                     |                              |                      |
| कादिदली (परिचम)                          | 127871              | 3773106      | 22213                          | 38168                           | 16               | 60397          | 35              | 5788                   | 1851                          | 7071                                                  | 14745                  | 1                               | 4497                          | 4498           | 62                        | 626                    | 114                 | 802                   | 80442  | 87  | 80529                                    |                              |                      |

| 31.03.2022 को पेंशनभोक्तारों का वर्गीकरण |                     |              |                                |                                 |                  |                |                       |                  |                               |                                                      |                        |                             |                               |                |                           |                        |                     |                       |        |                                          |                              |                      |
|------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------|-----------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|--------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| क्षेत्रीय कार्यालय                       | पेंशन निधि के सदस्य |              | सदस्य पेंशनभोक्ता              |                                 |                  |                | पति/पत्नी पेंशनभोक्ता |                  |                               |                                                      |                        | बाल पेंशन                   |                               |                |                           | अन्य पेंशनभोक्ता       |                     |                       |        | सकल योग<br>को.सं. 7,<br>12, 15,<br>- 19) | आर<br>ओसी<br>पेंशन<br>भोक्ता | अंतिम योग<br>(20+21) |
|                                          | घुट प्राप्त         | अघुट प्राप्त | समयपूर्व पेंशन<br>(60-57 वर्ष) | अविवाहिता<br>पेंशन<br>(58 वर्ष) | अशक्तता<br>पेंशन | कुल<br>(4+5+6) | सेवा में मृत्यु       |                  | सेवा के<br>बाद मृत्यु<br>होना | 8, 9 एवं 10 को<br>छोड़कर<br>पति/पत्नी<br>पेंशनभोक्ता | कुल<br>(8+9+<br>10+11) | परिवार<br>पेंशन<br>योजना-71 | कर्मचारी<br>पेंशन<br>योजना-95 | कुल<br>(13+14) | नागिनी<br>पेंशन<br>भोक्ता | अभिमातक<br>पेंशनभोक्ता | अन्य<br>पेंशनभोक्ता | कुल<br>(16+17<br>+18) |        |                                          |                              |                      |
|                                          |                     |              |                                |                                 |                  |                | एम्प्लॉयर्स<br>71     | इंजीनियर्स<br>95 |                               |                                                      |                        |                             |                               |                |                           |                        |                     |                       |        |                                          |                              |                      |
| 1                                        | 2                   | 3            | 4                              | 5                               | 6                | 7              | 8                     | 9                | 10                            | 11                                                   | 12                     | 13                          | 14                            | 15             | 16                        | 17                     | 18                  | 19                    | 20     | 21                                       | 22                           |                      |
| ठाणे (उत्तर)                             | 44286               | 2368304      | 31647                          | 47748                           | 47               | 79442          | 35                    | 8424             | 2857                          | 11294                                                | 22610                  | 1                           | 6917                          | 6918           | 73                        | 745                    | 215                 | 1033                  | 110003 | 92                                       | 110095                       |                      |
| वाशी                                     | 49002               | 4369882      | 16669                          | 33714                           | 20               | 50403          | 32                    | 6049             | 1869                          | 6322                                                 | 14272                  | 1                           | 5144                          | 5145           | 75                        | 453                    | 142                 | 670                   | 70490  | 56                                       | 70546                        |                      |
| कादियारी (पूर्व)                         | 56865               | 4002306      | 6570                           | 7756                            | 2                | 14328          | 2                     | 1228             | 446                           | 1776                                                 | 3452                   | 0                           | 1063                          | 1063           | 19                        | 157                    | 35                  | 211                   | 19054  | 26                                       | 19080                        |                      |
| ठाणे (दक्षिण)                            | 336930              | 3067505      | 8290                           | 11303                           | 8                | 19601          | 4                     | 1532             | 669                           | 2946                                                 | 5151                   | 0                           | 1154                          | 1154           | 18                        | 160                    | 35                  | 213                   | 26119  | 15                                       | 26134                        |                      |
| गुवाहाटी                                 | 7037                | 1071673      | 7377                           | 17506                           | 12               | 24895          | 665                   | 5401             | 1132                          | 3189                                                 | 10387                  | 14                          | 4611                          | 4625           | 104                       | 432                    | 95                  | 631                   | 40538  | 14                                       | 40552                        |                      |
| अगरतला                                   | 0                   | 117280       | 791                            | 5087                            | 4                | 5882           | 153                   | 1453             | 218                           | 980                                                  | 2804                   | 1                           | 700                           | 701            | 20                        | 39                     | 19                  | 78                    | 9465   | 1                                        | 9466                         |                      |
| शिलांग                                   | 15095               | 135950       | 636                            | 1737                            | 1                | 2374           | 100                   | 1054             | 112                           | 431                                                  | 1697                   | 1                           | 890                           | 891            | 14                        | 71                     | 43                  | 128                   | 5090   | 1                                        | 5091                         |                      |
| तिनसुकिया                                | 1973                | 173926       | 2553                           | 8696                            | 2                | 11251          | 369                   | 2422             | 365                           | 1895                                                 | 5051                   | 0                           | 1418                          | 1418           | 42                        | 66                     | 24                  | 132                   | 17852  | 2                                        | 17854                        |                      |
| मुम्बैनगर                                | 20354               | 2279066      | 30746                          | 41792                           | 45               | 72583          | 1415                  | 7712             | 2763                          | 9308                                                 | 21198                  | 10                          | 7468                          | 7478           | 92                        | 870                    | 112                 | 1074                  | 102333 | 27                                       | 102360                       |                      |
| राजकोट                                   | 36429               | 1131762      | 8967                           | 19636                           | 16               | 28619          | 758                   | 3920             | 1722                          | 4252                                                 | 10652                  | 2                           | 3578                          | 3580           | 26                        | 254                    | 78                  | 358                   | 43209  | 15                                       | 43224                        |                      |
| बेराहमपुर                                | 14968               | 253710       | 4262                           | 12037                           | 6                | 16305          | 846                   | 3308             | 651                           | 3233                                                 | 8038                   | 3                           | 2472                          | 2475           | 26                        | 238                    | 39                  | 303                   | 27121  | 22                                       | 27143                        |                      |
| कॉयंबूर                                  | 5537                | 292017       | 4396                           | 6633                            | 3                | 11032          | 238                   | 1851             | 612                           | 1218                                                 | 3919                   | 1                           | 1987                          | 1988           | 16                        | 105                    | 62                  | 183                   | 17122  | 5                                        | 17127                        |                      |
| शिमला                                    | 43221               | 2041699      | 4911                           | 18172                           | 33               | 23116          | 950                   | 5565             | 1101                          | 3922                                                 | 11538                  | 9                           | 5074                          | 5083           | 37                        | 579                    | 131                 | 747                   | 40484  | 20                                       | 40504                        |                      |
| चंडीगढ़                                  | 15115               | 3068067      | 8962                           | 22059                           | 17               | 31038          | 894                   | 5963             | 1255                          | 4256                                                 | 12368                  | 2                           | 4616                          | 4618           | 56                        | 404                    | 165                 | 625                   | 48649  | 23                                       | 48672                        |                      |
| अमृतसर                                   | 6387                | 477636       | 5168                           | 14270                           | 11               | 19449          | 889                   | 3987             | 656                           | 3301                                                 | 8833                   | 1                           | 2718                          | 2719           | 51                        | 230                    | 100                 | 381                   | 31382  | 129                                      | 31511                        |                      |
| भटिंडा                                   | 3368                | 1065565      | 3419                           | 12391                           | 7                | 15817          | 495                   | 4105             | 799                           | 2510                                                 | 7909                   | 3                           | 2817                          | 2820           | 42                        | 253                    | 107                 | 402                   | 26948  | 11                                       | 26959                        |                      |
| लुधियाना                                 | 4542                | 2143584      | 4448                           | 11764                           | 9                | 16221          | 362                   | 3878             | 930                           | 2098                                                 | 7268                   | 2                           | 3675                          | 3677           | 53                        | 329                    | 136                 | 518                   | 27684  | 7                                        | 27691                        |                      |
| जालंधर                                   | 111060              | 893768       | 6257                           | 15851                           | 7                | 22115          | 867                   | 4553             | 781                           | 3632                                                 | 9833                   | 2                           | 3265                          | 3267           | 60                        | 333                    | 151                 | 544                   | 35759  | 6                                        | 35765                        |                      |
| जयपुर                                    | 89368               | 4298275      | 19803                          | 33464                           | 40               | 53307          | 2700                  | 9276             | 2478                          | 8607                                                 | 23061                  | 8                           | 9162                          | 9170           | 123                       | 609                    | 218                 | 950                   | 86488  | 54                                       | 86542                        |                      |
| जोधपुर                                   | 37443               | 865238       | 6493                           | 11548                           | 13               | 18054          | 895                   | 3911             | 1024                          | 2714                                                 | 8544                   | 0                           | 4250                          | 4250           | 31                        | 331                    | 109                 | 471                   | 31319  | 11                                       | 31330                        |                      |
| कोटा                                     | 39663               | 596266       | 8653                           | 9879                            | 7                | 18539          | 650                   | 2421             | 636                           | 2899                                                 | 6606                   | 0                           | 2333                          | 2333           | 33                        | 120                    | 72                  | 225                   | 27703  | 26                                       | 27729                        |                      |
| उदयपुर                                   | 47350               | 1434206      | 11573                          | 12748                           | 20               | 24341          | 935                   | 4360             | 1437                          | 3461                                                 | 10193                  | 2                           | 4638                          | 4640           | 58                        | 200                    | 81                  | 339                   | 39513  | 19                                       | 39532                        |                      |
| कोयंबूर                                  | 22797               | 4806907      | 56564                          | 32807                           | 29               | 89400          | 2282                  | 8228             | 3139                          | 14735                                                | 28384                  | 6                           | 5965                          | 5971           | 113                       | 983                    | 181                 | 1277                  | 125032 | 235                                      | 125267                       |                      |
| मडुरै                                    | 28988               | 2307733      | 38440                          | 25789                           | 39               | 64268          | 2151                  | 9918             | 4096                          | 12283                                                | 28448                  | 14                          | 9752                          | 9766           | 503                       | 1231                   | 334                 | 2068                  | 104550 | 165                                      | 104715                       |                      |
| सेलम                                     | 81882               | 3068181      | 21335                          | 21469                           | 15               | 42819          | 0                     | 7700             | 1880                          | 6845                                                 | 16425                  | 0                           | 5122                          | 5122           | 82                        | 958                    | 152                 | 1192                  | 65558  | 39                                       | 65597                        |                      |
| तिरुनेलवेली                              | 55393               | 1081036      | 79913                          | 21004                           | 30               | 100947         | 2402                  | 7845             | 3396                          | 14547                                                | 28190                  | 7                           | 7033                          | 7040           | 283                       | 708                    | 497                 | 1488                  | 137665 | 128                                      | 137793                       |                      |
| त्रिची                                   | 24823               | 1462629      | 18881                          | 46225                           | 30               | 65136          | 2509                  | 11046            | 2086                          | 11670                                                | 27311                  | 5                           | 8831                          | 8836           | 171                       | 1355                   | 244                 | 1770                  | 103053 | 120                                      | 103173                       |                      |
| नागर्कोट                                 | 208                 | 254177       | 5586                           | 10583                           | 5                | 16174          | 563                   | 1729             | 472                           | 2642                                                 | 5406                   | 0                           | 1152                          | 1152           | 54                        | 220                    | 46                  | 320                   | 23052  | 43                                       | 23095                        |                      |



| 31.03.2022 को पेंशनभोक्ताओं का वर्गीकरण |                     |              |                                |                                 |                  |                |                         |                  |                               |                                                        |                        |                             |                               |                |                          |                        |                     |                       |         |                                          |                              |                      |
|-----------------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|---------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| क्षेत्रीय कार्यालय                      | पेंशन निधि के सदस्य |              | सदस्य पेंशनभोक्ता              |                                 |                  |                | पति / पत्नी पेंशनभोक्ता |                  |                               |                                                        |                        | बाल पेंशन                   |                               |                |                          | अन्य पेंशनभोक्ता       |                     |                       |         | सकल योग<br>को.सं. 7,<br>12, 15,<br>- 19) | आर<br>ओसी<br>पेंशन<br>भोक्ता | अंतिम योग<br>(20+21) |
|                                         | घूट प्राप्त         | अघूट प्राप्त | समयपूर्व पेंशन<br>(60-57 वर्ष) | अविवाहिता<br>पेंशन<br>(58 वर्ष) | अशक्तता<br>पेंशन | कुल<br>(4+5+6) | सेवा में मृत्यु         |                  | सेवा के<br>बाद मृत्यु<br>होना | 8, 9 एवं 10 को<br>छोड़कर<br>पति / पत्नी<br>पेंशनभोक्ता | कुल<br>(8+9+<br>10+11) | परिवार<br>पेंशन<br>योजना-71 | कर्मचारी<br>पेंशन<br>योजना-95 | कुल<br>(13+14) | नामित<br>पेंशन<br>भोक्ता | अभिमातक<br>पेंशनभोक्ता | अन्य<br>पेंशनभोक्ता | कुल<br>(16+17<br>+18) |         |                                          |                              |                      |
|                                         |                     |              |                                |                                 |                  |                | एम्प्लॉयर्स<br>71       | इंजीनियर्स<br>95 |                               |                                                        |                        |                             |                               |                |                          |                        |                     |                       |         |                                          |                              |                      |
| 1                                       | 2                   | 3            | 4                              | 5                               | 6                | 7              | 8                       | 9                | 10                            | 11                                                     | 12                     | 13                          | 14                            | 15             | 16                       | 17                     | 18                  | 19                    | 20      | 21                                       | 22                           |                      |
| हैदराबाद (बरकतपुर)                      | 667364              | 4121446      | 22383                          | 42624                           | 33               | 65040          | 2533                    | 11354            | 2670                          | 10445                                                  | 27002                  | 4                           | 8899                          | 8903           | 102                      | 818                    | 219                 | 1139                  | 102084  | 81                                       | 102165                       |                      |
| जिजामाबाद                               | 0                   | 785744       | 78638                          | 5529                            | 48               | 84215          | 447                     | 4249             | 1766                          | 3864                                                   | 10326                  | 2                           | 3614                          | 3616           | 131                      | 394                    | 427                 | 952                   | 99109   | 22                                       | 99131                        |                      |
| वाराणस                                  | 455                 | 332872       | 14102                          | 8716                            | 9                | 22827          | 515                     | 4318             | 1091                          | 2881                                                   | 8805                   | 0                           | 3275                          | 3275           | 31                       | 327                    | 134                 | 492                   | 35399   | 21                                       | 35420                        |                      |
| पटनचैरू                                 | 12713               | 1243731      | 5530                           | 8319                            | 9                | 13858          | 366                     | 2823             | 811                           | 2439                                                   | 6439                   | 0                           | 2878                          | 2878           | 29                       | 217                    | 69                  | 315                   | 23490   | 8                                        | 23498                        |                      |
| कुट्टरपट्टली                            | 32500               | 2375440      | 10848                          | 11892                           | 5                | 22745          | 626                     | 3541             | 1045                          | 3835                                                   | 9047                   | 0                           | 2870                          | 2870           | 25                       | 210                    | 51                  | 286                   | 34948   | 22                                       | 34970                        |                      |
| करौनगर                                  | 407                 | 310941       | 53664                          | 11755                           | 19               | 65438          | 682                     | 5208             | 1896                          | 4384                                                   | 12170                  | 1                           | 4236                          | 4237           | 49                       | 453                    | 349                 | 851                   | 82696   | 30                                       | 82726                        |                      |
| सिरीपेट                                 | 0                   | 87730        | 11890                          | 916                             | 4                | 12810          | 37                      | 894              | 282                           | 446                                                    | 1659                   | 0                           | 833                           | 833            | 14                       | 108                    | 79                  | 201                   | 15503   | 0                                        | 15503                        |                      |
| हैदराबाद (मिधापुर)                      | 48246               | 5364923      | 2687                           | 6433                            | 1                | 9121           | 187                     | 2549             | 636                           | 935                                                    | 4307                   | 1                           | 2805                          | 2806           | 28                       | 324                    | 70                  | 422                   | 16656   | 6                                        | 16662                        |                      |
| कानपुर                                  | 10442               | 1227996      | 18958                          | 27062                           | 18               | 46038          | 1733                    | 7306             | 1857                          | 8314                                                   | 19210                  | 2                           | 7766                          | 7768           | 185                      | 540                    | 191                 | 916                   | 73932   | 22                                       | 73954                        |                      |
| आगरा                                    | 4558                | 824261       | 6364                           | 14348                           | 11               | 20723          | 647                     | 5066             | 1242                          | 3745                                                   | 10700                  | 0                           | 5905                          | 5905           | 86                       | 405                    | 184                 | 675                   | 38003   | 23                                       | 38026                        |                      |
| बरेली                                   | 9267                | 643998       | 4520                           | 10712                           | 10               | 15242          | 729                     | 3731             | 829                           | 3065                                                   | 8354                   | 2                           | 4387                          | 4389           | 37                       | 306                    | 138                 | 481                   | 28466   | 8                                        | 28474                        |                      |
| गोरखपुर                                 | 3916                | 244846       | 27000                          | 41457                           | 22               | 68479          | 1974                    | 10054            | 2250                          | 12799                                                  | 27077                  | 1                           | 11088                         | 11089          | 82                       | 364                    | 318                 | 764                   | 107409  | 45                                       | 107454                       |                      |
| लखनऊ                                    | 42313               | 1174161      | 11061                          | 29713                           | 11               | 40785          | 982                     | 5905             | 1052                          | 5957                                                   | 13896                  | 1                           | 5158                          | 5159           | 53                       | 367                    | 169                 | 589                   | 60429   | 33                                       | 60462                        |                      |
| मेरठ                                    | 43438               | 2287210      | 20553                          | 32587                           | 34               | 53174          | 1194                    | 10958            | 2279                          | 7924                                                   | 22355                  | 3                           | 10234                         | 10237          | 143                      | 837                    | 250                 | 1230                  | 86996   | 87                                       | 87083                        |                      |
| वाराणसी                                 | 49717               | 785409       | 25023                          | 33038                           | 30               | 58091          | 1839                    | 7973             | 2100                          | 10962                                                  | 22874                  | 1                           | 7945                          | 7946           | 58                       | 361                    | 156                 | 575                   | 89486   | 42                                       | 89528                        |                      |
| नोएडा                                   | 85442               | 5531988      | 2513                           | 8171                            | 4                | 10688          | 68                      | 2051             | 526                           | 723                                                    | 3368                   | 0                           | 2620                          | 2620           | 12                       | 123                    | 55                  | 190                   | 16866   | 7                                        | 16873                        |                      |
| इलाहाबाद                                | 5414                | 348181       | 15482                          | 21468                           | 14               | 36964          | 1202                    | 5259             | 1405                          | 6540                                                   | 14406                  | 3                           | 5506                          | 5509           | 29                       | 237                    | 168                 | 434                   | 57313   | 24                                       | 57337                        |                      |
| कोलकाता                                 | 435015              | 3810599      | 28785                          | 68970                           | 21               | 97776          | 2798                    | 10724            | 2400                          | 15739                                                  | 31661                  | 11                          | 6010                          | 6021           | 138                      | 620                    | 101                 | 859                   | 136317  | 154                                      | 136471                       |                      |
| बैरकपुर (तीलागढ़)                       | 71580               | 771811       | 20953                          | 45272                           | 10               | 66235          | 1618                    | 8553             | 1725                          | 14156                                                  | 26052                  | 3                           | 5014                          | 5017           | 111                      | 460                    | 141                 | 712                   | 98016   | 40                                       | 98056                        |                      |
| हावड़ा                                  | 116465              | 815572       | 25448                          | 51763                           | 14               | 77225          | 2174                    | 8468             | 2553                          | 16192                                                  | 29387                  | 2                           | 5151                          | 5153           | 160                      | 401                    | 110                 | 671                   | 112436  | 62                                       | 112498                       |                      |
| दाजिसिंग                                | 215                 | 69810        | 3290                           | 7196                            | 4                | 10490          | 87                      | 1754             | 330                           | 1145                                                   | 3316                   | 0                           | 458                           | 458            | 30                       | 102                    | 70                  | 202                   | 14466   | 21                                       | 14487                        |                      |
| दुर्गापुरी                              | 37339               | 916798       | 11597                          | 38599                           | 18               | 50214          | 1193                    | 7797             | 2323                          | 10220                                                  | 21533                  | 1                           | 4659                          | 4660           | 79                       | 412                    | 95                  | 586                   | 76993   | 170                                      | 77163                        |                      |
| जलमईगुड़ी                               | 5018                | 598050       | 9716                           | 32542                           | 6                | 42264          | 684                     | 15343            | 4147                          | 4160                                                   | 24334                  | 6                           | 7968                          | 7974           | 138                      | 612                    | 577                 | 1327                  | 75899   | 47                                       | 75946                        |                      |
| पोर्ट ब्लेयर                            | 247                 | 52212        | 601                            | 1686                            | 0                | 2287           | 46                      | 272              | 50                            | 311                                                    | 679                    | 0                           | 314                           | 314            | 4                        | 16                     | 6                   | 26                    | 3306    | 1                                        | 3307                         |                      |
| सिलीगुड़ी                               | 203                 | 563691       | 10374                          | 21398                           | 7                | 31779          | 344                     | 6786             | 1295                          | 2354                                                   | 10779                  | 3                           | 4938                          | 4941           | 58                       | 294                    | 147                 | 499                   | 47998   | 11                                       | 48009                        |                      |
| पार्क स्ट्रीट                           | 148444              | 2241682      | 5336                           | 16107                           | 3                | 21446          | 44                      | 1821             | 412                           | 2783                                                   | 5060                   | 0                           | 935                           | 935            | 57                       | 80                     | 25                  | 162                   | 27603   | 28                                       | 27631                        |                      |
| जगीपुरी                                 | 520                 | 916242       | 13586                          | 18052                           | 7                | 31645          | 128                     | 8436             | 4296                          | 2075                                                   | 14935                  | 0                           | 10700                         | 10700          | 53                       | 245                    | 390                 | 688                   | 57968   | 0                                        | 57968                        |                      |
| कुल                                     | 10969475            | 268583069    | 1969396                        | 2826255                         | 2806             | 4798457        | 129462                  | 710424           | 187078                        | 779002                                                 | 1805966                | 386                         | 579014                        | 579400         | 10360                    | 54675                  | 18541               | 83576                 | 7267399 | 6499                                     | 7273898                      |                      |

## परिशिष्ट-2 (vi)

| वर्ष 2021-2022 में 1000/- रुपये प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन से लाभान्वित होने वाले पेंशनभोक्ताओं का विवरण (31.03.2022 तक) |                                  |                                       |                                                    |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| माह / वर्ष                                                                                                              | लाभार्थी पेंशनभोक्ताओं की संख्या | मूल पेंशन के अनुसार भुगतान की गई राशि | न्यूनतम पेंशन अधिसूचना के अनुसार भुगतान की गई राशि | राशि का अंतर      |
|                                                                                                                         |                                  | (रुपये में)                           | (रुपये में)                                        | (रुपये में)       |
| अप्रैल -2021                                                                                                            | 1812719                          | 1133227405                            | 1860903027                                         | 727675622         |
| मई-2021                                                                                                                 | 1808561                          | 1090731556                            | 1778211819                                         | 687480263         |
| जून-2021                                                                                                                | 1833438                          | 1149028920                            | 1881126221                                         | 732097301         |
| जुलाई-2021                                                                                                              | 1855727                          | 1204794509                            | 1980893800                                         | 776099291         |
| अगस्त-2021                                                                                                              | 1867933                          | 1197376723                            | 1982526673                                         | 785149950         |
| सितम्बर-2021                                                                                                            | 1881999                          | 1205253483                            | 1998685684                                         | 793432201         |
| अक्टूबर-2021                                                                                                            | 1887350                          | 1201780548                            | 1994149747                                         | 790491546         |
| नवंबर-2021                                                                                                              | 1895229                          | 1225280221                            | 2026865661                                         | 801585440         |
| दिसंबर-2021                                                                                                             | 1832087                          | 1268818642                            | 2101658726                                         | 833443039         |
| जनवरी-2022                                                                                                              | 1836341                          | 1172789582                            | 1939000917                                         | 766211335         |
| फरवरी-2022                                                                                                              | 1844671                          | 1175249140                            | 1954264431                                         | 779015291         |
| मार्च-2022                                                                                                              | 1852793                          | 1191355197                            | 1984839944                                         | 793484747         |
| <b>कुल</b>                                                                                                              |                                  | <b>14215685926</b>                    | <b>23483126650</b>                                 | <b>9267440724</b> |

## परिशिष्ट-2 (vii)

| मूल्यांकन के परिणामों का सार (रूपये करोड़ों में) |             |             |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विवरण                                            | 31.03.2014  | 31.03.2015  | 31.03.2016 & 31.03.2017<br>(संयुक्त रिपोर्ट) | 31.03.2021 & 31.03.2022                                                                                                                                                                                                                                                           |
| सक्रिय सदस्य                                     | 3,49,14,215 | 3,45,48,189 | 4,12,37,384                                  | वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए कर्मचारी पेंशन निधि के 22वें और 23वें मूल्यांकन हेतु नियुक्त किए गए बीमांकक ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो सरकार के विचाराधीन है। वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए 24वें और 25वें मूल्यांकन हेतु बीमांकक की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। |
| सक्रिय लाभार्थी (पेंशनभोक्ता)                    | 46,90,669   | 51,04,397   | 56,49,797                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| निष्क्रिय सदस्य/आस्थगित लाभार्थी/निष्क्रिय खाते  | 8,28,98,785 | 9,65,21,305 | 14,65,04,679                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| सभी लाभों का वर्तमान मूल्य (करोड़ों में)         | 3,86,222.54 | 5,25,315.42 | 7,37,700.57                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| भावी अंशदान का वर्तमान मूल्य (करोड़ों में)       | 1,70,704.21 | 2,91,810.45 | 4,03,756.28                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| संग्रह राशि का मूल्य (करोड़ों में)               | 2,07,685.60 | 2,38,531.84 | 3,18,412.38                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| निवल देयता                                       | -7,832.74   | 5,026.87    | -15,531.91                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## परिशिष्ट-2 (viii)

| पेंशन वितरण एजेंसियों की सूची (31.03.2022 तक) |                             |                              |                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| क्रम संख्या                                   | अंचल का नाम                 | कार्यालय का नाम              | बैंक                                                                                                                    |
| 1                                             | आंध्र प्रदेश (विजयवाड़ा)    | विशाखापत्तनम                 | एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडियन बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया                      |
| 2                                             | आंध्र प्रदेश (विजयवाड़ा)    | कडपा                         | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक                       |
| 3                                             | आंध्र प्रदेश (विजयवाड़ा)    | राजमुंदरी                    | एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडियन बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया                      |
| 4                                             | आंध्र प्रदेश (विजयवाड़ा)    | गुंटूर                       | एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया                                   |
| 5                                             | बेंगलुरु (बेंगलुरु)         | के आर पुरम (व्हाइटफील्ड)     | एक्सिस बैंक, केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा       |
| 6                                             | बेंगलुरु (बेंगलुरु)         | पीन्या                       | एक्सिस बैंक, केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक                       |
| 7                                             | बेंगलुरु (बेंगलुरु)         | बेंगलुरु (मध्य)              | एक्सिस बैंक, केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा       |
| 8                                             | बेंगलुरु (बेंगलुरु)         | बेंगलुरु (इलेक्ट्रॉनिक सिटी) | एक्सिस बैंक, केनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा       |
| 9                                             | बेंगलुरु (बेंगलुरु)         | राजराजेश्वरी नगर             | एक्सिस बैंक, केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा       |
| 10                                            | बिहार और झारखंड (पटना)      | पटना                         | बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक                                                      |
| 11                                            | बिहार और झारखंड (पटना)      | भागलपुर                      | बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक                                                                     |
| 12                                            | बिहार और झारखंड (पटना)      | मुजफ्फरपुर                   | बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक                                                      |
| 13                                            | बिहार और झारखंड (पटना)      | रांची                        | एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया |
| 14                                            | बिहार और झारखंड (पटना)      | जमशेदपुर                     | एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक                        |
| 15                                            | चेन्नई और पुदुचेरी (चेन्नई) | वेल्लोर                      | इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, भारतीय स्टेट बैंक                                                                      |
| 16                                            | चेन्नई और पुदुचेरी (चेन्नई) | चेन्नई (उत्तर)               | एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, भारतीय स्टेट बैंक                         |
| 17                                            | चेन्नई और पुदुचेरी (चेन्नई) | ताम्वरम                      | एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, भारतीय स्टेट बैंक                         |
| 18                                            | चेन्नई और पुदुचेरी (चेन्नई) | पांडिचेरी                    | एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, भारतीय स्टेट बैंक                         |
| 19                                            | चेन्नई और पुदुचेरी (चेन्नई) | अंबातुर                      | एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, भारतीय स्टेट बैंक                         |
| 20                                            | दिल्ली और उत्तराखंड         | दिल्ली दक्षिण                | एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया    |

| पेंशन वितरण एजेंसियों की सूची (31.03.2022 तक) |                                             |                   |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| क्रम संख्या                                   | अंचल का नाम                                 | कार्यालय का नाम   | बैंक                                                                                                                 |
| 21                                            | दिल्ली और उत्तराखंड                         | दिल्ली (उत्तर)    | एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया |
| 22                                            | दिल्ली और उत्तराखंड                         | देहरादून          | पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक                                                                                  |
| 23                                            | दिल्ली और उत्तराखंड                         | हल्द्वानी         | पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक                                                                                  |
| 24                                            | दिल्ली और उत्तराखंड                         | दिल्ली (पूर्व)    | एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक |
| 25                                            | गुजरात (अहमदाबाद)                           | नरोडा             | बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय स्टेट बैंक                                                                                    |
| 26                                            | गुजरात (अहमदाबाद)                           | भरुच              | बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक                                                                     |
| 27                                            | गुजरात (अहमदाबाद)                           | राजकोट            | एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक                                       |
| 28                                            | गुजरात (अहमदाबाद)                           | सूरत              | एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक                                       |
| 29                                            | गुजरात (अहमदाबाद)                           | वापी              | बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय स्टेट बैंक                                                                                    |
| 30                                            | गुजरात (अहमदाबाद)                           | वडोदरा            | बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक                                                    |
| 31                                            | गुजरात (अहमदाबाद)                           | वटवा              | बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक                                                                     |
| 32                                            | गुजरात (अहमदाबाद)                           | अहमदाबाद          | बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक                                                                     |
| 33                                            | हरियाणा                                     | रोहतक             | एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक                                     |
| 34                                            | हरियाणा                                     | फरीदाबाद          | एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक                                     |
| 35                                            | हरियाणा                                     | करनाल             | एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक                                                                   |
| 36                                            | हरियाणा                                     | गुरुग्राम (पूर्व) | एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक                                                  |
| 37                                            | जम्मू कश्मीर और लद्दाख                      | श्रीनगर           | भारतीय स्टेट बैंक                                                                                                    |
| 38                                            | जम्मू कश्मीर और लद्दाख                      | जम्मू             | जम्मू और कश्मीर बैंक, भारतीय स्टेट बैंक                                                                              |
| 39                                            | कर्नाटक (बेंगलुरु के अलावा) और गोवा (हुबली) | मंगलौर            | एक्सिस बैंक, केनरा बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा                                    |
| 40                                            | कर्नाटक (बेंगलुरु के अलावा) और गोवा (हुबली) | मैसूर             | एक्सिस बैंक, केनरा बैंक, यूनियन बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा              |
| 41                                            | कर्नाटक (बेंगलुरु के अलावा) और गोवा (हुबली) | बेल्लारी          | एक्सिस बैंक, केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक                                                    |
| 42                                            | कर्नाटक (बेंगलुरु के अलावा) और गोवा (हुबली) | चिकमंगलूर         | केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा                                                 |
| 43                                            | कर्नाटक (बेंगलुरु के अलावा) और गोवा (हुबली) | गोवा              | बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक                                                                     |
| 44                                            | कर्नाटक (बेंगलुरु के अलावा) और गोवा (हुबली) | हुबली             | एक्सिस बैंक, केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक                    |
| 45                                            | कर्नाटक (बेंगलुरु के अलावा) और गोवा (हुबली) | शिमोगा            | केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक                                                                 |

पेंशन वितरण एजेंसियों की सूची (31.03.2022 तक)

| क्रम संख्या | अंचल का नाम                                 | कार्यालय का नाम            | बैंक                                                                                                                                                                                      |
|-------------|---------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 46          | कर्नाटक (बेंगलुरु के अलावा) और गोवा (हुबली) | उडुप्पी                    | एक्सिस बैंक, केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक , बैंक ऑफ बड़ौदा                                                                                                        |
| 47          | कर्नाटक (बेंगलुरु के अलावा) और गोवा (हुबली) | रायचुर                     | केनरा बैंक, भारतीय स्टेट बैंक                                                                                                                                                             |
| 48          | कर्नाटक (बेंगलुरु के अलावा) और गोवा (हुबली) | गुलबर्गा                   | केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक                                                                                                                     |
| 49          | केरल और लक्षद्वीप (तिरुवनंतपुरम)            | तिरुवनंतपुरम (त्रिवेंद्रम) | एक्सिस बैंक, केनरा बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, केरल ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक                              |
| 50          | केरल और लक्षद्वीप (तिरुवनंतपुरम)            | कन्नूर                     | केनरा बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, केरल ग्रामीण बैंक, उत्तरी मालाबार ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन बैंक                               |
| 51          | केरल और लक्षद्वीप (तिरुवनंतपुरम)            | कोच्चि (कोचीन)             | एक्सिस बैंक, केनरा बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, केरल ग्रामीण बैंक, उत्तरी मालाबार ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक |
| 52          | केरल और लक्षद्वीप (तिरुवनंतपुरम)            | कोल्लम                     | एक्सिस बैंक, केनरा बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, केरल ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक                              |
| 53          | केरल और लक्षद्वीप (तिरुवनंतपुरम)            | कोट्टायम                   | एक्सिस बैंक, केनरा बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, केरल ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक                              |
| 54          | केरल और लक्षद्वीप (तिरुवनंतपुरम)            | कोझीकोड (कालीकट)           | केनरा बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, केरल ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक                                           |
| 55          | मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ (भोपाल)            | रायपुर (छ.ग.)              | एक्सिस बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नैटिनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक                                                                                 |
| 56          | मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ (भोपाल)            | भोपाल                      | एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक                                                                                                  |
| 57          | मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ (भोपाल)            | ग्वालियर                   | एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया                                                                                                                       |
| 58          | मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ (भोपाल)            | उज्जैन                     | एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक                                                                                                                                          |
| 59          | मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ (भोपाल)            | इंदौर                      | एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक                                                                                                          |
| 60          | मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ (भोपाल)            | जबलपुर                     | पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक                                                                                                                                                       |
| 61          | मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ (भोपाल)            | सागर                       | पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक                                                                                                                                                       |
| 62          | महाराष्ट्र (मुंबई को छोड़कर) (पुणे)         | नागपुर                     | एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक                                                                  |

| पेंशन वितरण एजेंसियों की सूची (31.03.2022 तक) |                                     |                   |                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| क्रम संख्या                                   | अंचल का नाम                         | कार्यालय का नाम   | बैंक                                                                                                                              |
| 63                                            | महाराष्ट्र (मुंबई को छोड़कर) (पुणे) | नासिक             | एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक                                  |
| 64                                            | महाराष्ट्र (मुंबई को छोड़कर) (पुणे) | पुणे (पुणे कैंट)  | एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक              |
| 65                                            | महाराष्ट्र (मुंबई को छोड़कर) (पुणे) | शोलापुर           | एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक                                              |
| 66                                            | महाराष्ट्र (मुंबई को छोड़कर) (पुणे) | औरंगाबाद          | एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक                                  |
| 67                                            | महाराष्ट्र (मुंबई को छोड़कर) (पुणे) | कोल्हापुर         | एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक                               |
| 68                                            | महाराष्ट्र (मुंबई को छोड़कर) (पुणे) | अकोला             | एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक                         |
| 69                                            | मुंबई-1 (बांद्रा)                   | मुंबई (बांद्रा)   | एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एचडीएफसी बैंक, इंडियन बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक |
| 70                                            | मुंबई-2 (ठाणे)                      | कांदिवली (पश्चिम) | बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक                                               |
| 71                                            | मुंबई-2 (ठाणे)                      | ठाणे (उत्तर)      | एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक                                  |
| 72                                            | मुंबई-2 (ठाणे)                      | वाशी              | एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक                                                   |
| 73                                            | एनईआर (गुवाहाटी)                    | तिनसुकिया         | भारतीय स्टेट बैंक                                                                                                                 |
| 74                                            | एनईआर (गुवाहाटी)                    | गुवाहाटी          | एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक                                                                    |
| 75                                            | एनईआर (गुवाहाटी)                    | अगरतला            | भारतीय स्टेट बैंक                                                                                                                 |
| 76                                            | एनईआर (गुवाहाटी)                    | शिलांग            | भारतीय स्टेट बैंक                                                                                                                 |
| 77                                            | उड़ीसा (भुवनेश्वर)                  | क्योंझर           | बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक                                                                                                 |
| 78                                            | उड़ीसा (भुवनेश्वर)                  | बेरहामपुर         | एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, यूको बैंक                                                                         |
| 79                                            | उड़ीसा (भुवनेश्वर)                  | भुवनेश्वर         | एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यूको बैंक                                         |
| 80                                            | उड़ीसा (भुवनेश्वर)                  | राउरकेला          | एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यूको बैंक                                         |
| 81                                            | पंजाब और हिमाचल प्रदेश              | लुधियाना          | एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक                                                                   |
| 82                                            | पंजाब और हिमाचल प्रदेश              | शिमला             | एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक,                                                                                 |
| 83                                            | पंजाब और हिमाचल प्रदेश              | भटिंडा            | एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक                                                  |
| 84                                            | पंजाब और हिमाचल प्रदेश              | जालंधर            | एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक                                                                   |
| 85                                            | पंजाब और हिमाचल प्रदेश              | चंडीगढ़           | एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक                                                  |



| पेंशन वितरण एजेंसियों की सूची (31.03.2022 तक) |                             |                     |                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| क्रम संख्या                                   | अंचल का नाम                 | कार्यालय का नाम     | बैंक                                                                                                                                                                         |
| 86                                            | पंजाब और हिमाचल प्रदेश      | अमृतसर              | एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक                                                                                             |
| 87                                            | राजस्थान                    | जोधपुर              | बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक, मरुधर ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, भारतीय स्टेट बैंक                                                         |
| 88                                            | राजस्थान                    | जयपुर               | एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा राज. क्षे. ग्रामीण बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, जयपुर थार ग्रामीण बैंक, मरुधर ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक |
| 89                                            | राजस्थान                    | कोटा                | एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक                                                                                                                           |
| 90                                            | राजस्थान                    | उदयपुर              | एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक                                                                             |
| 91                                            | तमिलनाडु (चेन्नई को छोड़कर) | मदुरै               | एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, भारतीय स्टेट बैंक                                                                              |
| 92                                            | तमिलनाडु (चेन्नई को छोड़कर) | सेलम                | एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, भारतीय स्टेट बैंक                                                                              |
| 93                                            | तमिलनाडु (चेन्नई को छोड़कर) | तिरुनेलवेली         | एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, भारतीय स्टेट बैंक                                                                                             |
| 94                                            | तमिलनाडु (चेन्नई को छोड़कर) | त्रिची              | एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, भारतीय स्टेट बैंक                                                                              |
| 95                                            | तमिलनाडु (चेन्नई को छोड़कर) | कोयंबटूर            | एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, भारतीय स्टेट बैंक                                                                              |
| 96                                            | तमिलनाडु (चेन्नई को छोड़कर) | नागरकोइल            | आईसीआईसीआई बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, भारतीय स्टेट बैंक                                                                                                          |
| 97                                            | तेलंगाना (हैदराबाद)         | कुकटपल्ली           | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक                                                                                                     |
| 98                                            | तेलंगाना (हैदराबाद)         | निजामाबाद           | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, तेलंगाना ग्रामीण बैंक                                                                                                 |
| 99                                            | तेलंगाना (हैदराबाद)         | सिद्दीपेट           | एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया                                                                                             |
| 100                                           | तेलंगाना (हैदराबाद)         | वारंगल              | स्टेट बैंक इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया                                                                                                                                     |
| 101                                           | तेलंगाना (हैदराबाद)         | हैदराबाद (बरकतपुरा) | एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया                                                                                        |
| 102                                           | तेलंगाना (हैदराबाद)         | करीमनगर             | डेक्कन ग्रामीण बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक, तेलंगाना ग्रामीण बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया                                                            |
| 103                                           | तेलंगाना (हैदराबाद)         | पट्टनचेरु           | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक                                                                                                         |
| 104                                           | उत्तर प्रदेश                | मेरठ                | पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक                                                                                                                                          |
| 105                                           | उत्तर प्रदेश                | नोएडा               | एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक                                                                                                              |
| 106                                           | उत्तर प्रदेश                | बरेली               | पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक                                                                                                                                          |

| पेंशन वितरण एजेंसियों की सूची (31.03.2022 तक) |                                                                 |                   |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| क्रम संख्या                                   | अंचल का नाम                                                     | कार्यालय का नाम   | बैंक                                                                                                                                                            |
| 107                                           | उत्तर प्रदेश                                                    | गोरखपुर           | पंजाब नेशनल बैंक, पूर्वांचल ग्रामीण बैंक, भारतीय स्टेट बैंक                                                                                                     |
| 108                                           | उत्तर प्रदेश                                                    | कानपुर            | पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक                                                                                                                             |
| 109                                           | उत्तर प्रदेश                                                    | लखनऊ              | एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक                                                                                                              |
| 110                                           | उत्तर प्रदेश                                                    | वाराणसी           | बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया                                                                          |
| 111                                           | उत्तर प्रदेश                                                    | इलाहाबाद          | एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक                                                                                             |
| 112                                           | उत्तर प्रदेश                                                    | आगरा              | पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक                                                                                                                             |
| 113                                           | पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और सिक्किम (कोलकाता) | पोर्ट ब्लेयर      | अंडमान और निकोबार स्टेट को-ऑप बैंक लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक                                                                                                    |
| 114                                           | पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और सिक्किम (कोलकाता) | सिलीगुड़ी         | एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, उत्तरबंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक                                        |
| 115                                           | पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और सिक्किम (कोलकाता) | बैरकपुर (टीटागढ़) | एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक                                                                                                 |
| 116                                           | पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और सिक्किम (कोलकाता) | दुर्गापुर         | एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक                                                                                |
| 117                                           | पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और सिक्किम (कोलकाता) | हावड़ा            | एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक                                                                                |
| 118                                           | पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और सिक्किम (कोलकाता) | जलपाईगुड़ी        | इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कूच-बिहार एच.पी.ओ., जलपाईगुड़ी एच.पी.ओ., मालबाजार एच.पी.ओ., भारतीय स्टेट बैंक, यूको बैंक, उत्तरबंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक |
| 119                                           | पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और सिक्किम (कोलकाता) | जंगीपुर           | पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक                                                                                                                             |
| 120                                           | पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और सिक्किम (कोलकाता) | कोलकाता           | एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक                                                                                |
| 121                                           | पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और सिक्किम (कोलकाता) | पार्क स्ट्रीट     | एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक                                                                                |
| 122                                           | पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और सिक्किम (कोलकाता) | दार्जिलिंग        | एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, उत्तर बंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक                                                                              |

## परिशिष्ट-3 (i)

| ईपीएफओ में आंचलिक कार्यालयों, क्षेत्रीय, जिला कार्यालय, विशेष राज्य कार्यालय और सेवा केंद्रों की सूची |                                                           |                                                                   |                                                                    |                                                       |                      |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| क्र. सं                                                                                               | अ.के.आ./अ.के.आ. (मुख्यालय) के नेतृत्व में आंचलिक कार्यालय | क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त- I के नेतृत्व में क्षेत्रीय कार्यालय | क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त- II के नेतृत्व में क्षेत्रीय कार्यालय | जिला कार्यालय सहायक भविष्य निधि आयुक्त के नेतृत्व में | विशेष राज्य कार्यालय | सेवा केंद्र |
| 1.                                                                                                    | आंध्र प्रदेश (विजयवाड़ा)                                  | गुंटूर                                                            |                                                                    | ओंगोल विजयवाड़ा                                       |                      |             |
|                                                                                                       |                                                           | कडप्पा                                                            |                                                                    | अनंतपुर कुरनूल नेल्लोर तिरुपति                        |                      |             |
|                                                                                                       |                                                           | राजमुंदरी                                                         |                                                                    | भीमावरम एल्लुरु काकीनाडा                              |                      |             |
|                                                                                                       |                                                           | विशाखापत्तनम                                                      |                                                                    | श्रीकाकुलम विजयनगरम                                   |                      |             |
| 2.                                                                                                    | तेलंगाना (हैदराबाद)                                       | हैदराबाद-I (बरकतपुरा)                                             |                                                                    |                                                       |                      |             |
|                                                                                                       |                                                           | हैदराबाद-II (माधापुर)                                             |                                                                    |                                                       |                      |             |
|                                                                                                       |                                                           | कुकटपल्ली                                                         |                                                                    |                                                       |                      |             |
|                                                                                                       |                                                           | पटनचेरु                                                           |                                                                    |                                                       |                      |             |
|                                                                                                       |                                                           | निजामाबाद                                                         |                                                                    |                                                       |                      |             |
|                                                                                                       |                                                           |                                                                   | करीमनगर                                                            | निर्मल (आदिलाबाद)                                     |                      |             |
|                                                                                                       |                                                           |                                                                   | सिद्दीपेट                                                          |                                                       |                      |             |
|                                                                                                       |                                                           |                                                                   | वारंगल                                                             | खम्मम                                                 |                      | नलगोंडा     |
| 3.                                                                                                    | बेंगलुरु (बेंगलोर)                                        | बेंगलुरु-I (सेंट्रल)                                              |                                                                    |                                                       |                      |             |
|                                                                                                       |                                                           | बेंगलुरु-II (मल्लेश्वरम)                                          |                                                                    |                                                       |                      |             |
|                                                                                                       |                                                           | बोम्मसंद्रा-I (इलेक्ट्रॉनिक सिटी)                                 |                                                                    |                                                       |                      |             |
|                                                                                                       |                                                           | बोम्मसंद्रा-II (कोरमंगला )                                        |                                                                    |                                                       |                      |             |
|                                                                                                       |                                                           | के आर पुरम                                                        |                                                                    | कोलार                                                 |                      |             |
|                                                                                                       |                                                           | पीन्या                                                            |                                                                    |                                                       |                      |             |
|                                                                                                       |                                                           | आरआर नगर                                                          |                                                                    |                                                       |                      |             |
|                                                                                                       |                                                           |                                                                   | तुमकुर                                                             |                                                       |                      |             |
|                                                                                                       |                                                           |                                                                   | येलाहंका                                                           |                                                       |                      |             |

| ईपीएफओ में आंचलिक कार्यालयों, क्षेत्रीय, जिला कार्यालय, विशेष राज्य कार्यालय और सेवा केंद्रों की सूची |                                                                 |                                                                        |                                                                            |                                                             |                         |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| क्र. सं                                                                                               | अ.के.आ./अ.के.आ.<br>(मुख्यालय) के नेतृत्व में<br>आंचलिक कार्यालय | क्षेत्रीय भविष्य निधि<br>आयुक्त-। के नेतृत्व<br>में क्षेत्रीय कार्यालय | क्षेत्रीय भविष्य<br>निधि आयुक्त-।।<br>के नेतृत्व में क्षेत्रीय<br>कार्यालय | जिला कार्यालय<br>सहायक भविष्य निधि<br>आयुक्त के नेतृत्व में | विशेष राज्य<br>कार्यालय | सेवा केंद्र |
| 4.                                                                                                    | कर्नाटक<br>(बेंगलुरु को छोड़कर) और<br>गोवा<br>(हुबली)           | गोवा                                                                   |                                                                            |                                                             |                         | मार्मागांव  |
|                                                                                                       |                                                                 | हुबली                                                                  |                                                                            | बेलगावी<br>कारवार                                           |                         |             |
|                                                                                                       |                                                                 | मंगलौर                                                                 |                                                                            |                                                             |                         |             |
|                                                                                                       |                                                                 | मैसूर                                                                  |                                                                            | मदिकेरी (कोडगु)<br>मांड्या                                  |                         |             |
|                                                                                                       |                                                                 |                                                                        | बेल्लारी                                                                   |                                                             |                         |             |
|                                                                                                       |                                                                 |                                                                        | चिकमंगलूर                                                                  | हासन                                                        |                         |             |
|                                                                                                       |                                                                 |                                                                        | गुलबर्गा                                                                   | बीजापुर<br>बीदर                                             |                         |             |
|                                                                                                       |                                                                 |                                                                        | रायचूर                                                                     | बागलकोट                                                     |                         |             |
|                                                                                                       |                                                                 |                                                                        | शिमोगा                                                                     | दावनगेरे                                                    |                         |             |
|                                                                                                       |                                                                 |                                                                        | उडुप्पी                                                                    |                                                             |                         |             |
| 5.                                                                                                    | बिहार और झारखंड<br>(पटना)                                       | जमशेदपुर                                                               |                                                                            | पश्चिम सिंहभूम<br>(चाईबासा)                                 |                         |             |
|                                                                                                       |                                                                 | पटना                                                                   |                                                                            | गया<br>रोहतास                                               |                         |             |
|                                                                                                       |                                                                 | रांची                                                                  |                                                                            | बोकारो<br>देवघर<br>धनबाद<br>गिरिडीह<br>कोडरमा<br>साहिबगंज   |                         |             |
|                                                                                                       |                                                                 |                                                                        | भागलपुर                                                                    | कटिहार<br>मुंगेर                                            |                         |             |
|                                                                                                       |                                                                 |                                                                        | मुजफ्फरपुर                                                                 | दरभंगा                                                      |                         |             |
| 6.                                                                                                    | चेन्नई और पुदुच्चेरी<br>(चेन्नई)                                | अंबातुर                                                                |                                                                            |                                                             |                         |             |
|                                                                                                       |                                                                 | चेन्नई-। (उत्तर)                                                       |                                                                            |                                                             |                         |             |
|                                                                                                       |                                                                 | चेन्नई-।। (दक्षिण )                                                    |                                                                            |                                                             |                         |             |
|                                                                                                       |                                                                 | ताम्वरम                                                                |                                                                            |                                                             |                         |             |
|                                                                                                       |                                                                 | वेल्लोर                                                                |                                                                            |                                                             |                         |             |
|                                                                                                       |                                                                 |                                                                        | पुदुच्चेरी                                                                 |                                                             |                         |             |

| ईपीएफओ में आंचलिक कार्यालयों, क्षेत्रीय, जिला कार्यालय, विशेष राज्य कार्यालय और सेवा केंद्रों की सूची |                                                                                   |                                                                        |                                                                            |                                                             |                         |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| क्र. सं                                                                                               | अ.के.आ./अ.के.आ.<br>(मुख्यालय) के नेतृत्व में<br>आंचलिक कार्यालय                   | क्षेत्रीय भविष्य निधि<br>आयुक्त-। के नेतृत्व<br>में क्षेत्रीय कार्यालय | क्षेत्रीय भविष्य<br>निधि आयुक्त-।।<br>के नेतृत्व में क्षेत्रीय<br>कार्यालय | जिला कार्यालय<br>सहायक भविष्य निधि<br>आयुक्त के नेतृत्व में | विशेष राज्य<br>कार्यालय | सेवा केंद्र |
| 7.                                                                                                    | तमिलनाडु (चेन्नई को<br>छोड़कर)<br>(कोयंबटूर)                                      | कोयंबटूर                                                               |                                                                            | कुनूर<br>ऊटी<br>पोलाची<br>तिरुपुर                           |                         |             |
|                                                                                                       |                                                                                   | मदुरै                                                                  |                                                                            | डिंडीगुल<br>शिवकाशी                                         |                         |             |
|                                                                                                       |                                                                                   | सेलम                                                                   |                                                                            | इरोड<br>कृष्णागिरी                                          |                         |             |
|                                                                                                       |                                                                                   | तिरुनेलवेली                                                            |                                                                            | तूतूकुडी                                                    |                         |             |
|                                                                                                       |                                                                                   | त्रिची                                                                 |                                                                            | कुडलोर<br>करूर<br>कुम्बाकोनम<br>तंजावूर                     |                         |             |
|                                                                                                       |                                                                                   |                                                                        | नागरकोइल                                                                   |                                                             |                         |             |
| 8.                                                                                                    | दिल्ली, उत्तराखंड, जम्मू<br>कश्मीर एवं लद्दाख<br>(दिल्ली, उत्तराखंड एवं<br>जम्मू) | देहरादून                                                               |                                                                            |                                                             |                         |             |
|                                                                                                       |                                                                                   | दिल्ली (पूर्व)                                                         |                                                                            |                                                             |                         |             |
|                                                                                                       |                                                                                   | दिल्ली (पश्चिम)                                                        |                                                                            |                                                             |                         |             |
|                                                                                                       |                                                                                   | दिल्ली (मध्य)                                                          |                                                                            |                                                             |                         |             |
|                                                                                                       |                                                                                   | दिल्ली (उत्तर)                                                         |                                                                            |                                                             |                         |             |
|                                                                                                       |                                                                                   | दिल्ली (दक्षिण)                                                        |                                                                            |                                                             |                         | हरिद्वार    |
|                                                                                                       |                                                                                   | हल्द्वानी                                                              |                                                                            |                                                             |                         |             |
|                                                                                                       |                                                                                   | जम्मू                                                                  |                                                                            |                                                             |                         |             |
|                                                                                                       |                                                                                   | कश्मीर                                                                 |                                                                            |                                                             |                         |             |
|                                                                                                       |                                                                                   |                                                                        | लद्दाख                                                                     |                                                             |                         |             |
| 9.                                                                                                    | गुजरात<br>(अहमदाबाद)                                                              | अहमदाबाद                                                               |                                                                            | भावनगर<br>महेसाना<br>नडियाड                                 |                         |             |
|                                                                                                       |                                                                                   | भरुच                                                                   |                                                                            |                                                             |                         |             |
|                                                                                                       |                                                                                   | नरोडा                                                                  |                                                                            | हिम्मतनगर                                                   |                         |             |
|                                                                                                       |                                                                                   | राजकोट                                                                 |                                                                            | गांधीधाम<br>जामनगर<br>जूनागढ़<br>सुरेंद्रनगर                |                         |             |
|                                                                                                       |                                                                                   | सूरत                                                                   |                                                                            |                                                             |                         |             |
|                                                                                                       |                                                                                   | वडोदरा                                                                 |                                                                            |                                                             |                         |             |
|                                                                                                       |                                                                                   | वापी                                                                   |                                                                            |                                                             |                         |             |
|                                                                                                       |                                                                                   |                                                                        | वटवा                                                                       |                                                             |                         |             |

| ईपीएफओ में आंचलिक कार्यालयों, क्षेत्रीय, जिला कार्यालय, विशेष राज्य कार्यालय और सेवा केंद्रों की सूची |                                                                 |                                                                        |                                                                            |                                                             |                         |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| क्र. सं                                                                                               | अ.के.आ./अ.के.आ.<br>(मुख्यालय) के नेतृत्व में<br>आंचलिक कार्यालय | क्षेत्रीय भविष्य निधि<br>आयुक्त-। के नेतृत्व<br>में क्षेत्रीय कार्यालय | क्षेत्रीय भविष्य<br>निधि आयुक्त-।।<br>के नेतृत्व में क्षेत्रीय<br>कार्यालय | जिला कार्यालय<br>सहायक भविष्य निधि<br>आयुक्त के नेतृत्व में | विशेष राज्य<br>कार्यालय | सेवा केंद्र |
| 10.                                                                                                   | हरियाणा<br>(फरीदाबाद)                                           | फरीदाबाद                                                               |                                                                            |                                                             |                         |             |
|                                                                                                       |                                                                 | गुड़गांव-। (पूर्व )                                                    |                                                                            |                                                             |                         |             |
|                                                                                                       |                                                                 | गुड़गांव-।। (पश्चिम)                                                   |                                                                            |                                                             |                         |             |
|                                                                                                       |                                                                 | करनाल                                                                  |                                                                            | अंबाला<br>पानीपत<br>सोनीपत<br>यमुनानगर                      |                         |             |
|                                                                                                       |                                                                 | रोहतक                                                                  |                                                                            | हिसार                                                       |                         |             |
| 11.                                                                                                   | केरल और लक्षद्वीप<br>(तिरुवनंतपुरम)                             | कालीकट                                                                 |                                                                            | कलपेट्टा<br>पालक्काड                                        |                         |             |
|                                                                                                       |                                                                 | कोचीन                                                                  |                                                                            | अलाप्पुजा<br>त्रिशूर                                        |                         |             |
|                                                                                                       |                                                                 | तिरुवनंतपुरम                                                           |                                                                            |                                                             |                         |             |
|                                                                                                       |                                                                 |                                                                        | कन्नूर                                                                     |                                                             |                         |             |
|                                                                                                       |                                                                 |                                                                        | कोल्लम                                                                     |                                                             |                         |             |
|                                                                                                       |                                                                 |                                                                        | कोट्टायम                                                                   | मून्नार                                                     |                         |             |
| 12.                                                                                                   | मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़<br>(भोपाल)                             | भोपाल                                                                  |                                                                            | इटारसी                                                      |                         |             |
|                                                                                                       |                                                                 | इंदौर                                                                  |                                                                            | धार<br>खंडवा                                                |                         |             |
|                                                                                                       |                                                                 | जबलपुर                                                                 |                                                                            | छिंदवाड़ा<br>सतना                                           |                         |             |
|                                                                                                       |                                                                 | रायपुर                                                                 |                                                                            | बिलासपुर                                                    |                         |             |
|                                                                                                       |                                                                 |                                                                        | ग्वालियर                                                                   |                                                             |                         |             |
|                                                                                                       |                                                                 |                                                                        | सागर                                                                       |                                                             |                         |             |
|                                                                                                       |                                                                 |                                                                        | उज्जैन                                                                     | रतलाम                                                       |                         |             |
| 13.                                                                                                   | मुंबई-1<br>(बांद्रा)                                            | बांद्रा I (बांद्रा)                                                    |                                                                            |                                                             |                         |             |
|                                                                                                       |                                                                 | बांद्रा II (दादर)                                                      |                                                                            |                                                             |                         |             |
|                                                                                                       |                                                                 | बांद्रा III (नरीमन पॉइंट)                                              |                                                                            |                                                             |                         |             |
|                                                                                                       |                                                                 | बांद्रा IV (पोवई )                                                     |                                                                            |                                                             |                         |             |
| 14.                                                                                                   | मुंबई -2<br>(थाणे)                                              | कांदिवली-I (पश्चिम)                                                    |                                                                            |                                                             |                         |             |
|                                                                                                       |                                                                 | कांदिवली-II (पूर्व)                                                    |                                                                            |                                                             |                         |             |
|                                                                                                       |                                                                 | थाणे-I (उत्तर)                                                         |                                                                            |                                                             |                         |             |
|                                                                                                       |                                                                 | थाणे-II (दक्षिण)                                                       |                                                                            |                                                             |                         |             |
|                                                                                                       |                                                                 | वाशी                                                                   |                                                                            |                                                             |                         |             |

| ईपीएफओ में आंचलिक कार्यालयों, क्षेत्रीय, जिला कार्यालय, विशेष राज्य कार्यालय और सेवा केंद्रों की सूची |                                                                 |                                                                         |                                                                             |                                                             |                            |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|
| क्र. सं                                                                                               | अ.के.आ./अ.के.आ.<br>(मुख्यालय) के नेतृत्व में<br>आंचलिक कार्यालय | क्षेत्रीय भविष्य निधि<br>आयुक्त- I के नेतृत्व<br>में क्षेत्रीय कार्यालय | क्षेत्रीय भविष्य<br>निधि आयुक्त- II<br>के नेतृत्व में क्षेत्रीय<br>कार्यालय | जिला कार्यालय<br>सहायक भविष्य निधि<br>आयुक्त के नेतृत्व में | विशेष राज्य<br>कार्यालय    | सेवा केंद्र |
| 15.                                                                                                   | महाराष्ट्र<br>(मुंबई को छोड़कर)<br>(पुणे)                       | पुणे-I (कैंट)                                                           |                                                                             |                                                             |                            |             |
|                                                                                                       |                                                                 | पुणे-II (अकुर्दी)                                                       |                                                                             |                                                             |                            |             |
|                                                                                                       |                                                                 | औरंगाबाद                                                                |                                                                             |                                                             |                            |             |
|                                                                                                       |                                                                 | कोल्हापुर                                                               |                                                                             |                                                             |                            |             |
|                                                                                                       |                                                                 | नागपुर                                                                  |                                                                             | चंद्रपुर                                                    |                            |             |
|                                                                                                       |                                                                 | नासिक                                                                   |                                                                             | अहमदनगर<br>जलगांव                                           |                            |             |
|                                                                                                       |                                                                 | सोलापुर                                                                 |                                                                             |                                                             |                            |             |
| 16.                                                                                                   | उत्तर-पूर्वी क्षेत्र<br>(गुवाहाटी)                              |                                                                         | अकोला                                                                       | अमरावती                                                     |                            |             |
|                                                                                                       |                                                                 | गुवाहाटी                                                                |                                                                             | बोंगाईगांव<br>कछार (सिलचर)<br>तेजपुर                        | इंफाल<br>ईटानगर<br>दीमापुर |             |
|                                                                                                       |                                                                 |                                                                         | अगरतला                                                                      | धर्मनगर                                                     |                            |             |
|                                                                                                       |                                                                 |                                                                         | शिलांग                                                                      |                                                             | आइजोल                      |             |
| 17.                                                                                                   | ओडिशा<br>(भुवनेश्वर)                                            |                                                                         | तिनसुकिया                                                                   | जोरहाट                                                      |                            |             |
|                                                                                                       |                                                                 | भुवनेश्वर                                                               |                                                                             | बालेश्वर (बालासोर)<br>कटक                                   |                            |             |
|                                                                                                       |                                                                 | राउरकेला                                                                |                                                                             | संबलपुर                                                     |                            |             |
|                                                                                                       |                                                                 |                                                                         | बेरहामपुर                                                                   | रायगढ़ा                                                     |                            |             |
| 18.                                                                                                   | पंजाब और हिमाचल प्रदेश<br>(चंडीगढ़)                             |                                                                         | क्योंझर                                                                     | बारबिल                                                      |                            |             |
|                                                                                                       |                                                                 | भटिंडा                                                                  |                                                                             | मोगा<br>संगरूर                                              |                            |             |
|                                                                                                       |                                                                 | चंडीगढ़                                                                 |                                                                             | मंडी गोबिंदगढ़<br>पटियाला                                   |                            |             |
|                                                                                                       |                                                                 | जालंधर                                                                  |                                                                             | होशियारपुर<br>फगवाड़ा                                       |                            |             |
|                                                                                                       |                                                                 | लुधियाना                                                                |                                                                             |                                                             |                            |             |
|                                                                                                       |                                                                 | शिमला                                                                   |                                                                             | कुल्लू<br>पालमपुर<br>नाहन<br>बद्दी                          |                            |             |
|                                                                                                       |                                                                 |                                                                         | अमृतसर                                                                      | बटाला                                                       |                            |             |



| ईपीएफओ में आंचलिक कार्यालयों, क्षेत्रीय, जिला कार्यालय, विशेष राज्य कार्यालय और सेवा केंद्रों की सूची |                                                                 |                                                                         |                                                                             |                                                             |                         |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| क्र. सं                                                                                               | अ.के.आ./अ.के.आ.<br>(मुख्यालय) के नेतृत्व में<br>आंचलिक कार्यालय | क्षेत्रीय भविष्य निधि<br>आयुक्त- I के नेतृत्व<br>में क्षेत्रीय कार्यालय | क्षेत्रीय भविष्य<br>निधि आयुक्त- II<br>के नेतृत्व में क्षेत्रीय<br>कार्यालय | जिला कार्यालय<br>सहायक भविष्य निधि<br>आयुक्त के नेतृत्व में | विशेष राज्य<br>कार्यालय | सेवा केंद्र |
| 19.                                                                                                   | राजस्थान<br>(जयपुर)                                             | जयपुर                                                                   |                                                                             | अजमेर<br>अलवर<br>भरतपुर<br>झुंझुनू                          |                         |             |
|                                                                                                       |                                                                 | जोधपुर                                                                  |                                                                             | बीकानेर<br>पाली<br>श्री गंगानगर                             |                         |             |
|                                                                                                       |                                                                 | उदयपुर                                                                  |                                                                             | भीलवाड़ा                                                    |                         |             |
|                                                                                                       |                                                                 |                                                                         | कोटा                                                                        |                                                             |                         |             |
| 20                                                                                                    | उत्तर प्रदेश<br>(कानपुर)                                        | आगरा                                                                    |                                                                             | अलीगढ़                                                      |                         |             |
|                                                                                                       |                                                                 | कानपुर                                                                  |                                                                             |                                                             |                         |             |
|                                                                                                       |                                                                 | लखनऊ                                                                    |                                                                             |                                                             |                         |             |
|                                                                                                       |                                                                 | मेरठ                                                                    |                                                                             | मुजफ्फरनगर<br>सहारनपुर                                      |                         | गाजियाबाद   |
|                                                                                                       |                                                                 | नोएडा                                                                   |                                                                             |                                                             |                         |             |
|                                                                                                       |                                                                 | वाराणसी                                                                 |                                                                             |                                                             |                         |             |
|                                                                                                       |                                                                 |                                                                         | इलाहाबाद                                                                    |                                                             |                         |             |
|                                                                                                       |                                                                 |                                                                         | बरेली                                                                       | मुरादाबाद                                                   |                         |             |
|                                                                                                       |                                                                 |                                                                         | गोरखपुर                                                                     |                                                             |                         |             |
| 21.                                                                                                   | प.बं., अं. और नि. द्वीप<br>और सिक्किम<br>(कोलकाता)              | बैरकपुर                                                                 |                                                                             |                                                             |                         |             |
|                                                                                                       |                                                                 | दुर्गापुर                                                               |                                                                             |                                                             |                         |             |
|                                                                                                       |                                                                 | हावड़ा                                                                  |                                                                             | श्रीरामपुर                                                  |                         |             |
|                                                                                                       |                                                                 | जलपाईगुड़ी                                                              |                                                                             | अलीपुरद्वार<br>मालबजार                                      |                         |             |
|                                                                                                       |                                                                 | जंगीपुर                                                                 |                                                                             |                                                             |                         |             |
|                                                                                                       |                                                                 | कोलकाता                                                                 |                                                                             | मिदनापुर                                                    |                         |             |
|                                                                                                       |                                                                 | पार्क स्ट्रीट                                                           |                                                                             |                                                             |                         |             |
|                                                                                                       |                                                                 | सिलिगुड़ी                                                               |                                                                             |                                                             | गंगटोक                  |             |
|                                                                                                       |                                                                 |                                                                         | दार्जिलिंग                                                                  |                                                             |                         |             |
|                                                                                                       |                                                                 |                                                                         | पोर्ट ब्लेयर                                                                |                                                             |                         |             |
| कुल                                                                                                   | 21                                                              | 102                                                                     | 36                                                                          | 114                                                         | 05                      | 04          |

परिशिष्ट-3 (ii)

| औसत अंशदायी स्थापनाएं एवं सदस्य (2021-22)                   |                   |               |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| अंचल                                                        | अंशदायी स्थापनाएं | अंशदायी सदस्य |
| आंध्र प्रदेश (विजयवाड़ा)                                    | 17571             | 1130857       |
| बेंगलुरु (बेंगलुरु)                                         | 27848             | 4652523       |
| बिहार और झारखंड (पटना)                                      | 16870             | 1323694       |
| चेन्नई और पुदुचेरी (चेन्नई)                                 | 27545             | 2983977       |
| दिल्ली और उत्तराखंड                                         | 35485             | 3381414       |
| गुजरात (अहमदाबाद)                                           | 50120             | 3217573       |
| हरियाणा                                                     | 27009             | 2479034       |
| जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख (दिल्ली एवं उत्तराखंड)              | 4748              | 145952        |
| कर्नाटक (बेंगलुरु से अन्य) और गोवा (हुबली)                  | 24610             | 1263518       |
| केरल और लक्षद्वीप (तिरुवनंतपुरम)                            | 16200             | 994369        |
| मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ (भोपाल)                            | 29227             | 1538369       |
| महाराष्ट्र (मुंबई को छोड़कर) (पुणे)                         | 51277             | 3371727       |
| मुंबई I (बांद्रा)                                           | 12439             | 3311591       |
| मुंबई II (ठाणे)                                             | 32747             | 3007399       |
| उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (गुवाहाटी)                             | 8356              | 356625        |
| ओडिशा (भुवनेश्वर)                                           | 15030             | 761615        |
| पंजाब और हिमाचल प्रदेश (चंडीगढ़)                            | 30179             | 1439004       |
| राजस्थान                                                    | 24307             | 1191168       |
| तमिलनाडु (चेन्नई को छोड़कर)                                 | 35693             | 2011799       |
| तेलंगाना (हैदराबाद)                                         | 26293             | 2908862       |
| उत्तर प्रदेश                                                | 38316             | 2252460       |
| पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप और सिक्किम (कोलकाता) | 39314             | 2612636       |
| अखिल भारतीय                                                 | 591184            | 46336166      |

परिशिष्ट-3 (iii)

| सभी दावे सारांश (2021-22) |          |          |               |                 |                  |                  |                  |          |
|---------------------------|----------|----------|---------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| दावे का प्रकार            | कार्यभार | निरस्त   | निवल कार्यभार | निपटाए गए       |                  |                  |                  |          |
|                           |          |          |               | 3 दिनों के भीतर | 10 दिनों के भीतर | 20 दिनों के भीतर | 20 दिनों से अधिक | कुल      |
| भविष्य निधि अंतिम निपटान  | 8635545  | 3041177  | 5594368       | 930834          | 3607471          | 5076590          | 284625           | 5361215  |
| भविष्य निधि अंतरण         | 8050026  | 1734114  | 6315912       | 1656824         | 4484942          | 5775359          | 319425           | 6094784  |
| भविष्य निधि आंशिक निकासी  | 31555400 | 7709135  | 23846265      | 12883640        | 20096001         | 22971847         | 482436           | 23454283 |
| पेंशन                     | 624310   | 276532   | 347778        | 48705           | 183542           | 285595           | 49288            | 334883   |
| पेंशन निकासी लाभ          | 7257804  | 3283481  | 3974323       | 553998          | 2425950          | 3524839          | 257827           | 3782666  |
| बीमा (ईडीएलआई)            | 121705   | 51671    | 70034         | 47943           | 66811            | 69162            | 478              | 69640    |
| कुल                       | 56244790 | 16096110 | 40148680      | 16121944        | 30864717         | 37703392         | 1394079          | 39097471 |
|                           |          |          |               |                 |                  |                  |                  | 1051209  |

परिशिष्ट-3 (iv)

| सभी दावे (2021-22)                                           |          |          |               |                 |                  |                  |                      |          |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------|----------|----------|
| अंचल                                                         | कार्यभार | निरस्त   | निचल कार्यभार | निपटारा गए      |                  |                  |                      |          | अंतः शेष |
|                                                              |          |          |               | 3 दिनों के भीतर | 10 दिनों के भीतर | 20 दिनों के भीतर | 20 दिनों से अधिक कुल | कुल      |          |
| आंध्र प्रदेश (विजयवाड़ा)                                     | 1486305  | 372746   | 1113559       | 544984          | 953182           | 1090076          | 3327                 | 1093403  | 20156    |
| बंगलुरु (बंगलुरु)                                            | 5300516  | 1555642  | 3744874       | 1088537         | 2601439          | 3535043          | 107243               | 3642286  | 102588   |
| बिहार और झारखंड (पटना)                                       | 1148452  | 277999   | 870453        | 424282          | 764001           | 852506           | 1934                 | 854440   | 16013    |
| चेन्नई और पुदुचेरी (चेन्नई)                                  | 4064738  | 1134802  | 2929936       | 1007001         | 1963974          | 2683756          | 181468               | 2865224  | 64712    |
| दिल्ली और उत्तराखंड                                          | 5776717  | 1976471  | 3800246       | 2223083         | 3386325          | 3671486          | 41271                | 3712757  | 87489    |
| गुजरात (अहमदाबाद)                                            | 4017922  | 1233985  | 2783937       | 1196681         | 2339941          | 2700417          | 18252                | 2718669  | 65268    |
| हरियाणा                                                      | 4124758  | 1492985  | 2631773       | 835430          | 1905331          | 2425059          | 112802               | 2537861  | 93912    |
| जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख (दिल्ली और उत्तराखंड)                | 165629   | 38622    | 127007        | 34092           | 77238            | 112208           | 7360                 | 119568   | 7439     |
| कर्नाटक (बंगलुरु से अन्य) और गोवा (हुबली)                    | 1221986  | 319054   | 902932        | 379092          | 818997           | 880401           | 1549                 | 881950   | 20982    |
| केरल और लक्षद्वीप (तिरुवनंतपुरम)                             | 1051573  | 200936   | 850637        | 357607          | 651905           | 810815           | 22204                | 833019   | 17618    |
| मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ (भोपाल)                             | 2063806  | 500964   | 1562842       | 749054          | 1307983          | 1506929          | 30278                | 1537207  | 25635    |
| महाराष्ट्र (मुंबई को छोड़कर) (पुणे)                          | 3557722  | 784716   | 2773006       | 861387          | 1955939          | 2645863          | 45885                | 2691748  | 81258    |
| मुंबई I (बांद्रा)                                            | 2836927  | 838145   | 1998782       | 605815          | 909333           | 1464528          | 442996               | 1907524  | 91258    |
| मुंबई II (ठाणे)                                              | 4020128  | 1133701  | 2886427       | 954740          | 1668001          | 2583316          | 191549               | 2774865  | 111562   |
| उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (गुवाहाटी)                              | 369442   | 90454    | 278988        | 111098          | 207510           | 251768           | 21493                | 273261   | 5727     |
| ओडिशा (भुवनेश्वर)                                            | 806722   | 174017   | 632705        | 272925          | 578387           | 622548           | 1282                 | 623830   | 8875     |
| पंजाब और हिमाचल प्रदेश                                       | 1967828  | 511325   | 1456503       | 917888          | 1410149          | 1431240          | 522                  | 1431762  | 24741    |
| राजस्थान                                                     | 1514486  | 529571   | 984915        | 520600          | 905486           | 963908           | 868                  | 964776   | 20139    |
| तमिलनाडु (चेन्नई को छोड़कर)                                  | 2411347  | 542076   | 1869271       | 722908          | 1539142          | 1763743          | 61180                | 1824923  | 44348    |
| तेलंगाना (हैदराबाद)                                          | 2950388  | 774947   | 2175441       | 1063653         | 1980381          | 2133646          | 4580                 | 2138226  | 37215    |
| उत्तर प्रदेश (कानपुर)                                        | 3302068  | 1141450  | 2160618       | 728658          | 1722151          | 2075297          | 19781                | 2095078  | 65540    |
| पश्चिम बंगाल, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप और सिक्किम (कालकाता) | 2085330  | 471502   | 1613828       | 522429          | 1217922          | 1498839          | 76255                | 1575094  | 38734    |
| अखिल भारतीय                                                  | 56244790 | 16096110 | 40148680      | 16121944        | 30864717         | 37703392         | 1394079              | 39097471 | 1051209  |

परिशिष्ट-3 (v)

| भविष्य निधि अंतिम दावे (2021-22)                             |          |         |               |                 |                  |                  |                  |         |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|---------|----------|
| अंचल                                                         | कार्यभार | निरस्त  | निवल कार्यभार | निपटाए गए       |                  |                  |                  | कुल     | अंतः शेष |
|                                                              |          |         |               | 3 दिनों के भीतर | 10 दिनों के भीतर | 20 दिनों के भीतर | 20 दिनों से अधिक |         |          |
| आंध्र प्रदेश (विजयवाड़ा)                                     | 183505   | 50508   | 132997        | 34530           | 103203           | 128805           | 497              | 129302  | 3695     |
| बेंगलुरु (बेंगलुरु)                                          | 764307   | 265418  | 498889        | 39400           | 282296           | 459911           | 19234            | 479145  | 19744    |
| बिहार और झारखंड (पटना)                                       | 164503   | 58432   | 106071        | 30669           | 88280            | 102339           | 260              | 102599  | 3472     |
| चेन्नई और पुदुचेरी (चेन्नई)                                  | 518630   | 208963  | 309667        | 19921           | 144650           | 268066           | 28943            | 297009  | 12658    |
| दिल्ली और उत्तराखंड                                          | 848177   | 381327  | 466850        | 138196          | 361522           | 434055           | 12018            | 446073  | 20777    |
| गुजरात (अहमदाबाद)                                            | 728435   | 261209  | 467226        | 80080           | 343644           | 444251           | 3453             | 447704  | 19522    |
| हरियाणा                                                      | 738275   | 337057  | 401218        | 41133           | 225247           | 350092           | 28138            | 378230  | 22988    |
| जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख (दिल्ली और उत्तराखंड)                | 37342    | 7558    | 29784         | 1013            | 9341             | 23138            | 4167             | 27305   | 2479     |
| कर्नाटक (बेंगलुरु से अन्य) और गोवा (हुबली)                   | 216598   | 61039   | 155559        | 38226           | 137331           | 150366           | 153              | 150519  | 5040     |
| केरल और लक्षद्वीप (तिरुवनंतपुरम)                             | 163740   | 35998   | 127742        | 23281           | 85683            | 120131           | 3507             | 123638  | 4104     |
| मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ (भोपाल)                             | 287305   | 85799   | 201506        | 38023           | 137562           | 188153           | 6733             | 194886  | 6620     |
| महाराष्ट्र (मुंबई को छोड़कर) (पुणे)                          | 557392   | 135991  | 421401        | 34845           | 224879           | 396219           | 9615             | 405834  | 15567    |
| मुंबई I (बांद्रा)                                            | 364344   | 133395  | 230949        | 5146            | 33852            | 129487           | 84296            | 213783  | 17166    |
| मुंबई II (वाणे)                                              | 571211   | 200251  | 370960        | 15376           | 116914           | 309083           | 42565            | 351648  | 19312    |
| उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (गुवाहाटी)                              | 58680    | 16696   | 41984         | 6009            | 24517            | 34968            | 5619             | 40587   | 1397     |
| ओडिशा (भुवनेश्वर)                                            | 110301   | 26936   | 83365         | 20710           | 73667            | 81116            | 211              | 81327   | 2038     |
| पंजाब और हिमाचल प्रदेश                                       | 332898   | 95234   | 237664        | 110745          | 224842           | 229511           | 62               | 229573  | 8091     |
| राजस्थान                                                     | 257475   | 107811  | 149664        | 49128           | 129584           | 143770           | 175              | 143945  | 5719     |
| तमिलनाडु (चेन्नई को छोड़कर)                                  | 422106   | 110769  | 311337        | 47882           | 213722           | 282860           | 16911            | 299771  | 11566    |
| तेलंगाना (हैदराबाद)                                          | 384029   | 126040  | 257989        | 59965           | 212314           | 249928           | 488              | 250416  | 7573     |
| उत्तर प्रदेश (कानपुर)                                        | 556262   | 243790  | 312472        | 39200           | 229229           | 295882           | 2882             | 298764  | 13708    |
| पश्चिम बंगाल, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप और सिक्किम (कोलकाता) | 370030   | 90956   | 279074        | 57356           | 205192           | 254459           | 14698            | 269157  | 9917     |
| अखिल भारतीय                                                  | 8635545  | 3041177 | 5594368       | 930834          | 3607471          | 5076590          | 284625           | 5361215 | 233153   |

परिशिष्ट-3 (vi)

| भविष्य निधि अंतरण दावे (2021-22)                             |          |         |               |                 |                  |                  |                  |         |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|---------|----------|
| अंचल                                                         | कार्यभार | निरस्त  | निवल कार्यभार | निपटार गए       |                  |                  |                  | कुल     | अंतः शेष |
|                                                              |          |         |               | 3 दिनों के भीतर | 10 दिनों के भीतर | 20 दिनों के भीतर | 20 दिनों से अधिक |         |          |
| आंध्र प्रदेश (विजयवाड़ा)                                     | 189206   | 42286   | 146920        | 52155           | 121962           | 142810           | 341              | 143151  | 3769     |
| बंगलुरु (बंगलुरु)                                            | 1045625  | 235963  | 809662        | 108136          | 499009           | 750254           | 34045            | 784299  | 25363    |
| बिहार और झारखंड (पटना)                                       | 113453   | 20616   | 92837         | 40005           | 80581            | 89872            | 371              | 90243   | 2594     |
| चेन्नई और पुदुचेरी (चेन्नई)                                  | 535403   | 142659  | 392744        | 37333           | 211106           | 344739           | 34516            | 379255  | 13489    |
| दिल्ली और उत्तराखंड                                          | 794865   | 192243  | 602422        | 290605          | 520899           | 574739           | 8854             | 583593  | 18829    |
| गुजरात (अहमदाबाद)                                            | 580107   | 102845  | 477262        | 165315          | 391585           | 457513           | 5444             | 462957  | 14305    |
| हरियाणा                                                      | 821143   | 182788  | 638355        | 164097          | 494432           | 594516           | 20226            | 614742  | 23613    |
| जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख (दिल्ली और उत्तराखंड)                | 9145     | 1835    | 7310          | 1306            | 3561             | 5392             | 1046             | 6438    | 872      |
| कर्नाटक (बंगलुरु से अन्य) और गोवा (हुबली)                    | 157009   | 37474   | 119535        | 39141           | 106908           | 115490           | 241              | 115731  | 3804     |
| केरल और लक्षद्वीप (तिरुवनंतपुरम)                             | 77742    | 12549   | 65193         | 19633           | 47624            | 61538            | 1999             | 63537   | 1656     |
| मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ (भोपाल)                             | 251196   | 54772   | 196424        | 63187           | 151936           | 187016           | 3871             | 190887  | 5537     |
| महाराष्ट्र (मुंबई को छोड़कर) (पुणे)                          | 533358   | 105892  | 427466        | 65427           | 270946           | 398860           | 13311            | 410171  | 17295    |
| मुंबई I (बांद्रा)                                            | 482926   | 99694   | 383232        | 13306           | 70877            | 213431           | 142512           | 355943  | 27289    |
| मुंबई II (ठाणे)                                              | 556742   | 90293   | 466449        | 60521           | 231981           | 412121           | 35066            | 447187  | 19262    |
| उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (गुवाहाटी)                              | 18701    | 5037    | 13664         | 3345            | 9246             | 11704            | 1081             | 12785   | 879      |
| ओडिशा (भुवनेश्वर)                                            | 88592    | 20376   | 68216         | 24887           | 61463            | 66139            | 166              | 66305   | 1911     |
| पंजाब और हिमाचल प्रदेश                                       | 251763   | 62573   | 189190        | 122535          | 181387           | 183926           | 55               | 183981  | 5209     |
| राजस्थान                                                     | 200299   | 50657   | 149642        | 74785           | 137337           | 144951           | 79               | 145030  | 4612     |
| तमिलनाडु (चेन्नई को छोड़कर)                                  | 276482   | 55612   | 220870        | 53283           | 180089           | 207519           | 6404             | 213923  | 6947     |
| तेलंगाना (हैदराबाद)                                          | 378105   | 75419   | 302686        | 97175           | 266905           | 294774           | 649              | 295423  | 7263     |
| उत्तर प्रदेश (कानपुर)                                        | 462920   | 107956  | 354964        | 113805          | 297983           | 341226           | 2706             | 343932  | 11032    |
| पश्चिम बंगाल, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप और सिक्किम (कोलकाता) | 225444   | 34575   | 190869        | 46842           | 147125           | 178829           | 6442             | 185271  | 5598     |
| अखिल भारतीय                                                  | 8050026  | 1734114 | 6315912       | 1656824         | 4484942          | 5775359          | 319425           | 6094784 | 221128   |

| भविष्य निधि आंशिक निकासी दावे (2021-22)                      |          |         |               |                 |                  |                  |                  |          |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|
| अंचल                                                         | कार्यभार | निरस्त  | निवल कार्यभार | निपटार गए       |                  |                  |                  | कुल      | अंतः शेष |
|                                                              |          |         |               | 3 दिनों के भीतर | 10 दिनों के भीतर | 20 दिनों के भीतर | 20 दिनों से अधिक |          |          |
| आंध्र प्रदेश (विजयवाड़ा)                                     | 937020   | 215265  | 721755        | 430667          | 645864           | 711471           | 997              | 712468   | 9287     |
| बेंगलुरु (बेंगलुरु)                                          | 2762278  | 716685  | 2045593       | 916252          | 1615100          | 1973517          | 32773            | 2006290  | 39303    |
| बिहार और झारखंड (पटना)                                       | 715200   | 129767  | 585433        | 327092          | 524046           | 577635           | 528              | 578163   | 7270     |
| चेन्नई और पुदुचेरी (चेन्नई)                                  | 2534248  | 545430  | 1988818       | 937368          | 1505182          | 1871698          | 89259            | 1960957  | 27861    |
| दिल्ली और उत्तराखंड                                          | 3338525  | 966667  | 2371858       | 1692914         | 2233595          | 2333719          | 8698             | 2342417  | 29441    |
| गुजरात (अहमदाबाद)                                            | 2038003  | 578045  | 1459958       | 891930          | 1335624          | 1442443          | 3395             | 1445838  | 14120    |
| हरियाणा                                                      | 1908451  | 610444  | 1298007       | 600346          | 1034492          | 1237484          | 34174            | 1271658  | 26349    |
| जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख (दिल्ली और उत्तराखंड)                | 108419   | 25672   | 82747         | 31621           | 62819            | 78487            | 965              | 79452    | 3295     |
| कर्नाटक (बेंगलुरु से अन्य) और गोवा (हुबली)                   | 646556   | 146505  | 500051        | 275962          | 468410           | 492267           | 286              | 492553   | 7498     |
| केरल और लक्षद्वीप (तिरुवनंतपुरम)                             | 667686   | 104158  | 563528        | 304380          | 472757           | 547393           | 8189             | 555582   | 7946     |
| मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ (भोपाल)                             | 1247233  | 245765  | 1001468       | 621328          | 913722           | 981827           | 11989            | 993816   | 7652     |
| महाराष्ट्र (मुंबई को छोड़कर) (पुणे)                          | 1948447  | 354676  | 1593771       | 735733          | 1288500          | 1547799          | 11396            | 1559195  | 34576    |
| मुंबई I (बांद्रा)                                            | 1644035  | 444226  | 1199809       | 583815          | 780534           | 1031096          | 135235           | 1166331  | 33478    |
| मुंबई II (ठाणे)                                              | 2362886  | 593229  | 1769657       | 869005          | 1242828          | 1645930          | 68644            | 1714574  | 55083    |
| उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (गुवाहाटी)                              | 231394   | 47817   | 183577        | 97892           | 154510           | 176137           | 5203             | 181340   | 2237     |
| ओडिशा (भुवनेश्वर)                                            | 503853   | 90671   | 413182        | 213362          | 387536           | 409768           | 181              | 409949   | 3233     |
| पंजाब और हिमाचल प्रदेश                                       | 1080114  | 237133  | 842981        | 603864          | 829472           | 838315           | 14               | 838329   | 4652     |
| राजस्थान                                                     | 819458   | 252531  | 566927        | 363090          | 540982           | 562229           | 64               | 562293   | 4634     |
| तमिलनाडु (चेन्नई को छोड़कर)                                  | 1318974  | 233489  | 1085485       | 592560          | 978921           | 1047495          | 22412            | 1069907  | 15578    |
| तेलंगाना (हैदराबाद)                                          | 1835200  | 421717  | 1413483       | 861219          | 1340288          | 1396870          | 938              | 1397808  | 15675    |
| उत्तर प्रदेश (कानपुर)                                        | 1778668  | 524839  | 1253829       | 553254          | 1036838          | 1216344          | 8906             | 1225250  | 28579    |
| पश्चिम बंगाल, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप और सिक्किम (कोलकाता) | 1128752  | 224404  | 904348        | 379986          | 703981           | 851923           | 38190            | 890113   | 14235    |
| अखिल भारतीय                                                  | 31555400 | 7709135 | 23846265      | 12883640        | 20096001         | 22971847         | 482436           | 23454283 | 391982   |



परिशिष्ट-3 (viii)

| पेंशन दावे (2021-22)                                         |          |        |               |                 |                  |                  |                  |        |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|--------|----------|
| अंचल                                                         | कार्यभार | निरस्त | निवल कार्यभार | निपटाए गए       |                  |                  |                  |        | अंतः शेष |
|                                                              |          |        |               | 3 दिनों के भीतर | 10 दिनों के भीतर | 20 दिनों के भीतर | 20 दिनों से अधिक | कुल    |          |
| आंध्र प्रदेश (विजयवाड़ा)                                     | 20090    | 9708   | 10382         | 1735            | 5796             | 9081             | 1049             | 10130  | 252      |
| बंगलुरु (बंगलुरु)                                            | 27025    | 15493  | 11532         | 1281            | 5453             | 9407             | 1570             | 10977  | 555      |
| बिहार और झारखंड (पटना)                                       | 15367    | 5713   | 9654          | 3502            | 7908             | 9042             | 458              | 9500   | 154      |
| चेन्नई और पुदुचेरी (चेन्नई)                                  | 29575    | 15292  | 14283         | 803             | 5356             | 9914             | 4024             | 13938  | 345      |
| दिल्ली और उत्तराखंड                                          | 42816    | 20310  | 22506         | 4857            | 16213            | 20179            | 1654             | 21833  | 673      |
| गुजरात (अहमदाबाद)                                            | 35787    | 13804  | 21983         | 3976            | 12979            | 19138            | 2359             | 21497  | 486      |
| हरियाणा                                                      | 16812    | 8077   | 8735          | 1671            | 3989             | 6372             | 1718             | 8090   | 645      |
| जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख (दिल्ली और उत्तराखंड)                | 50       | 12     | 38            | 0               | 6                | 18               | 14               | 32     | 6        |
| कर्नाटक (बंगलुरु से अन्य) और गोवा (हुवली)                    | 30494    | 12378  | 18116         | 2985            | 11596            | 16899            | 642              | 17541  | 575      |
| केरल और लक्षद्वीप (तिरुवनंतपुरम)                             | 30798    | 12566  | 18232         | 417             | 4046             | 14058            | 3169             | 17227  | 1005     |
| मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ (भोपाल)                             | 26800    | 11213  | 15587         | 2822            | 9858             | 13960            | 1334             | 15294  | 293      |
| महाराष्ट्र (मुंबई को छोड़कर) (पुणे)                          | 52768    | 23670  | 29098         | 2537            | 12317            | 24246            | 3612             | 27858  | 1240     |
| मुंबई I (बांद्रा)                                            | 29130    | 10279  | 18851         | 420             | 2511             | 5906             | 11537            | 17443  | 1408     |
| मुंबई II (ठाणे)                                              | 27005    | 16581  | 10424         | 428             | 2117             | 4788             | 4475             | 9263   | 1161     |
| उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (गुवाहाटी)                              | 5296     | 2040   | 3256          | 129             | 933              | 1993             | 1124             | 3117   | 139      |
| ओडिशा (भुवनेश्वर)                                            | 15714    | 5827   | 9887          | 1035            | 6122             | 9246             | 537              | 9783   | 104      |
| पंजाब और हिमाचल प्रदेश                                       | 17526    | 6413   | 11113         | 2423            | 8453             | 10526            | 376              | 10902  | 211      |
| राजस्थान                                                     | 18061    | 9611   | 8450          | 1510            | 5518             | 7771             | 315              | 8086   | 364      |
| तमिलनाडु (चेन्नई को छोड़कर)                                  | 40365    | 18910  | 21455         | 2523            | 12154            | 18931            | 1908             | 20839  | 616      |
| तेलंगाना (हैदराबाद)                                          | 38701    | 15618  | 23083         | 5650            | 14888            | 20404            | 2119             | 22523  | 560      |
| उत्तर प्रदेश (कानपुर)                                        | 40128    | 19739  | 20389         | 2326            | 11015            | 17853            | 1822             | 19675  | 714      |
| पश्चिम बंगाल, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप और सिक्किम (कालकाता) | 64002    | 23278  | 40724         | 5675            | 24334            | 35863            | 3472             | 39335  | 1389     |
| अखिल भारतीय                                                  | 624310   | 276532 | 347778        | 48705           | 183542           | 285595           | 49288            | 334883 | 12895    |

परिशिष्ट-3 (ix)

| पेंशन निकासी लाभ दावे (2021-22)                              |          |         |               |                 |                  |                  |                  |         |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|---------|----------|
| अंचल                                                         | कार्यभार | निरस्त  | निवल कार्यभार | निपटारा गए      |                  |                  |                  | कुल     | अंतः शेष |
|                                                              |          |         |               | 3 दिनों के भीतर | 10 दिनों के भीतर | 20 दिनों के भीतर | 20 दिनों से अधिक |         |          |
| आंध्र प्रदेश (विजयवाड़ा)                                     | 150769   | 52840   | 97929         | 23253           | 72851            | 94345            | 434              | 94779   | 3150     |
| बंगलुरु (बंगलुरु)                                            | 693687   | 317628  | 376059        | 21552           | 196558           | 338849           | 19607            | 358456  | 17603    |
| बिहार और झारखंड (पटना)                                       | 136887   | 61896   | 74991         | 21900           | 61752            | 72158            | 312              | 72470   | 2521     |
| चेन्नई और पुदुचेरी (चेन्नई)                                  | 440153   | 218741  | 221412        | 10231           | 95077            | 186433           | 24648            | 211081  | 10331    |
| दिल्ली और उत्तराखंड                                          | 742857   | 410629  | 332228        | 93329           | 249861           | 304457           | 10032            | 314489  | 17739    |
| गुजरात (अहमदाबाद)                                            | 626633   | 275698  | 350935        | 50306           | 249639           | 330508           | 3598             | 334106  | 16829    |
| हरियाणा                                                      | 635528   | 352348  | 283180        | 27020           | 145162           | 234421           | 28482            | 262903  | 20277    |
| जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख (दिल्ली और उत्तराखंड)                | 10585    | 3533    | 7052          | 120             | 1449             | 5101             | 1167             | 6268    | 784      |
| कर्नाटक (बंगलुरु से अन्य) और गोवा (हुबली)                    | 166744   | 59781   | 106963        | 20292           | 92063            | 102683           | 225              | 102908  | 4055     |
| केरल और लक्षद्वीप (तिरुवनंतपुरम)                             | 109203   | 34472   | 74731         | 9220            | 40648            | 66496            | 5333             | 71829   | 2902     |
| मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ (भोपाल)                             | 244829   | 101481  | 143348        | 20014           | 90430            | 131474           | 6346             | 137820  | 5528     |
| महाराष्ट्र (मुंबई को छोड़कर) (पुणे)                          | 455183   | 160719  | 294464        | 17943           | 152632           | 273969           | 7939             | 281908  | 12556    |
| मुंबई I (बांद्रा)                                            | 313671   | 150016  | 163655        | 2729            | 19974            | 82463            | 69292            | 151755  | 11900    |
| मुंबई II (वाणे)                                              | 496816   | 230562  | 266254        | 8306            | 71900            | 208851           | 40715            | 249566  | 16688    |
| उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (गुवाहाटी)                              | 54083    | 18129   | 35954         | 3417            | 17787            | 26421            | 8460             | 34881   | 1073     |
| ओडिशा (भुवनेश्वर)                                            | 85121    | 28637   | 56484         | 11989           | 48076            | 54713            | 186              | 54899   | 1585     |
| पंजाब और हिमाचल प्रदेश                                       | 281270   | 108741  | 172529        | 75996           | 163010           | 165938           | 15               | 165953  | 6576     |
| राजस्थान                                                     | 215335   | 108836  | 108499        | 31181           | 90420            | 103482           | 234              | 103716  | 4783     |
| तमिलनाडु (चेन्नई को छोड़कर)                                  | 346571   | 119919  | 226652        | 24376           | 150810           | 203470           | 13543            | 217013  | 9639     |
| तेलंगाना (हैदराबाद)                                          | 308342   | 134040  | 174302        | 36037           | 142128           | 167789           | 386              | 168175  | 6127     |
| उत्तर प्रदेश (कानपुर)                                        | 455778   | 241459  | 214319        | 16880           | 142580           | 199392           | 3454             | 202846  | 11473    |
| पश्चिम बंगाल, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप और सिक्किम (कालकाता) | 287759   | 95376   | 192383        | 27907           | 131143           | 171426           | 13419            | 184845  | 7538     |
| अखिल भारतीय                                                  | 7257804  | 3283481 | 3974323       | 553998          | 2425950          | 3524839          | 257827           | 3782666 | 191657   |

परिशिष्ट-३ (x)

| बीमा (ईडीएलआई) दावे (२०२१-२२)                                |          |        |               |                 |                  |                  |                  |       |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------|----------|
| अंचल                                                         | कार्यभार | निरस्त | निवल कार्यभार | निपटाए गए       |                  |                  |                  | कुल   | अंतः शेष |
|                                                              |          |        |               | ३ दिनों के भीतर | १० दिनों के भीतर | २० दिनों के भीतर | २० दिनों से अधिक |       |          |
| आंध्र प्रदेश (विजयवाड़ा)                                     | ५७१५     | २१३९   | ३५७६          | २६४४            | ३५०६             | ३५६४             | ९                | ३५७३  | ३        |
| बैंगलुरु (बैंगलुरु)                                          | ७५९४     | ४४५५   | ३१३९          | १९१६            | ३०२३             | ३१०५             | १४               | ३११९  | २०       |
| बिहार और झारखंड (पटना)                                       | ३०४२     | १५७५   | १४६७          | १११४            | १४३४             | १४६०             | ५                | १४६५  | २        |
| चेन्नई और पुदुचेरी (चेन्नई)                                  | ६७२९     | ३७१७   | ३०१२          | १३४५            | २६०३             | २९०६             | ७८               | २९८४  | २८       |
| दिल्ली और उत्तराखंड                                          | ९६७७     | ५२९५   | ४३८२          | ३१८२            | ४२३५             | ४३३७             | १५               | ४३५२  | ३०       |
| गुजरात (अहमदाबाद)                                            | ८९५७     | २३८४   | ६५७३          | ५०७४            | ६४७०             | ६५६४             | ३                | ६५६७  | ६        |
| हरियाणा                                                      | ४५४९     | २२७१   | २२७८          | ११६३            | २००९             | २१७४             | ६४               | २२३८  | ४०       |
| जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख (दिल्ली और उत्तराखंड)                | ८८       | १२     | ७६            | ३२              | ६२               | ७२               | १                | ७३    | ३        |
| कर्नाटक (बैंगलुरु से अन्य) और गोवा (हवेली)                   | ४५८५     | १८७७   | २७०८          | २४८६            | २६८९             | २६९६             | २                | २६९८  | १०       |
| केरल और लक्षद्वीप (तिरुवनंतपुरम)                             | २४०४     | ११९३   | १२११          | ६७६             | ११४७             | ११९९             | ७                | १२०६  | ५        |
| मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ (भोपाल)                             | ६४४३     | १९३४   | ४५०९          | ३६८०            | ४४७५             | ४४९९             | ५                | ४५०४  | ५        |
| महाराष्ट्र (मुंबई को छोड़कर) (पुणे)                          | १०५७४    | ३७६८   | ६८०६          | ४९०२            | ६६६५             | ६७७०             | १२               | ६७८२  | २४       |
| मुंबई I (बांद्रा)                                            | २८२१     | ५३५    | २२८६          | ३९९             | १५८५             | २१४५             | १२४              | २२६९  | १७       |
| मुंबई II (ठाणे)                                              | ५४६८     | २७८५   | २६८३          | ११०४            | २२६१             | २५४३             | ८४               | २६२७  | ५६       |
| उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (गुवाहाटी)                              | १२८८     | ७३५    | ५५३           | ३०६             | ५१७              | ५४५              | ६                | ५५१   | २        |
| ओडिशा (भुवनेश्वर)                                            | ३१४१     | १५७०   | १५७१          | ९४२             | १५२३             | १५६६             | १                | १५६७  | ४        |
| पंजाब और हिमाचल प्रदेश                                       | ४२५७     | १२३१   | ३०२६          | २३२५            | २९८५             | ३०२४             | ०                | ३०२४  | २        |
| राजस्थान                                                     | ३८५८     | २१२५   | १७३३          | ९०६             | १६४५             | १७०५             | १                | १७०६  | २७       |
| तमिलनाडु (चेन्नई को छोड़कर)                                  | ६८४९     | ३३७७   | ३४७२          | २२८४            | ३४४६             | ३४६८             | २                | ३४७०  | २        |
| तेलंगाना (हैदराबाद)                                          | ६०११     | २११३   | ३८९८          | ३६०७            | ३८७८             | ३८८१             | ०                | ३८८१  | १७       |
| उत्तर प्रदेश (कानपुर)                                        | ८३१२     | ३६६७   | ४६४५          | ३१९३            | ४५०६             | ४६००             | ११               | ४६११  | ३४       |
| पश्चिम बंगाल, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप और सिक्किम (कोलकाता) | ९३४३     | २९१३   | ६४३०          | ४६६३            | ६१४७             | ६३३९             | ३४               | ६३७३  | ५७       |
| अखिल भारतीय                                                  | १२१७०५   | ५१६७१  | ७००३४         | ४७९४३           | ६६८११            | ६९१६२            | ४७८              | ६९६४० | ३९४      |

परिशिष्ट-3 (xi)

| अद्यतन किए गए वार्षिक लेखे (अद्युत प्राप्त)                  |             |                   |                                |                       |                                        |                      |                                   |                         |                           |                               |                              |                            |                              |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| अवल                                                          | अद्यतन लेखे | सक्रिय सदस्य लेखे | <=0 शेष सहित सक्रिय सदस्य लेखे | नियुताए गए सदस्य लेखे | <=0 अंत शेष सहित नियुताए गए सदस्य लेखे | निष्क्रिय सदस्य लेखे | <=0 शेष सहित निष्क्रिय सदस्य लेखे | <=0 शेष सहित सदस्य लेखे | 1-100 शेष सहित सदस्य लेखे | 101 – 500 शेष सहित सदस्य लेखे | 501-1000 शेष सहित सदस्य लेखे | > 1000 शेष सहित सदस्य लेखे | अपडेट के लिए लभित सदस्य लेखे |
| आंध्र प्रदेश (विजयवाडा)                                      | 39084       | 4989424           | 22251                          | 335070                | 223291                                 | 34910                | 1224                              | 246766                  | 182288                    | 565939                        | 489699                       | 3874712                    | 51270                        |
| बंगलुरु (बंगलुरु)                                            | 49100       | 21572578          | 93927                          | 1575077               | 1035169                                | 67207                | 462                               | 1129558                 | 650599                    | 2254931                       | 2216092                      | 16963682                   | 291506                       |
| बिहार और झारखंड (सटना)                                       | 33891       | 4475243           | 17656                          | 254057                | 163601                                 | 43421                | 564                               | 181821                  | 155060                    | 450743                        | 375580                       | 3609517                    | 22906                        |
| चेन्नई और पुदुचेरी (चेन्नई)                                  | 55197       | 16891969          | 39502                          | 864222                | 586988                                 | 102803               | 402                               | 626892                  | 681423                    | 1994593                       | 1793082                      | 12763004                   | 44153                        |
| दिल्ली और उत्तराखंड                                          | 74146       | 22229723          | 85804                          | 1377158               | 968914                                 | 86376                | 714                               | 1055432                 | 855176                    | 2494683                       | 2401313                      | 16886653                   | 91040                        |
| गुजरात (अहमदाबाद)                                            | 94653       | 19448092          | 55708                          | 1097582               | 790028                                 | 93067                | 631                               | 846367                  | 747612                    | 2422511                       | 2265563                      | 14356688                   | 42818                        |
| हरियाणा                                                      | 52903       | 18068395          | 82478                          | 1235362               | 859476                                 | 47758                | 395                               | 942349                  | 1195833                   | 2463819                       | 2172205                      | 12577309                   | 133970                       |
| जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख (दिल्ली और उत्तराखंड)                | 11962       | 485933            | 6337                           | 770                   | 499                                    | 1839                 | 50                                | 6886                    | 8502                      | 26210                         | 26355                        | 420589                     | 96140                        |
| कर्नाटक (बंगलुरु से अन्य) और गोवा (दुबली)                    | 44522       | 5971104           | 17931                          | 390687                | 242023                                 | 51719                | 444                               | 260398                  | 358956                    | 801935                        | 678810                       | 4313411                    | 40253                        |
| केरल और लक्षद्वीप (तिरुवनंतपुरम)                             | 28446       | 3547778           | 18528                          | 256539                | 163762                                 | 67698                | 2632                              | 184922                  | 129179                    | 289363                        | 258838                       | 3009713                    | 11692                        |
| मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ (भोपाल)                             | 57992       | 7737168           | 26057                          | 509044                | 351925                                 | 53553                | 474                               | 378456                  | 355168                    | 942671                        | 786389                       | 5837081                    | 42170                        |
| महाराष्ट्र (मुंबई को छोड़कर) (पुणे)                          | 91305       | 18298183          | 79049                          | 1093628               | 644804                                 | 103482               | 1253                              | 725106                  | 1000334                   | 2522054                       | 2123905                      | 13123894                   | 163066                       |
| मुंबई I (वांदा)                                              | 26771       | 12275453          | 56925                          | 651728                | 482663                                 | 40671                | 376                               | 539964                  | 254081                    | 1015463                       | 1172754                      | 9985590                    | 386291                       |
| मुंबई II (लाणे)                                              | 62164       | 15723146          | 77223                          | 1068138               | 718210                                 | 52217                | 488                               | 795921                  | 486153                    | 1533026                       | 1525696                      | 12492705                   | 238244                       |
| उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (पुनाहाटी)                              | 18907       | 1300162           | 8247                           | 76344                 | 39663                                  | 12033                | 164                               | 48074                   | 64036                     | 153053                        | 107442                       | 1015934                    | 26560                        |
| ओडिशा (भुवनेश्वर)                                            | 27064       | 3507283           | 11051                          | 191773                | 115082                                 | 38615                | 425                               | 126558                  | 123990                    | 456008                        | 375143                       | 2655972                    | 24185                        |
| पंजाब और हिमाचल प्रदेश                                       | 59761       | 8948018           | 23823                          | 596348                | 373367                                 | 51999                | 484                               | 397674                  | 483873                    | 1117368                       | 1019386                      | 6578064                    | 12462                        |
| राजस्थान                                                     | 43036       | 6477566           | 31926                          | 359675                | 263777                                 | 31368                | 499                               | 296202                  | 321839                    | 888935                        | 788055                       | 4573578                    | 4576                         |
| तमिलनाडु (चेन्नई को छोड़कर)                                  | 64834       | 12147987          | 27407                          | 628565                | 436188                                 | 124790               | 1021                              | 464616                  | 728817                    | 1768124                       | 1391415                      | 8548370                    | 25937                        |
| तेलंगाना (हैदराबाद)                                          | 49544       | 13003859          | 44395                          | 777140                | 477597                                 | 58387                | 659                               | 522651                  | 434530                    | 1355682                       | 1293671                      | 10232852                   | 69880                        |
| उत्तर प्रदेश (कानपुर)                                        | 74367       | 11306364          | 44208                          | 836436                | 528114                                 | 66833                | 485                               | 572807                  | 467755                    | 1342696                       | 1190451                      | 8635924                    | 83991                        |
| पश्चिम बंगाल, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप और सिक्किम (कोलकाता) | 63935       | 9652115           | 32378                          | 593995                | 337536                                 | 110751               | 1471                              | 371385                  | 373395                    | 1176006                       | 999671                       | 7436404                    | 94405                        |
| अखिल भारतीय                                                  | 1123584     | 238057543         | 902811                         | 14769338              | 9802677                                | 1341497              | 15317                             | 10720805                | 10068599                  | 28035813                      | 25451515                     | 179891646                  | 1997515                      |

परिशिष्ट-3 (xii)

| सांख्यिकीय सार (2021-22) |                         |                |             |
|--------------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| क. सेवा क्षेत्र          |                         |                |             |
| सभी दावे                 |                         |                |             |
|                          |                         |                | (लाखों में) |
| भविष्य निधि दावे         | अंतिम निपटान            | निवल कार्यभार  | 55.94       |
|                          |                         | निपटाए गए दावे | 53.61       |
|                          |                         | लंबित दावे     | 2.33        |
|                          | आंशिक प्रत्याहरण        | निवल कार्यभार  | 238.46      |
|                          |                         | निपटाए गए दावे | 234.54      |
|                          |                         | लंबित दावे     | 3.92        |
|                          | अंतरण दावे              | निवल कार्यभार  | 63.16       |
|                          |                         | निपटाए गए दावे | 60.95       |
|                          |                         | लंबित दावे     | 2.21        |
|                          | कुल                     | निवल कार्यभार  | 357.57      |
|                          |                         | निपटाए गए दावे | 349.10      |
|                          |                         | लंबित दावे     | 8.46        |
| पेंशन दावे               | मासिक पेंशन             | निवल कार्यभार  | 3.48        |
|                          |                         | निपटाए गए दावे | 3.35        |
|                          |                         | लंबित दावे     | 0.13        |
|                          | मासिक पेंशन के अतिरिक्त | निवल कार्यभार  | 39.74       |
|                          |                         | निपटाए गए दावे | 37.83       |
|                          |                         | लंबित दावे     | 1.92        |
|                          | कुल                     | निवल कार्यभार  | 43.22       |
|                          |                         | निपटाए गए दावे | 41.18       |
|                          |                         | लंबित दावे     | 2.05        |
| बीमा दावे                |                         | निवल कार्यभार  | 0.70        |
|                          |                         | निपटाए गए दावे | 0.70        |
|                          |                         | लंबित दावे     | 0.00        |
| कुल योग                  |                         | निवल कार्यभार  | 401.49      |
|                          |                         | निपटाए गए दावे | 390.97      |
|                          |                         | लंबित दावे     | 10.51       |

| वार्षिक लेखा विवरणी (लाखों में) |                             |                       |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| वर्ष                            | वर्ष के दौरान अद्यतन किए गए | वर्ष के अंत में लंबित |
| 2021-22                         | 11.24                       | 19.98                 |

| स्थापनाएं तथा सदस्य |                     |                 |                         |       |
|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|-------|
| वर्ष                | स्थापनाएं (लाख में) | सदस्य (लाख में) | वर्ष दर वर्ष वृद्धि (%) |       |
|                     |                     |                 | स्थापनाएं               | सदस्य |
| 2021-22             | 18.66               | 2,773.71        | 16.86                   | 7.18  |

ख. राजस्व विवरणियां (2021-22)

| एकत्रित अंशदान (वर्ष के दौरान) (रु. करोड़ में) |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| <b>भविष्य निधि</b>                             |                   |
| अछूट प्राप्त                                   | 169,855.05        |
| कुल                                            | <b>169,855.05</b> |
| <b>पेंशन निधि</b>                              |                   |
| नियोक्ता का भाग                                | 49,719.98         |
| सरकार का भाग                                   | 7,806.20          |
| कुल                                            | <b>57,526.18</b>  |
| <b>बीमा निधि</b>                               |                   |
| नियोक्ता का भाग                                | 2,568.47          |
| कुल                                            | <b>2,568.47</b>   |
| कुल योग                                        | <b>229,949.70</b> |

| (वर्ष के दौरान) किया गया भुगतान (अछूट प्राप्त) (रु. करोड़ों में) |                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| भविष्य निधि                                                      | 104,912.57        |
| पेंशन निधि                                                       | 21,304.60         |
| बीमा निधि                                                        | 2,025.32          |
| कुल                                                              | <b>128,242.49</b> |

| प्रशासन लेखे (ईपीएफ योजना) (रु. करोड़ में) |         |         |         |
|--------------------------------------------|---------|---------|---------|
| वर्ष                                       | आय      | व्यय    | शेष     |
| 2021-22                                    | 6464.99 | 4391.03 | 2073.97 |

## ग. अनुपालन कार्रवाई

| वर्ष के दौरान निर्धारण |                 |                   |       |
|------------------------|-----------------|-------------------|-------|
| विवरण                  | 2021-22         |                   |       |
|                        | धारा 7 ए के तहत | धारा 14 बी के तहत | कुल   |
| कार्यभार               | 16849           | 59912             | 76761 |
| निपटाए गए              | 6797            | 40765             | 47562 |
| लंबित                  | 10052           | 19147             | 29199 |

| वसूली किए जाने वाले बकाए (2021-22) |                                    |                 |                | (रु. करोड़ में) |
|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| देयों के प्रकार                    |                                    | कार्यभार        | वसूली गई       | अंतःशेष         |
| क.                                 | भविष्य निधि                        | 9745.27         | 1677.24        | 8068.03         |
| ख.                                 | ईपीएफ प्रशा. एवं निरीक्षण प्रभार   | 622.32          | 87.82          | 534.50          |
| ग.                                 | पेंशन निधि                         | 4575.87         | 739.49         | 3836.38         |
| घ.                                 | बीमा निधि                          | 348.92          | 57.41          | 291.51          |
| ङ.                                 | ईडीएलआई प्रशा. एवं निरीक्षण प्रभार | 14.02           | 2.24           | 11.79           |
| च.                                 | <b>कुल (क से ङ तक)</b>             | <b>15306.40</b> | <b>2564.20</b> | <b>12742.20</b> |
| छ.                                 | शास्तिक नुकसानी एवं ब्याज          | 4865.86         | 763.48         | 4102.39         |
| ज.                                 | छूट प्राप्त क्षेत्र                | 2607.11         | 1146.86        | 1460.24         |
|                                    | <b>सकल कुल (च एवं ज)</b>           | <b>17913.51</b> | <b>3711.06</b> | <b>14202.44</b> |

## घ. मानव शक्ति

| ग्रुप                                | स्थिति     | 2021-22     |
|--------------------------------------|------------|-------------|
| ग्रुप ए                              | स्वीकृत    | 1467        |
|                                      | तैनात      | 798         |
|                                      | <b>कमी</b> | <b>669</b>  |
| ग्रुप बी                             | स्वीकृत    | 7693        |
|                                      | तैनात      | 4175        |
|                                      | <b>कमी</b> | <b>3518</b> |
| ग्रुप सी<br>(भूतपूर्व ग्रुप डी सहित) | स्वीकृत    | 14913       |
|                                      | तैनात      | 9511        |
|                                      | <b>कमी</b> | <b>5402</b> |
| कुल                                  | स्वीकृत    | 24073       |
|                                      | तैनात      | 14484       |
|                                      | <b>कमी</b> | <b>9589</b> |



## परिशिष्ट-4(i)

| दिनांक 31.03.2022 को अछूत प्राप्त क्षेत्र में ईपीएफ योजना के अंतर्गत निर्धारित बकाया (रु. करोड़ों में) |                 |                                     |                  |                 |                                     |                 |                 |                                     |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
| अंचल                                                                                                   | कार्यभार        |                                     |                  | एकत्रित राशि    |                                     |                 | अंत शेष         |                                     |                 |
|                                                                                                        | ईपीएफ देय       | ईपीएफ प्रशासकीय एवं निरीक्षण प्रभार | कुल              | ईपीएफ देय       | ईपीएफ प्रशासकीय एवं निरीक्षण प्रभार | कुल             | ईपीएफ देय       | ईपीएफ प्रशासकीय एवं निरीक्षण प्रभार | कुल             |
| आंध्र प्रदेश (विजयवाड़ा)                                                                               | 153.63          | 11.57                               | 165.20           | 27.06           | 1.30                                | 28.36           | 126.57          | 10.27                               | 136.84          |
| बंगलुरु (बंगलुरु)                                                                                      | 742.34          | 42.73                               | 785.07           | 208.26          | 9.50                                | 217.76          | 534.08          | 33.24                               | 567.31          |
| बिहार और झारखंड (पटना)                                                                                 | 169.41          | 12.10                               | 181.51           | 65.66           | 3.97                                | 69.63           | 103.75          | 8.14                                | 111.89          |
| चेन्नई और पुदुचेरी (चेन्नई)                                                                            | 452.28          | 29.11                               | 481.39           | 109.57          | 5.14                                | 114.72          | 342.71          | 23.97                               | 366.68          |
| दिल्ली और उत्तराखंड (दिल्ली)                                                                           | 910.14          | 49.60                               | 959.73           | 61.04           | 2.85                                | 63.89           | 849.09          | 46.75                               | 895.84          |
| गुजरात (अहमदाबाद)                                                                                      | 244.18          | 18.94                               | 263.13           | 94.28           | 5.66                                | 99.94           | 149.91          | 13.28                               | 163.19          |
| हरियाणा (फरीदाबाद)                                                                                     | 345.62          | 15.17                               | 360.79           | 67.64           | 2.39                                | 70.03           | 277.98          | 12.78                               | 290.76          |
| जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख (दिल्ली और उत्तराखंड)                                                          | 0.36            | 0.01                                | 0.37             | 0.01            | 0.00                                | 0.01            | 0.35            | 0.01                                | 0.36            |
| कर्नाटक (बंगलुरु को छोड़कर) और गोवा (हुबली)                                                            | 164.24          | 9.72                                | 173.96           | 43.65           | 2.15                                | 45.80           | 120.59          | 7.57                                | 128.16          |
| केरल और लक्षद्वीप (तिरुवनंतपुरम)                                                                       | 361.16          | 27.13                               | 388.29           | 59.21           | 3.27                                | 62.49           | 301.95          | 23.85                               | 325.80          |
| मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ (भोपाल)                                                                       | 312.29          | 18.71                               | 331.00           | 91.88           | 4.38                                | 96.25           | 220.41          | 14.33                               | 234.75          |
| महाराष्ट्र (मुंबई को छोड़कर) (पुणे)                                                                    | 947.64          | 46.42                               | 994.06           | 145.26          | 8.69                                | 153.95          | 802.38          | 37.73                               | 840.12          |
| मुंबई I (बांद्रा)                                                                                      | 359.06          | 79.32                               | 438.38           | 109.24          | 2.98                                | 112.22          | 249.82          | 76.34                               | 326.16          |
| मुंबई II (थाणे)                                                                                        | 514.71          | 33.79                               | 548.51           | 40.38           | 1.94                                | 42.33           | 474.33          | 31.85                               | 506.18          |
| उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (गुवाहाटी)                                                                        | 70.18           | 3.52                                | 73.70            | 42.78           | 2.07                                | 44.85           | 27.40           | 1.45                                | 28.86           |
| ओडिशा (भुवनेश्वर)                                                                                      | 468.38          | 34.68                               | 503.06           | 32.59           | 2.00                                | 34.59           | 435.79          | 32.67                               | 468.47          |
| पंजाब और हिमाचल प्रदेश (चंडीगढ़)                                                                       | 291.99          | 23.30                               | 315.29           | 139.90          | 9.06                                | 148.96          | 152.09          | 14.25                               | 166.34          |
| राजस्थान (जयपुर)                                                                                       | 153.14          | 10.32                               | 163.47           | 44.46           | 2.17                                | 46.63           | 108.68          | 8.15                                | 116.83          |
| तमिलनाडु (चेन्नई को छोड़कर) (कोयंबटूर)                                                                 | 322.85          | 22.61                               | 345.46           | 83.92           | 5.39                                | 89.31           | 238.93          | 17.22                               | 256.15          |
| तेलंगाना (हैदराबाद)                                                                                    | 726.11          | 50.35                               | 776.46           | 119.58          | 6.40                                | 125.98          | 606.53          | 43.95                               | 650.48          |
| उत्तर प्रदेश (कानपुर)                                                                                  | 1,674.68        | 54.26                               | 1,728.95         | 52.87           | 4.29                                | 57.16           | 1,621.82        | 49.97                               | 1,671.79        |
| प.बंगाल, अं. एवं नि. द्वीप समूह और सिक्किम (कोलकाता)                                                   | 360.86          | 28.95                               | 389.81           | 37.99           | 2.22                                | 40.21           | 322.86          | 26.73                               | 349.60          |
| <b>अखिल भारत</b>                                                                                       | <b>9,745.27</b> | <b>622.32</b>                       | <b>10,367.59</b> | <b>1,677.24</b> | <b>87.82</b>                        | <b>1,765.06</b> | <b>8,068.03</b> | <b>534.50</b>                       | <b>8,602.52</b> |

## परिशिष्ट-4(ii)

| दिनांक 31.03.2022 को अछूत प्राप्त क्षेत्र में ईपीएस-1995 योजना के अंतर्गत निर्धारित बकाया (रु. करोड़ों में) |                 |               |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| अंचल                                                                                                        | कार्यभार        | एकत्रित राशि  | अंत शेष         |
| आंध्र प्रदेश (विजयवाड़ा)                                                                                    | 91.90           | 12.76         | 79.14           |
| बेंगलुरु (बेंगलुरु)                                                                                         | 399.96          | 98.19         | 301.77          |
| बिहार और झारखंड (पटना)                                                                                      | 119.69          | 32.05         | 87.65           |
| चेन्नई और पुदुचेरी (चेन्नई)                                                                                 | 243.43          | 45.79         | 197.64          |
| दिल्ली और उत्तराखंड (दिल्ली)                                                                                | 459.64          | 29.99         | 429.66          |
| गुजरात (अहमदाबाद)                                                                                           | 128.36          | 41.79         | 86.57           |
| हरियाणा (फरीदाबाद)                                                                                          | 185.33          | 34.69         | 150.64          |
| जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख<br>(दिल्ली और उत्तराखंड)                                                            | 0.19            | 0.00          | 0.19            |
| कर्नाटक (बेंगलुरु को छोड़कर) और गोवा (हुबली)                                                                | 78.49           | 22.14         | 56.35           |
| केरल और लक्षद्वीप (तिरुवनंतपुरम)                                                                            | 185.59          | 22.01         | 163.58          |
| मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ (भोपाल)                                                                            | 173.89          | 41.47         | 132.42          |
| महाराष्ट्र (मुंबई को छोड़कर) (पुणे)                                                                         | 386.51          | 76.03         | 310.48          |
| मुंबई I (बांद्रा)                                                                                           | 111.91          | 9.25          | 102.66          |
| मुंबई II (थाणे)                                                                                             | 201.79          | 15.58         | 186.21          |
| उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (गुवाहाटी)                                                                             | 28.49           | 15.04         | 13.45           |
| ओडिशा (भुवनेश्वर)                                                                                           | 252.18          | 18.14         | 234.04          |
| पंजाब और हिमाचल प्रदेश (चंडीगढ़)                                                                            | 147.58          | 66.96         | 80.61           |
| राजस्थान (जयपुर)                                                                                            | 72.27           | 17.70         | 54.58           |
| तमिलनाडु (चेन्नई को छोड़कर) (कोयंबटूर)                                                                      | 183.03          | 39.81         | 143.22          |
| तेलंगाना (हैदराबाद)                                                                                         | 393.36          | 55.76         | 337.60          |
| उत्तर प्रदेश (कानपुर)                                                                                       | 524.12          | 25.40         | 498.72          |
| प.बंगाल, अं. एवं नि. द्वीप समूह और सिक्किम (कोलकाता)                                                        | 208.15          | 18.93         | 189.22          |
| <b>अखिल भारत</b>                                                                                            | <b>4,575.87</b> | <b>739.49</b> | <b>3,836.38</b> |

## परिशिष्ट-4(iii)

| दिनांक 31.03.2022 को अछूट प्राप्त क्षेत्र में ईडीएलआई योजना के अंतर्गत निर्धारित बकाया (रु. करोड़ों में) |                 |                                           |        |                 |                                           |       |                 |                                           |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------|-----------------|-------------------------------------------|-------|-----------------|-------------------------------------------|--------|
| अंचल                                                                                                     | कार्यभार        |                                           |        | एकत्रित राशि    |                                           |       | अंत शेष         |                                           |        |
|                                                                                                          | ई.डी.एल.आई. देय | ई.डी.एल.आई. प्रशासकीय एवं निरीक्षण प्रभार | कुल    | ई.डी.एल.आई. देय | ई.डी.एल.आई. प्रशासकीय एवं निरीक्षण प्रभार | कुल   | ई.डी.एल.आई. देय | ई.डी.एल.आई. प्रशासकीय एवं निरीक्षण प्रभार | कुल    |
| आंध्र प्रदेश (विजयवाड़ा)                                                                                 | 7.01            | 0.25                                      | 7.26   | 0.76            | 0.07                                      | 0.82  | 6.25            | 0.18                                      | 6.44   |
| बंगलुरु (बेंगलुरु)                                                                                       | 22.27           | 0.38                                      | 22.65  | 5.59            | 0.09                                      | 5.67  | 16.69           | 0.29                                      | 16.98  |
| बिहार और झारखंड (पटना)                                                                                   | 7.89            | 0.54                                      | 8.43   | 1.98            | 0.11                                      | 2.10  | 5.91            | 0.43                                      | 6.34   |
| चेन्नई और पुदुचेरी (चेन्नई)                                                                              | 21.24           | 1.46                                      | 22.70  | 2.20            | 0.13                                      | 2.33  | 19.04           | 1.33                                      | 20.37  |
| दिल्ली और उत्तराखंड (दिल्ली)                                                                             | 34.05           | 0.63                                      | 34.68  | 1.97            | 0.06                                      | 2.03  | 32.08           | 0.56                                      | 32.65  |
| गुजरात (अहमदाबाद)                                                                                        | 11.25           | 0.42                                      | 11.67  | 5.32            | 0.13                                      | 5.45  | 5.94            | 0.28                                      | 6.22   |
| हरियाणा (फरीदाबाद)                                                                                       | 13.62           | 0.36                                      | 13.99  | 2.51            | 0.05                                      | 2.56  | 11.11           | 0.31                                      | 11.43  |
| जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख (दिल्ली और उत्तराखंड)                                                            | 0.01            | 0.00                                      | 0.01   | 0.00            | 0.00                                      | 0.00  | 0.01            | 0.00                                      | 0.01   |
| कर्नाटक (बंगलुरु को छोड़कर) और गोवा (हुबली)                                                              | 5.14            | 0.31                                      | 5.45   | 1.28            | 0.07                                      | 1.35  | 3.86            | 0.24                                      | 4.10   |
| केरल और लक्षद्वीप (तिरुवनंतपुरम)                                                                         | 11.05           | 0.42                                      | 11.47  | 2.19            | 0.07                                      | 2.26  | 8.86            | 0.36                                      | 9.21   |
| मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ (भोपाल)                                                                         | 12.32           | 0.41                                      | 12.73  | 2.79            | 0.13                                      | 2.91  | 9.54            | 0.28                                      | 9.82   |
| महाराष्ट्र (मुंबई को छोड़कर) (पुणे)                                                                      | 37.52           | 2.87                                      | 40.39  | 5.73            | 0.28                                      | 6.02  | 31.79           | 2.59                                      | 34.37  |
| मुंबई I (बांद्रा)                                                                                        | 15.68           | 0.13                                      | 15.81  | 0.82            | 0.02                                      | 0.83  | 14.86           | 0.12                                      | 14.98  |
| मुंबई II (थाणे)                                                                                          | 16.07           | 0.81                                      | 16.87  | 2.74            | 0.07                                      | 2.81  | 13.33           | 0.74                                      | 14.06  |
| उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (गुवाहाटी)                                                                          | 1.83            | 0.05                                      | 1.88   | 0.74            | 0.01                                      | 0.75  | 1.10            | 0.03                                      | 1.13   |
| ओडिशा (भुवनेश्वर)                                                                                        | 15.90           | 0.31                                      | 16.21  | 1.04            | 0.05                                      | 1.09  | 14.86           | 0.26                                      | 15.12  |
| पंजाब और हिमाचल प्रदेश (चंडीगढ़)                                                                         | 19.03           | 0.60                                      | 19.62  | 6.49            | 0.23                                      | 6.72  | 12.54           | 0.37                                      | 12.91  |
| राजस्थान (जयपुर)                                                                                         | 4.03            | 0.35                                      | 4.38   | 1.08            | 0.11                                      | 1.20  | 2.95            | 0.24                                      | 3.18   |
| तमिलनाडु (चेन्नई को छोड़कर) (कोयंबटूर)                                                                   | 11.99           | 0.86                                      | 12.85  | 2.56            | 0.27                                      | 2.83  | 9.44            | 0.59                                      | 10.02  |
| तेलंगाना (हैदराबाद)                                                                                      | 22.32           | 0.75                                      | 23.06  | 3.86            | 0.08                                      | 3.94  | 18.46           | 0.67                                      | 19.13  |
| उत्तर प्रदेश (कानपुर)                                                                                    | 39.50           | 1.35                                      | 40.85  | 4.46            | 0.12                                      | 4.58  | 35.04           | 1.23                                      | 36.27  |
| प.बंगाल, अं. एवं नि. द्वीप समूह और सिक्किम (कोलकाता)                                                     | 19.20           | 0.79                                      | 19.98  | 1.32            | 0.09                                      | 1.41  | 17.87           | 0.70                                      | 18.57  |
| अखिल भारत                                                                                                | 348.92          | 14.02                                     | 362.94 | 57.41           | 2.24                                      | 59.65 | 291.51          | 11.79                                     | 303.30 |

## परिशिष्ट-4(iv)

| दिनांक 31.03.2022 को सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्र (अछूट प्राप्त) में बकाया का विवरण (सभी तीन योजनाएं) (रु. करोड़ों में) |                   |                  |                |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|
| अंचल                                                                                                                          | सार्वजनिक क्षेत्र | निजी क्षेत्र     | सहकारी क्षेत्र | कुल मांग         |
| आंध्र प्रदेश (विजयवाड़ा)                                                                                                      | 42.57             | 178.93           | 0.92           | 222.41           |
| बेंगलुरु (बेंगलुरु)                                                                                                           | 159.61            | 726.46           | 0.00           | 886.06           |
| बिहार और झारखंड (पटना)                                                                                                        | 43.45             | 161.57           | 0.86           | 205.87           |
| चेन्नई और पुदुचेरी (चेन्नई)                                                                                                   | 81.81             | 467.89           | 34.99          | 584.69           |
| दिल्ली और उत्तराखंड (दिल्ली)                                                                                                  | 58.75             | 1,299.40         | 0.00           | 1,358.15         |
| गुजरात (अहमदाबाद)                                                                                                             | 13.21             | 207.08           | 35.69          | 255.97           |
| हरियाणा (फरीदाबाद)                                                                                                            | 1.65              | 451.14           | 0.03           | 452.82           |
| जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख<br>(दिल्ली और उत्तराखंड)                                                                              | 0.00              | 0.56             | 0.00           | 0.56             |
| कर्नाटक (बेंगलुरु को छोड़कर) और गोवा (हुबली)                                                                                  | 26.72             | 160.27           | 1.63           | 188.61           |
| केरल और लक्षद्वीप (तिरुवनंतपुरम)                                                                                              | 158.49            | 263.92           | 76.18          | 498.59           |
| मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ (भोपाल)                                                                                              | 137.86            | 237.79           | 1.33           | 376.98           |
| महाराष्ट्र (मुंबई को छोड़कर) (पुणे)                                                                                           | 47.31             | 945.44           | 192.22         | 1,184.97         |
| मुंबई I (बांद्रा)                                                                                                             | 121.04            | 322.75           | 0.00           | 443.79           |
| मुंबई II (थाणे)                                                                                                               | 0.79              | 705.67           | 0.00           | 706.46           |
| उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (गुवाहाटी)                                                                                               | 25.91             | 16.22            | 1.30           | 43.43            |
| ओडिशा (भुवनेश्वर)                                                                                                             | 584.21            | 97.36            | 36.06          | 717.63           |
| पंजाब और हिमाचल प्रदेश (चंडीगढ़)                                                                                              | 57.67             | 201.52           | 0.66           | 259.86           |
| राजस्थान (जयपुर)                                                                                                              | 16.59             | 157.58           | 0.43           | 174.59           |
| तमिलनाडु (चेन्नई को छोड़कर) (कोयंबटूर)                                                                                        | 48.07             | 339.17           | 22.16          | 409.40           |
| तेलंगाना (हैदराबाद)                                                                                                           | 7.69              | 998.58           | 0.93           | 1,007.20         |
| उत्तर प्रदेश (कानपुर)                                                                                                         | 166.83            | 2,026.16         | 13.79          | 2,206.77         |
| प.बंगाल, अं. एवं नि. द्वीप समूह और सिक्किम (कोलकाता)                                                                          | 43.00             | 513.86           | 0.53           | 557.39           |
| <b>अखिल भारत</b>                                                                                                              | <b>1,843.22</b>   | <b>10,479.31</b> | <b>419.68</b>  | <b>12,742.20</b> |

## परिशिष्ट-4(v)

| रु. 50 लाख या इससे अधिक वाली अच्छूट प्राप्त चूककर्ता स्थापनाओं का सार – 31.03.2022 को |                              |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| अंचल                                                                                  | चूककर्ता स्थापनाओं की संख्या | चूक की राशि (रु. करोड़ों में) |
| आंध्र प्रदेश (विजयवाड़ा)                                                              | 49                           | 88.41                         |
| बेंगलुरु (बेंगलुरु)                                                                   | 168                          | 737.51                        |
| बिहार और झारखंड (पटना)                                                                | 20                           | 29.22                         |
| चेन्नई और पुदुचेरी (चेन्नई)                                                           | 194                          | 377.69                        |
| दिल्ली और उत्तराखंड (दिल्ली)                                                          | 211                          | 1,082.85                      |
| गुजरात (अहमदाबाद)                                                                     | 64                           | 133.39                        |
| हरियाणा (फरीदाबाद)                                                                    | 60                           | 203.82                        |
| जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख<br>(दिल्ली और उत्तराखंड)                                      | 1                            | 0.56                          |
| कर्नाटक (बेंगलुरु को छोड़कर) और गोवा (हुबली)                                          | 43                           | 83.07                         |
| केरल और लक्षद्वीप (तिरुवनंतपुरम)                                                      | 134                          | 283.40                        |
| मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ (भोपाल)                                                      | 66                           | 176.94                        |
| महाराष्ट्र (मुंबई को छोड़कर) (पुणे)                                                   | 332                          | 868.73                        |
| मुंबई I (बांद्रा)                                                                     | 40                           | 162.24                        |
| मुंबई II (थाणे)                                                                       | 86                           | 217.43                        |
| उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (गुवाहाटी)                                                       | 10                           | 19.23                         |
| ओडिशा (भुवनेश्वर)                                                                     | 43                           | 595.87                        |
| पंजाब और हिमाचल प्रदेश (चंडीगढ़)                                                      | 77                           | 177.79                        |
| राजस्थान (जयपुर)                                                                      | 43                           | 114.49                        |
| तमिलनाडु (चेन्नई को छोड़कर) (कोयंबटूर)                                                | 132                          | 206.86                        |
| तेलंगाना (हैदराबाद)                                                                   | 165                          | 816.94                        |
| उत्तर प्रदेश (कानपुर)                                                                 | 122                          | 1,524.32                      |
| प.बंगाल, अं. एवं नि. द्वीप समूह और सिक्किम (कोलकाता)                                  | 121                          | 256.54                        |
| <b>अखिल भारत</b>                                                                      | <b>2,181</b>                 | <b>8,157.30</b>               |

## परिशिष्ट-4(vi)

| रु. 50 लाख या इससे अधिक वाली छूट प्राप्त चूककर्ता स्थापनाओं का सार — 31.03.2022 को |                              |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| अंचल                                                                               | चूककर्ता स्थापनाओं की संख्या | चूक की राशि (रु. करोड़ों में) |
| आंध्र प्रदेश (विजयवाड़ा)                                                           | 3                            | 9.94                          |
| बेंगलुरु (बेंगलुरु)                                                                | 5                            | 76.91                         |
| बिहार और झारखंड (पटना)                                                             | 2                            | 120.33                        |
| चेन्नई और पुदुचेरी (चेन्नई)                                                        | 6                            | 18.26                         |
| दिल्ली और उत्तराखंड (दिल्ली)                                                       | 9                            | 231.23                        |
| गुजरात (अहमदाबाद)                                                                  | 5                            | 5.76                          |
| हरियाणा (फरीदाबाद)                                                                 | 5                            | 15.75                         |
| जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख<br>(दिल्ली और उत्तराखंड)                                   | 0                            | 0.00                          |
| कर्नाटक (बेंगलुरु को छोड़कर) और गोवा (हुबली)                                       | 0                            | 0.00                          |
| केरल और लक्षद्वीप (तिरुवनंतपुरम)                                                   | 3                            | 4.32                          |
| मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ (भोपाल)                                                   | 6                            | 16.47                         |
| महाराष्ट्र (मुंबई को छोड़कर) (पुणे)                                                | 6                            | 18.98                         |
| मुंबई I (बांद्रा)                                                                  | 2                            | 14.43                         |
| मुंबई II (थाणे)                                                                    | 5                            | 9.86                          |
| उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (गुवाहाटी)                                                    | 1                            | 9.50                          |
| ओडिशा (भुवनेश्वर)                                                                  | 1                            | 8.76                          |
| पंजाब और हिमाचल प्रदेश (चंडीगढ़)                                                   | 2                            | 1.59                          |
| राजस्थान (जयपुर)                                                                   | 3                            | 5.09                          |
| तमिलनाडु (चेन्नई को छोड़कर) (कोयंबटूर)                                             | 1                            | 0.51                          |
| तेलंगाना (हैदराबाद)                                                                | 12                           | 569.80                        |
| उत्तर प्रदेश (कानपुर)                                                              | 8                            | 10.46                         |
| प.बंगाल, अं. एवं नि. द्वीप समूह और सिक्किम (कोलकाता)                               | 19                           | 58.45                         |
| <b>अखिल भारत</b>                                                                   | <b>104</b>                   | <b>1,206.38</b>               |

## परिशिष्ट-4(vii)

| 2021-22 के दौरान अधिनियम की धारा 7ए के अंतर्गत शुरू किए गए एवं निपटाए गए मामले |                                         |                                    |               |                                   |              |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------|
| अंचल                                                                           | 01.04.2021 को निपटान के लिए बकाया मामले | वर्ष के दौरान प्रारंभ किए गए मामले | कुल कार्यभार  | अंतिम आदेश द्वारा निपटाए गए मामले | निपटान का %  | 31.03.2022 को लंबित मामले |
| आंध्र प्रदेश (विजयवाड़ा)                                                       | 100                                     | 183                                | 283           | 93                                | 32.86        | 190                       |
| बेंगलुरु (बेंगलुरु)                                                            | 297                                     | 186                                | 483           | 251                               | 51.97        | 232                       |
| बिहार और झारखंड (पटना)                                                         | 769                                     | 92                                 | 861           | 468                               | 54.36        | 393                       |
| चेन्नई और पुदुचेरी (चेन्नई)                                                    | 1,440                                   | 433                                | 1,873         | 670                               | 35.77        | 1,203                     |
| दिल्ली और उत्तराखंड (दिल्ली)                                                   | 783                                     | 238                                | 1,021         | 351                               | 34.38        | 670                       |
| गुजरात (अहमदाबाद)                                                              | 703                                     | 144                                | 847           | 392                               | 46.28        | 455                       |
| हरियाणा (फरीदाबाद)                                                             | 429                                     | 163                                | 592           | 218                               | 36.82        | 374                       |
| जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख (दिल्ली और उत्तराखंड)                                  | 0                                       | 2                                  | 2             | 2                                 | 100.00       | 0                         |
| कर्नाटक (बेंगलुरु को छोड़कर) और गोवा (हुबली)                                   | 308                                     | 76                                 | 384           | 208                               | 54.17        | 176                       |
| केरल और लक्षद्वीप (तिरुवनंतपुरम)                                               | 228                                     | 241                                | 469           | 289                               | 61.62        | 180                       |
| मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ (भोपाल)                                               | 732                                     | 154                                | 886           | 410                               | 46.28        | 476                       |
| महाराष्ट्र (मुंबई को छोड़कर) (पुणे)                                            | 1,331                                   | 417                                | 1,748         | 703                               | 40.22        | 1,045                     |
| मुंबई I (बांद्रा)                                                              | 262                                     | 10                                 | 272           | 81                                | 29.78        | 191                       |
| मुंबई II (थाणे)                                                                | 424                                     | 58                                 | 482           | 121                               | 25.10        | 361                       |
| उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (गुवाहाटी)                                                | 32                                      | 79                                 | 111           | 53                                | 47.75        | 58                        |
| ओडिशा (भुवनेश्वर)                                                              | 136                                     | 80                                 | 216           | 94                                | 43.52        | 122                       |
| पंजाब और हिमाचल प्रदेश (चंडीगढ़)                                               | 1,277                                   | 349                                | 1,626         | 680                               | 41.82        | 946                       |
| राजस्थान (जयपुर)                                                               | 299                                     | 42                                 | 341           | 165                               | 48.39        | 176                       |
| तमिलनाडु (चेन्नई को छोड़कर) (कोयंबटूर)                                         | 883                                     | 412                                | 1,295         | 600                               | 46.33        | 695                       |
| तेलंगाना (हैदराबाद)                                                            | 286                                     | 242                                | 528           | 231                               | 43.75        | 297                       |
| उत्तर प्रदेश (कानपुर)                                                          | 1,628                                   | 90                                 | 1,718         | 482                               | 28.06        | 1,236                     |
| प.बंगाल, अं. एवं नि. द्वीप समूह और सिक्किम (कोलकाता)                           | 623                                     | 188                                | 811           | 235                               | 28.98        | 576                       |
| <b>अखिल भारत</b>                                                               | <b>12,970</b>                           | <b>3,879</b>                       | <b>16,849</b> | <b>6,797</b>                      | <b>40.34</b> | <b>10,052</b>             |



परिशिष्ट-4(viii)

| लंबित 7ए मामलों की आवधिकता |               |               |
|----------------------------|---------------|---------------|
| आवधिकता                    | 31.03.2022 का | 31.03.2021 को |
| छह महीने से कम             | 2267          | 5,462         |
| छह महीने से एक वर्ष तक     | 846           | 3,297         |
| एक वर्ष से तीन वर्ष तक     | 4557          | 3,794         |
| तीन वर्षों से अधिक         | 2382          | 2,491         |
| कुल                        | 10052         | 15,044        |

## परिशिष्ट-4(ix)

| सभी तीनों योजनाओं में अधिनियम की धारा 7 क्यू के अंतर्गत देयों पर ब्याज का निर्धारण (अछूत प्राप्त) – 31.03.2022 को (रु. करोड़ों में) |                 |                                |              |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|----------------------|
| अंचल                                                                                                                                | कुल कार्यभार    | वर्ष के दौरान किया गया संग्रहण | संग्रहण का % | 31.03.2022 को अंतशेष |
| आंध्र प्रदेश (विजयवाड़ा)                                                                                                            | 31.84           | 8.51                           | 26.72        | 23.33                |
| बेंगलुरु (बेंगलुरु)                                                                                                                 | 152.48          | 91.80                          | 60.20        | 60.68                |
| बिहार और झारखंड (पटना)                                                                                                              | 59.64           | 18.55                          | 31.10        | 41.10                |
| चेन्नई और पुदुचेरी (चेन्नई)                                                                                                         | 79.38           | 17.36                          | 21.87        | 62.02                |
| दिल्ली और उत्तराखंड (दिल्ली)                                                                                                        | 149.62          | 14.94                          | 9.99         | 134.68               |
| गुजरात (अहमदाबाद)                                                                                                                   | 44.95           | 12.85                          | 28.59        | 32.10                |
| हरियाणा (फरीदाबाद)                                                                                                                  | 75.65           | 16.67                          | 22.04        | 58.97                |
| जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख (दिल्ली और उत्तराखंड)                                                                                       | 0.09            | 0.00                           | 0.00         | 0.09                 |
| कर्नाटक (बेंगलुरु को छोड़कर) और गोवा (हुबली)                                                                                        | 36.38           | 10.67                          | 29.34        | 25.71                |
| केरल और लक्षद्वीप (तिरुवनंतपुरम)                                                                                                    | 58.84           | 15.44                          | 26.24        | 43.40                |
| मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ (भोपाल)                                                                                                    | 68.54           | 16.19                          | 23.62        | 52.35                |
| महाराष्ट्र (मुंबई को छोड़कर) (पुणे)                                                                                                 | 163.47          | 32.27                          | 19.74        | 131.20               |
| मुंबई I (बांद्रा)                                                                                                                   | 57.72           | 4.21                           | 7.29         | 53.51                |
| मुंबई II (थाणे)                                                                                                                     | 123.55          | 12.56                          | 10.17        | 110.98               |
| उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (गुवाहाटी)                                                                                                     | 8.25            | 2.11                           | 25.55        | 6.14                 |
| ओडिशा (भुवनेश्वर)                                                                                                                   | 333.46          | 14.70                          | 4.41         | 318.77               |
| पंजाब और हिमाचल प्रदेश (चंडीगढ़)                                                                                                    | 41.47           | 9.48                           | 22.86        | 31.99                |
| राजस्थान (जयपुर)                                                                                                                    | 27.52           | 8.76                           | 31.84        | 18.76                |
| तमिलनाडु (चेन्नई को छोड़कर) (कोयंबटूर)                                                                                              | 57.33           | 18.39                          | 32.08        | 38.94                |
| तेलंगाना (हैदराबाद)                                                                                                                 | 74.97           | 20.77                          | 27.70        | 54.20                |
| उत्तर प्रदेश (कानपुर)                                                                                                               | 95.71           | 10.86                          | 11.34        | 84.86                |
| प.बंगाल, अं. एवं नि. द्वीप समूह और सिक्किम (कोलकाता)                                                                                | 85.93           | 8.79                           | 10.23        | 77.14                |
| <b>अखिल भारत</b>                                                                                                                    | <b>1,826.77</b> | <b>365.87</b>                  | <b>20.03</b> | <b>1,460.90</b>      |

## परिशिष्ट-4(x)

| धारा 14 बी के अंतर्गत लगाई गई नुकसानी के मामले (अछूट प्राप्त) 2021-22 |               |                                   |              |                           |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------|
| अंचल                                                                  | कुल कार्यभार  | अंतिम आदेश द्वारा निपटाए गए मामले | निपटान का %  | 31.03.2022 को लंबित मामले |
| आंध्र प्रदेश (विजयवाड़ा)                                              | 1,265         | 893                               | 70.59        | 372                       |
| बेंगलुरु (बेंगलुरु)                                                   | 1,265         | 912                               | 72.09        | 353                       |
| बिहार और झारखंड (पटना)                                                | 7,560         | 7,068                             | 93.49        | 492                       |
| चेन्नई और पुदुचेरी (चेन्नई)                                           | 5,514         | 4,679                             | 84.86        | 835                       |
| दिल्ली और उत्तराखंड (दिल्ली)                                          | 5,098         | 2,659                             | 52.16        | 2,439                     |
| गुजरात (अहमदाबाद)                                                     | 3,775         | 2,789                             | 73.88        | 986                       |
| हरियाणा (फरीदाबाद)                                                    | 1,721         | 1,079                             | 62.70        | 642                       |
| जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख (दिल्ली और उत्तराखंड)                         | 2             | 0                                 | 0.00         | 2                         |
| कर्नाटक (बेंगलुरु को छोड़कर) और गोवा (हुबली)                          | 1,969         | 1,507                             | 76.54        | 462                       |
| केरल और लक्षद्वीप (तिरुवनंतपुरम)                                      | 2,948         | 2,041                             | 69.23        | 907                       |
| मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ (भोपाल)                                      | 2,578         | 1,541                             | 59.78        | 1,037                     |
| महाराष्ट्र (मुंबई को छोड़कर) (पुणे)                                   | 5,127         | 2,024                             | 39.48        | 3,103                     |
| मुंबई I (बांद्रा)                                                     | 941           | 490                               | 52.07        | 451                       |
| मुंबई II (थाणे)                                                       | 1,577         | 595                               | 37.73        | 982                       |
| उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (गुवाहाटी)                                       | 753           | 431                               | 57.24        | 322                       |
| ओडिशा (भुवनेश्वर)                                                     | 2,024         | 935                               | 46.20        | 1,089                     |
| पंजाब और हिमाचल प्रदेश (चंडीगढ़)                                      | 4,661         | 3,075                             | 65.97        | 1,586                     |
| राजस्थान (जयपुर)                                                      | 1,239         | 1,096                             | 88.46        | 143                       |
| तमिलनाडु (चेन्नई को छोड़कर) (कोयंबटूर)                                | 3,960         | 3,121                             | 78.81        | 839                       |
| तेलंगाना (हैदराबाद)                                                   | 1,881         | 1,203                             | 63.96        | 678                       |
| उत्तर प्रदेश (कानपुर)                                                 | 2,301         | 1,634                             | 71.01        | 667                       |
| प.बंगाल, अं. एवं नि. द्वीप समूह और सिक्किम (कोलकाता)                  | 1,753         | 993                               | 56.65        | 760                       |
| <b>अखिल भारत</b>                                                      | <b>59,912</b> | <b>40,765</b>                     | <b>68.04</b> | <b>19,147</b>             |

## परिशिष्ट-4(xi)

| दिनांक 31.03.2022 तक धारा 14 बी के अंतर्गत तीनों योजनाओं में लगाई गई नुकसानी (अछूट प्राप्त) (रु. करोड़ों में) |                 |                                |              |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|----------------------|
| अंचल                                                                                                          | कुल कार्यभार    | वर्ष के दौरान किया गया संग्रहण | संग्रहण का % | 31.03.2022 को अंतशेष |
| आंध्र प्रदेश (विजयवाड़ा)                                                                                      | 83.27           | 12.30                          | 14.77        | 70.97                |
| बेंगलुरु (बेंगलुरु)                                                                                           | 373.47          | 26.80                          | 7.18         | 346.67               |
| बिहार और झारखंड (पटना)                                                                                        | 93.17           | 22.58                          | 24.24        | 70.59                |
| चेन्नई और पुदुचेरी (चेन्नई)                                                                                   | 188.13          | 21.91                          | 11.65        | 166.22               |
| दिल्ली और उत्तराखंड (दिल्ली)                                                                                  | 209.85          | 16.69                          | 7.95         | 193.16               |
| गुजरात (अहमदाबाद)                                                                                             | 93.64           | 17.85                          | 19.06        | 75.79                |
| हरियाणा (फरीदाबाद)                                                                                            | 138.14          | 21.39                          | 15.49        | 116.74               |
| जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख (दिल्ली और उत्तराखंड)                                                                 | 0.20            | 0.00                           | 0.00         | 0.20                 |
| कर्नाटक (बेंगलुरु को छोड़कर) और गोवा (हुबली)                                                                  | 78.14           | 16.22                          | 20.76        | 61.92                |
| केरल और लक्षद्वीप (तिरुवनंतपुरम)                                                                              | 157.97          | 15.18                          | 9.61         | 142.79               |
| मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ (भोपाल)                                                                              | 114.10          | 39.27                          | 34.42        | 74.83                |
| महाराष्ट्र (मुंबई को छोड़कर) (पुणे)                                                                           | 303.49          | 43.63                          | 14.37        | 259.86               |
| मुंबई I (बांद्रा)                                                                                             | 125.38          | 4.53                           | 3.62         | 120.85               |
| मुंबई II (थाणे)                                                                                               | 152.86          | 14.81                          | 9.69         | 138.05               |
| उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (गुवाहाटी)                                                                               | 14.55           | 2.51                           | 17.26        | 12.04                |
| ओडिशा (भुवनेश्वर)                                                                                             | 72.11           | 21.17                          | 29.36        | 50.94                |
| पंजाब और हिमाचल प्रदेश (चंडीगढ़)                                                                              | 66.14           | 13.42                          | 20.30        | 52.72                |
| राजस्थान (जयपुर)                                                                                              | 62.54           | 10.72                          | 17.14        | 51.82                |
| तमिलनाडु (चेन्नई को छोड़कर) (कोयंबटूर)                                                                        | 168.53          | 21.40                          | 12.70        | 147.14               |
| तेलंगाना (हैदराबाद)                                                                                           | 182.64          | 31.48                          | 17.23        | 151.17               |
| उत्तर प्रदेश (कानपुर)                                                                                         | 163.10          | 12.92                          | 7.92         | 150.18               |
| प.बंगाल, अं. एवं नि. द्वीप समूह और सिक्किम (कोलकाता)                                                          | 197.68          | 10.83                          | 5.48         | 186.85               |
| <b>अखिल भारत</b>                                                                                              | <b>3,039.10</b> | <b>397.61</b>                  | <b>13.08</b> | <b>2,641.49</b>      |

परिशिष्ट-4(xii)

| दिनांक 31.03.2022 को कुर्की की स्थिति/संपत्ति की बिक्री / चूकदारों की गिरफ्तारी की स्थिति – अछूट प्राप्त क्षेत्र |                  |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|
| प्रतिरोधी कार्रवाई का प्रकार                                                                                     | मामलों की संख्या | वसूल की गई राशि<br>(लाख रुपये में) |
| बैंक खातों की कुर्की                                                                                             | 18,836           | 43,781.34                          |
| चल संपत्ति की कुर्की                                                                                             | 22               | 0.00                               |
| अचल संपत्ति की कुर्की                                                                                            | 109              | 1,429.75                           |
| चूककर्ताओं की गिरफ्तारी                                                                                          | 68               | 80.80                              |
| चल संपत्ति की सार्वजनिक नीलामी                                                                                   | 0                | 0.00                               |
| अचल संपत्ति की सार्वजनिक नीलामी                                                                                  | 1                | 132.00                             |
| कुल                                                                                                              | 19,036           | 45,423.89                          |

## परिशिष्ट-4(xiii)

| दिनांक 31.03.2022 को अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत अभियोजन मामले (अछूट प्राप्त क्षेत्र) (ईपीएफ योजना) |               |               |            |            |          |              |                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| अंचल                                                                                                  | कार्यभार      | निर्णीत मामले |            |            |          |              |                   | कुल लंबित मामले |
|                                                                                                       |               | दोषसिद्ध      | दोषमुक्त   | खारिज      | चेतावनी  | वापिस लिए गए | कुल निर्णीत मामले |                 |
| आंध्र प्रदेश (विजयवाड़ा)                                                                              | 0             | 0             | 0          | 0          | 0        | 0            | 0                 | 0               |
| बेंगलुरु (बेंगलुरु)                                                                                   | 185           | 0             | 0          | 36         | 0        | 0            | 36                | 149             |
| बिहार और झारखंड (पटना)                                                                                | 327           | 0             | 0          | 0          | 0        | 0            | 0                 | 327             |
| चेन्नई और पुदुचेरी (चेन्नई)                                                                           | 487           | 3             | 51         | 0          | 0        | 0            | 54                | 433             |
| दिल्ली और उत्तराखंड (दिल्ली)                                                                          | 133           | 2             | 1          | 0          | 0        | 0            | 3                 | 130             |
| गुजरात (अहमदाबाद)                                                                                     | 1,359         | 33            | 8          | 239        | 0        | 0            | 280               | 1,079           |
| हरियाणा (फरीदाबाद)                                                                                    | 346           | 0             | 0          | 80         | 0        | 0            | 80                | 266             |
| जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख (दिल्ली और उत्तराखंड)                                                         | 0             | 0             | 0          | 0          | 0        | 0            | 0                 | 0               |
| कर्नाटक (बेंगलुरु को छोड़कर) और गोवा (हुबली)                                                          | 573           | 0             | 12         | 22         | 0        | 0            | 34                | 539             |
| केरल और लक्षद्वीप (तिरुवनंतपुरम)                                                                      | 675           | 112           | 0          | 26         | 0        | 0            | 138               | 537             |
| मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ (भोपाल)                                                                      | 281           | 10            | 0          | 0          | 0        | 1            | 11                | 270             |
| महाराष्ट्र (मुंबई को छोड़कर) (पुणे)                                                                   | 782           | 3             | 0          | 255        | 0        | 0            | 258               | 524             |
| मुंबई I (बांद्रा)                                                                                     | 330           | 0             | 0          | 0          | 0        | 0            | 0                 | 330             |
| मुंबई II (थाणे)                                                                                       | 138           | 0             | 0          | 25         | 0        | 0            | 25                | 113             |
| उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (गुवाहाटी)                                                                       | 664           | 0             | 0          | 0          | 0        | 0            | 0                 | 664             |
| ओडिशा (भुवनेश्वर)                                                                                     | 1,258         | 0             | 0          | 0          | 0        | 0            | 0                 | 1,258           |
| पंजाब और हिमाचल प्रदेश (चंडीगढ़)                                                                      | 137           | 14            | 0          | 0          | 0        | 0            | 14                | 123             |
| राजस्थान (जयपुर)                                                                                      | 29            | 0             | 0          | 0          | 0        | 0            | 0                 | 29              |
| तमिलनाडु (चेन्नई को छोड़कर) (कोयंबटूर)                                                                | 857           | 39            | 0          | 2          | 0        | 0            | 41                | 816             |
| तेलंगाना (हैदराबाद)                                                                                   | 542           | 0             | 378        | 10         | 0        | 0            | 388               | 154             |
| उत्तर प्रदेश (कानपुर)                                                                                 | 368           | 0             | 0          | 0          | 0        | 0            | 0                 | 368             |
| प.बंगाल, अं. एवं नि. द्वीप समूह और सिक्किम (कोलकाता)                                                  | 2,991         | 0             | 0          | 0          | 0        | 0            | 0                 | 2,991           |
| <b>अखिल भारत</b>                                                                                      | <b>12,462</b> | <b>216</b>    | <b>450</b> | <b>695</b> | <b>0</b> | <b>1</b>     | <b>1,362</b>      | <b>11,100</b>   |

## परिशिष्ट-4(xiv)

| दिनांक 31.03.2022 को अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत अभियोजन मामले (अछूत प्राप्त क्षेत्र) (पेंशन योजना) |              |               |            |            |          |              |                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| अंचल                                                                                                  | कार्यभार     | निर्णीत मामले |            |            |          |              |                   | कुल लंबित मामले |
|                                                                                                       |              | दोषसिद्ध      | दोषमुक्त   | खारिज      | चेतावनी  | वापिस लिए गए | कुल निर्णीत मामले |                 |
| आंध्र प्रदेश (विजयवाड़ा)                                                                              | 0            | 0             | 0          | 0          | 0        | 0            | 0                 | 0               |
| बेंगलुरु (बेंगलुरु)                                                                                   | 173          | 0             | 0          | 26         | 0        | 0            | 26                | 147             |
| बिहार और झारखंड (पटना)                                                                                | 39           | 0             | 0          | 0          | 0        | 0            | 0                 | 39              |
| चेन्नई और पुदुचेरी (चेन्नई)                                                                           | 438          | 1             | 52         | 0          | 0        | 0            | 53                | 385             |
| दिल्ली और उत्तराखंड (दिल्ली)                                                                          | 71           | 2             | 1          | 0          | 0        | 0            | 3                 | 68              |
| गुजरात (अहमदाबाद)                                                                                     | 518          | 33            | 8          | 174        | 0        | 0            | 215               | 303             |
| हरियाणा (फरीदाबाद)                                                                                    | 321          | 0             | 0          | 80         | 0        | 0            | 80                | 241             |
| जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख (दिल्ली और उत्तराखंड)                                                         | 0            | 0             | 0          | 0          | 0        | 0            | 0                 | 0               |
| कर्नाटक (बेंगलुरु को छोड़कर) और गोवा (हुबली)                                                          | 324          | 0             | 11         | 22         | 0        | 0            | 33                | 291             |
| केरल और लक्षद्वीप (तिरुवनंतपुरम)                                                                      | 330          | 31            | 0          | 22         | 0        | 0            | 53                | 277             |
| मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ (भोपाल)                                                                      | 249          | 7             | 0          | 0          | 0        | 0            | 7                 | 242             |
| महाराष्ट्र (मुंबई को छोड़कर) (पुणे)                                                                   | 451          | 3             | 0          | 82         | 0        | 0            | 85                | 366             |
| मुंबई I (बांद्रा)                                                                                     | 149          | 0             | 0          | 0          | 0        | 0            | 0                 | 149             |
| मुंबई II (थाणे)                                                                                       | 116          | 0             | 0          | 21         | 0        | 0            | 21                | 95              |
| उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (गुवाहाटी)                                                                       | 490          | 0             | 0          | 0          | 0        | 0            | 0                 | 490             |
| ओडिशा (भुवनेश्वर)                                                                                     | 684          | 0             | 0          | 0          | 0        | 0            | 0                 | 684             |
| पंजाब और हिमाचल प्रदेश (चंडीगढ़)                                                                      | 74           | 7             | 0          | 0          | 0        | 0            | 7                 | 67              |
| राजस्थान (जयपुर)                                                                                      | 23           | 0             | 0          | 0          | 0        | 20           | 20                | 3               |
| तमिलनाडु (चेन्नई को छोड़कर) (कोयंबटूर)                                                                | 394          | 35            | 0          | 2          | 0        | 0            | 37                | 357             |
| तेलंगाना (हैदराबाद)                                                                                   | 517          | 9             | 374        | 10         | 0        | 0            | 393               | 124             |
| उत्तर प्रदेश (कानपुर)                                                                                 | 38           | 0             | 0          | 0          | 0        | 0            | 0                 | 38              |
| प.बंगाल, अं. एवं नि. द्वीप समूह और सिक्किम (कोलकाता)                                                  | 1,912        | 0             | 0          | 0          | 0        | 0            | 0                 | 1,912           |
| <b>अखिल भारत</b>                                                                                      | <b>7,311</b> | <b>128</b>    | <b>446</b> | <b>439</b> | <b>0</b> | <b>20</b>    | <b>1,033</b>      | <b>6,278</b>    |



## परिशिष्ट-4(xv)

| अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत अभियोजन मामले (अछूत प्राप्त क्षेत्र ) – 31.03.2022 की स्थिति (ईडीएलआई योजना) |          |               |          |       |         |              |                   |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------|-------|---------|--------------|-------------------|-----------------|
| अंचल                                                                                                       | कार्यभार | निर्णीत मामले |          |       |         |              |                   | कुल लंबित मामले |
|                                                                                                            |          | दोषसिद्ध      | दोषमुक्त | खारिज | चेतावनी | वापिस लिए गए | कुल निर्णीत मामले |                 |
| आंध्र प्रदेश (विजयवाड़ा)                                                                                   | 0        | 0             | 0        | 0     | 0       | 0            | 0                 | 0               |
| बेंगलुरु (बेंगलुरु)                                                                                        | 142      | 0             | 0        | 29    | 0       | 0            | 29                | 113             |
| बिहार और झारखंड (पटना)                                                                                     | 0        | 0             | 0        | 0     | 0       | 0            | 0                 | 0               |
| चेन्नई और पुदुचेरी (चेन्नई)                                                                                | 455      | 0             | 41       | 0     | 0       | 0            | 41                | 414             |
| दिल्ली और उत्तराखंड (दिल्ली)                                                                               | 132      | 2             | 1        | 0     | 0       | 0            | 3                 | 129             |
| गुजरात (अहमदाबाद)                                                                                          | 512      | 33            | 8        | 186   | 0       | 0            | 227               | 285             |
| हरियाणा (फरीदाबाद)                                                                                         | 311      | 0             | 0        | 80    | 0       | 0            | 80                | 231             |
| जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख (दिल्ली और उत्तराखंड)                                                              | 0        | 0             | 0        | 0     | 0       | 0            | 0                 | 0               |
| कर्नाटक (बेंगलुरु को छोड़कर) और गोवा (हुबली)                                                               | 318      | 0             | 11       | 22    | 0       | 0            | 33                | 285             |
| केरल और लक्षद्वीप (तिरुवनंतपुरम)                                                                           | 275      | 18            | 0        | 13    | 0       | 0            | 31                | 244             |
| मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ (भोपाल)                                                                           | 249      | 7             | 0        | 0     | 0       | 0            | 7                 | 242             |
| महाराष्ट्र (मुंबई को छोड़कर) (पुणे)                                                                        | 382      | 3             | 0        | 82    | 0       | 0            | 85                | 297             |
| मुंबई I (बांद्रा)                                                                                          | 170      | 0             | 0        | 0     | 0       | 0            | 0                 | 170             |
| मुंबई II (थाणे)                                                                                            | 108      | 0             | 0        | 23    | 0       | 0            | 23                | 85              |
| उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (गुवाहाटी)                                                                            | 582      | 0             | 0        | 0     | 0       | 0            | 0                 | 582             |
| ओडिशा (भुवनेश्वर)                                                                                          | 824      | 0             | 0        | 0     | 0       | 0            | 0                 | 824             |
| पंजाब और हिमाचल प्रदेश (चंडीगढ़)                                                                           | 92       | 11            | 0        | 0     | 0       | 0            | 11                | 81              |
| राजस्थान (जयपुर)                                                                                           | 3        | 0             | 0        | 0     | 0       | 0            | 0                 | 3               |
| तमिलनाडु (चेन्नई को छोड़कर) (कोयंबटूर)                                                                     | 321      | 35            | 0        | 2     | 0       | 0            | 37                | 284             |
| तेलंगाना (हैदराबाद)                                                                                        | 496      | 0             | 374      | 10    | 0       | 0            | 384               | 112             |
| उत्तर प्रदेश (कानपुर)                                                                                      | 38       | 0             | 0        | 0     | 0       | 0            | 0                 | 38              |
| प.बंगाल, अं. एवं नि. द्वीप समूह और सिक्किम (कोलकाता)                                                       | 1,833    | 0             | 0        | 0     | 0       | 0            | 0                 | 1,833           |
| अखिल भारत                                                                                                  | 7,243    | 109           | 435      | 447   | 0       | 0            | 991               | 6,252           |

## परिशिष्ट-4(xvi)

| भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत पुलिस प्राधिकारियों के समक्ष मामले (अछूट प्राप्त) 31.03.2022 की स्थिति |              |                                  |                                             |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| अंचल                                                                                                                | कार्यभार     | पुलिस द्वारा समाप्त किए गए मामले | पुलिस द्वारा न्यायालय में फाईल किए गए चालान | वर्ष की समाप्ति पर पुलिस के समक्ष लंबित एफ.आई.आर |
| आंध्र प्रदेश (विजयवाड़ा)                                                                                            | 0            | 0                                | 0                                           | 0                                                |
| बेंगलुरु (बेंगलुरु)                                                                                                 | 146          | 0                                | 0                                           | 146                                              |
| बिहार और झारखंड (पटना)                                                                                              | 42           | 0                                | 0                                           | 42                                               |
| चेन्नई और पुदुचेरी (चेन्नई)                                                                                         | 1,372        | 0                                | 0                                           | 1,372                                            |
| दिल्ली और उत्तराखंड (दिल्ली)                                                                                        | 57           | 0                                | 0                                           | 57                                               |
| गुजरात (अहमदाबाद)                                                                                                   | 35           | 0                                | 1                                           | 34                                               |
| हरियाणा (फरीदाबाद)                                                                                                  | 9            | 0                                | 0                                           | 9                                                |
| जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख (दिल्ली और उत्तराखंड)                                                                       | 1            | 0                                | 0                                           | 1                                                |
| कर्नाटक (बेंगलुरु को छोड़कर) और गोवा (हुबली)                                                                        | 181          | 5                                | 0                                           | 176                                              |
| केरल और लक्षद्वीप (तिरुवनंतपुरम)                                                                                    | 351          | 0                                | 0                                           | 351                                              |
| मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ (भोपाल)                                                                                    | 2            | 1                                | 0                                           | 1                                                |
| महाराष्ट्र (मुंबई को छोड़कर) (पुणे)                                                                                 | 87           | 0                                | 0                                           | 87                                               |
| मुंबई I (बांद्रा)                                                                                                   | 124          | 0                                | 0                                           | 124                                              |
| मुंबई II (थाणे)                                                                                                     | 40           | 0                                | 0                                           | 40                                               |
| उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (गुवाहाटी)                                                                                     | 2            | 0                                | 0                                           | 2                                                |
| ओडिशा (भुवनेश्वर)                                                                                                   | 112          | 0                                | 0                                           | 112                                              |
| पंजाब और हिमाचल प्रदेश (चंडीगढ़)                                                                                    | 47           | 0                                | 0                                           | 47                                               |
| राजस्थान (जयपुर)                                                                                                    | 20           | 0                                | 0                                           | 20                                               |
| तमिलनाडु (चेन्नई को छोड़कर) (कोयंबटूर)                                                                              | 451          | 0                                | 0                                           | 451                                              |
| तेलंगाना (हैदराबाद)                                                                                                 | 93           | 0                                | 0                                           | 93                                               |
| उत्तर प्रदेश (कानपुर)                                                                                               | 16           | 0                                | 13                                          | 3                                                |
| प.बंगाल, अं. एवं नि. द्वीप समूह और सिक्किम (कोलकाता)                                                                | 979          | 0                                | 0                                           | 979                                              |
| <b>अखिल भारत</b>                                                                                                    | <b>4,167</b> | <b>6</b>                         | <b>14</b>                                   | <b>4,147</b>                                     |

## परिशिष्ट-4(xvii)

| भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत विभिन्न अदालतों के समक्ष मामले (अछूत प्राप्त) – 31.03.2022 की स्थिति |            |                               |          |                  |                   |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|----------|------------------|-------------------|------------------------------|
| अंचल                                                                                                              | कार्यभार   | वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले |          |                  |                   | न्यायालय में कुल लंबित मामले |
|                                                                                                                   |            | दोषसिद्ध                      | दोषमुक्त | खारिज/बर्खास्तगी | कुल निर्णीत मामले |                              |
| आंध्र प्रदेश (विजयवाड़ा)                                                                                          | 64         | 0                             | 0        | 0                | 0                 | 64                           |
| बेंगलुरु (बेंगलुरु)                                                                                               | 29         | 0                             | 0        | 0                | 0                 | 29                           |
| बिहार और झारखंड (पटना)                                                                                            | 31         | 0                             | 0        | 0                | 0                 | 31                           |
| चेन्नई और पुदुचेरी (चेन्नई)                                                                                       | 0          | 0                             | 0        | 0                | 0                 | 0                            |
| दिल्ली और उत्तराखंड (दिल्ली)                                                                                      | 4          | 0                             | 0        | 0                | 0                 | 4                            |
| गुजरात (अहमदाबाद)                                                                                                 | 173        | 2                             | 3        | 0                | 5                 | 168                          |
| हरियाणा (फरीदाबाद)                                                                                                | 0          | 0                             | 0        | 0                | 0                 | 0                            |
| जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख (दिल्ली और उत्तराखंड)                                                                     | 0          | 0                             | 0        | 0                | 0                 | 0                            |
| कर्नाटक (बेंगलुरु को छोड़कर) और गोवा (हुबली)                                                                      | 48         | 0                             | 0        | 0                | 0                 | 48                           |
| केरल और लक्षद्वीप (तिरुवनंतपुरम)                                                                                  | 11         | 0                             | 0        | 0                | 0                 | 11                           |
| मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ (भोपाल)                                                                                  | 3          | 0                             | 0        | 0                | 0                 | 3                            |
| महाराष्ट्र (मुंबई को छोड़कर) (पुणे)                                                                               | 46         | 0                             | 0        | 0                | 0                 | 46                           |
| मुंबई I (बांद्रा)                                                                                                 | 0          | 0                             | 0        | 0                | 0                 | 0                            |
| मुंबई II (थाणे)                                                                                                   | 46         | 0                             | 0        | 0                | 0                 | 46                           |
| उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (गुवाहाटी)                                                                                   | 1          | 0                             | 0        | 0                | 0                 | 1                            |
| ओडिशा (भुवनेश्वर)                                                                                                 | 49         | 0                             | 0        | 0                | 0                 | 49                           |
| पंजाब और हिमाचल प्रदेश (चंडीगढ़)                                                                                  | 6          | 0                             | 0        | 0                | 0                 | 6                            |
| राजस्थान (जयपुर)                                                                                                  | 59         | 0                             | 0        | 0                | 0                 | 59                           |
| तमिलनाडु (चेन्नई को छोड़कर) (कोयंबटूर)                                                                            | 0          | 0                             | 0        | 0                | 0                 | 0                            |
| तेलंगाना (हैदराबाद)                                                                                               | 14         | 0                             | 0        | 0                | 0                 | 14                           |
| उत्तर प्रदेश (कानपुर)                                                                                             | 0          | 0                             | 0        | 0                | 0                 | 0                            |
| प.बंगाल, अं. एवं नि. द्वीप समूह और सिक्किम (कोलकाता)                                                              | 143        | 1                             | 0        | 0                | 1                 | 142                          |
| <b>अखिल भारत</b>                                                                                                  | <b>727</b> | <b>3</b>                      | <b>3</b> | <b>0</b>         | <b>6</b>          | <b>721</b>                   |

## परिशिष्ट-4(xviii)

| छूट प्राप्त क्षेत्र में कुल बकाया – 31.03.2022 की स्थिति (रु. करोड़ों में ) |                 |                         |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| अंचल                                                                        | कार्यभार        | वर्ष के दौरान वसूला गया | अंतशेष          |
| आंध्र प्रदेश (विजयवाड़ा)                                                    | 15.04           | 4.45                    | 10.59           |
| बेंगलुरु (बेंगलुरु)                                                         | 88.48           | 9.95                    | 78.53           |
| बिहार और झारखंड (पटना)                                                      | 126.39          | 1.18                    | 125.21          |
| चेन्नई और पुदुचेरी (चेन्नई)                                                 | 19.59           | 0.04                    | 19.55           |
| दिल्ली और उत्तराखंड (दिल्ली)                                                | 234.93          | 0.51                    | 234.42          |
| गुजरात (अहमदाबाद)                                                           | 19.77           | 0.02                    | 19.75           |
| हरियाणा (फरीदाबाद)                                                          | 16.61           | 0.48                    | 16.13           |
| जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख<br>(दिल्ली और उत्तराखंड)                            | 0.00            | 0.00                    | 0.00            |
| कर्नाटक (बेंगलुरु को छोड़कर) और गोवा (हुबली)                                | 1.02            | 0.76                    | 0.26            |
| केरल और लक्षद्वीप (तिरुवनंतपुरम)                                            | 8.81            | 3.23                    | 5.58            |
| मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ (भोपाल)                                            | 23.85           | 6.08                    | 17.77           |
| महाराष्ट्र (मुंबई को छोड़कर) (पुणे)                                         | 91.62           | 70.57                   | 21.05           |
| मुंबई I (बांद्रा)                                                           | 15.47           | 0.28                    | 15.19           |
| मुंबई II (थाणे)                                                             | 21.60           | 2.48                    | 19.11           |
| उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (गुवाहाटी)                                             | 9.50            | 0.00                    | 9.50            |
| ओडिशा (भुवनेश्वर)                                                           | 14.33           | 0.49                    | 13.84           |
| पंजाब और हिमाचल प्रदेश (चंडीगढ़)                                            | 1.94            | 0.00                    | 1.94            |
| राजस्थान (जयपुर)                                                            | 116.34          | 0.23                    | 116.12          |
| तमिलनाडु (चेन्नई को छोड़कर) (कोयंबटूर)                                      | 2.56            | 1.29                    | 1.27            |
| तेलंगाना (हैदराबाद)                                                         | 1,578.28        | 1,007.87                | 570.41          |
| उत्तर प्रदेश (कानपुर)                                                       | 21.61           | 2.76                    | 18.85           |
| प.बंगाल, अं. एवं नि. द्वीप समूह और सिक्किम (कोलकाता)                        | 179.36          | 34.20                   | 145.16          |
| <b>अखिल भारत</b>                                                            | <b>2,607.11</b> | <b>1,146.86</b>         | <b>1,460.24</b> |

## परिशिष्ट-4(xix)

| छूट प्राप्त क्षेत्र में बकाया के अधिकांश अंश से संबंधित राज्यों की 31.03.2022 की स्थिति (रु. करोड़ों में) |                |                     |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|
| राज्य                                                                                                     | कार्यभार       | वर्ष के दौरान वसूली | अंतशेष         | कुल का प्रतिशत |
| तेलंगाना                                                                                                  | 1578.28        | 1007.87             | 570.41         | 39.06          |
| दिल्ली                                                                                                    | 213.96         | 0.25                | 213.71         | 14.63          |
| पश्चिम बंगाल और सिक्किम                                                                                   | 179.36         | 34.20               | 145.16         | 9.94           |
| झारखंड                                                                                                    | 122.91         | 0.24                | 122.67         | 8.40           |
| राजस्थान                                                                                                  | 116.34         | 0.23                | 116.12         | 7.95           |
| उप जोड़                                                                                                   | 2210.86        | 1042.79             | 1168.07        | 79.99          |
| बाकी राज्य                                                                                                | 396.25         | 104.07              | 292.18         | 20.01          |
| <b>अखिल भारत (कुल बकाया)</b>                                                                              | <b>2607.11</b> | <b>1146.86</b>      | <b>1460.24</b> | <b>100.00</b>  |

## परिशिष्ट-5(i)

| तीनों योजनाओं में अंशदान एवं भुगतान (2021-22) (अछूट प्राप्त) (रु. करोड़ में) |                    |                    |                  |                  |                    |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| अंचल                                                                         | कुल ईपीएफ अंशदान   | कुल ईपीएफ भुगतान   | कुल ईपीएस अंशदान | कुल ईपीएस भुगतान | कुल ईडीएलआई अंशदान | कुल ईडीएलआई भुगतान | कुल अंशदान         | कुल भुगतान         |
| आन्ध्र प्रदेश (विजयवाड़ा)                                                    | 2,898.93           | 2,855.35           | 1,163.31         | 738.67           | 66.37              | 92.73              | 4,128.61           | 3,686.75           |
| तेलंगाना (हैदराबाद)                                                          | 11,024.32          | 6,561.52           | 2,973.07         | 990.82           | 141.36             | 105.23             | 14,138.75          | 7,657.57           |
| बेंगलुरु                                                                     | 31,170.13          | 11,365.31          | 5,631.88         | 1,261.97         | 246.19             | 103.08             | 37,048.20          | 12,730.36          |
| कर्नाटक और गोवा (हुबली)                                                      | 2,271.47           | 2,739.71           | 1,285.70         | 887.59           | 70.24              | 79.59              | 3,627.40           | 3,706.89           |
| बिहार और झारखंड (पटना)                                                       | 3,050.60           | 1,736.49           | 1,510.23         | 748.82           | 89.74              | 44.54              | 4,650.57           | 2,529.85           |
| चेन्नई और पुडुचेरी (चेन्नई)                                                  | 11,425.92          | 7,716.10           | 3,408.76         | 1,050.10         | 152.54             | 80.09              | 14,987.22          | 8,846.29           |
| तमिलनाडु (कोयंबटूर)                                                          | 3,635.76           | 3,973.42           | 1,683.60         | 1,240.37         | 90.45              | 79.69              | 5,409.81           | 5,293.47           |
| दिल्ली और उत्तराखंड (दिल्ली)                                                 | 16,515.34          | 8,167.58           | 4,002.03         | 1,237.06         | 204.04             | 132.47             | 20,721.41          | 9,537.12           |
| गुजरात (अहमदाबाद)                                                            | 7,297.52           | 5,385.49           | 3,101.95         | 1,481.89         | 176.20             | 186.90             | 10,575.67          | 7,054.28           |
| हरियाणा (फरीदाबाद)                                                           | 9,166.15           | 5,113.39           | 2,712.70         | 843.17           | 144.91             | 72.98              | 12,023.76          | 6,029.54           |
| केरल और लक्षद्वीप (तिरुवनंतपुरम)                                             | 3,009.00           | 3,014.33           | 1,184.55         | 1,087.35         | 60.18              | 29.32              | 4,253.73           | 4,131.00           |
| मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ (भोपाल)                                             | 3,549.42           | 3,377.84           | 1,459.98         | 970.59           | 82.59              | 134.17             | 5,091.99           | 4,482.60           |
| मुंबई -1 (बांद्रा)                                                           | 14,634.01          | 6,879.18           | 4,181.96         | 753.53           | 165.50             | 87.03              | 18,981.46          | 7,719.74           |
| मुंबई -2 (थाणे)                                                              | 11,074.49          | 6,856.14           | 3,493.22         | 1,174.73         | 183.43             | 89.82              | 14,751.14          | 8,120.68           |
| महाराष्ट्र (पुणे)                                                            | 16,708.58          | 11,718.58          | 3,789.41         | 1,965.66         | 220.92             | 233.36             | 20,718.91          | 13,917.60          |
| एनईआर (गुवाहाटी)                                                             | 922.22             | 867.14             | 377.11           | 238.02           | 21.68              | 17.94              | 1,321.00           | 1,123.10           |
| ओडिशा (भुवनेश्वर)                                                            | 1,749.79           | 1,686.94           | 739.76           | 506.58           | 41.77              | 37.22              | 2,531.32           | 2,230.74           |
| पंजाब और हिमाचल प्रदेश (चंडीगढ़)                                             | 3,621.62           | 3,357.44           | 1,402.66         | 795.07           | 83.95              | 72.95              | 5,108.23           | 4,225.45           |
| राजस्थान (जयपुर)                                                             | 2,856.86           | 2,193.42           | 1,085.43         | 559.97           | 58.87              | 53.51              | 4,001.16           | 2,806.89           |
| उत्तर प्रदेश (कानपुर)                                                        | 5,832.31           | 4,411.43           | 2,312.78         | 1,342.75         | 132.50             | 135.93             | 8,277.59           | 5,890.12           |
| पश्चिम बंगाल, अं और नि. द्वीप समूह और सिक्किम (कोलकाता)                      | 5,947.51           | 4,458.61           | 2,103.16         | 1,423.95         | 126.28             | 155.22             | 8,176.95           | 6,037.78           |
| जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख (दिल्ली और उत्तराखंड)                                | 1,493.12           | 477.17             | 116.75           | 5.93             | 8.74               | 1.56               | 1,618.61           | 484.66             |
| <b>कुल</b>                                                                   | <b>1,69,855.05</b> | <b>1,04,912.57</b> | <b>49,719.98</b> | <b>21,304.60</b> | <b>2,568.47</b>    | <b>2,025.32</b>    | <b>2,22,143.50</b> | <b>1,28,242.49</b> |

\* अलेखापरीक्षित

| 31.03.2022 को निवेश के लिए अंकित मूल्य (ऋण) पर श्रेणीवार एवं कूपनवार निवेश ईपीएफ (कर्मचारी भविष्य निधि) लेखा संख्या – 5 (करोड़ में) |           |          |             |             |             |             |             |           |           |          |          |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|
| श्रेणी /<br>कूपन                                                                                                                    | 6 से कम   | 6 से 6.5 | 6.5 से 7    | 7- से 7.5   | 7.5 से 8    | 8 से 8.5    | 8.5 से 9.0  | 9.5 से 10 | 9 से 9.5  | 10 से 11 | 11 से 12 | कुल योग     |
| सी.टी.जी.                                                                                                                           | 1,104.87  | 1,721.54 | 59,879.32   | 24,746.29   | 26,196.41   | 72,144.46   | 7,379.37    | 0         | 4,697.82  | 917.78   | 0        | 1,98,787.86 |
| पी.एस.यू.                                                                                                                           | 17,551.64 | 3,112.30 | 21,838.00   | 42,624.00   | 41,411.50   | 30,147.58   | 27,963.64   | 5,732.05  | 11,622.47 | 22.83    | 0        | 2,02,026.01 |
| पी.वी.टी                                                                                                                            | 0.17      | 0        | 221.73      | 9,560.00    | 8,906.13    | 10,472.10   | 14,010.90   | 435.81    | 11,756.83 | 782.03   | 0        | 56,145.70   |
| एस.डी.एल.                                                                                                                           | 0         | 2,375.84 | 84,025.50   | 1,50,857.39 | 36,578.09   | 1,47,875.08 | 29,630.27   | 5,046.37  | 13,304.40 | 269.77   | 0        | 4,69,962.70 |
| एस.डी.एस.                                                                                                                           | 0         | 0        | 0           | 0           | 0           | 367.23      | 52,916.11   | 0         | 0         | 0        | 0        | 53,283.35   |
| एस.टी.जी.                                                                                                                           | 0.47      | 0        | 0           | 2,950.00    | 0.67        | 1,116.00    | 5,076.81    | 6.87      | 1,587.23  | 2.51     | 0.01     | 10,740.57   |
| कुल योग                                                                                                                             | 18,657.15 | 7,209.67 | 1,65,964.54 | 2,30,737.67 | 1,13,092.81 | 2,62,122.46 | 1,36,977.10 | 11,221.09 | 42,968.76 | 1,994.91 | 0.01     | 9,90,946.18 |



परिशिष्ट- 5(iii)

| 31.03.2022 को निवेश के लिए अंकित मूल्य (ऋण) पर श्रेणीवार एवं कूपनवार निवेश – ईपीएस (कर्मचारी पेंशन निधि) लेखा संख्या 11 (करोड़ों में) |          |          |           |           |           |            |             |           |           |          |          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|
| श्रेणी / कूपन                                                                                                                         | 6 से कम  | 6 से 6.5 | 6.5 से 7  | 7- से 7.5 | 7.5 से 8  | 8.5 से 9.0 | 8 से 8.5    | 9 से 9.5  | 9.5 से 10 | 10 से 11 | 11 से 12 | कुल योग     |
| सी.टी.जी.                                                                                                                             | 122.92   | 1,325.77 | 30,056.90 | 11,535.41 | 15,019.49 | 2,758.26   | 32,607.84   | 2,903.52  | 0         | 1,681.62 | 0.00     | 98,011.72   |
| पी.एस.यू.                                                                                                                             | 4,784.77 | 509.7    | 9,460.80  | 20,848.20 | 18,967.90 | 12,970.66  | 13,780.01   | 3,820.20  | 1,444.79  | 5.00     | 0.00     | 86,592.02   |
| पी.वी.टी                                                                                                                              | 0        | 0        | 66.75     | 4,865.00  | 3,569.50  | 6,496.04   | 4,712.90    | 5,132.94  | 54.30     | 218.00   | 0.00     | 25,115.42   |
| एस.डी.एल.                                                                                                                             | 0        | 1,241.89 | 41,282.68 | 59,311.91 | 15,362.58 | 17,401.08  | 63,691.55   | 5,116.90  | 3,051.75  | 182.78   | 0.00     | 2,06,643.12 |
| एस.डी.एस.                                                                                                                             | 0        | 0        | 0         | 0         | 0         | 1,400.52   | 0           | 0         | 0         | 0.00     | 0.00     | 1,400.52    |
| एस.टी.जी.                                                                                                                             | 0        | 0        | 0         | 1,500.00  | 0         | 1,916.90   | 1,222.50    | 380.7     | 0         | 0.00     | 0.00     | 5,020.10    |
| कुल योग                                                                                                                               | 4,907.69 | 3,077.36 | 80,867.13 | 98,060.52 | 52,919.48 | 42,943.46  | 1,16,014.80 | 17,354.25 | 4,550.83  | 2,087.40 | 0.00     | 4,22,782.91 |

परिशिष्ट- 5(iv)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

| 31.03.2022 को निवेश के लिए अंकित मूल्य (ऋण) पर श्रेणीवार एवं कूपनवार निवेश- ईडीएलआई (कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि) लेखा संख्या – 25 (करोड़ में) |         |          |          |           |          |            |          |          |           |          |          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|-----------|----------|------------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| श्रेणी / कूपन                                                                                                                                        | 6 से कम | 6 से 6.5 | 6.5 से 7 | 7- से 7.5 | 7.5 से 8 | 8.5 से 9.0 | 8 से 8.5 | 9 से 9.5 | 9.5 से 10 | 10 से 11 | 11 से 12 | कुल योग   |
| सी.टी.जी.                                                                                                                                            | 5.12    | 42.50    | 571.72   | 595.05    | 465.92   | 175.82     | 1,770.40 | 121.05   | 0.00      | 61.89    | 0.00     | 3,809.48  |
| पी.एस.यू.                                                                                                                                            | 152.08  | 0.00     | 551.70   | 1,246.00  | 1,017.60 | 679.6      | 949.19   | 224.70   | 145.10    | 0.00     | 0.00     | 4,965.96  |
| पी.वी.टी                                                                                                                                             | 0.00    | 0.00     | 3.49     | 0.00      | 210.00   | 294.48     | 218      | 260.19   | 2.70      | 0.00     | 0.00     | 988.85    |
| एस.डी.एल.                                                                                                                                            | 0.00    | 0.00     | 2,118.37 | 3,489.06  | 1,295.49 | 1,031.65   | 3,102.07 | 291.23   | 201.50    | 12.19    | 0.00     | 11,541.55 |
| एस.डी.एस.                                                                                                                                            | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 2.50       | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 2.50      |
| एस.टी.जी.                                                                                                                                            | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 25.00     | 0.00     | 120.5      | 85.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 230.50    |
| कुल योग                                                                                                                                              | 157.20  | 42.50    | 3,245.28 | 5,355.10  | 2,989.01 | 2,304.55   | 6,124.66 | 897.16   | 349.29    | 74.08    | 0.00     | 21,538.85 |

परिशिष्ट- 5(v)

| 31.03.2022 को निवेश के लिए अंकित मूल्य (ऋण) पर श्रेणीवार एवं कूपनवार निवेश - एसपीएफ - लेखासंख्या - 08 (रु. करोड़ में) |         |          |          |           |          |            |          |          |           |          |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|-----------|----------|------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| श्रेणी / कूपन                                                                                                         | 6 से कम | 6 से 6.5 | 6.5 से 7 | 7- से 7.5 | 7.5 से 8 | 8.5 से 9.0 | 8 से 8.5 | 9 से 9.5 | 9.5 से 10 | 10 से 11 | 11 से 12 | कुल योग  |
| सी.टी.जी.                                                                                                             | 7.65    | 11.37    | 70.44    | 48.08     | 77.34    | 15.67      | 186      | 44.04    | 0         | 8.34     | 0        | 468.93   |
| पी.एस.यू.                                                                                                             | 3.67    | 0        | 11       | 180.7     | 67.2     | 69.29      | 67.4     | 33.69    | 10.1      | 0        | 0        | 443.05   |
| पी.बी.टी                                                                                                              | 0       | 0        | 0        | 0         | 16.2     | 23.97      | 22       | 28.68    | 0.45      | 0        | 0        | 91.3     |
| एस.डी.एल.                                                                                                             | 0       | 0        | 130.5    | 310.69    | 83.85    | 88.59      | 282.82   | 31.96    | 22.68     | 1.82     | 0        | 952.9    |
| एस.डी.एस.                                                                                                             | 0       | 0        | 0        | 0         | 0        | 83.33      | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 83.33    |
| एस.टी.जी.                                                                                                             | 0       | 0        | 0        | 0         | 0        | 12.5       | 3.5      | 0        | 0         | 0        | 0        | 16       |
| कुल योग                                                                                                               | 11.32   | 11.37    | 211.94   | 539.47    | 244.59   | 293.35     | 561.71   | 138.37   | 33.23     | 10.16    | 0        | 2,055.51 |

| 31.03.2022 को निवेश के लिए अंकित मूल्य (ऋण) पर श्रेणीवार एवं कूपनवार निवेश - एसपीएफ - लेखासंख्या - 09 पीएनजी (रु. करोड़ में) |         |          |          |           |          |            |          |          |           |          |          |           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|-----------|----------|------------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|--|
| श्रेणी / कूपन                                                                                                                | 6 से कम | 6 से 6.5 | 6.5 से 7 | 7- से 7.5 | 7.5 से 8 | 8.5 से 9.0 | 8 से 8.5 | 9 से 9.5 | 9.5 से 10 | 10 से 11 | 11 से 12 | कुल योग   |  |
| सी.टी.जी.                                                                                                                    | 9.45    | 20.51    | 452.28   | 349.52    | 262.84   | 33.89      | 422.59   | 29.35    | 0         | 15.88    | 0        | 1,596.30  |  |
| पी.एस.यू.                                                                                                                    | 129.35  | 0        | 199      | 1,383.20  | 652.4    | 290.47     | 461.83   | 49.49    | 30        | 0        | 0        | 3,195.73  |  |
| पी.टी.टी                                                                                                                     | 0       | 0        | 0        | 0         | 177      | 139.6      | 132      | 62.63    | 1.44      | 0        | 0        | 512.67    |  |
| एस.डी.एल.                                                                                                                    | 0       | 0        | 1,442.50 | 2,575.88  | 823.71   | 596.41     | 1,938.34 | 36.51    | 28.58     | 3.89     | 0        | 7,445.81  |  |
| एस.डी.एस.                                                                                                                    | 0       | 0        | 0        | 0         | 0        | 91.79      | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 91.79     |  |
| एस.टी.जी.                                                                                                                    | 0       | 0        | 0        | 25        | 0        | 20.4       | 12.5     | 0        | 0         | 0        | 0        | 57.9      |  |
| कुल योग                                                                                                                      | 138.8   | 20.51    | 2,093.78 | 4,333.59  | 1,915.95 | 1,172.56   | 2,967.26 | 177.97   | 60.02     | 19.77    | 0        | 12,900.20 |  |

## परिशिष्ट- 5(vii)

| वर्ष 1952 से ईपीएफ शेष पर ब्याज की दर                                               |                  |  |         |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|---------|-------------------------------------------------------------|
| वर्ष                                                                                | ब्याज की दर      |  | वर्ष    | ब्याज की दर                                                 |
| 1953-54                                                                             | 3%               |  | 1987-88 | 11.50%                                                      |
| 1954-55                                                                             | 3%               |  | 1988-89 | 11.80%                                                      |
| 1955-56                                                                             | 3.50%            |  | 1989-90 | 12%                                                         |
| 1956-57                                                                             | 3.50%            |  | 1990-91 | 12%                                                         |
| 1957-58                                                                             | 3.75%            |  | 1991-92 | 12%                                                         |
| 1958-59                                                                             | 3.75%            |  | 1992-93 | 12%                                                         |
| 1959-60                                                                             | 3.75%            |  | 1993-94 | 12%                                                         |
| 1960-61                                                                             | 3.75%            |  | 1994-95 | 12%                                                         |
| 1961-62                                                                             | 3.75%            |  | 1995-96 | 12%                                                         |
| 1962-63                                                                             | 3.75%            |  | 1996-97 | 12%                                                         |
| 1963-64                                                                             | 4%               |  | 1997-98 | 12%                                                         |
| 1964-65                                                                             | 4.25%            |  | 1998-99 | 12%                                                         |
| 1965-66                                                                             | 4.50%            |  | 1999-00 | 12%                                                         |
| 1966-67                                                                             | 4.75%            |  | 2000-01 | 12% (अप्रैल, 2000 से जून, 2000)<br>11% (जुलाई, 2000 से आगे) |
| 1967-68                                                                             | 5%               |  | 2001-02 | 9.50%                                                       |
| 1968-69                                                                             | 5.25%            |  | 2002-03 | 9.50%                                                       |
| 1969-70                                                                             | 5.50%            |  | 2003-04 | 9.50% @                                                     |
| 1970-71                                                                             | 5.70%            |  | 2004-05 | 9.5%                                                        |
| 1971-72                                                                             | 5.80%            |  | 2005-06 | 8.50%                                                       |
| 1972-73                                                                             | 6%               |  | 2006-07 | 8.50%                                                       |
| 1973-74                                                                             | 6%               |  | 2007-08 | 8.50%                                                       |
| 1974-75                                                                             | 6.50%            |  | 2008-09 | 8.50%                                                       |
| 1975-76                                                                             | 7%               |  | 2009-10 | 8.50%                                                       |
| 1976-77                                                                             | 7.50%            |  | 2010-11 | 9.50%                                                       |
| 1977-78                                                                             | 8%               |  | 2011-12 | 8.25%                                                       |
| 1978-79                                                                             | 8.25%+0.5% बोनस* |  | 2012-13 | 8.50%                                                       |
| 1979-80                                                                             | 8.25%            |  | 2013-14 | 8.75%                                                       |
| 1980-81                                                                             | 8.25%            |  | 2014-15 | 8.75%                                                       |
| 1981-82                                                                             | 8.50%            |  | 2015-16 | 8.80%                                                       |
| 1982-83                                                                             | 8.75%            |  | 2016-17 | 8.65%                                                       |
| 1983-84                                                                             | 9.15%            |  | 2017-18 | 8.55%                                                       |
| 1984-85                                                                             | 9.90%            |  | 2018-19 | 8.65%                                                       |
| 1985-86                                                                             | 10.15%           |  | 2019-20 | 8.50%                                                       |
| 1986-87                                                                             | 11%              |  | 2020-21 | 8.50%                                                       |
|                                                                                     |                  |  | 2021-22 | 8.10%                                                       |
| * जिन्होंने 1976-1977 और 1977-1978 के दौरान अपने भ.नि. से कोई भी राशि वापस नहीं ली। |                  |  |         |                                                             |
| (@9% ब्याज के साथ साथ 0.5% स्वर्ण जयंती बोनस ब्याज)।                                |                  |  |         |                                                             |

## परिशिष्ट- 5(viii)

| वर्ष 2020-2021* के लिए उत्पादकता सहबद्ध बोनस (अलेखा परीक्षित) |                                                         |                        |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| क्र.सं.                                                       | अंचल                                                    | उत्पादकता सहबद्ध बोनस  |
| 1                                                             | आन्ध्र प्रदेश (विजयवाड़ा)                               | 74,72,896.00           |
| 2                                                             | तेलंगाना (हैदराबाद)                                     | 95,37,668.00           |
| 3                                                             | बेंगलुरु                                                | 99,34,071.00           |
| 4                                                             | कर्नाटक और गोवा (हुबली)                                 | 64,66,803.00           |
| 5                                                             | बिहार और झारखंड (पटना)                                  | 62,53,185.00           |
| 6                                                             | चेन्नई और पुडुचेरी (चेन्नई)                             | 1,11,03,635.00         |
| 7                                                             | तमिलनाडु (कोयंबटूर)                                     | 1,19,50,506.00         |
| 8                                                             | दिल्ली और उत्तराखंड (दिल्ली)                            | 1,11,85,123.00         |
| 9                                                             | गुजरात (अहमदाबाद)                                       | 1,33,76,172.00         |
| 10                                                            | हरियाणा (फरीदाबाद)                                      | 60,10,503.00           |
| 11                                                            | केरल और लक्षद्वीप (तिरुवनंतपुरम)                        | 71,59,589.00           |
| 12                                                            | मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ (भोपाल)                        | 83,82,810.00           |
| 13                                                            | मुंबई -1 (बांद्रा)                                      | 66,78,240.00           |
| 14                                                            | मुंबई -2 (थाणे)                                         | 76,40,612.00           |
| 15                                                            | महाराष्ट्र (पुणे)                                       | 1,16,27,067.00         |
| 16                                                            | एनईआर (गुवाहाटी)                                        | 24,79,043.00           |
| 17                                                            | ओडिशा (भुवनेश्वर)                                       | 48,96,776.00           |
| 18                                                            | पंजाब और हिमाचल प्रदेश (चंडीगढ़)                        | 97,32,364.00           |
| 19                                                            | राजस्थान (जयपुर)                                        | 62,94,921.00           |
| 20                                                            | उत्तर प्रदेश (कानपुर)                                   | 91,70,989.00           |
| 21                                                            | पश्चिम बंगाल, अं और नि. द्वीप समूह और सिक्किम (कोलकाता) | 1,39,79,030.00         |
| 22                                                            | जम्मू एवं कश्मीर (दिल्ली और उत्तराखंड)                  | 4,37,680.00            |
| 23                                                            | मुख्य कार्यालय                                          | 25,96,114.00           |
| 24                                                            | पीडीयूएनएसएसएस                                          | 8,75,207.00            |
|                                                               | <b>कुल</b>                                              | <b>18,52,41,004.00</b> |

\*वर्ष 2020-21 के लिए उत्पादकता सहबद्ध बोनस का भुगतान वर्ष 2021-22 में किया गया है।

वर्ष 2021–2022 के लिए आरटीआई वार्षिक रिपोर्ट  
आरटीआई अनुरोध और अपील के बारे में विवरण

|            | आदिशेष | धारा 6(3) के अंतर्गत अन्य जन प्राधिकारी से प्राप्त स्थानांतरित मामलों की संख्या | वर्ष के दौरान प्राप्त (अन्य जन प्राधिकारी को स्थानांतरित मामलों सहित) | धारा 6(3) के अंतर्गत अन्य जन प्राधिकारी को स्थानांतरित मामलों की संख्या | निर्णय जिनमें अनुरोध/ अपील रद्द किए गए | निर्णय जिनमें अनुरोध/ अपीलों का जवाब दिया गया |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| आवेदन      | 1049   | 6392                                                                            | 24110                                                                 | 6732                                                                    | 1771                                   | 21843                                         |
| प्रथम अपील | 631    | लगा नहीं                                                                        | 3402                                                                  | लगा नहीं                                                                | 138                                    | 3134                                          |

एकत्रित शुल्क, लगाया गया दंड एवं की गई अनुशासनिक कार्रवाई का विवरण

| धारा 7(1) के अंतर्गत एकत्रित किया गया पंजीकरण शुल्कय (रूपये में) | धारा 7(3) के अंतर्गत एकत्रित किया गया अतिरिक्त शुल्कए (रूपये में) | मुख्य सूचनाधिकारी के निर्देशों के अनुसार धारा 20(1) के अंतर्गत वसूला गया दंड / राशि | ऐसे मामले, जिनमें किसी अधिकारी के विरुद्ध धारा 20(2) के अंतर्गत अनुशासनिक कार्रवाई की गई है |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 146510                                                           | 38072                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                                           |

मांगी गई सूचना को अस्वीकृत करते हुए धारा 8 के विभिन्न प्रावधानों का विवरण

| अनुरोधों को अस्वीकार करते समय लागू किए गए विभिन्न प्रावधानों की संख्या |    |    |    |     |    |    |    |    |      |
|------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-----|----|----|----|----|------|
| धारा 8 (1)                                                             |    |    |    |     |    |    |    |    |      |
| ए                                                                      | बी | सी | डी | ई   | एफ | जी | एच | आई | जे   |
| 0                                                                      | 0  | 0  | 5  | 158 | 2  | 3  | 4  | 10 | 377  |
|                                                                        |    |    |    |     |    |    |    | 9  | 11   |
|                                                                        |    |    |    |     |    |    |    | 10 | 20   |
|                                                                        |    |    |    |     |    |    |    | 24 | 57   |
|                                                                        |    |    |    |     |    |    |    |    | अन्य |
|                                                                        |    |    |    |     |    |    |    |    | 1015 |



## परिशिष्ट-7(i)

| 31.03.2022 तक ईपीएफओ में ग्रुप 'ए' अधिकारियों की पदवार, स्वीकृत एवं वर्तमान तैनाती की स्थिति |                                      |                           |                            |                                           |             |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------|------------|
| क्र.सं.                                                                                      | पद का नाम                            | 6वें सीपीसी में वेतन बैंड | 6वें सीपीसी में ग्रेड वेतन | 7वें वेतन आयोग में वेतन मैट्रिक्स का स्तर | कुल स्वीकृत | तैनात      |
| 1                                                                                            | केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त         | 80000 [फिक्सड]            | ----                       |                                           | 1           | 1          |
| 2                                                                                            | वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी | 37400- 67000              | 10000                      | 14                                        | 1           | 1          |
| 3                                                                                            | मुख्य सतर्कता अधिकारी                | 37400- 67000              | 10000                      | 14                                        | 1           | 1          |
| 4                                                                                            | अपर के.भ.नि.आ. (मुख्या.)             | 37400- 67000              | 10000                      | 14                                        | 11          | 9          |
| 5                                                                                            | अपर के.भ.नि.आ.                       | 37400- 67000              | 8900                       | 13A                                       | 32          | 24         |
| 6                                                                                            | निदेशक (सतर्कता)                     | 37400-67000               | 8700                       | 13                                        | 1           | 0          |
| 7                                                                                            | मुख्य अभियंता                        | 37400- 67000              | 8700                       | 13                                        | 1           | 0          |
| 8                                                                                            | निदेशक (सूचना सेवा)                  | 37400-67000               | 8700                       | 13                                        | 9           | 0          |
| 9                                                                                            | निदेशक (लेखापरीक्षा)*                | 15600-39100               | 8700                       | 13                                        | 1           | 0          |
| 10                                                                                           | संयुक्त निदेशक (सूचना सेवा)          | 15600-39100               | 7600                       | 12                                        | 30          | 0          |
| 11                                                                                           | क्षे.भ.नि.आयुक्त-I                   | 15600-39100               | 7600                       | 12                                        | 239         | 159        |
| 12                                                                                           | निदेशक (राजभाषा)                     | 15600-39100               | 7600                       | 12                                        | 1           | 0          |
| 13                                                                                           | उप निदेशक (लेखापरीक्षा)              | 15600-39100               | 6600                       | 11                                        | 17          | 2          |
| 14                                                                                           | कार्यकारी अभियंता (सिविल)            | 15600-39100               | 6600                       | 11                                        | 2           | 0          |
| 15                                                                                           | कार्यकारी अभियंता (इलैक्ट्रीकल)      | 15600-39100               | 6600                       | 11                                        | 2           | 0          |
| 16                                                                                           | उप निदेशक (सतर्कता)                  | 15600-39100               | 6600                       | 11                                        | 12          | 3          |
| 17                                                                                           | क्षे.भ.नि.आयुक्त-II                  | 15600-39100               | 6600                       | 11                                        | 299         | 270        |
| 18                                                                                           | विधि अधिकारी                         | 15600-39100               | 6600                       | 11                                        | 1           | 0          |
| 19                                                                                           | प्रधान निजी सचिव                     | 15600-39100               | 6600                       | 11                                        | 16          | 4          |
| 20                                                                                           | उप निदेशक (राजभाषा)                  | 15600-39100               | 6600                       | 11                                        | 10          | 3          |
| 21                                                                                           | उप निदेशक (सूचना सेवा)               | 15600-39100               | 6600                       | 11                                        | 60          | 14         |
| 22                                                                                           | सहायक भ.नि. आयुक्त                   | 15600-39100               | 5400                       | 10                                        | 452         | 265        |
| 23                                                                                           | सहायक निदेशक (सूचना सेवा)            | 15600-39100               | 5400                       | 10                                        | 120         | 18         |
| 24                                                                                           | सहायक निदेशक (सतर्कता)               | 15600-39100               | 5400                       | 10                                        | 40          | 17         |
| 25                                                                                           | सहायक निदेशक (राजभाषा)               | 15600-39100               | 5400                       | 10                                        | 57          | 1          |
| 26                                                                                           | सहायक निदेशक (लेखापरीक्षा)           | 15600-39100               | 5400                       | 10                                        | 31          | 6          |
| 27                                                                                           | सहायक अभियंता (सिविल)                | 15600-39100               | 5400                       | 10                                        | 17          | 0          |
| 28                                                                                           | सहायक अभियंता (इलैक्ट्रीकल)          | 15600-39100               | 5400                       | 10                                        | 3           | 0          |
|                                                                                              | <b>कुल</b>                           |                           |                            |                                           | <b>1467</b> | <b>798</b> |

\* 20.07.2017 को आयोजित विसंगति निवारण-सह-कार्यान्वयन समिति की बैठक में सतर्कता और लेखा परीक्षा के संवर्ग के लिए यथास्थिति बनाए रखने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, निदेशक (ऑडिट) का एक पद जो कि संवर्ग पुनर्गठन से पहले मौजूद था, को बरकरार रखा गया है।

## परिशिष्ट-7(ii)

| 31.03.2022 तक ईपीएफओ में ग्रुप 'बी' अधिकारियों की पदवार स्वीकृत एवं वर्तमान तैनाती की स्थिति |                                  |                          |                           |                                           |             |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------|
| क्र.सं.                                                                                      | पद का नाम                        | 6ठे सीपीसी में वेतन बैंड | 6ठे सीपीसी में ग्रेड वेतन | 7वें वेतन आयोग में वेतन मैट्रिक्स का स्तर | कुल स्वीकृत | तैनात |
| 1                                                                                            | अनुभाग अधिकारी                   | 9300-34800               | 4800                      | 8                                         | 196         | 85    |
| 2                                                                                            | लेखा परीक्षा अधिकारी (पी.एफ.डी.) | 9300-34800               | 4800                      | 8                                         | 1           | 0     |
| 3                                                                                            | प्रोग्रामर*                      | 9300-34800               | 4800                      | 8                                         | 210         | 5     |
| 4                                                                                            | निजी सचिव                        | 9300-34800               | 4800                      | 8                                         | 205         | 122   |
| 5                                                                                            | सहायक अनुभाग अधिकारी (मुख्यालय)  | 9300-34800               | 4600                      | 7                                         | 400         | 195   |
| 6                                                                                            | सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी       | 9300-34800               | 4600                      | 7                                         | 38          | 9     |
| 7                                                                                            | निजी सहायक                       | 9300-34800               | 4600                      | 7                                         | 434         | 16    |
| 8                                                                                            | प्रवर्तन अधिकारी/लेखा अधिकारी    | 9300-34800               | 4800                      | 7                                         | 3072        | 1654  |
| 9                                                                                            | डाटा प्रविष्टि सहायक             | 9300-34800               | 4600                      | 7                                         | 0           | 236   |
| 10                                                                                           | वरिष्ठ हिन्दी अनुवाद अधिकारी     | 9300-34800               | 4600                      | 7                                         | 80          | 81    |
| 11                                                                                           | लेखापरीक्षक                      | 9300-34800               | 4200                      | 6                                         | 62          | 23    |
| 12                                                                                           | कनिष्ठ अभियंता (सिविल)           | 9300-34800               | 4200                      | 6                                         | 40          | 13    |
| 13                                                                                           | कनिष्ठ अभियंता (इलैक्ट्रीकल)     | 9300-34800               | 4200                      | 6                                         | 2           | 0     |
| 14                                                                                           | सतर्कता सहायक                    | 9300-34800               | 4200                      | 6                                         | 40          | 0     |
| 15                                                                                           | पुस्तकालय सूचना सहायक            | 9300-34800               | 4200                      | 6                                         | 1           | 0     |
| 16                                                                                           | अनुभाग पर्यवेक्षक                | 9300-34800               | 4200                      | 6                                         | 2698        | 1706  |
| 17                                                                                           | कनिष्ठ हिन्दी अनुवाद अधिकारी     | 9300-34800               | 4200                      | 6                                         | 120         | 25    |
| 18                                                                                           | कनिष्ठ विश्लेषक                  | 9300-34800               | 4200                      | 6                                         | 2           | 0     |
| 19                                                                                           | अनुसंधान सहायक/ए.आर.ओ            | 9300-34800               | 4200                      | 6                                         | 4           | 0     |
| 20                                                                                           | कल्याण अधिकारी                   | 9300-34800               | 4200                      | 6                                         | 1           | 0     |
| 21                                                                                           | विधि सहायक                       | 9300-34800               | 4200                      | 6                                         | 43          | 1     |
| 22                                                                                           | सांख्यिकीय सहायक                 | 9300-34800               | 4200                      | 6                                         | 38          | 1     |
| 23                                                                                           | स्टाफ कार चालक (विशेष ग्रेड)     | 9300-34800               | 4200                      | 6                                         | 6           | 2     |
| 24                                                                                           | प्रेस कोर्डिनेटर                 |                          |                           |                                           | 0           | 1     |
|                                                                                              | कुल                              |                          |                           |                                           | 7693        | 4175  |

\* तैनात सहायक प्रोग्रामर/पर्यवेक्षक (कम्प्यूटर सेल) शामिल है।

## परिशिष्ट-7(iii)

| 31.03.2022 तक ईपीएफओ में ग्रुप 'सी' स्टाफ की पदवार स्वीकृत एवं वर्तमान तैनाती स्थिति |                                  |                          |                           |                                           |              |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|--------------|-------------|
| क्र.सं.                                                                              | पद का नाम                        | 6ठे सीपीसी में वेतन बैंड | 6ठे सीपीसी में ग्रेड वेतन | 7वें वेतन आयोग में वेतन मैट्रिक्स का स्तर | कुल स्वीकृत  | तैनात       |
| 1                                                                                    | स्टाफ कार चालक (ग्रेड -I)        | 5200-20200               | 2800                      | 5                                         | 39           | 15          |
| 2                                                                                    | आशुलिपिक                         | 5200-20200               | 2400                      | 4                                         | 187          | 2           |
| 3                                                                                    | सामाजिक सुरक्षा सहायक (एस.एस.ए.) | 5200-20200               | 2400                      | 4                                         | 12503        | 7861        |
| 4                                                                                    | उच्च श्रेणी लिपिक (मुख्यालय)     | 5200-20200               | 2400                      | 4                                         | 16           | 3           |
| 5                                                                                    | डाटा प्रविष्टि प्रचालक           | 5200-20200               | 2400                      | 4                                         | 0            | 99          |
| 6                                                                                    | स्टाफ कार चालक (ग्रेड-II)        | 5200-20200               | 2400                      | 4                                         | 33           | 14          |
| 7                                                                                    | अवर श्रेणी लिपिक                 | 5200-20200               | 1900                      | 2                                         | 593          | 395         |
| 8                                                                                    | इलैक्ट्रीशियन                    | 5200-20200               | 1900                      | 2                                         | 28           | 11          |
| 9                                                                                    | गेस्टेटर ऑपरेटर (वरि.)           | 5200-20200               | 1900                      | 2                                         | 3            | 0           |
| 10                                                                                   | पम्प ऑपरेटर                      | 5200-20200               | 1900                      | 2                                         | 14           | 2           |
| 11                                                                                   | प्लंबर                           | 5200-20200               | 1900                      | 2                                         | 20           | 6           |
| 12                                                                                   | लिफ्ट ऑपरेटर                     | 5200-20200               | 1900                      | 2                                         | 18           | 6           |
| 13                                                                                   | टेलेक्स ऑपरेटर                   | 5200-20200               | 1900                      | 2                                         | 2            | 0           |
| 14                                                                                   | कैंटीन कर्मचारी                  | 5200-20200               | 1900                      | 2                                         | 167          | 49          |
| 15                                                                                   | स्टाफ कार चालक (सामान्य श्रेणी)  | 5200-20200               | 1900                      | 2                                         | 34           | 25          |
| 16                                                                                   | बहु कार्य स्टाफ                  | 5200-20200               | 1800                      | 1                                         | 1256         | 1022        |
| 18                                                                                   | इलैक्ट्रीशियन सहायक              |                          |                           |                                           |              | 1           |
|                                                                                      | कुल                              |                          |                           |                                           | <b>14913</b> | <b>9511</b> |

## परिशिष्ट-7(iv)

| 31.03.2022 तक ईपीएफओ में ग्रुप 'ए' अधिकारियों की अंचल/श्रेणीवार स्वीकृत/वर्तमान तैनाती की स्थिति |             |            |                               |           |            |           |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------|-----------|------------|-----------|----------|
| अंचल                                                                                             | स्वीकृत     | तैनात      | स्वीकृत/वर्तमान तैनाती स्थिति |           |            |           |          |
|                                                                                                  |             |            | एस.सी.                        | एसटी      | ओबीसी      | दिव्या.   | पू.सै.   |
| विजयवाड़ा (आ.प्र.)                                                                               | 34          | 22         | 1                             | 0         | 5          | 1         | 0        |
| तेलंगाना                                                                                         | 64          | 41         | 5                             | 5         | 6          | 1         | 0        |
| बिहार और झारखंड                                                                                  | 29          | 25         | 1                             | 3         | 8          | 0         | 0        |
| दिल्ली उत्तराखंड                                                                                 | 83          | 53         | 12                            | 4         | 4          | 0         | 0        |
| गुजरात                                                                                           | 73          | 45         | 3                             | 7         | 8          | 1         | 0        |
| हरियाणा                                                                                          | 46          | 35         | 5                             | 0         | 5          | 1         | 0        |
| बेंगलुरु (कर्ना.)                                                                                | 56          | 34         | 3                             | 2         | 5          | 1         | 0        |
| कर्नाटक और गोवा (बेंगलुरु को छोड़कर)                                                             | 39          | 23         | 4                             | 2         | 5          | 0         | 0        |
| केरल और लक्षद्वीप                                                                                | 30          | 19         | 3                             | 0         | 5          | 0         | 0        |
| मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़                                                                         | 49          | 28         | 4                             | 0         | 7          | 0         | 0        |
| मुंबई- I, बांद्रा (महा.)                                                                         | 45          | 18         | 4                             | 2         | 3          | 0         | 0        |
| मुंबई- II, ठाणे (महा.)                                                                           | 50          | 31         | 6                             | 3         | 6          | 0         | 0        |
| पुणे, (महा.)                                                                                     | 63          | 32         | 9                             | 0         | 6          | 0         | 0        |
| गुवाहाटी, (पूर्वोत्तर क्षेत्र)                                                                   | 19          | 13         | 1                             | 4         | 0          | 0         | 0        |
| उड़ीसा                                                                                           | 21          | 17         | 1                             | 1         | 1          | 0         | 0        |
| पंजाब और हिमाचल प्रदेश                                                                           | 57          | 30         | 4                             | 1         | 3          | 0         | 0        |
| राजस्थान                                                                                         | 31          | 25         | 0                             | 7         | 5          | 0         | 0        |
| चेन्नई और पुदुचेरी (तमिलनाडु)                                                                    | 53          | 34         | 7                             | 3         | 5          | 0         | 0        |
| कोयंबटूर, तमिलनाडु (चेन्नई को छोड़कर)                                                            | 58          | 29         | 3                             | 1         | 7          | 0         | 0        |
| उत्तर प्रदेश                                                                                     | 58          | 50         | 7                             | 0         | 9          | 4         | 0        |
| कोलकाता (पश्चिम बंगाल, अं. एवं नि. द्वीप और सिक्किम)                                             | 79          | 49         | 4                             | 6         | 7          | 1         | 0        |
| मुख्यालय*                                                                                        | 423         | 142        | 17                            | 3         | 17         | 0         | 0        |
| जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख (दिल्ली एवं उत्तराखंड)                                                   | 7           | 3          | 1                             | 0         | 0          | 0         | 0        |
| <b>कुल</b>                                                                                       | <b>1467</b> | <b>798</b> | <b>105</b>                    | <b>54</b> | <b>127</b> | <b>10</b> | <b>0</b> |

\* फील्ड कार्यालय/जोनल कार्यालयवार वितरित नहीं किए गए पदों को मुख्यालय की स्वीकृत संख्या में दर्शाया गया है।

## परिशिष्ट-7(v)

| 31.03.2022 तक ईपीएफओ में ग्रुप 'बी' अधिकारियों की अंचल/श्रेणीवार स्वीकृत/वर्तमान तैनाती स्थिति |             |             |            |            |            |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| अंचल                                                                                           | स्वीकृत     | तैनात       | तैनात      |            |            |           |           |
|                                                                                                |             |             | एस.सी.     | एसटी       | ओबीसी      | दिव्या.   | पू.सै.    |
| विजयवाड़ा (आ.प्र.)                                                                             | 242         | 148         | 20         | 6          | 11         | 5         | 0         |
| तेलंगाना                                                                                       | 355         | 200         | 22         | 18         | 29         | 11        | 0         |
| बिहार और झारखंड                                                                                | 192         | 117         | 9          | 7          | 15         | 4         | 0         |
| दिल्ली उत्तराखंड                                                                               | 493         | 273         | 49         | 20         | 16         | 10        | 0         |
| गुजरात                                                                                         | 512         | 317         | 49         | 33         | 35         | 4         | 1         |
| हरियाणा                                                                                        | 358         | 182         | 17         | 7          | 10         | 3         | 0         |
| बेंगलुरु (कर्ना.)                                                                              | 398         | 210         | 37         | 19         | 25         | 1         | 3         |
| कर्नाटक और गोवा (बेंगलुरु को छोड़कर)                                                           | 295         | 118         | 14         | 6          | 15         | 4         | 0         |
| केरल और लक्षद्वीप                                                                              | 228         | 141         | 19         | 4          | 22         | 1         | 2         |
| मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़                                                                       | 326         | 203         | 24         | 48         | 21         | 0         | 0         |
| मुंबई- I, बांद्रा (महा.)                                                                       | 230         | 110         | 16         | 3          | 3          | 3         | 0         |
| मुंबई- II, थाणे (महा.)                                                                         | 366         | 200         | 19         | 8          | 8          | 1         | 0         |
| पुणे, (महा.)                                                                                   | 510         | 236         | 44         | 21         | 19         | 5         | 1         |
| गुवाहाटी, (पूर्वोत्तर क्षेत्र)                                                                 | 115         | 54          | 8          | 8          | 4          | 0         | 0         |
| उड़ीसा                                                                                         | 163         | 100         | 13         | 8          | 3          | 1         | 0         |
| पंजाब और हिमाचल प्रदेश                                                                         | 388         | 204         | 42         | 9          | 8          | 1         | 1         |
| राजस्थान                                                                                       | 217         | 114         | 14         | 9          | 5          | 2         | 0         |
| चेन्नई और पुदुचेरी (तमिलनाडु)                                                                  | 383         | 242         | 56         | 9          | 59         | 2         | 3         |
| कोयंबटूर, तमिलनाडु (चेन्नई को छोड़कर)                                                          | 432         | 245         | 52         | 13         | 54         | 5         | 2         |
| उत्तर प्रदेश                                                                                   | 407         | 246         | 48         | 3          | 29         | 2         | 0         |
| कोलकाता (पश्चिम बंगाल, अं. एवं नि. द्वीप और सिक्किम)                                           | 411         | 235         | 45         | 15         | 17         | 1         | 0         |
| मुख्यालय*                                                                                      | 643         | 268         | 47         | 23         | 44         | 0         | 0         |
| जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख (दिल्ली एवं उत्तराखंड)                                                 | 29          | 12          | 1          | 0          | 3          | 0         | 0         |
| <b>कुल</b>                                                                                     | <b>7693</b> | <b>4175</b> | <b>665</b> | <b>297</b> | <b>455</b> | <b>66</b> | <b>13</b> |

\*फील्ड कार्यालयों/अंचल कार्यालयों के अनुसार वितरित नहीं किए गए पदों को प्रधान कार्यालय की स्वीकृत संख्या में दर्शाया गया है।

## परिशिष्ट-7(vi)

| 31.03.2022 तक ईपीएफओ में ग्रुप 'सी' अधिकारियों की अंचल/श्रेणीवार स्वीकृत/वर्तमान तैनाती स्थिति |              |             |             |            |             |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|
| अंचल                                                                                           | स्वीकृत      | तैनात       | तैनात       |            |             |            |            |
|                                                                                                |              |             | एस.सी.      | एसटी       | ओबीसी       | दिव्या.    | पू.सै.     |
| विजयवाड़ा (आ.प्र.)                                                                             | 571          | 422         | 67          | 30         | 67          | 22         | 2          |
| तेलंगाना                                                                                       | 711          | 586         | 102         | 41         | 168         | 21         | 13         |
| बिहार और झारखंड                                                                                | 361          | 320         | 22          | 23         | 63          | 4          | 0          |
| दिल्ली एवं उत्तराखंड                                                                           | 1037         | 603         | 90          | 42         | 134         | 16         | 18         |
| गुजरात                                                                                         | 1091         | 657         | 123         | 59         | 175         | 9          | 14         |
| हरियाणा                                                                                        | 733          | 247         | 45          | 5          | 37          | 9          | 10         |
| बेंगलुरु (कर्ना.)                                                                              | 843          | 603         | 81          | 36         | 155         | 12         | 14         |
| कर्नाटक और गोवा (बेंगलुरु को छोड़कर)                                                           | 555          | 334         | 55          | 25         | 42          | 10         | 2          |
| केरल और लक्षद्वीप                                                                              | 495          | 364         | 41          | 9          | 67          | 5          | 16         |
| मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़                                                                       | 645          | 420         | 50          | 45         | 60          | 11         | 2          |
| मुंबई-I, बांद्रा (महा.)                                                                        | 563          | 317         | 71          | 15         | 31          | 3          | 1          |
| मुंबई-II, थाणे (महा.)                                                                          | 774          | 528         | 45          | 34         | 89          | 6          | 12         |
| पुणे (महा.)                                                                                    | 1085         | 551         | 85          | 61         | 78          | 12         | 20         |
| गुवाहाटी, (पूर्वोत्तर क्षेत्र)                                                                 | 191          | 116         | 10          | 29         | 11          | 1          | 0          |
| उड़ीसा                                                                                         | 333          | 265         | 25          | 39         | 12          | 3          | 3          |
| पंजाब और हिमाचल प्रदेश                                                                         | 799          | 436         | 117         | 6          | 47          | 14         | 8          |
| राजस्थान                                                                                       | 448          | 350         | 47          | 65         | 40          | 5          | 3          |
| चेन्नई और पुदुचेरी (तमिलनाडु)                                                                  | 885          | 535         | 133         | 3          | 177         | 7          | 18         |
| कोयंबटूर, तमिलनाडु (चेन्नई को छोड़कर)                                                          | 895          | 566         | 145         | 6          | 158         | 24         | 24         |
| उत्तर प्रदेश                                                                                   | 854          | 520         | 102         | 31         | 121         | 9          | 6          |
| कोलकाता (पश्चिम बंगाल, अं. एवं नि. द्वीप और सिक्किम)                                           | 877          | 678         | 165         | 8          | 147         | 10         | 2          |
| मुख्यालय*                                                                                      | 104          | 74          | 32          | 8          | 6           | 0          | 0          |
| जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख (दिल्ली एवं उत्तराखंड)                                                 | 63           | 19          | 2           | 0          | 6           | 0          | 0          |
| <b>कुल</b>                                                                                     | <b>14913</b> | <b>9511</b> | <b>1655</b> | <b>620</b> | <b>1891</b> | <b>213</b> | <b>188</b> |

\*फील्ड कार्यालय/जोनल कार्यालयवार वितरित नहीं किए गए पदों को मुख्यालय की स्वीकृत संख्या में दर्शाया गया है।

## परिशिष्ट-7(vii)

| 31.03.2022 को ईपीएफओ के स्टाफ पेंशनभोक्ता एवं परिवार पेंशनभोक्ता |                                                      |                         |                                |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| क्र.सं.                                                          | अंचल                                                 | पेंशनभोक्ताओं की संख्या | परिवार पेंशनभोक्ताओं की संख्या |
| 1.                                                               | विजयवाड़ा (आ.प्र.)                                   | 285                     | 135                            |
| 2.                                                               | हैदराबाद, तेलंगाना                                   | 418                     | 177                            |
| 3.                                                               | बिहार और झारखंड                                      | 262                     | 113                            |
| 4.                                                               | दिल्ली उत्तराखंड                                     | 426                     | 123                            |
| 5.                                                               | गुजरात                                               | 539                     | 187                            |
| 6.                                                               | हरियाणा                                              | 346                     | 71                             |
| 7.                                                               | बेंगलुरु (कर्ना.)                                    | 486                     | 177                            |
| 8.                                                               | कर्नाटक और गोवा (बेंगलुरु को छोड़कर)                 | 342                     | 91                             |
| 9.                                                               | केरल और लक्षद्वीप                                    | 1029                    | 223                            |
| 10.                                                              | मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़                             | 378                     | 147                            |
| 11.                                                              | मुंबई-I, बांद्रा (महा.)                              | 681                     | 227                            |
| 12.                                                              | मुंबई-II, थाणे (महा.)                                | 388                     | 59                             |
| 13.                                                              | पुणे (महा.)                                          | 345                     | 98                             |
| 14.                                                              | गुवाहाटी, (पूर्वोत्तर क्षेत्र)                       | 151                     | 52                             |
| 15.                                                              | उड़ीसा                                               | 270                     | 80                             |
| 16.                                                              | पंजाब और हिमाचल प्रदेश                               | 477                     | 120                            |
| 17.                                                              | राजस्थान                                             | 262                     | 59                             |
| 18.                                                              | चेन्नई और पुदुचेरी (तमिलनाडु)                        | 1394                    | 447                            |
| 19.                                                              | कोयंबटूर, तमिलनाडु (चेन्नई को छोड़कर)                | 336                     | 89                             |
| 20.                                                              | उत्तर प्रदेश                                         | 750                     | 247                            |
| 21.                                                              | कोलकाता (पश्चिम बंगाल, अं. एवं नि. द्वीप और सिक्किम) | 1219                    | 421                            |
| 22.                                                              | मुख्यालय                                             | 336                     | 89                             |
|                                                                  | <b>कुल</b>                                           | <b>11120</b>            | <b>3432</b>                    |

## परिशिष्ट-8 (i)

| क्र.सं. | पीडीनास द्वारा वर्ष 2021-2022 के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों/वेबिनार का विवरण                                                  | कार्यक्रमों के आयोजन की तिथि | भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 1.      | नव पंजीकृत नियोक्ताओं के लिए वेबिनार                                                                                                  | 12.08.2021                   | 253                                  |
| 2.      | नव पंजीकृत नियोक्ताओं के लिए वेबिनार<br>शीर्षक "ऑनबोर्डिंग टू ईपीएफओ सिम्लिफाईड"                                                      | 23.09.2021                   | 215                                  |
| 3.      | 'आईटी वातावरण में निवारक सतर्कता'<br>ई-संग्रह (ईपीएफओ के सभी प्रभागों से संबंधित सभी परिपत्रों का संकलन)                              | 29.10.2021                   | 160                                  |
| 4.      | 'वेल बींग' आर्ट ऑफ लिविंग पर ऑनलाइन क्षमता निर्माण कार्यक्रम                                                                          | -                            | -                                    |
| 5.      | 'वेल बीइंग' आर्ट ऑफ लिविंग पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम-ईपीएफओ मुख्यालय के अधिकारी और कर्मचारी                                         | 28.03.2022                   | 210                                  |
| 6.      | 'वेल बीइंग' आर्ट ऑफ लिविंग पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम<br>ईपीएफओ - आंचलिक कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय                              | 29.03.2022                   | 232                                  |
| 7.      | सामाजिक सुरक्षा संहिता पर ऑनलाइन कार्यक्रम<br>1. ईपीएफओ के अधिकारी<br>2. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय<br>3. सीएलसी<br>4. ईएसआईसी          | 31.03.2022                   | 347                                  |
| 8.      | श्रम सुविधा पोर्टल और ई-श्रम पर ऑनलाइन कार्यक्रम-के अधिकारी:<br>1. ईपीएफओ<br>2. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय<br>3. सी एल सी<br>4. ईएसआईसी | 31.03.2022                   | 302                                  |
|         | <b>कुल</b>                                                                                                                            |                              | <b>1719</b>                          |





स्वच्छता अभियान



शिलान्यास, आरओ नरोदा



प्रधान नियोक्ता पोर्टल 2.0 का शुभारंभ





जोनल कॉल सेंटर, गुवाहाटी का शुभारंभ



"75 सफलता की कहानियां" शीर्षक वाली पुस्तिका का विमोचन





महिला दिवस

नोट्स





इन्फोएडो



## राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत अनुच्छेद 41

राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर, काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और नःशक्तता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा।



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन  
श्रम और रोजगार मंत्रालय  
भारत सरकार